खण्ड-299, अंक-1
बुधवार, 4 श्रावण, शक संवत् 1894
(26 जुलाई, 1972 ई0)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 299 में 9 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:

निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ , उत्तर प्रदेश (भारत)
1973

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 25 पैसे |

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

उत्तर प्रदेश विधान सभा

बुधवार, 26 जुलाई, 1972

विधान सभा की बैठक, सभा मन्डप, लखनऊ में 11 बजे दिन में, अध्यक्ष, श्री आत्माराम गोविन्द खेर की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।

उपस्थित सदस्य — 370

अजबसिंह, श्री
अजीजुर्रहमान, श्री
अजीत प्रताप सिंह, श्री
अनन्तराम जायसवाल, श्री
अब्दुल गफ्फार हाशमी, श्री
अब्दुल सलाम शाह, श्री
अभिमन्यु प्रसाद पाँडेय, श्री
अमर नाथ दूबे, श्री
अवधेश कुमार, श्री
अवधेश प्रताप मल्ल, श्री
अशफाक अहमद, श्री
अशरफ अली खां, कुंवर
अहमदलूत खां, श्री
अहमदुल्ला खां, श्री
आबिद अली, श्री
आशाराम, श्री
आशा सिंह, श्रीमती
इन्द्रजीत, श्री
इन्द्रमणि, श्री
इन्द्रलाल, श्री
इम्तियाज हुसैन, श्री
ईश्वर दयाल त्यागी, श्री
उदय नाथ, श्री
उदय प्रताप सिंह, श्री
उदित नारायण शर्मा, श्री
उपेन्द्रनाथ दीक्षित, श्री

उमाकान्त बाजपेयी, श्री (उर्फ भैया जी)
उमादत्त शर्मा, श्री
उमानाथ सिंह, श्री
उमाशंकर, श्री
उमाशंकर शुक्ला, श्री
ऋषिपाल सिंह, श्री
ए० सी० ग्राइस, श्री
कन्हैया लाल, श्री
कन्हैया लाल बाल्मीकि, श्री
कन्हैया लाल सोनकर, श्री
करनसिंह, श्री
कलारानी मिश्र, श्रीमती
कल्पनाथ सिंह, श्री
कल्याण सिंह, श्री
काजी जलील अब्बासी, श्री
काजी मसूद, श्री
किशन लाल, श्री
कृष्णकान्त अवस्थी, श्री
कृष्णचन्द्र शर्मा, श्री
कृष्णदत्त, श्री (उर्फ बालराज)
कृष्ण मगन सिंह, श्री
कृष्ण सिंह, श्री
कृष्णस्वरूप वैश्य, श्री
कृष्णानन्द राय, श्री
केशव चन्द्र सिंह, श्री
केशवराम, श्री (जिला बरेली)

केशोराम, श्री (जिला बदायूं)
के० एस० मोहरिया, श्री
गंगा प्रसाद, श्री (जिला एटा)
गंगा प्रसाद, श्री (जिला गोंडा)
गंगा सिंह यादव, श्री
गया प्रसाद, श्री
गायत्री देवी, श्रीमती
गिरजा शंकर तिवारी, श्री
गिरधारी लाल, चौधरी
गुलाब सिंह, श्री
गोपालदत्त ओझा, श्री
गोपीनाथ दीक्षित, श्री
गोविन्द सिंह नेगी, श्री
गोस्वामी राधाकृष्ण, श्री
घासीराम जाटव, श्री
चंचल सिंह गिल, सरदार
चन्द्रनारायण सिंह, श्री
चन्द्रप्रताप नारयण सिंह, कुंवर
चन्द्रभानु गुप्त, श्री
चन्द्र मोहन सिंह नेगी, श्री
चरण सिंह, श्री
चिरंजीलाल, श्री
चेतराम गंगवार, श्री
छांगुर राम, श्री
छेदालाल चौधरी, श्री
जंगबहादुर यादव, श्री
जंगबहादुर सिंह, श्री
जगदम्बा प्रसाद, श्री
जगदीश गाँधी, श्री
जगदीश प्रसाद, श्री
जगदीश्वर दयाल, डाक्टर (उर्फ डा० मन्ना)
जगन प्रसाद रावत, श्री
जगन्नाथ खन्ना, श्री
जगन्नाथ प्रसाद, श्री
जगन्नाथ राव, श्री
जगरनाथ, श्री
जगवीर सिंह, श्री
जमादार सिंह, श्री
जयनारायण सिंह, श्री
जयराम यादव, श्री
जयराम वर्मा, श्री
जितेन्द्रपाल सिंह, श्री
जे० एन० सिन्हा, श्री
ज्वाला प्रसाद कुरील, श्री
डी० पी० बोरा, श्री
डूंगर सिंह विष्ट, श्री
तिरमल सिंह, श्री
तेज नारायण त्रिवेदी, श्री
तेजभान सिंह, कुंवर
त्रिलोक चन्द्र, श्री
त्रिवेणी राय, श्री
दल सिंगार यादव, श्री
दीपनारायण बन, श्री
दीपनारायण मणि त्रिपाठी, श्री
दुर्जन, श्री
दुलारे लाल, श्री
देवकीनन्दन विभव, श्री
देवराम, श्री
देवेन्द्रनाथ मिश्र, श्री
देवेन्द्र सिंह, कुंवर
धनुष धारी पाँडेय, श्री
धर्मवीर सिंह, श्री (जिला मुजफ्फरनगर)
धर्मवीर सिंह, श्री (जिला मेरठ)
धर्म सिंह, श्री
नगीना सिंह, श्री
नत्था राम रावत, श्री
नरेन्द्र सिंह भंडारी, श्री
नरोत्तम सिंह, श्री
नसीमुद्दीन सिद्दीकी, श्री
नारायणदत्त तिवारी, श्री
नारायणदास, श्री
नित्यानन्द स्वामी, श्री
निर्भयनारायण सिंह, श्री (उर्फ लाल बाबू)
निहाला सिंह, श्री
नेतराम सिंह, श्री
नैनसिंह, श्री
नैपाल सिंह, श्री
नौनिहाल सिंह, श्री

पन्नालाल गुप्त, श्री
परमाईलाल, श्री
पारसनाथ सिंह, श्री
पूरनचन्द, श्री
प्यारी देवी गुप्ता, श्रीमती
प्यारे लाल, श्री
प्रताप नारायण द्विवेदी, श्री
प्रभाकर त्रिपाठी, श्री
प्रियदर्शी जेटली, श्री
प्रेम चन्द्र शर्मा, श्री
प्रेमनारायण अहेरवार, श्री
फिरंगी प्रसाद विशारद, श्री
बंशगोपाल शुक्ल, श्री
बंशीधर, श्री
बंशीधर पाँडेय, श्री
बंशीधर मिश्र, श्री
बच्चा पाठक, श्री
बदनसिंह यादव, श्री
बद्री प्रसाद, श्री
बनारसी राम, श्री
बब्बन सिंह, श्री
बलराम सिंह यादव, श्री
बलवीर सिंह, श्री
बसन्त लाल, श्री (जिला जालौन)
बसन्तलाल, श्री (जिला लखनऊ)
बसन्त लाल शर्मा, श्री
बाँके लाल, श्री
बिशन लाल यादव, श्री
बिहारीलाल, श्री
बेनी सिंह, श्री
बैजनाथ, श्री (जिला देवरिया)
बैजनाथ, श्री (जिला वाराणसी)
ब्रजराज सिंह, श्री
भगवत दयाल सिलोइया, डाक्टर
भगवती प्रसाद शुक्ल, श्री
भगवती सिंह विशारद, श्री
भगेलू सिंह, श्री
भगवती प्रसाद, श्री
भगवती सिंह, श्री
भानुप्रताप सिंह, श्री (जिला बस्ती)
भाभी यादव, श्री
भारतसिंह चौहान, श्री
भीमा प्रसाद, श्री
मंगल उपाध्याय, श्री
मंजूर अहमद, श्री
मदन मोहन मिश्र, श्री
मनफूल सिंह, श्री
मनोहर लाल, श्री
मन्साराम, श्री
मलिखान सिंह, श्री
मसाली देवी, श्रीमती
महमूद अली खां, श्री
महमूद हसन खां, श्री
महराम सिंह, श्री
महातम प्रसाद तिवारी, श्री
महावीरसिंह चौहान, श्री (जिला अलीगढ़)
महीरजध्वज सिंह, श्री
(उर्फ बाबू भैया)
महीलाल, श्री
महेन्द्रसिंह, श्री (जिला अलीगढ़)
महेन्द्र सिंह, श्री (जिला मुरादाबाद)
महेश्वरदत्त सिंह, श्री
माखन लाल, श्री
माता प्रसाद, श्री
माधव प्रसाद त्रिपाठी, श्री
मुंशीलाल चमार, श्री
मुमताज मोहम्मद खां, श्री
मुल्तान सिंह, श्री
मुस्तफा कामिल किदवई, श्री
मुहम्मद नबी खां,श्री
मेहरबान सिंह, श्री
मैनेजर सिंह, श्री
मोतीलाल देहलवी, श्री
मोहनलाल, श्री
मोहन सिंह, श्री
मोहम्मद असरार अहमद, श्री
यादवेन्द्र सिंह, श्री (उर्फ ललन जी)
रघुनाथ सिंह, श्री (जिला कानपुर)

रघुनाथ सिंह वर्मा, श्री
रघुवीर सिंह यादव, श्री
रमापति त्रिपाठी, श्री
राजनाथ सिंह, श्री
राजपती देवी, श्रीमती
राजबहादुर चन्द, श्री
राजबिहारी सिंह, श्री
राज मंगल पांडेय, श्री
राजितराम पाण्डेय, श्री
राजेन्द्र किशोरी, श्रीमती
राजेन्द्र कुमार शर्मा, श्री
राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी, डाक्टर
राजेन्द्र प्रताप सिंह, श्री
राजेश्वर सिंह, श्री
राम अवध, श्री
राम करन यादव, श्री (जिला गाजीपुर)
राम किंकर, श्री
राम कुंवर सिंह, श्री
राम कुमार शास्त्री, श्री
रामगोपाल संड, श्री
रामचरण त्रिपाठी, श्री (जिला इलाहाबाद)
राम चरण सिंह, श्री (जिला आगरा)
रामजियावन, श्री
रामजीलाल सहायक, डाक्टर
राम दुलारे, श्री
राम दुलारे मिश्र, श्री
रामदेव, श्री
रामधारी शास्त्री, श्री
राम नगीना मिश्र, श्री
रामनिहोर, श्री
राम निहोर राय, श्री
रामपति, श्री
रामपाल त्रिवेदी, श्री
रामपाल सिंह, श्री
रामपाल सिंह यादव, चौधरी
रामभूजन पटेल, श्री
रामप्यारे, श्री
रामप्यारे शुक्ला, श्री
राम प्रसाद, श्री
राम प्रसाद देशमुख, श्री
रामबचन, श्री (जिला आजमगढ़ रानी की सराय)
रामबचन यादव, श्री (जिला आजमगढ़, फूलपुर)
राम बिलास पांडेय, श्री
राममूर्ति 'अंचल', श्री
रामरतन पांडेय, श्री
रामरतन प्रसाद, श्री
रामलखन सिंह, श्री
राम लगन दूबे, श्री
राम लाल भाई, श्री
रामलाल राही, श्री
रामशिरोमणि दूबे, श्री
रामसागर, श्री
रामसिंह, श्री
रामसिंह खन्ना, श्री
रामसूरत सिंह, श्री
राम सेवक, श्री
राम हर्ष मिश्र, श्री
राव अब्दुर्राफे खां, श्री
रितुराज सिंह, श्री
रियासत हुसैन, श्री
रूपनाथ सिंह यादव, श्री
रूपराम, श्री
लक्षमणस्वरूप, श्री
लक्ष्मीरमण आचार्य, श्री
लक्ष्मीशंकर यादव, श्री
लालन शर्मा, श्री
लाल बहादुर सिंह, श्री
लालसा, श्री
लालू राम, श्री
लोकपति, श्री
वशिष्ठ नारायण शर्मा, श्री
बासुदेव, श्री
वासुदेव सिंह वैद्य, श्री
विक्रम सिंह, श्री
विजयकुमार त्रिपाठी, राजा
विजयपाल सिंह, श्री (जिला गोंडा)

विजयपाल सिंह, श्री (जिला बुलन्दशहर)
विजयशंकर सिंह, श्री
विद्यावती राठौर, श्रीमती
विशम्भर सिंह यादव, श्री
विश्रामदास, श्री
विश्वनाथ कपूर, श्री
वीर बहादुर सिंह, श्री
वीरेन्द्र कुमार, चौधरी
वीरेन्द्र वर्मा, श्री
शंकर प्रसाद जायसवाल, श्री
शकुन्तला देवी, श्रीमती
शचीन्द्र नाथ बख्शी, श्री
शफीक अहमद खां, श्री
शमीम आलम, श्री
शम्भूनाथ चौधरी, श्री
शम्भूनारायण सिंह, श्री
शान्ती चरण पिंड़ारा, श्री
शान्ति देवी, श्रीमती
शान्ति प्रपन्न शर्मा, श्री
शिव कुमार , श्री (जिला शाहजहांपुर)
शिव कुमार पांडेय, श्री (जिला सुल्तानपुर)
शिब कैलाश, श्री
शिवदास, श्री
शिवपाल सिंह, श्री
शिव प्रसाद पांडिया, श्री
शिवबचन, श्री
शिव महेन्द्र सिंह, कुंवर (उर्फ शेरसिंह)
शिवराज सिंह, श्री
शिवलाल, श्री
शिववक्ष सिंह राठौर, श्री
शिवशंकर, श्री
शिव सम्पत्ति शर्मा, श्री
शिवानन्द नौटियाल, श्री
शीतला प्रसाद सिंह, श्री
शुकरू लाल, श्री
शेर अली खां, श्री
शेर सिंह दानू, श्री
शेष नारायण शुक्ल, श्री
शौनाथ सिंह चौधरी, श्री
श्याम किशोर, डाक्टर
श्यामलाल कनौजिया, श्री
श्याम लाल रावत, श्री
श्याम सन्दर लाल गुप्त, श्री (उर्फ छन्नू बाबू)
श्याम सूरत उपाध्याय, श्री
श्रीकृष्ण बाजपेयी, श्री
श्रीनिवास प्रसाद सिंह, राजा
श्रीरामसिंह, श्री
संतोष कुमारी, श्रीमती
सईद मुर्तजा, श्री
सच्चिदानन्द, श्री
सजीवन लाल, श्री
सतीश चन्द्र, श्री
सत्तार अहमद अन्सारी, श्री
सन्तराम, श्री
सन्तू राम, श्री
सरस्वती टम्टा, श्रीमती
सर्वसुख सिंह, श्री
सिया सुलारी, श्रीमती
सियाराम, श्री
सुखपाल पांडेय, श्री
सुखलाल कोरी, श्री
सुदामा प्रसाद गोस्वामी, श्री
सुरेन्द्र विक्रम, श्री
सूबेदार प्रसाद, श्री
सूबेदार सिंह, श्री
सूर्यनाथ उपाध्याय, श्री
सेवाराम, श्री
सैयद मुर्तजा अली खां, नवाब
सोहन लाल धुसिया, श्री
स्वामी प्रसाद सिंह, श्री
हंसराज, श्री (उर्फ हंसा)
हबीबुर्रहमान, श्री
हमीदा हबीबुल्ला, बेगम
हरनारायण, श्री
हरवंश प्रसाद, श्री
हरिनाथ तिवारी, श्री
हरिप्रसाद शाही, डाक्टर

हरिवंश सहाय, श्री
हरिहर बख्श सिंह, राजा
हरिदत्त काण्डपाल, श्री
हरीसिंह विष्ट, श्री
हलीमुद्दीन राहत मौलाई, श्री
हिम्मतसिंह, श्री
हीरा सिंह बोरा, श्री
हुकुमसिंह, श्री (जिला आगरा, पश्चिम)
हुकुमसिंह परिहार, श्री (जिला आगरा, फतेहाबाद)
होती लाल अग्रवाल, श्री

नोट:--सामुदायिक विकास मन्त्री, श्री बलदेव सिंह आर्य भी उपस्थित थे।

प्रश्नोत्तर

बुधवार, 26 जुलाई, 1972

अल्पसूचित तारांकित प्रश्न

टांडा (फैजाबाद) में पावरलूम लाइसेंस हेतु प्रार्थना-पत्र

**1--श्री विश्वनाथ कपूर (जिला फैजाबाद), श्री राम विलास पांडेय (जिला आजमगढ़) तथा श्री सुरेन्द्र विक्रम (जिला शाहजहांपुर)--

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि शासन को जानकारी है कि टान्डा बुनकर यूनियन जिला फैजाबाद के माध्यम से 2,855 पावर लूम के लाइसेंस हेतु प्रार्थना-पत्र मय शुल्क के दिनांक 10 मार्च, 1972 तक उद्योग विभाग को प्राप्त हुये हैं, जिसका लाइसेंस अभी तक जारी नहीं हुआ ? यदि हां, तो दोषी कौन है तथा इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही हो रही है तथा कब तक लाइसेंस जारी कर दिये जायेंगे ?

लघु उद्योग मंत्री (डाक्टर रामजी लाल सहायक)--

फैजाबाद जिले से जो आवेदनपत्र पावरलूम के लाइसेंस हेतु प्राप्त हुये हैं उनमें ऐसा कोई संकेत नहीं है कि वे टान्डा बुनकर यूनियन के माध्यम से प्रेषित किये गये हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

श्री विश्वनाथ कपूर--

मैं आपके माध्यम से एक व्यवस्था का प्रश्न उठाना चाहता हूं कि मंत्री जी के उत्तर से संबंधित मन्त्री जी ने कहा है कि ऐसा कोई संकेत नहीं मिला कि पावर लूम लाइसेन्स उनके द्वारा मिले इसलिये प्रश्न नहीं उठता। प्रार्थना-पत्र प्राप्त हुये या नहीं ? यदि हुये तो क्या हो रहा है ? हर प्रार्थना-पत्र 100 रुपये के ट्रेजरी चालान के साथ जमा किया गया है। 2 लाख 85 हजार रुपये खजाने में जमा किये गये हैं। मेरे पास चिट्ठी है। उन्होंने स्वयं बुनकर यूनियन को लिखा है। 155 लाइसेन्स 5 सितम्बर, 1970 को दिये गये और उसके बाद 10 मार्च को दिये गये। मैं वह चिट्ठी पढ़ रहा हूं जो जिला उद्योग अधिकारी, फैजाबाद ने सेक्रेटरी पावर लूम बुनकर यूनियन, टांडा को लिखा :

"विषय : पावर लूम का एलाटमेंट।

प्रान्तीय वस्त्र नियन्त्रक, कानपुर ने सूचित किया है कि पावर लूम चलाने हेतु नये आवेदन-पत्र आमंत्रित किये जा रहे हैं। आवेदन-पत्र निर्धारित रूप पत्र पर 100 रुपये के ट्रेजरी चालान सहित दिनांक 10-3-1972 तक उपरोक्त कार्यालय में पहुंच जाने चाहिये।"

जिनको लाइसेन्स दिये गये हैं सबकी सूची मेरे पास है और मंत्री जी कहते हैं कि कोई संकेत ही नहीं है कि इनके माध्यम से आया हो। संकेत नहीं है तो 3 लाख रुपया कौन लेकर चला गया? आप इस पर कृपया अपनी व्यवस्था दें।

श्री अध्यक्ष—

यह उत्तर इनकम्प्लीट तो है। मान लीजिये संकेत नहीं है लेकिन अगर यह लाइसेन्स के बारे में पूछा है कि उद्योग विभाग को प्राप्त हुये हैं जिसका लाइसेन्स अभी तक जारी नहीं हुआ तो आप कहते कि जारी हुआ है या नहीं। लेकिन इसका उत्तर आपका कोई नहीं है। क्या यूनियन की मारफत आना जरूरी है?

डाक्टर रामजीलाल सहायक—

जो मूल प्रश्न है उसमें यूनियन का जिक्र है इसलिये वह बात आयी। आगे माननीय सदस्य प्रश्न करें तो उत्तर दूंगा।

श्री अध्यक्ष—

लेकिन उन्होंने यह कहा कि अब तक उद्योग विभाग को प्राप्त हुये हैं जिसका लाइसेन्स अभी तक जारी नहीं हुआ। यही तो एतराज है और इसीलिये उन्होंने कहा है कि इसका दोषी कौन है। तो आप कहते हैं कि प्रश्न नहीं उठता। इसका मतलब यह है कि सवाल को बिल्कुल ही आपने दबा डाला। इसका उत्तर दिया ही नहीं कि लाइसेन्स दिये गये या नहीं। मान लीजिये यूनियन के जरिये से प्राप्त नहीं हुये लेकिन उद्योग विभाग ने प्राप्त किये या नहीं, इसका उत्तर आप दें।

डाक्टर रामजीलाल सहायक—

उद्योग विभाग में प्रार्थना-पत्र व्यक्तिगत लोगों ने अलग-अलग भेजें, यूनियन के जरिये नहीं। इसी का वह उत्तर है।

श्री अध्यक्ष—

यूनियन के जरिये से आना लाजिमी है क्या?

डाक्टर रामजीलाल सहायक—

जरूरी नहीं है।

श्री अध्यक्ष—

तो आपको इसका जवाब देना चाहिये था कि लाइसेन्स दिये नहीं गये उन लोगों को। यह तो सप्रेशन है।

डाक्टर रामजीलाल सहायक—

इसको मान्यवर, स्थगित कर दें ।

श्री अध्यक्ष—

मैं इसको स्थगित करता हूं, यह प्रश्न कल लिया जायेगा ।

श्री बलवीर सिंह (जिला मेरठ)—

श्रीमन्, आपने व्यवस्था दी कि उत्तर अपर्याप्त है, इसके लिये इनको ताडना तो दें ।

श्री अध्यक्ष—

इससे ज्यादा ताड़ना और क्या हो सकती है ? अक्लमंद के लिये इशारा ही काफी होता है ।

(व्यवधान)

[लघु उद्योग मंत्री की प्रार्थना पर अल्प सूचित तारांकित प्रश्न 1 स्थगित किया गया ।]

गल्ला मण्डियों का विकास तथा आधुनिकीकरण

**2—श्री शम्भूनाथ चौधरी (जिला बलिया) तथा श्री मुल्तान सिंह (जिला आगरा)—

क्या सरकार ने राज्य में गल्ला मंडियों का विकास और आधुनिकीकरण करने के लिये करीब 18 करोड़ रुपये की एक योजना बनाई है और इस सम्बन्ध में 14 जून, 1972 को राज्य के मुख्य मंत्री ने विश्वबैंक के 5 सदस्यीय विशेषज्ञों के दल के साथ दिल्ली में विचार विमर्ष किया है ? यदि हां, तो इस योजना का प्रारूप और उद्देश्य क्या होगा और विश्व बैंक के सदस्यों ने इस योजना को सफल बनाने में किस तरह की सहायता देने का आश्वासन दिया है ?

कृषि राज्य मंत्री (श्री श्याम सूरत उपाध्याय)—

जी हां ।

इस परियोजना के अन्तर्गत प्रदेश की विनियमित मंडियों में से 135 मन्डी समितियों को मंडियों के विकास एवं आधुनिकीकरण हेतु ऋण दिया जायेगा । विश्व बैंक की टीम ने परियोजना से अपनी सहमति प्रगट की है तथा यह मत प्रगट किया है कि सामान्यत: प्रथम चरण में 50–60 मंडियों तथा शेष मंडियां द्वितीय एवं तृतीय चरण में लेकर ऋण की उपलब्धि भारतीय पुनरावृति निगम तथा स्टेट बैंक आफ इन्डिया एवं अन्य व्यावसायिक बैकों के माध्यम से संबंधित मन्डी समितियों को की जाने की सम्भावना है ।

श्री शम्भूनाथ चौधरी—

जिन 135 मंडियों का चयन होगा उसका आधार क्या होगा ?

श्री श्यामसूरत उपाध्याय—

जिन जिलों में यह प्रोग्राम चल रहा है वहां की मंडियों को लिया जायेगा, जिन मंडियों से ज्यादा गल्ला आता है वहां से भी इनको लिया जायेगा ।

श्री शम्भूनाथ चौधरी--

इन समितियों को जो कर्जा दिया जायेगा वह किस आधार पर दिया जायेगा ?

श्री श्यामसूरत उपाध्याय--

जितनी उनकी आवश्यकता होगी उसके अनुसार कर्जा दिया जायेगा। उसके लिये एक योजना बन रही है, उसके अनुसार ही आवश्यकता को देख कर कर्जा दिया जायेगा।

श्री रामगोपाल संड (जिला इलाहाबाद)--

पहले चरण में आपने बताया कि ५०-६० मंडियां ली जायेंगी तो क्या उसमें इलाहाबाद, बांदा, प्रतापगढ़ की भी मंडियां हैं ?

श्री श्यामसूरत उपाध्याय--

जो चुनाव किया गया है उसमें इलाहाबाद नहीं है।

श्री शिवराजसिंह (जिला बदायूं)--

उत्तर में बताया गया है कि विभिन्न चरणों में मंडियों का चयन किया जायेगा, तो इन विभिन्न चरणों की यानी एक के बाद दूसरे चरण के बीच की अवधि क्या होगी और दूसरे विकास के जो कार्य होने हैं उसकी तफसील क्या है ?

श्री श्यामसूरत उपाध्याय--

विश्व बैंक की टीम को विभिन्न मंडियों के चयन से संबंधित एक परियोजना बना कर दी है। वे उस पर विचार करेंगे। वह टीम उत्तर प्रदेश में फिर आयेगी। उसके बाद ही विकास का कार्य आरम्भ होगा इसमें मंडियों के स्थानों का विकास होगा, नीलाम घर बनाये जायेंगे, गोदाम आदि की भी व्यवस्था होगी, यातायात की एजेन्सीज का प्रबन्ध होगा, मंडी परिज्ञान का प्रसारण काश्तकारों को कराया जाएगा, गाड़ियों के खड़े होने का स्थान, पानी पीने का स्थान, अस्पताल, डाकघर-आदि इन सारी चीजों की व्यवस्था इस परियोजना मे की जाएगी।

श्री बलवीर सिंह--

क्या जिला मेरठ की भी कुछ मंडियां इसमें शामिल की गई हैं ? यदि हां, तो वे कौन-कौन सी हैं ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय--

जी हां, मेरठ जिला की मंडियां शामिल की गई हैं, उनके नाम हैं--मेरठ, हापुड़, मुरादनगर सरधना, गाजियाबाद, खेकड़ा, बड़ौत तथा मवाना।

श्री शम्भूनाथ चौधरी--

क्या माननीय मंत्री जी बताएंगे कि जो ऋण दिया जायगा, उसकी दर क्या होगी और कुछ मंडियां क्या बलिया जिले की भी इसमें शामिल हैं ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय--

जैसा मैंने पहले ही निवेदन किया वर्ड बैंक की टीम ने अभी केवल स्टडी किया है। उसकी शर्तें, ऋण आदि की शर्तें बाद में तय होंगी। जहां तक बलिया का सवाल है, वह जिला लिया गया है। चितौड़ा और बलिया खास--दो मंडियां इसकी शामिल की गई हैं।

श्री पारस नाथ सिंह(जिला बहराइच)--

क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि इन मंडियों के सदस्य कौन-कौन होंगे और उनका चयन किस प्रकार होगा और उनकी कार्य-प्रणाली क्या होगी ?

(उत्तर नहीं दिया गया ।)

श्री जयराम वर्मा (जिला फैजाबाद)--

इसमें किन-किन जिलों की कितनी-कितनी मंडियां ली गई हैं ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय--

कुल १९ जिले इसमें शामिल किये गये हैं और मंडियों की संख्या १३५ है। ये किसी जिले में कम हैं और किसी जिले में ज्यादा हैं।

श्री रियासत हुसैन (जिला मुरादाबाद)--

यह देखते हुए कि ज्यादातर मंडियां कंजेस्टेड प्लेसेस में और अन्दर (इन्टीरियर में) स्थापित हैं, जिसकी वजह से किसानों को गाड़ियां लाने और ले जाने में बड़ी परेशानी होती है, अतः क्या इसमें यह भी प्रोग्राम है कि जो मंडियां ऐसे स्थानों में हैं, उनको वहां से हटाकर दूसरी अन्य जगह ले जाया जाय।

(उत्तर नहीं दिया गया)

श्री मोहम्मद असरार अहमद (जिला बदायूं)--

क्या माननीय मंत्री जी बताएंगे कि वर्ड बैंक की टीम ने उन्हें आश्वासन दिया है, यकीन दिलाया है कि कब तक वह निर्णय ले लेंगे ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय--

समय तो कोई निर्धारित नहीं किया गया है।

श्री जगन्नाथ खन्ना (जिला सहारनपुर)--

जो जिले लिये गये हैं, उनमें क्या सहारनपुर जिला भी है ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय--

जी हां।

श्री रामबिलास पांडेय--

क्या कुछ ऐसे जिले भी हैं, जो छूट गये हैं, वे कौन-कौन हैं ? मैं यह नहीं जानना चाहता हूं कि आजमगढ़ है या नहीं।

श्री श्याम सूरत उपाध्याय--

यह पूछें कि कौन से लिये गये हैं तो मैं बताऊं। लेकिन यह तो पूछ रहे हैं कि कौन से छूट गये हैं।

सचिवालय से बाहरी डेपुटेशनिस्ट सहायकों की वापसी की मांग

**3--श्री मोहम्मद असरार अहमद--

क्या मुख्य मंत्री को श्री गोकरन नाथ मिश्रा, सहायक मंत्री, यू० पी० सिविल सिक्रेटेरियट एसोशियेशन ने यह पत्र लिखा है कि यदि २३ जून, सन् १९७२ तक सिक्रेटेरियट में बाहर के डेपुटेशन पर आये हुये व्यक्तियों को वापस न भेज दिया गया तो वह हड़ताल करेंगे और साथ ही क्या उन्होंने यह भी मांग की है कि बाहर के व्यक्तियों की जगह पर सिक्रेटेरियट में काम करने वालों को स्पेशल परीक्षा लेकर नियुक्त किया जाय? यदि हां, तो सरकार ने इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की है?

गृह राज्य मंत्री (श्री गोस्वामी राधाकृष्ण)--

मुख्य मंत्री जी को श्री गोकरन नाथ मिश्रा, सहायक मंत्री, यू० पी० सिविल सेक्रेटेरियट एसोसियेशन, ने कोई पत्र नहीं लिखा है, वरन् उन्होंने एक पत्र दिनांक १६ जून, १९७२ को संयुक्त सचिव, सचिवालय प्रशासन विभाग, को भेजा था जिसमें उन्होंने ऐसी कोई बात नहीं कही थी कि सचिवालय में बाहर से डेपुटेशन पर आये हुए सहायकों को यदि २३ जून, १९७२ तक वापस नहीं किया गया तो वह हड़ताल करेंगे। उस पत्र मे ऐसी भी कोई मांग नहीं थी कि बाहर के व्यक्तियों की जगह सचिवालय के काम करनेवालों की स्पेशल परीक्षा लेकर नियुक्ति की जाय। अन्तिम भाग का प्रश्न नहीं उठता।

श्री मोहम्मद असरार अहमद--

क्या मंत्री जी बतावेंगे कि जो पत्र सचिव को लिखा गया है उसमें क्या-क्या लिखा है?

श्री गोस्वामी राधाकृष्ण--

मान्यवर, संयुक्त सचिव को उन्होंने पत्र लिखा है। उसमें लिखा है "मुझे आप का ध्यान संघ के मंत्री के पत्र दिनांक २९ अप्रैल, १९७२ की ओर आकर्षित करते हुए यह निवेदन करना है कि उसमें उल्लिखित किसी भी बात पर कार्यवाही नहीं की गयी है। एसोसिएशन की ओर से विभागाध्याक्षों से आये हुए कर्मचारियों की अविलम्ब वापसी की मांग बार-बार की जा रही है।" मांग यह भी कि जो डेपुटेशन पर आये है उनको तत्काल वापस किया जाय।

श्री मोहम्मद असरार अहमद--

पूरा कर दीजिये।

श्री गोस्वामी राधाकृष्ण--

"यही नहीं शासन एतद्-विषय में उन कर्मचारियों को उनके मूल विभागों में वापस करने का निर्णय भी ले चुका है। परन्तु खेद का विषय है कि शासन अपना निर्णय लागू करने में समुत्सुक नहीं प्रतीत होता है।

संदर्भित पत्र में और बातों के अतिरिक्त इस बात का भी उल्लेख किया गया है कि सचिवालय की एसोशिएशन सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त है परन्तु एसोशिएशन के किसी भी पत्र का उत्तर नहीं दिया जा रहा है जिसे समाजवादी सिद्धांतों के अनुरूप नहीं कहा जा सकता है।

सचिवालय संघ की ओर से राज्य सम्पत्ति अधिकारी तथा आपको रायल होटल स्थित एसोशिएशन के कमरा नम्बर ११७ की मरम्मत हेतु एक नहीं अनेक पत्र लिखे गये हैं। लगभग एक वर्ष समाप्त होने को है परन्तु उक्त कमरे की मरम्मत की स्वीकृति केवल कागज पर हो पायी है।" यह पूरा पत्र दो-ढाई पेज का है।

श्री मोहम्मद असरार अहमद—

क्या मंत्री जी बताऐंगे कि इसमें लिखा है कि वापसी की मांग नहीं की है, और जो पत्र पढ़ा है इसमें जिक्र किया गया है कि जो डेपुटेशन पर है उनको वापस किया जाय, तो कौन सा जवाब सही है, यह भी जानना चाहूंगा कि जो पत्र लिखा है उसमें पिछले पत्र का हवाला दिया है, दोनों में उसका जिक्र है, तो पहले यह बताएं कि कौन सा जवाब सही है?

श्री गोस्वामी राधाकृष्ण—

मान्यवर, यह मेरे वरिष्ठ मित्र स्वयं अनुभव कर सकते हैं। उत्तर बिलकुल स्पष्ट दिया गया है। माननीय मुख्य मंत्री को इस सम्बन्ध में कोई भी पत्र नहीं मिला, संयुक्त सचिव को मिला जिसमें यह मांग नहीं की गयी २३ जून, १९७२ तक नहीं होंगे तो हड़ताल होगी। यह भी कोई मांग नहीं थी बाहर के व्यक्तियों की जगह, सचिवालय में लोगों को परीक्षा ले कर रख दिया जाय। यह है, स्पष्ट।

श्री मोहम्मद असरार अहमद—

क्या माननीय मंत्री बताऐंगे कि यह मांग की गयी है या नहीं कि जो बाहर से डेपुटेशन पर सचिवालय में हैं उन्हें वापस किया जाय तुरन्त?

श्री गोस्वामी राधाकृष्ण—

यह विशेष परिस्थितियों में रखे गये थे। अब वासप हो गये हैं। इस समय केवल तीन हैं और तीनों की वापसी की कार्यवाही हो गयी है। दो ने यह चाहा है कि टंकन की परीक्षा में बैठने की अनुमति दे दी जाय। उसके बारे में नियुक्ति विभाग से पूछा गया है। तीसरे ने आवेदन पत्र-नहीं दिया। वह छुट्टी पर है। लेकिन उनके पैरेंट विभाग को सूचित कर दिया गया है।

श्री रामगोपाल सिंह—

क्या माननीय मंत्री बताऐंगे कि उन तीन व्यक्तियों को कब तक सरकार वापस कर देगी और क्या ऐसा नियम बनायेगी कि भविष्य में केवल सचिवालय के लोगों की पदोन्नति की जाय?

श्री गोस्वामी राधाकृष्ण—

तीनों की वापसी की कार्यवाही चल रही है। उसके बारे में जैसे निर्णय हो जायगा, सौ आये थे, तीन रह गये हैं, उनको वापस करने की कार्यवाही चालू हो गयी है, जहां तक माननीय सदस्य के प्रश्न का दूसरा भाग है, विशेष परिस्थितियों में डेपुटेशन पर रखा गया था। सीनीयरिटी और कैरेक्टर रोल को देख कर विभागीय तरक्कियां तो होती ही रहती हैं।

श्री नित्यानन्द स्वामी (जिला देहरादून)—

क्या माननीय मंत्री बताऐंगे कि प्रत्येक कार्यालय में इस प्रकार के नियम हैं कि कुछ प्रतिशत तय होता है, विभागीय पदोन्नति से लिये जाते है, कुछ मामूली प्रतिशत होता है जो

बाहर से लिये जाते हैं, डाइरेक्ट रेक्रूटमेंट या डेपुटेशन पर, आपके विभाग के अन्दर क्या नियम हैं जो विभाग से पदोन्नति किये जायेंगे उनका क्या प्रतिशत होगा ?

श्री गोस्वामी राधाकृष्ण---

मान्यवर, इस पूरे प्रश्न का उत्तर देने के लिये सूचना की आवश्यकता है। यह मौलिक प्रश्न है कि इसके लिए विस्तृत सूचना जब तक न उपलब्ध कर लूं माननीय सदस्य को उत्तर देना मैं उचित नहीं समझता।

सचिवालय में कार्यरत टाइपिस्टों की नियुक्ति तथा प्रतियोगितात्मक परीक्षा

**4--श्री मोहन लाल कपूर (जिला मेरठ), श्री नेतराम सिंह (जिला एटा), श्री हरिनाथ तिवारी (जिला फैजाबाद), श्री उमानाथ सिंह (जिला जौनपुर), श्री कल्याण सिंह (जिला अलीगढ़) श्री जगन्नाथ राव (जिला जौनपुर) तथा श्री नित्यानन्द स्वामी---

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश सचिवालय में कार्यरत १३८ टाइपिस्टों को प्रतियोगात्मक परीक्षा में सम्मिलित होने के आदेश गत मास प्रसारित किये गये हैं तथा इसके विरूद्ध सचिवालय के संघों के विरोध पत्र प्राप्त हुए हैं ? यदि हां, तो अब तक उस पर क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री गोस्वामी राधा कृष्ण---

जी हां, वे अभी शासन के विचाराधीन हैं।

श्री हरिनाथ तिवारी---

जिस तरह से मंत्री जी की खिचाई प्रश्न सं० १ पर आपने की थी उसी प्रकार इस प्रश्न पर भी व्यवस्था का प्रश्न है। क्या पूछा जा रहा है और क्या उत्तर दिया जा रहा है इस सवाल को स्थगित रखें और कल के लिये रखें।

श्री अध्यक्ष---

यह उस तरह का नहीं है। शासन के विचाराधीन है, यह उनका जवाब है।

श्री हरिनाथ तिवारी---

अलग--अलग उनको उत्तर देना चाहिये था। पूरे प्रश्न के लिये कह दिया कि शासन के विचाराधीन है। इसका उत्तर देना चाहिये था इसके विरुद्ध सचिवालय के संघों के विरोध पत्र प्राप्त हुए हैं ?

श्री अध्यक्ष---

जी हां, यह उत्तर दिया है।

श्री हरिनाथ तिवारी---

जी हां, सबके लिये कह दिया। अलग-अलग उत्तर देना चाहिये था।

श्री अध्यक्ष---

विरोध पत्र प्राप्त हुए इसका उत्तर दिया है, जी हां। अब तक क्या कार्यवाही हुई उस पर कहा कि शासन के विचाराधीन है।

श्री हरिनाथ तिवारी---

जो 138 टाइपिस्ट थे क्या उनकी नियुक्ति के आदेश हो गये ?

श्री गोस्वामी राधाकृष्ण---

यह जो 138 टाइपिस्ट नियुक्त हुए थे जिस समय उनकी नियुक्ति हुई थी एक टेस्ट लिया गया था लेकिन उनकी नियुक्ति पत्र में स्पष्ट लिख दिया गया था कि जो रेगुलर नियुक्ति होगी तो बाहरी अभ्यर्थियों के साथ परीक्षा में बैठना होगा और उसमें पास होने पर उनकी नियुक्ति रेगुलर हो जायगी ।

श्री बलवीर सिंह---

माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि विरोध पत्र क्या है ?

श्री गोस्वामी राधाकृष्ण---

एक विरोध पत्र तो उत्तर प्रदेश सिविल सेक्रेटेरियट एसोशियेशन का है जो एक मान्यता प्राप्त संघ है और वह इससे सहमत है कि परीक्षा ली जा सकती है लेकिन उनके करेक्टर रोल तथा आचरण वगैरह को भी स्थान दिया जाय। दूसरा विरोध पत्र उत्तर प्रदेश सचिवालय संघ का है और वह किसी प्रकार की परीक्षा को स्वीकार करने को तैयार नहीं है।

श्री मलिखान सिंह (जिला मैनपुरी)---

क्या माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि 138 टाइपिस्टों में कितने ऐसे हैं जो चतुर्थ श्रेणी से प्रोमोट हुए हैं और कितने ऐसे हैं जो तीसरी श्रेणी से आये हैं और जिनको यह आदेश दिया गया है कि अगर वे इस परीक्षा में पास नहीं हुए तो वे निकाल दिये जायेंगे ?

श्री गोस्वामी राधाकृष्ण---

इसके लिये सूचना की आवश्यकता है लेकिन माननीय सदस्य ने जो यह निकालने का आरोप लगाया उसको मद्देनजर रखते हुए मैं केवल इतना ही कहूंगा कि 57 में पहली परीक्षा हुई थी जिसका परीक्षाफल 59 में निकला। 1 हजार विद्यार्थी बैठे थे और 100 फेल हुए लेकिन यह व्यवस्था की गयी कि उनको पुनः मौका दिया जायगा। इस प्रकार कोई विंडिक्टिद दृष्टिकोण नहीं है ।

श्री मलिखान सिंह---

क्या ऐसा कोई आदेश प्रसारित किया गया है एस० ए० डी० (ए) के द्वारा प्रयोगात्मक परीक्षायें ली जायेगी और जो पास नहीं होंगे उनको निकाल दिया जायगा ?

श्री गोस्वामी राधाकृष्ण---

मुझे इसकी सूचना नहीं है ।

श्री नित्यानन्द स्वामी---

क्या सरकार इस बात की जांच करेगी कि 138 टाइपिस्टों में 32 महिलायें है, 25 क्लास फोर के एम्प्लाईज हैं, जिन्होंने मेहनत करके पदोन्नति पाई है, 20 हरिजन हैं और 21 ऐसे हैं जो ओवरएज हो चुके हैं, जिनको कहीं नौकरी नहीं मिलेगी और 15 ऐसे लोग हैं जो छंटनीशुदा हैं। तो इन 138 टंककों में इस कैटेगरी के लोग भी हैं जिनको यदि कम्पीटीटिव या क्वालिफाइंग इक्जामिनेशन के लिये बाध्य किया गया तो बड़ा अन्याय हो जायेगा। इसलिये क्या सरकार इस मामले में सहानुभूति पूर्वक बिचार करके उनकी नियुक्ति करेगी ?

श्री गोस्वामी राधाकृष्ण---

मान्यवर, इस समय 138 टाइपिस्ट हैं जो कि काम करने वाले हैं और रेगुलर पोस्ट केवल 50 ही हैं। इन 50 पोस्ट्स में सेलेक्ट करने का प्रश्न सरकार के विचाराधी है। किसी को निकालने या रिजेक्ट करने का प्रश्न इस समय नहीं है, रेगुलर करने का प्रश्न है। जहां तक उनकी मांगों का सवाल है, उसके बारे में जैसा कि प्रश्न के उत्तर में दिया गया है, अभी शासन के विचाराधीन है।

श्री शंकर प्रसाद जायसवाल (जिला वाराणसी)---

क्या माननीय मंत्री जी यह बतलाने की कृपा करेंगे कि इस सम्बन्ध में श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी ने कोई पत्र 14 जुलाई को माननीय मुख्य मंत्री के नाम कोई पत्र लिखा था? यदि हां, तो वह क्या है और सरकार उस पर क्या कार्यवाही करने जा रही है?

श्री गोस्वामी राधाकृष्ण---

मान्यवर, इसकी सूचना इस समय मेरे पास नहीं है, क्योंकि इसका सम्बन्ध प्रश्न से नहीं है।

श्री त्रिलोक चन्द (जिला बुलन्दशहर)---

माननीय मंत्री जी ने उत्तर में कहा है कि मामला सरकार के विचाराधीन है। क्या 8-6-1972 को ऐसे आदेश निकले हैं जिसमें इन लोगों को हटाने के बारे में कहा गया है?

श्री गोस्वामी राधाकृष्ण---

मान्यवर, इसके लिये सूचना की आवश्यकता होगी यह इस समय मेरे पास नहीं है।

श्री राम कुमार शास्त्री (जिला बस्ती)---

क्या माननीय मंत्री जी यह बतलाने की कृपा करेंगे कि जो 138 टाइपिस्ट थे जिनका प्रश्न सरकार के विचाराधीन है उनकी जब पहले नियुक्ति हुई थी, उस समय कोई परीक्षा ली गई थी? यदि हां, तो चूंकि उनके लिये कहीं दूसरी जगह कोई रोजी-रोजगार नहीं रह जायेगा अतः सरकार क्या उस पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करेगी?

श्री गोस्वामी राधाकृष्ण---

मान्यवर, जब शुरू में इन टाइपिस्टों (100-180 के ग्रेड में) की परीक्षा ली गई थी उसी के आधार पर इनकी नियुक्ति हुई थी किन्तु जहां तक इस परीक्षा की वास्तविकता का सवाल है उनके नियुक्ति-पत्र में स्पष्टतयः यह लिख दिया गया था और उसमें किसी प्रकार का कोई संदेह का प्रश्न नहीं होता कि जब पुनः इन पोस्टों को रेगुलर करने का प्रश्न आयेगा तो उस समय एक विभागीय परीक्षा में उन्हें सम्मिलित होना पड़ेगा।

श्री पारसनाथ सिंह---

क्या माननीय मंत्री जी यह बतलाने की कृपा करेंगे कि राजकीय सेवाओं की ऐसी टेम्पोरेरी सर्विसेज में ऐसा भी प्राविधान है कि इतने दिनों के सेवाकाल के बाद उनकी कार्यक्षमता और अनुभव के आधार पर उन लोगों को मुस्तकिल किया जायेगा? यदि हां, तो उस नियम के अन्तर्गत आप क्यों विचार नही करते?

श्री गोस्वामी राधाकृष्ण---

मान्यवर, जो रेगुलर करने के नियम हैं उन्हीं का अनुकरण किया जा रहा है। उसमें यह भी है कि रेगुलर करते समय उन्हें क्वालिफाइंग परीक्षा में सम्मिलित होना पड़ेगा।

श्री पारस नाथ सिंह--

क्या 8/10 साल की नौकरी करने के बाद भी उनकी क्वालिफाइंग परीक्षा ली जायेगी जब कि उसकी अवस्था भी परीक्षा देने योग्य नहीं रह जायेगी। क्या मंत्री जी इस पर विचार करेंगे ?

(उत्तर के लिये मंत्री जी को नहीं पुकारा गया।)

श्री कल्याण सिंह--

क्या माननीय मंत्री जी यह बतलाने की कृपा करेंगे कि जो 138 टाइपिस्ट भरती किये गये हैं उनकी, जब वे पहले नियुक्त किये गये थे, उस समय कोई प्रतियोगितात्मक परीक्षा ली गई थी ? और इसी आधार पर उस समय के मंत्री श्री कृष्णचन्द शर्मा से उनका एक शिष्ट मंडल भी मिला था जिसके फलस्वरूप 19-6-72 और 26-6-72 को यह आदेश निकाले गये थे इन लोगों को प्रतियोगितात्मक परीक्षा में बैठने की आवश्यकता नहीं है ? यदि हां,तो फिर इस परीक्षा के लेने का क्या कारण है ?

श्री गोस्वामी राधाकृष्ण--

मान्यवर, क्या आदेश हुये हैं, वह इस समय मेरे पास उपलब्ध नहीं है।

श्री शंकर प्रसाद जायसवाल--

श्रीमन्, हर मामले में मंत्री जी कह रहे हैं कि मेरे पास यह सूचना उपलब्ध नहीं है। सम्बन्धित मंत्री ने जो आज्ञा दी उसके बारे में भी यह कहा जा रहा है कि यह सूचना मेरे पास इस समय उपलब्ध नहीं है।

श्री नित्यानन्द स्वामी--

मेरा व्यवस्था का प्रश्न है श्रीमन्। माननीय मंत्री जी के पास पूरी फाइल होनी चाहिये थी क्योंकि माननीय माधव प्रसाद त्रिपाठी का पत्र भी उस फाइल में लगा हुआ है और अनेक ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो १३८ व्यक्तियों के जीवन-मरण से सम्बन्धित हैं। तो इसको आप कम से कम २-४ दिन बाद ले लें क्योंकि तब मंत्री जी भी तैयार होकर आवेंगे तो वे निश्चित् उत्तर दे पायेंगे। यह बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न है।

(व्यवधान)

श्री शंकर प्रसाद जायसवाल--

एक मंत्री महोदय आदेश दे चुके हैं और उसकी जानकारी मंत्री महोदय को नहीं है।

श्री कल्याण सिंह--

जो उत्तर सरकार की ओर से आ रहा है उससे मालूम होता है कि माननीय मंत्री जी को इसकी कोई जानकारी नहीं है कि फाइल पर पहले इतना महत्वपूर्ण निर्णय हो चुका है। तो मेरा निवेदन है कि आप इसको नियम ४९ के अन्तर्गत ले लें। मैं आपको लिख कर दे दूंगा।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष--

मैंने सुना नहीं, फिर से पूछ लें।

श्री कल्याण सिंह--

दिनांक 19-6-72 तथा 26-6-72 को श्री कृष्णचन्द्र शर्मा, जो सचिवालय प्रशासन को देखते थे, उन्होंने इस तरह का एक आदेश दिया था कि इन 138 व्यक्तियों की इस प्रकार कोई प्रतियोगिता परीक्षा न ली जाय तो फिर लिखित रूप में यह आदेश क्यों दिया गया है कि दोबारा प्रतियोगिता परीक्षा इनकी ली जायेगी ? जब एक आदेश हो चुका है तो फिर क्यों कहते हैं कि प्रश्न विचाराधीन है ? इसलिये मेरी आपसे प्रार्थना है कि सरकार की ओर से जो उत्तर आ रहा है वह सन्तोषजनक नहीं है। यह 138 व्यक्तियों के जीवन-मरण का प्रश्न है। इसमें शिड्यूल्ड कास्ट के लोग है, महिलायें भी हैं, कुछ ओवर एज के लोग भी होंगे जिनको दोबारा सरकारी सर्विस में आने का मौका नहीं मिल सकेगा। इसलिये मैं आपको लिख कर दे देता हूं। इसको नियम ४९ में चर्चा के लिये स्वीकार कर लीजिये।

श्री नित्यानन्द स्वामी---

श्री मन्, इस पर आप ने क्या निर्णय दिया ?

श्री अध्यक्ष---

ठीक है, नियम 49 में आप दे रहे हैं, तो मैं उसको ले लूंगा।

तारांकित प्रश्न

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम 38(2) के अन्तर्गत प्राथमिकता प्राप्त तारांकित प्रश्न]

गोरखपुर जिले का ढेवरा वारी गांव बांध

*1---श्रीमती मसाली देवी (जिला गोरखपुर) (अनुपस्थित)--

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि गोरखपुर जिले के अन्तर्गत बाँसगाँव तहसील स्थित ढेवरा वारी गाँव बाँध को सार्वजनिक निर्माण के अन्तर्गत लेने का प्रश्न सरकार के विचाराधीन है ? यदि हाँ, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सिंचाई मंत्री (श्री महमूद अली खां)---

जी नहीं। ऐसे कार्य सिंचाई विभाग द्वारा सम्पादित होते हैं।

तहसील नौगढ़ (बस्ती) की सिंचाई योजना

*2---श्री अभिमन्यु प्रसाद पाँडेय (जिला बस्ती)---

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला बस्ती के तहसील नौगढ़ में सिंचाई विभाग द्वारा 1968-69 व 1999-70 व 1970-71 एवं 1971-72 में कुल कितनी और किस प्रकार की सिंचाई की योजना शुरू की गई है और अब तक उनकी क्या प्रगति है ?

सिंचाई राज्य मंत्री (श्री राजबिहारी सिंह)---

तहसील नौगढ़ में वर्ष 1970-71 में बान गंगा नहर से चौरासी नाम की एक माइनर का निर्माण आरम्भ किया गया था जो वर्ष 1971-72 में पूरा हुआ था। इस माइनर का निर्माण बानगंगा नहर के कमान्ड के कुछ ऐसे क्षेत्र की सिंचाई हेतु किया गया है जिसे कुलाबों से भली प्रकार पानी नहीं मिल पाता था।

इसके अतिरिक्त प्रश्नगत वर्षों में इस तहसील में और कोई सिंचाई योजना आरम्भ नहीं की गई।

*३---श्री अभिमन्यु प्रसाद पाँडेय--

क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि बस्ती जिले की नौगढ़ तहसील में बानगंगा नहर का उद्गम बानगंगा नदी से है जो गर्मियों में सूख जाती है जिससे कि नहर की उपयोगिता समाप्त हो गई है तो क्या सरकार के पास कोई ऐसी योजना है जिसके द्वारा बानगंगा कैनाल को उपयोगी बनाया जा सके जिससे काश्तकारों को गर्मियों में या अन्य समय में जब उसे पानी की आवश्यकता हो मिल सके ?

श्री राजबिहारी सिंह---

जी हाँ। इस नहर में अधिक पानी की उपलब्धि की कोई योजना इस समय नहीं है।

श्री अभिमन्यु प्रसाद पाँडेय---

क्या माननीय मंत्री जी को इस बात की जानकारी है कि प्रान्त में नौगढ़ तहसील क्षेत्रफल और जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ी तहसील है और खाद्य उत्पादन की क्षमता भी उसकी अधिक है लेकिन जब से देश आजाद हुआ, पूरी तहसील में एक भी सरकारी ट्यूबवेल नहीं लगाया गया है ? तो सरकार की जो यह उपेक्षा की नीति है इस तहसील के प्रति उसका कारण क्या है ? और क्या सरकार इस उपेक्षा के भाव को त्याग कर निकट भविष्य में वहाँ ट्यूब वेल्स लगवाने की चेष्टा करेगी ?

श्री राजबिहारी सिंह---

मान्यवर, उस तहसील के प्रति उपेक्षा की कोई बात नहीं है। यह सही है कि यहाँ इस नहर में पानी कम मिला। कारण यह है कि बानगंगा में पानी बहुत कम होता है, इसीलिये नहर लगायी गयी कि अधिक से अधिक सिंचाई हो सके। दूसरी बात जो ट्यूबवेल का जिक्र किया गया है, इस एरिया में पहले-पहले १९५६ में ट्यूबवेल खोदा गया था लेकिन उसमें इतना पानी नहीं आ सका कि जिससे सिंचाई हो सके। अब भी सिंचाई विभाग इस बात की कोशिश कर रहा है, उसका एक विभाग सेंट्रल ग्राउंड वाटर एसोसिएशन है जो देख रहा है कि कहाँ-कहाँ ट्यूबवेल लगाया जाय। उसको लिख दिया गया है, जैसे ही उसकी रिपोर्ट आ जायेगी वैसे ही वहाँ ट्यूबवेल्स लगा दिये जायेंगे।

श्री अभिमन्यु प्रसाद पाँडेय---

क्या मंत्री जी को जानकारी है कि इस तहसील में प्राइवेट ट्यूब वेल खूब काम कर रहे है फिर सरकारी ट्यूबवेल के कामयाब न होने के क्या कारण है ?

श्री राजबिहारी सिंह---

माननीय सदस्य कह रहे हैं इसलिये उनकी बात मैं सही मान लेता हूं और मैं इसको दिखवा लूंगा। मुझे इसकी जानकारी नहीं है।

श्री जगदम्बा प्रसाद (जिला फैजाबाद)---

क्या मंत्री जी को जानकारी है कि घाघरा नहर में भी पानी टेल तक नहीं पहुंचता है इसलिये वे इन नहरों का सर्वेक्षण करायेंगे जिससे इसकी टेल तक पानी पहुंच सके ?

श्री राजबिहारी सिंह---

श्रीमन्, बानगंगा में इतना पानी नहीं है कि वह इसकी टेल तक पहुंच सके।

श्री अभिमन्यु प्रसाद पाँडेय--

मान्यवर, मंत्री जी ने इसको स्वीकार किया है कि इसकी उपयोगिता समाप्त हो गई है क्योंकि इसका उद्गम बानगंगा है जिसका पानी सूख जाता है तो इसकी उपयोगिता को बढ़ाने के लिये क्या वे इसको बोर करा कर पम्प कैनाल में परिवर्तित करने की चेष्टा करेंगे ?

श्री राजबिहारी सिंह--

मान्यवर, अभी तो वहाँ ट्यूबवेल लगाने में भी दिक्कत हो रही है। जब ट्यूब नहीं लग पा रहे हैं तो यह नदी कैसे बोर की जायेगी ?

श्री राम बिलास पाँडेय--

क्या मंत्री जी बतायेंगे कि जिस नदी से यह नहर निकाली गई है जिसकी क्षमता नहीं रह गई है तो वे उन इंजीनियरों के खिलाफ जिन्होंने इसका चुनाव किया कार्यवाही करने के लिये तैयार हैं जिससे राज्य का पैसा बर्बाद हुआ है ?

श्री राजबिहारी सिंह--

मान्यवर, इंजीनियर तो बधाई के पात्र हैं जिन्होंने बड़े परिश्रम से इसको बाँध कर पानी देने की कोशिश की। लेकिन पानी अधिक नहीं है जो दिया जा सके।

लिफ्ट सिंचाई खण्ड गाजीपुर के अधिशासी अभियन्ता के विरुद्ध आरोप

*४--श्री शम्भूनाथ चौधरी--

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि गाजीपुर जनपद में लिफ्ट सिंचाई खंड के अधिशासी अभियन्ता के पद पर 2 सितम्बर, 1971 से श्री आर० बी० एल० अग्रवाल नियुक्त किये गये हैं ? यदि हाँ, तो क्यों जब कि श्री अग्रवाल इसी जनपद में सन् 1966 से 1968 तक इसी पद पर कार्य कर चुके हैं और उसके कार्य काल की अवधि में अनेक गड़बड़ी की आडिट रिपोर्ट द्वारा आपत्तियाँ उठाई गई हैं ? उपरोक्त आडिट रिपोर्ट की प्रतिलिपि क्या सरकार सदन के पटल पर रखेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राजबिहारी सिंह--

जी हाँ। जनहित में यह किया गया। आडिट रिपोर्ट की †प्रतिलिपि सचिव, विधान सभा के कार्यालय में रख दी गयी है।

श्री शम्भूनाथ चौधरी--

श्रीमन्, एक व्यवस्था का प्रश्न है कि आडिट रिपोर्ट को सदन के पटल पर रखने को कहा है, लेकिन वह सचिव, विधान सभा के कार्यालय में रखी गई है।

श्री अध्यक्ष--

वह सदन के पटल पर ही है। वह मेरे यहाँ आ गई है।

श्री शम्भूनाथ चौधरी--

यह अंग्रेजी में है और सदन की भाषा हिन्दी है।

श्री अध्यक्ष--

यह बात नहीं मानी जायेगी। आडिट रिपोर्ट जिस भाषा में है उसी में रखी जायेगी।

---

† छापी नहीं गयी।

श्री शम्भूनाथ चौधरी--

क्या मंत्री जी बतायेंगे कि संबंधित इंजीनियरों के खिलाफ आडिट रिपोर्ट में कौन गम्भीर आरोप थे ?

श्री राज बिहारी सिंह--

कोई गम्भीर शिकायत नहीं है। केवल यह मामला है कि उन्होंने ५ हजार से ज्यादा रुपये से ज्यादा सामान खरीदने का है।

श्री शम्भूनाथ चौधरी--

यह जो शार्टेज सामान का है, और अन्य इर्रेगुलेरिटीज हैं और यह जो सामान बिना कोटेशन के मंगाया गया है क्या यह सब आरोप जो दिये गये हैं यह गम्भीर आपत्तियाँ नहीं हैं ?

श्री राज बिहारी सिंह--

कुछ थोड़ा सा उनको अधिकार होता है बिना कोटेशन के भी वह खरीद सकते हैं, शार्टेज की इन्क्वायरी हो रही है, जाँच के बाद उचित कार्यवाही की जायगी।

श्री नित्यानन्द स्वामी--

यह जो आरोप आडिट रिपोर्ट में आये हैं उनके सम्बन्ध में सरकार ने कोई कार्यवाही की है ?

श्री राज बिहारी सिंह--

सरकार ने ऊपर भेजा है, ए० जी० से सूचना मंगाई है और फिर उन के पास भेजा गया है ।

श्री शम्भूनाथ चौधरी--

एक व्यक्ति के खिलाफ आडिट रिपोर्ट में आपत्ति आई और उन को फिर वहीं भेज दिया गया तो उन को फिर वहीं भेजने में क्या जनहित है जब कि सरकार के आदेश हैं कि ऐसे व्यक्ति को पुनः वहाँ न भेजा जाय ?

श्री राजबिहारी सिंह--

६६ से ६८ तक वह वहाँ रहे थे यह ठीक है लेकिन इस बार वह ३ साल के बाद वहाँ भेजे गये हैं। ट्रान्सफर होते रहते हैं ऐसा कोई ३ साल का नियम नहीं है कि वह एक जगह रह गये हैं तो उनको वहाँ भेजा ही न जाय।

श्री शम्भूनाथ चौधरी--

जिस व्यक्ति के विरुद्ध यह आडिट आपत्तियाँ थी फिर उसको वहीं भेज दिया और कह रहे हैं कि जाँच हो रही है। तो जाँच में रुकावट होगी और फिर गड़बड़ किया जायगा इसको ध्यान में रख कर और व्यापक जनहित को दृष्टि में रख कर क्या मंत्री जी इन इंजीनियर का तुरन्त स्थानान्तरण करेंगे ?

श्री राज बिहारी सिंह--

महालेखाकार की आपत्तियों की जाँच हो रही है, और कोई आरोप उनके खिलाफ नहीं हैं, ए० जी० की आपत्तियाँ है उनकी जाँच पड़ताल हो रही है। उसके बाद कार्यवाही की जायगी ।

श्री सुखपाल पाँडेय (जिला बस्ती)--

जो आरोप ए० जी० की आपत्तियों में उन पर लगाये गये हैं क्या उन को दबाने के लिये ही उन्होंने फिर अपना ट्रान्सफर उसी जगह को कराया है ?

श्री राज बिहारी सिंह--

यह तो आप का केवल खयाल है।

श्री शम्भूनाथ चौधरी--

तो फिर यह महालेखाकार की आपत्तियाँ किस के विरुद्ध हैं ? क्या वह श्री आर० बी० एल० अग्रवाल के खिलाफ नहीं हैं ?

श्री राज बिहारी सिंह--

आडिट आब्जेक्शन में तो बहुत से और लोग भी शामिल हो सकते हैं, इंजीनियर, स्टोर कीपर और नीचे के और सहायक भी हो सकते हैं, उसमें यह जरूरी नहीं है कि एक व्यक्ति ही हो ।

श्री अनन्तराम जायसवाल (जिला बाराबंकी)--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि आडिट रिपोर्ट में जो आब्जेक्शन्स आये हैं और उनका सरकार ने अभी तक अन्तिम रूप से निस्तारण नहीं किया है तो इसमें कौन सा जनहित है कि जिसके विरुद्ध शिकायत है उसी को फिर वहां भेज दिया गया है?

श्री राज बिहारी सिंह--

वह जनहित में भेजे गये हैं, वह पहले से वहां भेजे गये हैं इसलिये नहीं भेजे गये हैं जैसा आप कह रहे हैं।

श्री जगदम्बा प्रसाद--

मंत्री जी ने अपने उत्तर में कहा है कि उनका तबादला फिर से जनहित में किया गया है, तो उनकी जनहित की परिभाषा क्या है ? जब उनके खिलाफ ए० जी० की आपत्तियां हैं, आडिट रिपोर्ट में, तो उनको फिर वहीं भेजने में क्या जनहित है ?

श्री राज बिहारी सिंह--

ट्रान्सफर तो होते रहते हैं और उसी के अनुसार उनका तबादला भी किया गया है, कोई खास इरादा किसी को बचाने का इसके पीछे नहीं है। उनके ट्रान्सफर का प्रोपोजल था और उसको मानकर तबादला कर दिया गया, केवल यही जनहित रहा।

श्री अनन्तराम जायसवाल--

यह दर्शाने के लिये कि इस जांच को किसी प्रकार से दबाने का मौका न रहे और निष्पक्षता से जांच की जाये अब इन इंजीनियर महोदय को वहां से हटाने की कृपा मंत्री जी करेंगे ?

श्री राज बिहारी सिंह--

मान्यवर, आपका जो सुझाव है उस पर विचार कर लेंगे। हालाँकि जुलाई का महीना है उनके बच्चों की पढ़ाई वगैरह का सवाल होगा लेकिन फिर भी विचार कर लिया जायगा।

बलिया का बैरिया बांध को बैरिया-संसार टोला तक निर्मित कराने की योजना

*5—श्री मैनेजर सिंह (जिला बलिया) (अनुपस्थित)—

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बलिया जनपद में बलिया-बैरिया बांध को बैरिया-संसार टोला तक निर्मित कराने की योजना केन्द्रीय बाढ़ अनुसन्धान शाला, पूना की रिपोर्ट आने तक स्थगित की गई थी ? यदि हां, तो क्या केन्द्रीय बाढ़ अनुसन्धान शाला की रिपोर्ट प्राप्त हो गई ? यदि हां, तो उसे सदन के पटल पर रखने की कृपा होगी ?

श्री महमूद अली खां—

जी नहीं। शेष प्रश्न नहीं उठते।

*6—श्री मैनेजरसिंह (अनुपस्थित)—

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बलिया जनपद में निर्मित बकुल्हा संसार टोला बांध क्षतिग्रस्त हो गया है ? यदि हां, तो उसे मरम्मत कराने की क्या कार्यवाही की जा रही है ?

श्री महमूद अली खां—

यह बांध पूरा बना ही नहीं क्यों कि केन्द्रीय सरकार के अनुरोध पर काम रोक दिया गया है।

झांसी को इमिलिया माइनर बांध के विस्तार की मांग

*7—डाक्टर भगवत दयाल सिलोइया (जिला झांसी)—

क्या सिंचाई मंत्री कृपया बतायेंगे कि क्या सरकार झांसी जिले के इमिलिया माइनर पर क्षमता से अधिक भार पड़ने के कारण कुछ ग्रामों में सिंचाई न हो पाने की शिकायतों को दूर करने की दृष्टि से उक्त माइनर को चौड़ी करने व इमिलिया के आगे बढ़ाने की योजना पर विचार करेगी ? यदि हां, तो निर्णय एवं कार्यान्वयन में कितना समय लगेगा ?

श्री राजबिहारी सिंह—

इमिलिया माइनर गोविन्द सागर जलाशय से निकाली गयी है जिसमें इतना पानी नहीं है कि उक्त माइनर में ज्यादा पानी डाला जा सके। शेष प्रश्न नहीं उठता।

डाक्टर भगवत दयाल सिलोइया—

क्या माननीय सिंचाई मंत्री जी किसानों को सिंचाई के लिए पानी की पूर्ति करने हेतु कोई दूसरे साधन उपलब्ध कराने का आश्वासन देगें ?

श्री राजबिहारी सिंह—

आप जानते हैं कि बुन्देलखंड में पानी की कमी है और जहां पर अधिक पानी होता है बंधा बांध कर पानी लेने की हम कोशिश करते हैं। राजघाट पर बांध बनाकर हम पानी लेने की व्यवस्था कर रहे हैं, लेकिन इस समय तत्काल कोई व्यवस्था नहीं हो सकेगी।

श्री नित्यानन्द स्वामी—

क्या माननीय सदस्य के सुझाव को मानकर इस क्षेत्र के अन्दर सिंचाई के अन्य साधन उपलब्ध कराने की जांच करायेंगे ?

श्री राज बिहारी सिंह---

इसकी तो हम जांच करवा ही रहे हैं कि पूरे बुन्देलखंड में सिंचाई के क्या-क्या साधन हो सकते हैं।

डाक्टर भगवत दयाल सिलोइया---

मान्यवर, ग्राम पाचोनी में लिफ्ट इरीगेशन है, यहां से पानी लिया जा सकता है। लिखा-पढ़ी भी चल रही है। तो क्या वहां से पानी लेने का मंत्री जी आश्वासन देंगे ?

श्री राज बिहारी सिंह---

यह आपका सुझाव है। आप लिख कर भेज देंगे तो हम अवश्य विचार करेंगे।

पचोनी (झांसी) के निवासियों पर सिंचाई तावान लगाना

*9---डाक्टर भगवत दयाल सिलोइया---

क्या सिंचाई मंत्री को विदित है कि वर्ष 1971-72 में झांसी जनपद में ग्राम पचोनीं तहसील ललितपुर के सभी निवासियों पर अनधिकृत रूप में सिंचाई के लिये पानी लेने के लिये लगभग २,५०० रु० का सामूहिक महसूल लगा दिया गया है ? क्या सामूहिक महसूल लगाने के पूर्व इसकी कोई जांच की गई थी ? यदि हां, तो दोषी व्यक्ति के बजाय सबको दन्डित क्यों किया गया है ? यदि नहीं, तो क्या अब से सरकार तत्सम्बन्धी आदेश सुधार करने की कृपा करेगी ?

श्री राजबिहारी सिंह---

जांच के बाद अनधिकृत रूप से सिंचाई करने वाले किसानों पर तावानी महसूल रुपया 1059·65 लगाया गया है। क्योंकि यह ज्ञात नहीं हो सका कि किस व्यक्ति विशेष द्वारा खांदी की गई है, सभी किसानों पर तावान लगाना पड़ा। आदेश में किसी सुधार की आवश्यकता नहीं है।

डाक्टर भगवत दयाल सिलोइचा---

मंत्री जी वैसे ही किसानों को पानी नहीं दे पाते हैं तो क्या सारा दोष किसानों का है और किसी कर्मचारी का नहीं ? तो क्या इसको माफ करने का आश्वासन मंत्री जी देंगे ?

श्री राज बिहारी सिंह---

इस प्रश्न से तो स्पष्ट नहीं होता है कि अधिकारियों का दोष है। यहां पर खांदी काटी गयी, वहां पर एक किसान पर नहीं बल्कि सारे गांव के किसानों पर तावान लगाया गया है। जब व्यक्ति विशेष का पता नहीं लगता जिसने खांदी काटी हो तो नहर ऐक्ट के अनुसार सारे गांव के लोगों पर दंड लगाया जाता है।

श्री नित्यानन्द स्वामी---

क्या माननीय मंत्री जी को सूचना है कि इसमें किसी किसान का दोष नहीं है बल्कि किसी अन्य व्यक्ति का दोष है तो इस चीज की जांच करायेंगे ?

श्री राज बिहारी सिंह---

जाँच के बाद ही तो तावान लगाया गया था। बिना जाँच के वह नहीं हुआ है।

*श्री राम पाल सिंह (जिला बिजनौर)---

एक ही आदमी के खाँदी काटने पर पूरे गाँव पर तावान लगा दिया, तो क्या इसको रोकने पर कोई विचार करेंगे और यह उसी पर महसूल लगेगा जिसने खांदी लगायी है ?

श्री राज बिहारी सिंह--

अगर ऐसा नहीं किया जायगा तो रोजाना नहरें कटती रहेंगी और किसी को सिंचाई के लिये पानी नहीं मिलेगा।

श्री राम गोपाल संड--

मान्यवर, बुन्देलखंड का पिछड़ा क्षेत्र है, वहाँ के किसान गरीब हैं, तो इस बार उदारता दिखाकर इस तावान को वापस लेने की कृपा करेंगे ?

श्री राज बिहारी सिंह--

गलत कामों के लिये प्रोत्साहन देना हमेशा गलत बात होगी।

पचपेड़वा बाजार (गोंडा) के निवासियों की भूमि का किराया तथा मुआवजा

*9--श्री सूरज लाल गुप्त तथा श्री विजयपाल सिंह (जिला गोन्डा) (अनुपस्थित)--

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री कृपया बतावेंगे कि जनपद गोन्डा के पचपेड़वा बाजार के कुछ निवासियों की भूमि विभाग ने कुछ वर्षों पूर्व किराये पर ली थी और बाद में आयाप्त कर ली गई है ? यदि हाँ, तो शासन द्वारा क्या भूमि के स्वामिओं को किराये की बकाया धनराशि एवं भूमि के मुआवजे का भुगतान कर दिया गया है ? यदि हाँ, तो कब ? यदि नहीं, तो अब तक मुआवजे की धनराशि का भुगतान न किये जाने का कारण क्या है ? क्या मंत्री जी कृपया यह भी बतायेंगे कि भू-स्वामियों की कितनी धनराशि किराये एवं मुआवजे की विभाग के लिये बाकी है तथा कब तक भुगतान किया जायेगा ?

सार्वजनिक निर्माण मंत्री (श्री लक्ष्मी शंकर यादव)--

जी हाँ। इस भूमि को किराये पर लेने की तिथि से 29 फरवरी, 1964 तक की अवधि के 645.44 रुपये किराये का भुगतान कर दिया गया है। 1-3-64 से 12-10-66 तक 2074.40 रुपये किराये का एवं इसके बाद का 1394.72 रुपये मुआवजे का (जिसमें प्रश्नगत भूमि के अलावा १.३६ एकड़ भूमि का मुआवजा भी सम्मिलित है भुगतान करने के सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही की जा रही है। मुआवजे के वितरण में विलम्ब का कारण कार्य-भार की अधिकता थी। इस सम्बन्ध अतिरिक्त स्टाफ 1969 में दे दिया गया है।

देवरिया में ठेकेदार द्वारा अधूरा कार्य तथा सरकार द्वारा पेमेंट

*10--श्री फिरंगी प्रसाद विशारद (जिला गोरखपुर)--

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि अनुबन्ध सं० 24 ई० नारायनी 1967-68 देवरिया शाखा के मिल सं० 31 से 32.3 तक मिट्टी का कार्य जिस ठेकेदार को दिया गया था एवं लगभग पूरा कार्य समाप्त होने के बावजूद भी बाद में वर्क आर्डर नं० 50/33, दिनाँक 14 मार्च, 1969 व 29/10, दिनाँक 14 अगस्त, 1969 व 46, 11, दिनाँक 1 जनवरी, 1969 आदि के द्वारा किसी अन्य ठेकेदार के नाम वर्क करके भुगतान सम्बन्धित अधिदर्शक आदि ने ले लिया है ? यदि हाँ, तो क्या इसकी सही जाँच करा कर सरकार उचित कार्यवाही करेगी ?

श्री राज बिहारी सिंह--

अनुबन्ध के अनुसार ठेकेदार द्वारा कार्य समय से समाप्त न करने तथा अधूरा छोड़ देने के कारण संविदा को निरस्त कर दिया गया था और बाद में उस अधूरे कार्य को वर्क आर्डर के द्वारा पूरा कराया गया और उसी के अनुसार भुगतान किया गया।

श्री फिरंगी प्रसाद विशारद--

मान्यवर, दो स्थितियाँ ऐसी आती हैं जिनमें एस० डी० ओ० या सम्बन्धित अधिकारी लोग उसका पेमेन्ट नहीं कर पाते हैं। एक तो कार्य हो जाने पर उसकी पैमायश नहीं करते या अन्य कारण से देर करते हैं और रोकने के कारण उनको नोटिस भी रजिस्टर्ड नहीं देते हैं कि तुमने काम अधूरा किया है। तो इस स्थिति में मैं आपसे यह स्पष्ट जानकारी करना चाहता हूं कि क्या उसके द्वारा कार्य पूरा न होने पर कितनी रजिस्टर्ड नोटिसें दी गईं और कब-कब दी गईं। दूसरी बात यह कि क्या वह वर्क आर्डर बरसात में दिया गया था? उस समय रेन गेज क्या था ?

श्री राजबिहारी सिंह--

मान्यवर, यह कार्य शुरू किया गया था 23/3 को और उनको यह 5-7-68 को पूरा करना था। इसके बाद 15-5-68 को ठेकेदार को नोटिस दी गई थी कि आप जल्दी काम पूरा करें और फिर भी उन्होंने काम पूरा नहीं किया। और फिर उनको काम पूरा न करने के बाद, समय पूरा होने के बाद स्मरण 22-1-69 को करवाया गया कि आपका काम पूरा नहीं हुआ है। जब उस पर कोई जवाब नहीं आया तो ठेका कैन्सिल कर दिया गया।

श्री फिरंगी प्रसाद विशारद--

मान्यवर, मेरे प्रश्न का उत्तर स्पष्ट नहीं हुआ। मने पूछा है कि जो वर्क आर्डर पेमेन्ट हुआ है क्या उस ठेकेदार को जो पहले से काम करने वाला है उसको रजिस्टर्ड नोटिस दी गई या नहीं। दूसरी बात, जो दूसरा वर्क आर्डर कार्य पूरा होने पर गलत ढंग से पेमेन्ट अधिकारियों के लेने की मंशा से किया गया क्या वह वर्क आर्डर बरसात के महीने में किया गया है ?

श्री राजबिहारी सिंह--

मान्यवर, मैंने बता दिया कि ठेकेदार को दो बार नोटिस दी गई कि उन्होंने काम रा नहीं किया है इसलिये उसका ठेका कैन्सिल कर दिया गया।

श्री फिरंगी प्रसाद विशारद--

मैं पूछ रहा हूं मान्यवर कि रजिस्टर्ड नोटिस दिया गया ?

श्री राजबिहारी सिंह--

मान्यवर, मैं इसकी सूचना मंगाकर दे सकता हूं। इस समय जो सूचना उपलब्ध है उसमें साधारण या रजिस्टर्ड नोटिस का जिक्र नहीं है।

श्री फिरंगी प्रसाद विशारद--

यही तो घोटाले की बात है, मान्यवर।

श्री मोहम्मद असरार अहमद--

मान्यवर, रजिस्टर्ड नोटिस नहीं दी गई तो क्या बरसात में जो काम करने के लिये आर्डर दिया गया तो क्या बरसात में कोई काम हुआ था या पेमेन्ट लेने के लिये दूसरे को दे दिया गया ? बरसात में कोई काम हुआ या नहीं हुआ ?

श्री राजबिहारी सिंह--

मान्यवर, जितना काम बाकी था वह पूरा किया गया। उनका काम भी हुआ और पेमेन्ट भी हुआ।

श्री मोहम्मद असरार अहमद—

मान्यवर, मंत्री जी का उत्तर समझ में नहीं आया।

श्री राजबिहारी सिंह—

मान्यवर, मैंने कहा कि काम कराया गया और काम कराने के बाद पेमेन्ट दिया गया।

श्री बलवीरसिंह—

मान्यवर, पहले ठेकेदार का कितना काम बाकी रह गया था। उसको कितना रुपया दिया जा चुका था? दूसरे ठेकेदार से कितना काम कराया गया है और उसको कितना पेमेन्ट दिया गया है?

श्री राजबिहारी सिंह—

मान्यवर, जहां तक मेरी सूचना है उसके अनुसार तो जो ठेकेदार काम छोड़कर चला गया था 1,643 रुपये वह अधिक ले गया था तो 1,643 रु० में एक हजार की उसकी सेक्योरिटी थी। 643 रुपये की वसूली की नोटिस उसको दी जा रही है। इसके अलावा जो काम किये हैं उनको भिन्न-भिन्न तरीके से रुपये दिये गये हैं। कुल लागत होती है 88 हजार रुपये की।

श्री फिरंगी प्रसाद विशारद—

मान्यवर, 20-4-70 में जो आदेश दिये गये और इसके पूर्व कार्यादेश के आधार पर इस कार्यादेश में साढ़े सात रुपये वृद्धि करके आदेश दिये गये। क्या आप इसकी जांच करायेंगे कि यह रकम सीधे-सीधे वहां के एस० डी० ओ० और ओवरसियर ने ले ली है।

श्री राज बिहारी सिंह—

इसकी सूचना मेरे पास नहीं है। आप लिखकर दे दें मैं इनक्वायरी करा लूंगा।

श्री सुखपाल पांडेय—

मान्यवर, आप यह व्यवस्था दे चुके हैं कि लिख कर देने की जरूरत नहीं है। माननीय मंत्री जी स्वयं मंगा लें।

श्री चन्द्र प्रताप नारायण सिंह—

मान्यवर, इस प्रकार की शिकायतें देवरिया और गोरखपुर जिले में बहुत सारी है और यही तरीका है जिससे कर्मचारी अपना परसन्टेज पहले तय कर लेते हैं और तब ठेकेदार को पेमेन्ट करते हैं। यह परम्परा बदलने के लिये क्या मंत्री जी अपने विभाग को यह आदेश देंगे कि जो नोटिस जाय वह रजिस्टर्ड जाय और इस प्रकार दफ्तर से नहीं जाना चाहिये?

श्री राजबिहारी सिंह—

मान्यवर, नोटिस रजिस्टर्ड ही जाती है, लेकिन चूंकि मेरे पास इस समय सूचना नहीं है। इसलिये मैंने नोटिस की जरूरत समझी।

श्री मोहम्मद असरार अहमद—

चालू भुगतान जितना काम हो जाता है उससे कम होता है। मैं यह जानना चाहता हूं कि किस वजह से उनको ज्यादा भुगतान किया गया?

श्री राजबिहारी सिंह—

चूंकि एक आदमी काम कर रहा है और काम करते-करते वह छोड़ कर भाग गया, तो जो रुपया एक्सेज गया उसको काटने की व्यवस्था की जा रही है।

श्री मोहम्मद असरार अहमद—

मान्यवर, मैंने कहा कि जब 100 रु० का काम होता है तब बीच में 80 या 70 का पेमेन्ट किया जाता है। मंत्री जी जवाब दे रहे हैं कि ज्यादा ले गया, तो मैं जानना चाहूंगा कि किस कानून के हिसाब से उसको ज्यादा पेमेन्ट किया गया और किस कारण से हुआ?

श्री राजबिहारी सिंह—

किस कानून के अन्तर्गत हुआ, इसकी जानकारी नहीं है, लेकिन सीधी सी बात है कि कोई ठेकेदार काम कर रहा है तो सामान वगैरा खरीदने के लिये पैसा वह ले लेते हैं।

श्री चन्द्र प्रताप नारायण सिंह—

क्या माननीय मंत्रीजी यह बताने की कृपा करेंगे कि जो अधिक पेमेन्ट हो गया तो उन्होंने वर्क चार्ज को देखकर पेमेन्ट को रोका या फाइनल पेमेन्ट देने के वक्त मौका आया तब रोका ?

श्री राजबिहारी सिंह—

फाइनल पेमेन्ट का सवाल ही नहीं आया वह बीच में ही छोड़ कर भाग गया। काम देते समय यह लिखा-पढ़ी होती है कि कितना काम करेगा और कितने समय के अन्दर करेगा। जब उसका हिसाब बनने लगा, जब वह छोड़ कर भाग गया तो मालूम हुआ कि 1,600 रु० का पेमेन्ट ज्यादा हो गया है। 1,000 रु० जो सिक्योरिटी का लिया जाता है, वह रुपया इसमें एडजस्ट हो गया है इसीलिये सिक्योरिटी ली जाती है।

सिंचाई विभाग के वर्कचार्ज कर्मचारी

*11—श्री महीलाल (जिला मुरादाबाद) (अनुपस्थित)—

क्या सिंचाई मंत्री कृपया बतायेंगे कि उनके विभाग में एक वर्ष से अधिक काम करने वाले कितने कर्मचारी चतुर्थ व तृतीय श्रेणी के हैं जो कि वर्कचार्ज में काम कर रहे हैं ? क्या मंत्री यह बतायेंगे कि निकट भविष्य वर्कचार्ज में काम करने वाले सभी कर्मचारियों को स्थायी करने की कार्यवाही करेंगे ?

श्री महमूद अली खां—

5,702 तृतीय श्रेणी के और 11,654 चतुर्थ श्रेणी के वर्कचार्ज कर्मचारी हैं।

वर्क चार्ज कर्मचारियों के स्थायीकरण का प्रश्न नहीं उठता।

सार्वजनिक निर्माण विभाग के वर्कचार्ज कर्मचारी

*12—श्री महीलाल—

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री कृपया बतायेंगे कि उनके विभाग में तृतीय व चतुर्थ श्रेणी के कुल कितने ऐसे कर्मचारी हैं जो कि एक वर्ष से अधिक समय से विभाग में काम कर रहे हैं और वर्कचार्ज कर्मचारियों की सूची में है ?

श्री लक्ष्मीशंकर यादव—

कोई नहीं।

एटा जिले में गंगा व बूढ़ी गंगा की बाढ़ को रोकने का उपाय

*13—श्री तिरमल सिंह (जिला एटा)—

क्या सरकार को ज्ञात है कि पटियाली क्षेत्र, एटा में गंगा बूढ़ी गंगा के बीच में बाढ़ का भयंकर प्रकोप होता है जिससे जन-धन की अपार क्षति होती है। यदि हां, तो आगामी बाढ़ रोकने के लिये उक्त क्षेत्र के लिये सरकार क्या उपाय सोच रही है ?

श्री राज बिहारी सिंह—

जी हां, यह भाग गंगा नदी का खादर है। इस क्षेत्र के लिये कोई योजना विचाराधीन नहीं है क्योंकि खादर क्षेत्रों की ऐसी समस्या के समाधान हेतु कोई योजना व्यवहारिक नहीं है।

श्री तिरमल सिंह —

मान्यवर, मेरी पूर्ण जानकारी के अनुसार यह एरिया खादर नहीं है और काफी घनी आबादी इसमें बसी हुई है। गंगा के बाढ़ की पानी से जो गांव कटते हैं, वह यही हैं। सरकार ने कहा कि इसके लिये कोई योजना नहीं है तो क्यों ?

श्री राजबिहारी सिंह—

मान्यवर, मैंने निवेदन किया कि खादर है। मगर हो सकता है कि माननीय सदस्य की सूचना सही हो और गलती हो गई हो। लेकिन वह एरिया ऐसा है कि वहां पानी रोकने का कोई उपाय नहीं किया जा सकता।

ट्यूबवेल डिवीजन, बहराइच के वर्कचार्ज कर्मचारियों की सेवाएं

*14—श्री दुर्जन (जिला बांदा)—

क्या यह सत्य है कि ट्यूववेल डिवीजन, बहराइच सिंचाई विभाग में माह दिसम्बर, 1971 तथा माह जनवरी, 1972 में लगभग 20 वर्क चार्ज कर्मचारियों की सेवायें बिना किसी पूर्व नोटिस के तथा बिना ज्येष्ठता का ध्यान रखे समाप्त कर दी गई हैं ? जबकि इसके तत्काल बाद कुछ वर्कचार्ज नये कर्मचारियों की इसी डिवीजन में भर्ती भी की गई ? यदि हां, तो क्या सरकार उन निकाले हुये कर्मचारियों को पुन : सेवा में रखने का आदेश देने की कृपा करेगी ?

श्री महमूद अली खां—

जी हां। कर्मचारियों को निकालते समय उनकी योग्यता एवं आपसी ज्येष्ठता का ध्यान रक्खा गया है।

इन कर्मचारियों को निकालने के बाद किसी नये कर्मचारी की नियुक्ति उनकी जगह पर नहीं की गयी है।

निकाले हुये कर्मचारियों में से 9 को उनकी योग्यता एवं उपयुक्तता के अनुसार पुन : सेवा में रख लिया गया है। शेष की नियुक्ति आवश्यक स्थान न होने के कारण नहीं की जा सकी है।

नोट—तारांकित प्रश्न संख्या १३ के उपरान्त प्रश्नोत्तर का समय समाप्त हो गया।

फतेहपुर (टिहरी) के पुल का निर्माण

*15--श्री इन्द्रमणि (जिला टिहरी-गढ़वाल)--

क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि टिहरी जनपद में फतेहपुर नामक स्थान पर लग रहा पुल के बनाने में क्या कमी रह गई है तथा क्यों ?

श्री लक्ष्मी शंकर यादव --

प्रश्नगत स्थान पर पुल के जुड़ान का कार्य बाकी है जो चालू है और सितम्बर, 1972 तक पूर्ण होने की आशा है ।

*16---श्री इन्द्र मणि ---

क्या मन्त्री महोदय यह भी बताने की कृपा करेंगे कि उक्त पुल बनते समय दो बार टूट कर गिर गया ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री लक्ष्मी शंकर यादव---

जी हां। पुल बनते समय दो बार टूटा। पहली बार 1971 में तेज हवा चलने के कारण ऐंकर (Anchor) टूटने से पुल नीचे गिर पड़ा और दूसरी बार ठेकेदार की असावधानी से दिसम्बर, 1971 में ही बांयी ओर का ऐंकर (Anchor) उखड़ जाने से पुल नदी में गिर गया।

भनेरी भाली विद्युत योजनान्तर्गत तिलोथ (उत्तरकाशी) की जमीन का मुआवजा

*17---श्री कृष्ण सिंह (जिला उत्तरकाशी)---

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि जिला उत्तरकाशी में पट्टी वाणागही के निलोथ गांव में सरकार कितनी जमीन भनेरी भाली विद्युत् योजना के लिये ले रही है ? और उक्त जमीन का मुआवजा कितना तय किया गया है ? क्या यह सही है कि उस गांव की आबादी 500 व्यक्तियों की है और उनके पास केवल 2 एकड़ जमीन जीवन यापन के लिये रह जायगी ?

श्री महमूद अली खां --

तिलोथ ग्राम में भनेरी भाली परियोजना के जल-विद्युत् गृह के लिये सिंचाई विभाग को 40,059 एकड़ भूमि की आवश्यकता है, जिसमें कृषकों की निजी भूमि 31.84 एकड़ है।

इस जमीन का मुआवजा अभी अन्तिम रूप से तय नहीं हुआ है।

सन् १९७१ की जनगणना के अनुसार तिलोथ ग्राम की जन-संख्या 217 है। इस ग्राम में खेती 77.203 एकड़ भूमि में होती है। कृषकों की निजी 31.84 एकड़ भूमि अध्याप्त होने के पश्चात् उसके पास 45.363 एकड़ भूमि खेती के लिये शेष रह जायेगी।

*18--श्री फिरंगी प्रसाद विशारद --

[परिवहन निगम बन जाने के कारण निरस्त]

*19--श्री विश्राम दास तथा श्री चन्द्र मोहन सिंह नेगी --

[पुनरावृत्ति के कारण निरस्त]।

अहमदगढ़ (बुलन्दशहर) से काली नदी तक झील का पानी निकालने की योजना

*20--श्री सच्चिदानन्द (जिला लखनऊ)---तथा श्री त्रिलोक चन्द

क्या सिंचाई मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बुलन्दशहर, तहसील खुर्जा के अहमदगढ़ ग्राम से काली नदी तक झील का पानी निकालने हेतु कोई योजना सरकार के विचाराधीन है ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री महमूद अली खां---

जी हां, अभी योजना विचाराधीन है।

रिहन्द बांध पिपरी (मिर्जापुर) के कर्मचारियों की सेवाओं की समाप्ति तथा पुर्नियुक्ति

*21--श्री सूबेदार प्रसाद (जिला मिर्जापुर)---

क्या सिंचाई मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि रिहन्द बांध सिविल खण्ड पिपरी, मिर्जापुर के अन्तर्गत माह अप्रैल, 1968 से जून, 1968 तक कितने कर्मचारियों की सेवायें बिना कारण बताये समाप्त की गयी थीं और उनमें से अब तक कितने को पुनः सेवायें दी जा चुकी हैं और कब तथा पुनः सेवा प्रदान करने का आधार क्या था ? साथ ही क्या सेवा समाप्ति की तिथि से सेवा में लिये जाने की तिथि के मध्य की अवधि का वेतन सम्बन्धित कर्मचारियों को दिया जा चुका है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री महमूद अली खां---

केवल एक चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी की सेवायें 8 मई, 1968 से समाप्त की गई थीं।

उक्त चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी को सहानुभूतिपूर्वक विचारोपरान्त नई नियुक्ति दिनांक 10 दिसम्बर, 1970 अपरान्ह से कर दी गई है।

जी नहीं, क्योंकि दिनांक 10 दिसम्बर, 1970 से इनकी नई नियुक्ति की गई है।

ओबरा (मिर्जापुर) के अध्यापकों की पदोन्नति

*22---श्री सूबेदार प्रसाद---

क्या सिंचाई मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि मई, 1968 में श्री डी० आर० सिंह, अवीक्षण अभियन्ता, ओबरा, मिर्जापुर ने कुछ अध्यापकों की पदोन्नति की थी ? यदि हां, तो पदोन्नति का आधार क्या था ?

श्री महमूद अली खां---

जी हां, यह पदोन्नति योग्यता, अनुभव तथा ज्येष्ठता के आधार पर की गयी थी।

अधिशासी अभियन्ता नहर निर्माण खण्ड चतुर्थ (गोरखपुर) के विरुद्ध शिकायतें

*23--श्री शंकर प्रसाद जायसवाल---

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि अधिशासी अभियन्ता, मण्डल नहर निर्माण, खण्ड चतुर्थ, गोरखपुर, द्वारा सरकारी धन के अपव्यय एवं गबन सम्बन्धी कोई पत्र माननीय

मुख्य मन्त्री तथा माननीय सिंचाई मन्त्री को दिनांक 14 अक्तूबर, 1971 को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो शिकायतें क्या हैं और सरकार ने क्या कार्यवाही की ?

श्री महमूद अली खां---

जी हां, परन्तु वह पत्र कहीं लापता हो गया है। अगर सदस्य कोई विशिष्ट शिकायत बतायें तो जांच करा ली जावेगी।

फैजाबाद डिवीजन के चौधरीडीह बढ़नी मार्ग पर निर्मित पुल

*24--श्री सूरज लाल गुप्त तथा श्री विजयपाल सिंह ---

क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री कृपया बतायेंगे कि फैजाबाद डिवीजन में चौधरीडीह से बढ़नी मार्ग पर कुल कितने पुलों का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है, क्या सरकार को यह जानकारी है कि जिन पुलों का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है उनके कुंओं की गलाई निर्धारित माप से कम की गई है तथा घटिया पत्थरों का प्रयोग किया गया है ? क्या सरकार उक्त आरोप की जाँच एक टेक्निकल व्यक्तियों की जांच कमेटी द्वारा अविलम्ब करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लक्ष्मी शंकर यादव---

प्रश्नगत मार्ग पर कुल 14 पुलों का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है। इन पुलों के कुओं की गलाई निर्धारित माप से कम नहीं है तथा घटिया किस्म के पत्थरों का प्रयोग नहीं किया गया है। इसलिये जांच हेतु कोई टेक्निकल कमेटी बैठाने का प्रश्न नहीं उठता।

*25-26 --श्रीमती मसाली देवी---

[परिवहन निगम से सम्बन्धित होने के कारण निरस्त]

[26 जुलाई, 1972 के लिये निर्धारित तारांकित प्रश्न]

सिंचाई खण्ड बलिया का स्थायीकरण

*1---श्री शम्भूनाथ चौधरी---

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि सिंचाई खण्ड जनपद, बलिया मार्च, 29 सन् 1971 से स्थायी कर दिया गया है ? यदि हाँ, तो मार्च, 1972 तक कौन-कौन चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी इस खण्ड के स्थायी किये गये हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री महमूद अली खां ---

जी हां। पदों के स्थायीकरण का मामला अभी शासन के विचाराधीन है। इसके बाद ही किसी कर्मचारी को स्थायी करने का प्रश्न उठेगा।

*2---श्री शम्भूनाथ चौधरी---

[निगम बन जाने के कारण निरस्त]

*3-4---श्री गोपाल दत्त ओझा---

[12वें गुरुवार के लिये प्रश्न संख्या 46-47 के अन्तर्गत स्थानान्तरित।]

*5---श्री रूपनाथ सिंह यादव---

[परिवहन निगम से सम्बन्धित होने के कारण निरस्त]

रामगंगा परियोजना कालागढ़ का निर्माण

*6--श्री चन्द्रमोहन सिंह नेगी (जिला गढ़वाल)---

क्या सिंचाई मन्त्री कृपया बतायेंगे कि रामगंगा परियोजना, कालागढ़ का निर्माण किस वर्ष से प्रारम्भ हुआ, अब तक इसके निर्माण में कितनी प्रगति हुई है और कब तक पूर्ण हो जाने की आशा है ? प्रारम्भ में इस पर कितने व्यय का अनुमान था और अब पूर्ण होने तक कितना व्यय होगा ? तथा निर्माण कार्य सम्पन्न होने के बाद कर्मचारियों, इन्जीनियरों तथा विभिन्न वर्कशाप शेडों के खाली होने पर उनके उपयोग के लिये सरकार क्या विचार कर रही है ?

श्री महमूद अली खां ---

वांछित सूचना संलग्न सूची में दी गई है।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ 42 पर)।

*7-8---श्रीमती शकुन्तला देवी---

[निगम बन जाने के कारण निरस्त]

बरहा कलां (इलाहाबाद) के माइनर्स से प्रभावित भूमि

*9--श्री विश्राम दास (जिला इलाहाबाद) तथा श्री रामकिशोर शुक्ल (जिला इलाहाबाद)---

क्या सिंचाई मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगे कि जनपद इलाहाबाद, तहसील मेजा, ग्राम बरहा कलां के ताल में तीन माइनर गिराये गये हैं और इससे पानी भरने से सैकड़ों एकड़ उपजाऊ जमीन प्रभावित होती है ? क्या इसका सर्वेक्षण कर लिया गया है ? यदि हां, तो वह कार्य कब तक पूर्ण हो जायेगा ?

श्री महमूद अली खां ---

बरहा कलां गांव के ताल में अमुआं और बूंदी माइनर के टेल का पानी गिरता है। बरहा ताल से पानी निकालने के लिये विस्तृत सर्वेक्षण के पश्चात् बरहा ताल ड्रेन प्रस्तवित की की गई है जिस पर भूमि अध्याप्ति के बाद कार्य प्रारम्भ किया जा सकेगा।

ओबरा ताप विद्युत स्टेशन के निर्माण का ठेका

*10--श्री जयराम यादव (जिला प्रतापगढ)--

क्या सिंचाई मन्त्री कृपया बतायेंगे कि ओबरा ताप विद्युत् स्टेशन के निर्माण कार्य का ठेका निश्चित डिजाइनों व प्राक्कलनों के तैयार करने के पूर्व ही दे दिया गया था; क्या यह सही है कि सब से कम टेन्डर 2.60 करोड़ रुपये मेसर्स कान्टीनेन्टल कॉंस्ट्रक्शन कम्पनी का स्वीकार न करके दूसरी कम्पनी का टेन्डर 2.97 करोड़ रुपये का स्वीकार किया गया ? क्या यह सही है कि पूरे कार्य के निर्माण की अवधि सन् 1967 थी किन्तु निर्माण कार्य अभी तक पूरा नहीं हुआ है ? दोषी व्यक्तियों के खिलाफ क्या कार्यवाही की गई ?

श्री महमूद अली खाँ ---

जी हाँ। 2.99 करोड़ का टेन्डर स्वीकार किया गया। निर्माण कार्य दिनाँक 30 जून, 1966 को पूरा होना था ? लेकिन बाद में ठेकेदार को दिनाँक 31 जुलाई, 1970 तक कार्य सम्पन्न करने की अनुमति दे दी गयी। किसी के खिलाफ कार्यवाही का प्रश्न नहीं उठता।

राष्ट्रीयकृत मार्गों पर राजकीय बसें

*11––श्री कल्याण सिंह (जिला अलीगढ़)––

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि प्रदेश में ऐसे कौन-कौन से मार्ग हैं जिनका दिनाँक 15 अप्रैल, 1972 तक राष्ट्रीयकरण हो चुका है किन्तु अभी दिनाँक 20 अप्रैल, 1972 तक उन पर राजकीय बसें चालू नहीं की गई हैं? राजकीय बसें चालू न किये जाने के क्या कारण हैं तथा कब तक उक्त राष्ट्रीयकृत मार्गों पर राजकीय बसें चालू कर दी जायेंगी ?

परिवहन राज्य मन्त्री (श्री देवकी नन्दन विभव)––

इस श्रेणी में निम्नलिखित मार्ग आते हैं :

(1) अलीगढ़-अतरौली-रामघाट,

(क) अलीगढ़-अतरौली-बिजौली,

(2) गोरखपुर-गोला वाया खजनी,

(3) बड़हलगंज-कौड़ी राम।

इन मार्गों के प्राइवेट चालकों द्वारा उच्च न्यायालय में दायर की गई रिट याचिकाओं पर स्थगन आदेश होने के कारण वे अपनी निजी बसें पूर्वत् चला रहे हैं। ऐसी स्थिति में यह नहीं कहा जा सकता कि इन मार्गों पर राजकीय बस सेवा कब से चलाई जा सकेगी।

शारदा सहायक योजना का निर्माण कार्य

*12––श्री वीरेन्द्र वर्मा (जिला मुजफ्फरनगर)––

क्या सिंचाई मन्त्री कृपया बतायेंगे कि शारदा सहायक परियोजना को केन्द्रीय योजना आयोग द्वारा कब मंजूर किया गया था और उस पर निर्माण कार्य कब प्रारम्भ हुआ? तथा स्वीकृति के समय उसकी लागत का क्या अनुमान दिया गया था और कब तक उसे पूर्ण होना था ?

श्री महमूद अली खां––

शारदा सहायक परियोजना पर केन्द्रीय योजना आयोग की स्वीकृति अगस्त, 1968 में प्राप्त हुई थी और उस पर निर्माण कार्य अक्तूबर, 1968 से प्रारम्भ कर दिया गया था। परियोजना के प्रथम चरण की लागत 64.84 लाख रुपया तथा दोनों चरणों की कुल लागत 99.61 लाख रुपया अनुमानित थी और उसे 1968–69 तक पूर्ण होना था ?

*13––श्री वीरेन्द्र वर्मा ––

[पुनरावृत्ति के कारण निरस्त]

राष्ट्रीयकृत गोरखपुर-गोला मार्ग पर राजकीय बस चलाने की व्यवस्था

*14––श्री अनन्तराम जायसवाल तथा श्री अवधेश कुमार (जिला सीतापुर) ––

1972 के प्रथम सत्र के पाँचवें बुधवार के लिये प्रश्नकर्ता द्वारा पूछे गये ताराँकित प्रश्न संख्या 14 के उत्तर के तारतम्य में क्या परिवहन मन्त्री कृपया बतायेंगे कि गोरखपुर-गोला मार्ग का राष्ट्रीयकरण केवल रोडवेज की बसें चलाने के लिये कब किया गया? और इस मार्ग पर सरकारी बसों के चलाने हेतु प्रादेशिक परिवहन अधिकारी, गोरखपुर को परमिट के लिये दी गई दरख्वास्त पर उनके आदेश प्राप्त हो गये अथवा नहीं? अगर प्राप्त हो गये हैं तो प्रश्नगत मार्ग पर सरकारी बसें किस तारीख से चलने लगेंगी ?

श्री देवकी नन्दन विभव---

गोरखपुर-गोला वाया खजनी मार्ग का राष्ट्रीयकरण केवल रोडवेज की बसें चलाने हेतु किया जा चुका है और मोटर वेहिकिल्स ऐक्ट की धारा 68-डी के अन्तर्गत दिनाँक 7 नवम्बर, 1970 के सरकारी गजट में इसकी विज्ञप्ति प्रकाशित की गई थी। इस मार्ग के कुछ प्राइवेट चालकों न इलाहाबाद उच्च-न्यायालय में रिट याचिका दायर कर दी और वहाँ से स्थगन आदेश प्राप्त कर अपनी बसें चला रहे हैं। प्रादेशिक परिवहन अधिकारी, गोरखपुर को रोडवेज की बसें चलाने के लिये परमिट देने के लिये जो प्रार्थना-पत्र दिये गये हैं उन पर अभी कोई निर्णय नहीं दिये गये हैं।

अधिदर्शकों की सहायक अभियन्ता के पद पर प्रोन्नति

*15---श्री अनन्त राम जायसवाल तथा श्री अवधेश कुमार---

दिनाँक 19 अप्रैल, 1972 के प्रश्नसंख्या 8नत्थी (ग) के तारतम्य में क्या सिंचाई मन्त्री कृपया बतायेंगे कि अधिदर्शकों को सहायक अभियन्ता के पद पर प्रोन्नति हेतु अर्हकारी परीक्षा मई, 1970 के 13 परीक्षार्थियों को 9 अंकों तक कृपाँक देकर पास करने का निर्णय शासन को किन कारणों से लेना पड़ा? और क्या यह भी सही है कि माननीय हाई कोर्ट के स्थगन आदेशों के बावजूद उन्हें शासन द्वारा प्रोन्नति दी गई, जिसके परिणामस्वरूप माननीय हाई कोर्ट को शासन के विरुद्ध अदालत के अवमान की नोटिस देनी पड़ी ?

श्री महमूद अली खां---

9 अंक तक कृपाँक देकर पास करने का निर्णय परीक्षा के प्रश्न-पत्रों की कठिनता एवं अधिदर्शकों की परीक्षा में कौशल को देखते हुये लिया गया था।

जी हाँ। परन्तु माननीय हाईकोर्ट द्वारा स्थगन आदेश की जानकारी प्रोन्नति आदेश हो जाने के बाद हुई।

*16-17---श्री जितेन्द्र पाल सिंह---

[परिवहन निगम बन जाने के कारण निरस्त]

अधिशासी अभियन्ता, गण्डक योजना द्वारा ठेकेदारों के नाम अनुबन्ध

*18---श्री विश्राम दास---

क्या सिंचाई मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि गन्डक योजना के खन्ड (8) में सन् 1938-69, 1969-70, 1970-71 में अधिशासी अभियन्ता ने किन-किन ठेकेदारों के नाम से कौन-कौन अनुबन्ध किये हैं ? और किन-किन ठेकेदारों को उनके अनुबन्धों की सत्य प्रतिलिपि समय पर दी गई है ? साथ ही अनुबन्ध की सत्य प्रतिलिपि कौन-कौन व्यक्ति प्रमाणित करते हैं ?

श्री महमूद अली खां ---

इस सूचना को एकत्र करने में काफी समय लगेगा। कोई विशेष ठेके के सम्बन्ध में अगर जानकारी चाहें तो वह दे दी जावेगी। अनुबन्धों की सत्य प्रतिलिपियाँ राजपत्रित अधिकारी (अधिशासी अभियन्ता एवं सहायक अभियन्ता) एवं खण्डीय लेखाकार द्वारा प्रमाणित की जाती हैं।

*19---श्री विश्राम दास ---

[12वें बुधवार में प्रश्न संख्या 21 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

निमारख–कुतुब नगर–वधैनी–कस्बा आंट (सीतापुर) मार्ग

*20––श्री राम करन सिंह (जिला गोरखपुर)––

क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि निमारख-कुतुबनगर रोड (सीतापुर जिले में) से बधैनी गाँव के कस्बा आंट जाने वाली सड़क को पक्की करने की कोई योजना सरकार के विचार में है, और क्या यह भी सच है कि 1969-70 में तत्कालीन पी० डब्ल्यू० डी० मन्त्री, चौधरी गिरधारी लाल जी. ने मु० रफी खां, भूतपूर्व एम० एल० ए० के प्रार्थना-पत्र पर उस सड़क को पक्का किये जाने का आदेश भी दिया था ? यदि हाँ, तो अब तक उस आदेश का पालन क्यों नहीं हुआ ?

श्री लक्ष्मी शंकर यादव––

इस मार्ग के पक्का किये जाने के विषय पर भूतपूर्व विधायक मु० रफी खां का पत्र प्राप्त हुआ था, परन्तु धनाभाव के कारण, इस कार्य को स्वीकृत करना सम्भव नहीं हो सका।

*21––श्री शंकर प्रसाद जायसवाल ––

[परिवहन निगम बन जाने के कारण निरस्त]

सिंचाई विभागीय आशुलेखकों के पदों पर नियुक्ति हेतु परीक्षा

*22––श्री नित्यानन्द स्वामी ––

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि उत्तरोत्तर हिन्दी के प्रयोग को प्राथमिकता देने की सरकार की घोषित नीति के विरुद्ध सिंचाई विभाग, उत्तर प्रदेश अपने आशुलेखकों के पदों पर नियुक्ति के हेतु परीक्षा में अंग्रेजी आशुलिपि की भी अनिवार्यत: 100 शब्द प्रति मिनट की स्पीड की पाबन्दी इसी वर्ष 1971-72 से लगा रही है ? यदि हाँ, तो क्या सरकार हिन्दी अथवा अंग्रेजी में से एक का विकल्प आशुलिपिकों को देने पर विचार करेगी ? क्या सरकार को इस नीति के विरोध में प्रदेश के लगभग ४०० आशुलिपिकों की ओर से कोई प्रतिवेदन मिला ? यदि हाँ, तो सरकार ने इस विषय में क्या कार्यवाही की ?

श्री महमूद अली खां ––

जी हाँ। इस सम्बन्ध में आशुलिपिक संघ के प्रस्ताओं पर विचार किया जा रहा है।

*23––श्री राम किशोर शुक्ल ––

[पुनरावृत्ति के कारण निरस्त]

राज्य सम्पत्ति विभाग के कोषाध्यक्ष के विरुद्ध शिकायत

*24––श्री रामगोपाल संड ––

क्या सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता ने उन्हें दिनांक 10 अप्रैल, 1972 को एक पत्र लिखकर राज्य सम्पत्ति विभाग के कोषाध्यक्ष के विरुद्ध लगभग 100 कर्मचारियों की हस्ताक्षरित याचिका दी थी ? यदि हां, तो उक्त कर्मचारियों की कठिनाइयों को दूर करने के लिये सरकार ने अब तक क्या किया ?

श्री महमूद अली खां ––

जी हां। इस मामले में अभी जांच की जा रही है।

रामगढ़ ताल (गोरखपुर) की पूर्वी पंप नहर की कमांड एरिया

*25—श्री किरंगी प्रसाद विशारद—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जनपद गोरखपुर में स्थित रामगढ़ ताल की पूर्वी पंप नहर की कमांड एरिया क्या है? और क्या यह सत्य है कि इस नहर के कमांड एरिया में पूर्ण रूप से पानी नहीं पहुंच पाता है? यदि हां, तो इस पूरे क्षेत्र को पानी उपलब्ध कराने हेतु सरकार कौन सा कदम उठाने जा रही है?

श्री महमूद अली खां —

5815 एकड़ कमांड एरिया है। टेल के लगभग 500 एकड़ क्षेत्र में पूर्ण रूप से पानी नहीं पहुंच पाता। उक्त क्षेत्र में सिंचाई सुविधा प्रदान करने हेतु एक राजकीय नलकूप के निर्माण का प्रस्ताव है।

रानीखेत–पन्तकोटली (अल्मोड़ा) मोटर मार्ग का दड़माड़ तक विस्तार

*26—श्री चन्द्रभान शर्मा (जिला मुजफ्फरनगर) तथा श्री त्रिलोक चन्द—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि अल्मोड़ा जनपद के रानीखेत शहर से तीन मील दूर पन्तकोटली तक मोटर सड़क बनाने का निर्णय सरकार ने ले लिया है? यदि हां, तो क्या मन्त्री जी जनहित में इस सड़क का विस्तार दड़माड़ ग्राम तक करने का कष्ट करेंगे?

श्री लक्ष्मी शंकर यादव —

जी हां। प्रश्नगत सड़क के निर्माण का निर्णय लिया गया है। इस सड़क का विस्तार दड़माड़ ग्राम तक करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

ट्यूबवेल डिवीजन, बहराइच के वर्कचार्ज कर्मचारियों की सेवायें

*27—श्री दुर्जन—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि मुख्य अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ ने अपने पत्र संख्या 2630–नि० 4/82बी०—761-डब्ल्यू० जनरल, दिनांक 6 अगस्त, 1971 द्वारा समस्त अधीक्षण अभियन्ताओं को तीन साल सेवा अवधि वाले वर्कचार्ज कर्मचारियों को रेगुलर सेवा में लेने हेतु आवश्यक कार्यवाही करने का आदेश दिया था? यदि हां, तो पिछले 6 माह के अन्दर ट्यूबवेल डिवीजन, बहराइच में कितने वर्कचार्ज कर्मचारियों की सेवायें, जिनका सेवा कार्य तीन वर्ष का था समाप्त की गई तथा क्यों?

श्री महमूद अली खां—

वर्कचार्ज कर्मचारियों को रेगुलर सेवा में लेने के लिये कोई आदेश नहीं किये गये।

4 वर्कचार्ज कर्मचारियों की सेवायें उनको सौपे गये कार्य के समाप्त हो जाने के कारण खत्म कर दी गयीं।

मेरठ, मुजफ्फरनगर व बुलन्दशहर में जमुना बाढ़ से बचाव हेतु सुरक्षा कार्य

*28—श्री नैपाल सिंह (जिला मेरठ)—

क्या सरकार को ज्ञात है कि जमुना की बाढ़ से प्रदेश के कई जिलों, मेरठ, मुजफ्फरनगर व बुलन्दशहर का बहुत बड़ा भूमि का क्षेत्रफल हरियाणा में चला गया है और

हरियाणा सरकार ने इसकी सुरक्षा के लिये जमुना के पश्चिमी किनारे पर पक्के पुश्ते निर्माण किये हैं जिससे उत्तर प्रदेश में बाढ़ की स्थिति और गम्भीर हो गई है ? बाढ़ से सुरक्षा के लिये प्रदेश सरकार क्या उपाय कर रही है ?

श्री महमूद अली खां —

जी हां, लेंकिन यमुना के पश्चिमी किनारे पर पक्के पुश्ते निर्माण हो जाने से ही उत्तर प्रदेश में बाढ़ की स्थिति गम्भीर नहीं हुई है ? बाढ़ से सुरक्षा के लिये बांध पक्के स्पर्स एवं स्टडस बनाने के कार्य कुछ स्थानों पर आरम्भ हो गया है।

*29—श्री नैपाल सिंह—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि मेरठ जिले में जमुना की बाढ़ से सुरक्षा के लिये "अलीपुर बांध" नाम की कोई योजना सरकार द्वारा स्वीकार की गई है ? यदि हां, तो अब तक क्या कार्यवाही की गई है ?

श्री महमूद अली खां —

जी नहीं, कोई योजना स्वीकार नहीं की गई है।

*30—श्री सुदामा प्रसाद गोस्वामी—

[13वें बुधवार के प्रश्न संख्या 13 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

हरदोई की ककरिहा ड्रेन पर पुलिया व ठोकर की आवश्यकता

*31—श्री रूपनाथ सिंह यादव (जिला इलाहाबाद)—

क्या सिंचाई मन्त्री कृपया बतायेंगे कि जिला हरदोई में समथपुर ड्रेन जो काफी अर्से से मौजूद है और गांव मरेउरा, पुरवा, मतुआ तथा कुशलपुर, पो० बंधौली की आबादी को बरसात के दिनों में उल्टा पानी बहने से कठिनाई होती है और इसी सिलसिले में क्या एक नई ककरिहा ड्रेन खोदी गई है ? इसमें कोई पुलिया, ठोकर व रास्ता न होने से 4 फर्लांग की दूरी तक स्टेशन व बाजार का आवागमन बन्द हो गया है? यदि हां, तो सरकार ने अब तक पुलिया आदि बनाने के लिये क्या कार्यवाही की ?

श्री महमूद अली खां —

समथपुर ड्रेन में उल्टा पानी नहीं बहता है बल्कि ड्रेन की क्षमता कम होने के कारण पानी धीरे-धीरे निकलता है। ककरिहा ड्रेन का निर्माण अभी प्रगति में है तथा उसमें एक पुलिया का निर्माण मील 1–1—330 पर वर्षा के उपरान्त होना है जिससे बधौली स्टेशन व बाजार के आवागमन में सुविधा हो जायेगी ?

गोरखपुर की अधूरी बसन्तपुर रजबाहा नहर

*32—डाक्टर हरिप्रसाद शाही (जिला गोरखपुर)—

क्या सिंचाई मन्त्री को ज्ञात है कि कि बसन्तपुर रजवाहा नहर, जिला गोरखपुर खसरा नम्बर 71 और 76 के पास नहर अधूरी छोड़ दी गई थी जिसकी सूचना वहां के किसानों ने अधीक्षण अभियन्ता तथा जिला मजिस्ट्रेट को दिसम्बर, 1971 के पहिले सप्ताह में दे दी थी और 24 दिसम्बर, 1971 को नहर में पानी छोड़ दिया गया जिसके फलस्वरूप रामपुर गांव के सैकड़ों खेतों में पानी भर गया, फसल नष्ट हो गई और अब उन्हीं 76 किसानों से उसी बरबादी को सिंचाई के महसूल के रूप में वसूल किया जा रहा है ? यदि हां, तो सरकार ने किसानों की शिकायतों को दूर करने के लिये क्या किया ?

श्री महमूद अली खां —

बसन्तपुर राजबहा के मील 12-2-200 के पास खेत नं० 71 के पास नहर की बांयीं पटरी कुछ नीची रह गई थी। किसानों ने इसकी सूचना अधिशासी अभियन्ता को नहीं दी थी और न ही उन्हें यह ज्ञात हुआ था कि इस प्रकार की कोई सूचना किसानों द्वारा अधीक्षण अभियन्ता तथा कैनाल मजिस्ट्रेट को दी गई है।

24 दिसम्बर, 1971 के कृषकों की मांग पर नहर में पानी छोड़ा गया मील नं० 12-3-360 पर श्री विश्वनाथ मन्त्री की निजी नलकूप की पक्की नाली के अवरोध के कारण मील 12-2-200 पर नहर की दायीं पटरी कट गई, जिसके कारण 130·84 एकड़ पानी में डूब गया। जिन कृषकों की फसल नष्ट हो गई, उन्हें प्रतिकर दे दिया गया है। कृषकों द्वारा सही प्रमाण न देने के कारण सींच कर लगाया गया था, किन्तु कृषकों के प्रार्थना-पत्र दिनांक 11 अप्रैल, 1972 के प्राप्त होने के पश्चात् स्थल का पुन: निरीक्षण कराकर कृषकों को पूर्ण छूट दे दी गई है।

*33-34—श्री सुदामा प्रसाद गोस्वामी—

[12वें मंगलवार के प्रश्न संख्या 53-54 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

*35—श्री श्रीकृष्ण बाजपेयी —

[पुनरावृत्ति के कारण निरस्त]

सिंचाई सर्किल ओबरा (मिर्जापुर) का स्थानान्तरण एवं अन्य सर्किल खोलने की मांग

*36—श्री सूबेदार प्रसाद—

क्या सिंचाई मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि सिंचाई सर्किल ओवरा मिर्जापुर को वहां से अन्यत्र हटाया जा रहा है? यदि हां, तो क्यों?

*श्री महमूद अली खां—

जी नहीं।

*37—श्री सूबेदार प्रसाद —

क्या सिंचाई मन्त्री यह भी बतायेंगे कि जिलाधिकारी, मिर्जापुर तथा आयुक्त मन्डल, वाराणसी ने एक और सर्किल खोलने की मिर्जापुर में मांग की है?

श्री महमूद अली खां —

ऐसी माँग जिलाधिकारी मिर्जापुर ने की है।

*38—श्री अनन्तराम जायसवाल —

[13वें बुधवार के प्रश्न संख्या 14 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

ओवरा थर्मल निर्माण खण्ड के कार्य के हस्तान्तरण के फलस्वरूप कर्मचारियों की सेवामुक्ति

*39—श्री नित्यानन्द स्वामी —

क्या सिंचाई मन्त्री कृपया बतायेंगे कि ओवरा बांध निर्माण मण्डल में ओवरा थर्मल निर्माण खण्ड का कार्य माह अप्रैल, 1971 में राज्य विद्युत् परिषद् को दे दिया गया जिसके कारण वहां 12 कर्मचारी सेवा मुक्त कर दिये गये? यदि हां, तो क्या सरकार

इन सेवा मुक्त कर्मचारियों को पुन : काम पर लेने पर विचार कर रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री महमूद अली खां —

जीं हां। लेकिन इन्हें पुन : काम पर ले लिया गया है।

दारुलशफा, लखनऊ के मोटर गैराज का आबंटन

*40--श्री सुखपाल पाण्डेय तथा श्री रामकरन सिंह—

क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि दारुलशफा, लखनऊ में कितने मोटर गैराज किस-किस विधायक के नाम से आवंटित हैं कितने ऐसे विधायक हैं जिनके पास मोटर न होने के बावजूद भी गैराज एलाट किया गया है ?

श्री महमूद अली खां —

विधायक निवास 2 व 3 में 33 मोटर गैराज हैं। ये जिन विधायकों को आवंटित हैं उनकी सूची संलग्न है। उन्हीं विधायकों को गैराज आवंटित किये गये हैं जिन्होंने यह लिखित दिया है कि उनको मोटर रखने के लिये गैराज दिया जाय।

(देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ 143 पर)

*41–42—श्री इन्द्र लाल—

[निगम बन जाने के कारण निरस्त]

रामगंगा परियोजना से आगरा नहर को मिलने वाला पानी

*43—श्री हुकुम सिंह परिहार (जिला आगरा) —

क्या यह सही है कि रामगंगा परियोजना से आगरा नहर की जो 12 सौ क्यूसेक पानी मिलने को था उसमें कमी की जा रही है और यह पानी दिल्ली नगर में पीने के पानी की कमी को दूर करने को दिया जा रहा है ? यदि हाँ, तो इस पानी की कमी के विकल्प के रूप में सरकार क्या कदम उठाने जा रही है ?

श्री महमूद अली खां —

जी हाँ। दिल्ली नगर को पानी देने के कारण आगरा नहर में पानी की कुछ कमी होगी। इस कमी के विकल्प के रूप में अभी कोई व्यवस्था प्रस्तावित नहीं है।

*44—श्री राम गोपाल सण्ड —

[निगम बन जाने के कारण निरस्त]

परमिट बढ़ाने हेतु आर० टी० ए०, मेरठ द्वारा मांगे गये प्रार्थना-पत्रों पर विचार

*45—श्री चन्द्रभान शर्मा—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि आर० टी० ए०, मेरठ ने मुजफ्फरनगर, चरथावल थाना भवन व गढ़ीखाम और मुजफ्फरनगर, मीरापुर, जानसठ तथा रामराज रूट्स पर जनवरी सन् १९७२ में परमिट बढ़ाने की दरख्वास्तें माँगी थीं ? यदि हाँ, तो उन पर अब तक क्या कार्यवाही हुई ? यदि नहीं, तो क्यों और इन दोनों रूट्स पर कितनी-कितनी दरख्वास्तें दी गई हैं ?

श्री देवकी नन्दन विभव---

आर० टी० ए०, मेरट ने मुजफ्फरनगर-गढ़ीखाम और मुजफ्फरनगर रामराज मार्गों पर क्रमश: 7 और 10 परमिट बढ़ाने के लिये सरकारी गजट दिनाँक 8 जनवरी, 1972 में विज्ञप्ति प्रकाशित करके प्रार्थना-पत्र दिनाँक 7 फरवरी, 1972 तक माँगे थे। जो प्रार्थना-पत्र प्राप्त हुये उन पर कोई कार्यवाही नहीं हुई। इन दोनों माँगों के लिये क्रमश: 521 और 562 प्रार्थना-पत्र प्राप्त हुये थे। शासन द्वारा मोटर वेहिकिल्स (उत्तर प्रदेश संशोधन) अध्यादेश, 1972, जिसमें गाड़ियों के परमिट दिये जाने में उदारता बरती गयी है, के विरुद्ध दाखिल की गई याचिकाओं के सम्बन्ध में उच्च न्यायालय द्वारा स्थगन आदेश जारी किये जाने के कारण किसी भी प्रार्थना-पत्र पर आर० टी०ए० द्वारा विचार नहीं किया जा सका।

*46---श्री मोहम्मद असरार अहमद ---

[21वें गुरुवार के लिये प्रश्न संख्या 13 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

सिंचाई योजनाओं में घाटा

*47---श्री मोहम्मद असरार अहमद---

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि प्रदेश में सिंचाई योजनाओं पर गत 5 वर्ष से लगातार घाटा हो रहा है ? यदि हाँ, तो क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि कितना घाटा है और घाटा होने का क्या कारण है ?

श्री महमूद अली खां ---

जी हाँ। वित्तीय वर्ष 1966-67 से 1970-71 के बीच 61.624 करोड़ रुपयों का घाटा हुआ है। घाटे का कारण अपूर्ण सिंचाई योजनाओं पर लगी पूंजी पर बड़ी मात्रा में ब्याज देना, पिछड़े क्षेत्रों में सिंचाई की सुविधा पहुंचाना और सिंचाई की दरों में खर्च के अनुपात में कमी है।

अतारांकित प्रश्न

ब्लाक रेउसा (सीतापुर) में राजकीय नलकूप तथा लिफ्ट योजना द्वारा सिंचाई की व्यवस्था

1---श्री कृष्णकान्त अवस्थी---

क्या सिंचाई मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि सीतापुर जिले के ब्लाक रेउसा में सरकार द्वारा सिंचाई के साधन नहीं है ? यदि हाँ, तो क्या मन्त्री जी इस ब्लाक में राजकीय नलकूप तथा लिफ्ट योजना द्वारा सिंचाई की व्यवस्था करने की कृपा करेंगे ?

श्री महमूद अली खां---

जी हाँ। यह तराई एवं खादर का क्षेत्र है तथा पानीका स्तर धरातल से बिलकुल निकट रहता है। अत: यहाँ राजकीय नलकूप या लिफ्ट योजना द्वारा सिंचाई की व्यवस्था का कोई प्रस्ताव नहीं है।

2---श्री लालसा---

[निगम बन जाने के कारण निरस्त]

बेला-विधूना तथा शिवली (कानपुर) मार्ग

3--श्री रघुनाथ सिंह (जिला कानपुर)--

क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री को ज्ञात है कि कानपुर जिले में बेला-विधूना रोड शिवली तक अत्यधिक खराब हालत में है ? यदि हाँ, तो सरकार उक्त मार्ग को कब तक मेटल करायेगी ?

श्री लक्ष्मी शंकर यादव --

शिवली-बेला-विधूना मार्ग का शिवली से बेला भार्ग जो कानपुर जिले में पड़ता है उसकी दशा खराब है। इस मार्ग को मेटल करने का कोई प्रस्ताव अभी शासन के बिचाराधीन नहीं है।

फतेहपुर के हुसेनगंज–हथगाम तथा बहेरा–अल्लीपुर जीता मार्गों का निर्माण

4--श्री कृष्ण दत्त (जिला फतेहपुर)--

क्या सरकार यह बताने का कष्ट करेगी कि जिला फतेहपुर की हुसेनगंज से हथगाम और बहेरा से अल्लीपुर जीता जाने वाली सड़कों के निर्माण पर कितना कार्य हुआ है ? और कब तक निर्माण कार्य पूरा होने की सम्भावना है ?

श्री लक्ष्मी शंकर यादव --

(1) हुसेनगंज से हथगाँव मार्ग–यह मार्ग 26 किलो मीटर लम्बा है जिसमें 11 किली मीटर में मिट्टी का कार्य हो रहा है। तीन किलो मीटर में पुलियों पर भी कार्य आरम्भ कर दिया गया है। जहाँ पुरानी सड़क की भूमि प्राप्त है, वहाँ काम हो रहा है। शेष भूमि के अध्याप्ति के लिये आवश्यक कार्यवाही हो रही है। लगभग 3 वर्षों में कार्य के पूरा होने की आशा है।

(2) बहेरा से अल्लीपुर जीता मार्ग–यह मार्ग अल्लीपुर जीता एरेवा के नाम से स्वीकृत है। यह मार्ग 15.3 किलो मीटर लम्बा है जिसमें 8 किली मोटर में मिट्टी का कार्य हो रहा है तथा 6 किलो मीटर में पुलियों का काम भी हो रहा है। यह काम जहाँ तक पुरानी सड़क की भूमि प्राप्ति है, हो रहा है। बाकी लम्बाई के भूमि अध्याप्ति के कागजात बनाये जा रहे हैं। लगभग 3 वर्ष में कार्य पूरा होने की आशा है।

मान्यता प्राप्त पत्रकारों को स्कूटर आवंटित किया जाना

5--श्री मलिखान सिंह--

क्या परिवहन मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सच है कि मान्यता प्राप्त पत्रकारों को सरकारी कोटे से स्कूटर आबंटन की व्यवस्था है ? यदि हाँ, तो गत मार्च से अब तक कितने पत्रकारों को इस कोटे से स्कूटर मिला ? कितने पत्रकारों के नाम वेटिंग लिस्ट में हैं ?

श्री देवकी नन्दन विभव --

जी हाँ --मान्यता प्राप्त पत्रकारों को स्कूटर आवंटन करने की व्यवस्था है।

विगत मार्च, 1972 से अब तक 4 पत्रकारों को स्कूटर आवंटित हुये। 41 पत्रकारों के नाम शेष रह गये हैं ?

नौतनवां–ढूढ़ीवारी तथा कोल्हुई लोटन सड़क के निर्माण हेतु अध्याप्त भूमि का मुआविजा

6––श्री राम लगन दुबे (जिला गोरखपुर)––

क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गोरखपुर मे नौतनवा ढूढ़ीवारी सड़क तथा कोल्हुई लोटन सड़क के निर्माण के लिये जमीन कब ली गई ? किन-किन गाँवों के किसानों को मुआविजा देना अब तक बाकी है तथा कब तक मुआविजा दे देने का विचार है ?

श्री लक्ष्मी शंकर यादव ––

नौतनवा-ढूढ़ीवारी सड़क––

नौतनवा-ढूढ़ीवारी सड़क के लिये भूमि 1964-65 में ली गयी थी। जिन गाँवों के किसानों को मुआविजा देना बाकी है उनकी सूची सदन की मेज पर रखी है। मुआविजा के देने में शीघ्रता का प्रयत्न किया जा रहा है।

कोल्हुई लोटन सड़क––

इस सड़क के लिये भूमि 1966 में ली गयी थी। स्थायी रूप से 8 ग्रामों में भूमि अर्जित की गयी थी और जिन ग्रामों में किसानों को मुआविजा देना बाकी है उसकी सूची सदन की मेज पर रखी है।

अस्थायी रूप से ली गयी भूमि का मुआविजा वितरित किया जा चुका है। जो व्यक्ति प्रतिकर लेने नहीं गये, उनका धन 'रेवेन्यू डिपाजिट' में जमा है जो माँगने पर दे दिया जाता है।

(देखिये नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ 145 पर)

राबर्ट्सगंज क्षेत्र (मिर्जापुर) में सड़कों का निर्माण

7––श्री सूबेदार प्रसाद तथा श्री राम निहोर राय (जिला मिर्जापुर)––

क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री कृपया बतायेंगे कि मिर्जापुर के तहसील, राबर्ट्सगंज क्षेत्र में किन-किन सड़कों पर निर्माण कार्य चल रहा है तथा कितनी ऐसी सड़कें हैं जिन्हें बनाने का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ?

श्री लक्ष्मी शंकर यादव ––

जिला मिर्जापुर के तहसील राबर्ट्सगंज क्षेत्र के निम्नलिखित मार्गों पर निर्माण कार्य चल रहा है :

(1) राबर्ट्सगंज-पुन्नूगंज का शेष भाग।

(2) पुन्नूगंज-बेनी मार्ग।

(3) डल्ला-बिल्ली मार्ग।

(4) बेनी-खलियारी मार्ग।

(5) विन्धमगंज-कोन मार्ग।

(6) राज गढ़-शाहगंज मार्ग––यह मार्ग स्वीकृत है परन्तु भूमि अध्याप्ति की कार्यवाही की जा रही है।

(7) चोपन कोटा कोन मार्ग—यह कार्य स्वीकृत है। कार्य का विस्तृत आगणन बनाने के लिये सर्वेक्षण किया जा रहा है।

निम्नलिखित सड़कों के निर्माण के प्रस्ताव विचाराधीन हैं।

(1) चूनार से राजगढ़ का भाग।

(2) पुन्नूगंज बीसहारी जराडीह मार्ग।

स्वीकृत साहपुर, मीरपुर गोठानी पैसावा रोड (बुलन्दशहर) के निर्माण में प्रगति

8—श्री त्रिलोक चन्द्र—

क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बुलन्दशहर में वर्ष 1970-71 में साहपुर, मीरपुर गोठनी पैसावा रोड स्वीकृत हुई थी? यदि हां, तो उसमें कितनी प्रगति हुई है और काम कब तक समाप्त हो जायगा?

श्री लक्ष्मी शंकर यादव —

प्रश्न में वर्णित मार्ग पैसावा गोठनी जहांगीरपुर मार्ग के नाम से स्वीकृत हुआ है। मार्ग के लिये भूमि अध्याप्ति की कार्यवाही की जा रही है। उसके पूरा होने पर ही निर्माण कार्य प्रारम्भ होगा। मार्च, 1975 तक इस सड़क का निर्माण पूरा होने की आशा है।

अलीग जिले में सड़कों का निर्माण

9—श्री कल्याण सिंह—

क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री कृपया बतायेंगे कि क्या यह सच है कि जिला अलीगढ़ की नानऊ-छर्रा दादों साकुंरा रोड के अन्तर्गत दादों के साकुरा तक की जिला परिषदीय सड़क को सार्वजनिक निर्माण विभाग के अन्तर्गत ले लिया गया है? यदि हां, तो कब?

श्री लक्ष्मी शंकर यादव —

जी नहीं।

10—श्री कल्याण सिंह—

क्या मन्त्री जी यह बतायेंगे कि जिला अलीगढ़ के अन्तर्गत आधुनिकीकरण एवं नवनिर्माणार्थ स्वीकृत (क) अलीगढ़-अतरौली-रामघाट रोड, (ख) अतरौली पालीमुकीमपुर-हरदोई-आलमपुर-फतेहपुर रोड, (ग) छर्रा-बिजौली-पाली मुकीमपुर रोड, (घ) अतरौली-छर्रा कासगंज रोड, (ङ) नानऊ छर्रा-दादों साकुंरा रोड के निर्माण कार्य में किस-किस चरण की क्या-क्या कार्यवाही दिनांक 31 मार्च, 1972 तक पूर्ण की जा चुकी है तथा उक्त सड़क कब तक पक्की डामर रोड बनाकर तैयार कर दी जायगी?

श्री लक्ष्मी शंकर यादव —

सूचना सदन की मेज पर रखी है।

(देखिये नत्थी 'घ' आगे पृष्ठ 146 पर)

नारायणी नदी पर बने बांध तथा ठोकर इत्यादि का व्यय

11—श्री राम नगीना मिश्र —

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि नारायणी को बाढ़ से बचाने के लिये नारायणी पर बने बांध ठोकर इत्यादि पर गत 5 वर्ष से कितना धन सरकार का खर्च हुआ तथा भविष्य में कितना खर्च करने का अनुमान है ?

श्री महमूद अली खां —

गत 5 वर्षों में 2,98,31,916 रुपया खर्च हुआ है। भविष्य के सम्बन्ध में कुछ नहीं कहा जा सकता।

सोन नदी (मिर्जापुर) के पुल से प्राप्त टैक्स की मुक्ति

12—श्री सूबेदार प्रसाद—

क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि चोपन, जिला मिर्जापुर में सोन नदी पर बने पुल से प्रतिदिन कितना टैक्स सरकार प्राप्त करती है ? इस पुल को कर से मुक्त करने में और कितना समय लगेगा ?

श्री लक्ष्मी शंकर यादव— —

प्रश्नगत पुल से प्रतिदिन औसतन 733 रु० पथकर वसूल हो रहा है। इस पुल को पथ-कर से मुक्त करने में लगभग 4,5 वर्ष और लग जायेंगे।

झांसी जिले में सड़कों का निर्माण

13—श्री सुदामा प्रसाद गोस्वामी (जिला झांसी)—

क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि झांसी जिले में विभाग द्वारा सन् 1969-70, 1970-71 तथा 1971-72 में कौन-कौन सी तथा कितनी मील लम्बी नई सड़कें बनाने का निश्चय किया गया है ? उन पर कब काम प्रारम्भ हुआ तथा सड़कें कब तक बन जायेंगी ?

श्री लक्ष्मी शंकर यादव —

सूचना सदन की मेज पर रक्खी है।

(देखिये नत्थी 'ङ' आगे पृष्ठ 148 पर)

भवई मित्तूपुर (आजमगढ़) जलालपुर (फैजाबाद) की सड़क

14—श्री राम बचन यादव (जिला आजमगढ़) —

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि भवई से मित्तूपुर जिला आजमगढ़ होते हुये जलालपुर, जिला फैजाबाद को जाने वाली सड़क को क्या सार्वजनिक निर्माण विभाग ने ले लिया है ? यदि हां, तो इस पर निर्माण कार्य को कब तक प्रारम्भ कर दिया जायगा ?

श्री लक्ष्मी शंकर यादव —

जी नहीं।

सिंचाई विभाग के सहायक यांत्रिक अभियन्ताओं के पद पर नियुक्तियां एवं स्थायीकरण

15—श्री नौनिहाल सिंह (जिला मुरादाबाद) —

क्या सिंचाई मन्त्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि सिंचाई विभाग में यांत्रिक कार्यों से सम्बन्धित सहायक यांत्रिक अभियन्ताओं के कुल कितने पद हैं और उनमें से कितने पदों पर सहायक अभियन्ता (सिविल) कार्य कर रहे हैं ?

श्री महमूद अली खां —

कुल 401 पद हैं जिनमें से 43 पदों पर सहायक अभियन्ता (सिविल) कार्य कर रहे हैं।

16—श्री नौनिहाल सिंह—

वर्ष 1972-73 के प्रस्तुत बजट में जो 199 सहायक अभियन्ताओं के पदों को स्थायी करने की व्यवस्था की गई है उनमें से कितने पदों पर सहायक यांत्रिक अभियन्ताओं को स्थायी किया जायेगा ?

श्री महमूद अली खां —

यह मामला अभी शासन के विचाराधीन है।

17–18—श्री राम गोपाल सण्ड —

[निगम बन जाने के कारण निरस्त]

नये नलकूपों का आबंटन

19—श्री मोहम्मद असरार अहमद—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि वित्तीय वर्ष 1972-73 में प्रदेश में 900 नये ट्यूववेल्स बनाने का निर्णय लिया है ? यदि हां, तो जिलेवार उनकी सूची क्या है ? और किस आधार पर जिलों को आबंटित किया गया है ?

श्री महमूद अली खां —

अभी तक 587 नलकूपों का निर्माण स्वीकार किया गया है। इन नलकूपों की जिलेवार सूची अनुलग्नक-1 में ी हुई है। आबंटन के आधार की सूचना अनुलग्नक-2 में दी गई है।

(देखिये नत्थी 'च' आगे पृष्ठ 149 पर)

जमुना की कटाव से मुजफ्फरनगर जिले के ग्रामों को बचाने हेतु ठोकरें तथा टक्कर का निर्माण

20—श्री चन्द्र भान शर्मा—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि ग्राम भन्डावारा व रोमड़ा ब्लाक, कैराना जनपद मुजफ्फरनगर को आगामी जमुना की काट व बाढ़ से बचाने के लिये इन ग्रामों में दिनांक 30 जून, 1972 तक कितनी ठोकरें और टक्कर बनायी जानी थीं और कितनी पर कार्य आरम्भ हुआ है और यह कब तक बनकर तैयार हो जायेगी ?

श्री महमूद अली खां —

सूचना संलग्न है।

(देखिये नत्थी 'छ' आगे पृष्ठ 152 पर)

प्रश्नों के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न

श्री रामगोपाल सण्ड (जिला इलाहाबाद)--

मान्यवर, एक व्यवस्था का प्रश्न है। मेरे प्रश्न को मिलाकर जो 44 नम्बर पर था, तीन प्रश्न इस कारण निरस्त कर दिये गये कि परिवहन निगम बन गया है। चूंकि इनका सम्बन्ध श्री विभव से था जो ठीक से उत्तर नहीं दे पाते इसलिये यह लिख दिया गया कि उत्तर नहीं दिया जायेगा। मान्यवर, व्यवस्था इस बात की है कि हमारे तीन सवाल थे। कहा गया कि चूंकि रोडवेज निगम बन गया है, इसलिये जवाब नहीं दिया जायेगा।

श्री अध्यक्ष--

यह आप मेरे दफ्तर में पूछ सकते हैं।

श्री नित्यानन्द स्वामी (जिला देहरादून)--

मान्यवर, इसप्रश्न को हल कर दें कि जैसे विद्युत् परिषद् है, उसी तरह से क्या निगम के बारे में प्रश्न नहीं कर सकते ?

श्री अध्यक्ष--

ये ऐसी बातें हैं कि जिसे मेरे कमरे में आकर पूछ सकते हैं। कार्यक्रम के बीच में विघ्न न पैदा करें। जो प्रश्न पहले सामने आये, उनको ले लिया।

श्री नित्यानन्द स्वामी --

मान्यवर, व्यवस्था का प्रश्न कब उठाया जा सकता है ? एक काम से पहले उठ सकता है और दूसरा काम के बाद।

श्री अध्यक्ष --

आप इर्रेलीवेंट प्रश्न नहीं कर सकते हैं।

श्री रामगोपाल सण्ड--

मान्यवर, यह इर्रेलीवेंट नहीं, 36 हजार कर्मचारियों का प्रश्न है।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी (जिला बस्ती)--

मान्यवर, आपने कहा कि जब प्रश्न सामने आये तभी पूछ सकते हैं। मान्यवर, इस पर व्यवस्था दें।

श्री अध्यक्ष --

मैंने कह तो दिया कि कमरे में जो कुछ है, देखूंगा।

श्री नित्यानन्द स्वामी --

मान्यवर, यह कमरे का सवाल नहीं है। बड़ा महत्वपूर्ण विषय है।

श्री अध्यक्ष --

मैंने डिसीजन दे दिया। यह मेरे कमरे में पूछने लायक है।

श्री रामगोपाल सण्ड--

मान्यवर, आप हमारे हितों की रक्षा नहीं कर रहे हैं।

श्री अध्यक्ष --

यह नहीं हो सकता। इसी तरह से सब सवाल पूछना शुरू कर देंगे।

विनियोग लेखे 1968-69 एवं लेखा परीक्षा प्रतिवेदन 1970 आधारित लोक लेखा समिति का प्रतिवेदन†

श्री मेहरबान सिंह (जिला गढ़वाल)–

मान्यवर, मैं 1968-69 के विनियोग लेखे तथा 1970 की लेखा परीक्षा रिपोर्ट पर लोक लेखा समिति का प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं।

उत्तर प्रदेश सरकार के वर्ष 1968-69 के विनियोग लेखे तथा 1970 के लेखा परीक्षा रिपोर्ट नियन्त्रक महा लेखा परीक्षक द्वारा 5 मई, 1971 को राज्यपाल को प्रस्तुत किये गये और विधान मण्डल के सदनों के पटल पर 21 जुलाई, 1971 को रखे गये।

वर्तमान समिति का गठन 21 सितम्बर, 1971 को हुआ था। समिति ने उक्त प्रतिवेदन पर अपनी 4, 5, 6, 8, 15, 16-17, 18 तथा 24 नवम्बर, 7, 8, 14, 15, 20 21, 22 तथा 23 दिसम्बर, 1971, 3, 4, 6, 13, 14, 15 तथा 16 मार्च, 1972 की बैठकों में विचार किया तथा शासन के वरिष्ठ अधिकारियों का साक्ष्य भी लिया।

समिति ने अपनी 10 व 11 जुलाई 1972 की बैठकों में प्रतिवेदन के प्रारूप को स्वीकार किया।

प्रतिवेदन के मुख्य निष्कर्षों तथा संस्तुतियों को रेखांकित कर दिया गया है उनका सारांश भाग 2 में दिया गया है। समिति की बैठकों की कार्यवाहियों का सविस्तार अभिलेख भी अलग से रखा गया है।

समिति को दुख है कि इस वर्ष भी शासन के कतिपय विभागों से विशेषतयः सार्वजनिक निर्माण विभाग, सिंचाई विभाग, विद्युत विभाग, कृषि विभाग, शिक्षा विभाग से लेखा परीक्षा की आपत्तियों पर स्पष्टीकरण बहुत विलम्ब से प्राप्त हुये हैं।

शासन के सभी विभागों के पहले दिनाँक 20 जुलाई, 1971 तक व्याख्यात्मक टिप्पणियाँ माँगी गयी थीं। उसके बाद दिनाँक 19 अगस्त, 1971, 25 सितम्बर, 1971 तथा दिनाँक 23 अक्तूबर, 1971 तक टिप्पणियाँ भेजने के लिये समय दिया गया। समिति के समक्ष विभागीय अधिकारी भी इस विलम्ब का संतोषजनक समाधान नहीं कर सके। समिति ने अनुभव किया कि शासन के अधिकतर विभागों से व्याख्यात्मक टिप्पणियाँ असाधारण विलम्ब से समिति को प्रस्तुत की गयीं। कुछ विभागों की मदों पर विचार करने के दिनाँक से केवल एक अथवा दो दिन पूर्व ही टिप्पणियाँ प्राप्त हुईं। समिति इस स्थिति को अनुचित समझती है और आशा करती है कि भविष्य में समय से टिप्पणी प्रस्तुत की जाया करेगी। व्याख्यात्मक टिप्पणियाँ निर्धारित समय के भीतर प्रस्तुत करने के सम्बन्ध में समिति अपने पिछले प्रतिवेदन में संस्तुति कर चुकी है। टिप्पणियाँ निर्धारित समय से प्राप्त न होने के कारण समिति के सदस्य उनका समुचित अध्ययन नहीं कर पाते और महालेखाकार से भी पूर्व परामर्श करके सूचनायें प्राप्त करना सम्भव नहीं हो पाता। समिति पुनः इस ओर शासन का ध्यान आकृष्ट करती है और अपेक्षा करती है कि प्रशासकीय विभाग निर्धारित समय के भीतर टिप्पणियाँ भेजने में तत्परता बरतेंगे।

---

†छापा नहीं गया।

[श्री मेहरबान सिंह]

स्पष्ट आदेश होते हुये भी लोक लेखा समिति के समक्ष साक्ष्य के समय उपस्थित होने पर कतिपय विभागीय अधिकारीगण सम्बन्धित सभी पत्रावलियों को, जिनमें अधीनस्थ कार्यालयों के भल अभिलेख सम्मिलित हों और साथ ही उस पत्रावली को जिनमें इसके पूर्व महालेखाकार से प्राप्त किये गये पैरा का उल्लेख भी किया गया हो, भली-भांति अध्ययन करके नहीं आते तथा सम्बन्धित पत्रावलियां भी नहीं लाते जिसके फलस्वरूप समिति के समक्ष संतोषजनक उत्तर देने में असमर्थ रहते हैं समिति आशा करती है। कि भविष्य में इसकी पुनरावृत्ति नहीं होगी और विभागीय अधिकारीगण पूर्णरूप से तैयार होकर समिति के समक्ष उपस्थित होंगे।

इस प्रतिवेदन को प्रस्तुत करते हुये मैं समिति की ओर से इस चिन्ता को भी व्यक्त करना चाहता हूं कि यद्यपि प्रशासनिक विभाग समिति की संस्तुतियों को प्रतिवर्ष पथ-प्रदर्शन हेतु नोट तो कर लेते हैं किन्तु उनके कार्यान्वयन के लिये सक्रिय प्रयास नहीं करते हैं जिसके फलस्वरूप बारम्बार तत्सम आपत्तियों की पुनरावृत्ति लेखा परीक्षा रिपोर्ट में होती है। समिति इस स्थिति से अत्यन्त असन्तुष्ट है और सरकार से आग्रह करती है कि समिति के महत्व को ध्यान में रखते हुये उसकी संस्तुतियों के कार्यान्वयन के प्रति सक्रिय कार्यवाही की जानी चाहिये ।

लेखा परीक्षा रिपोर्ट के पैरा 66 में उल्लिखित बस्ती नगर में सड़क के निर्माण में बरती गयी अनियमितताओं से सम्बन्धित विभाग द्वारा जो स्पष्टीकरण प्रस्तुत किया गया उससे समिति को संतोष नहीं हुआ। इस विषय पर समिति ने पूर्णरूप से जांच करने हेतु एक उप समिति का गठन किया। श्री मैनेजर सिंह इस उप-समिति के संयोजक थे। उप समिति द्वारा तैयार की गयी एक प्रश्नावली में पूछे गये प्रश्नों का उत्तर भी विभाग ने संतोषजनक नहीं दिया। अतएव उप-समिति ने 20 तथा 21 जून, 1972 को स्वयं बस्ती में सड़कों का निरीक्षण किया और बस्ती तथा गोरखपुर में सम्बन्धित अधिकारियों का साक्ष्य लिया। बस्ती में बनी सड़कों की दशा को देखकर उप-समिति को घोर निराशा हुई । ये सड़कें व्याप्त भ्रष्टाचार का नमूना हैं। इन सड़कों को बनाने में बड़ी गिट्टी काम में लायी गई थी तथा मिलावटी सीमेन्ट का प्रयोग किया गया था। केवल एक अधिदर्शक पर इस सम्बन्ध में अभियोग चलाया गया, किन्तु वे न्यायालय से मुक्त कर दिये गये। समिति का निश्चित मत है कि इस मामले में उच्चाधिकारीगण विशेष कर अधिशासी अभियन्ता तथा सहायक अभियन्ता जिम्मेदार हैं। इस सम्बन्ध में लापरवाही और शिथिलता बरती गयी है। पूर्ण विवरण रिपोर्ट में अंकित है। इस मामले की विस्तृत एवं पूर्ण जाँच पुन : होना आवश्यक है।

समिति श्री विशन चन्द, महालेखाकार तथा श्री पी० सी० जैन, विशेष सचिव, वित्त विभाग के प्रति विशेष आभार प्रकट करती है कि उन्होंने उक्त लेखे की जाँच में समिति की सहायता की।

लोक लेखा समिति विधान सभा के अधिकारियों तथा समिति के कर्मचारियों के प्रति भी उनके परिश्रम के लिये धन्यवाद प्रकट करती है।

श्री अध्यक्ष—

अब आप दूसरा भी प्रतिवेदन पढ़ दें।

नवीन सेवा पर अप्राधिकृत व्यय से संबंधित लोक लेखा समिति का तृतीय प्रतिवेदन†

श्री मेहरबान सिंह (जिला गढ़वाल)--

मान्यवर, मैं नवीन सेवाओं पर अप्राधिकृत व्यय के सम्बन्ध में लोक लेखा समिति का तृतीय प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं।

नवीन सेवाओं पर अप्राधिकृत व्यय राजस्व, सीमान्त विकास तथा सिंचाई विभागों से सम्बन्धित है।

इन मदों पर लोक लेखा समिति ने अपनी दिनाँक 22 अक्तूबर, 1971, 8 नवम्बर, 1971, 6 मार्च, 1972 तथा 11 जुलाई, 1972 की बैठकों में विचार किया और सम्बन्धित प्रशासकीय विभागों के अधिकारियों का भी साक्ष्य लिया।

समिति ने अपनी 18 जुलाई, 1972 की बैठक में प्रतिवेदन को स्वीकार किया।

यद्यपि समिति ने इस प्रतिवेदन में उल्लिखित अप्राधिकृत व्यय की सभी मदों को नियमित कर लेने की संस्तुति की है तथापि समिति इस प्रकार की प्रवृत्ति को अत्यन्त दोषपूर्ण समझती है। समिति के मत में यदि भविष्य में इस पर रोक न लगाई गई तो और अनियमितता उत्पन्न हो जायगी। केवल आपातकालीन परिस्थितियों में ही इस प्रकार का व्यय किया जाना चाहिये वह भी, जहाँ तक सम्भव हो, आकस्मिक निधि से नियमानुसार किया जाना चाहिये।

लोक लेखा समिति के कर्मचारियों द्वारा समिति के कार्यों में बरती गई कार्य-तत्परता के लिये समिति अपना संतोष व्यक्त करती है।

भूमि बन्दोबस्त के विषय में मुख्य मंत्री के विरुद्ध विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न की सूचना

श्री अध्यक्ष--

अब विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्नों में पहला श्री विश्वनाथ कपूर और श्री रामविलास पाण्डेय का है। मुख्य मन्त्री जी ने अपना यह निर्णय जाहिर किया कि 1901 में भूमि बन्दोवस्त किया गया था और अब फिर से भूमि का बन्दोवस्त होगा। 70 वर्ष हो चुके हैं। यह कोई नई नीति सम्बन्धी प्रश्न नहीं है। यह तो उनका साधारण एक्जीक्यूटिव वर्क है और इसका नीति से कोई सम्बन्ध नहीं है क्योंकि उन्होंने कोई नई नीति उपस्थित नहीं की है। अगर नई नीति भी होती तब भी विशेषाधिकार का प्रश्न नहीं उठता था। यह तो एक कर्टसी का प्रश्न है। यह बात जरूर है कि जब सदन चल रहा हो या चलने वाला हो तो मुख्य मन्त्री जी को इस प्रकार का वक्तव्य सदन में ही पहिले देना चाहिये और उसमें कोई अनुचित बात नहीं होती बल्कि यह अच्छी ही बात होती।

श्री नित्यानन्द स्वामी (जिला देहरादून) --

मान्यवर, यह कर्टसी आप किसको सिखला रहे हैं ?

---

†छापा नहीं गया।

श्री अध्यक्ष--

विशेषाधिकार की अवहेलना का इसमें प्रश्न नहीं है।

श्री विश्वनाथ कपूर (जिला फैजाबाद)--

मान्यवर, मुख्य मन्त्री जी ने घोषणा की है और वह लगान भी बढ़ा देना चाहते हैं। मान्यवर, कल भी सदन था और आज भी है। वे कल ही सदन में घोषणा कर सकते थे। इस प्रकार की घोषणा हाउस में ही होना चाहिये, इसमें कोई दो राय नहीं हो सकतीं। यह निवेदन है कि हम लोगों को आपका संरक्षण मिलना चाहिये।

श्री अध्यक्ष--

इसके लिये तो मैंने कह दिया।

वित्त मन्त्री (श्री नारायण दत्त तिवारी)--

मान्यवर, बन्दोबस्त के बारे में पहले ही घोषणा हो चुकी है और इसके लिये बजट में भी प्राविधान किया गया है। उसमें इसका संकेत भी है।

श्री विश्वनाथ कपूर--

बजट में यह नहीं दिया है कि लगान बढ़ाया जायगा।

श्री अध्यक्ष--

विशेषाधिकार की अवहेलना में तो नहीं आता है।

श्री बलवीर सिंह (जिला मेरठ)--

मान्यवर, मैं कहना चाहता हूं कि आपने तो यह रूलिंग दी है कि नीति का प्रश्न नहीं है। अभी वित्त मन्त्री जी ने इसको स्वीकार किया है कि यह एक नीति का प्रश्न है। मान्यवर, इसमें लगान को बढ़ाने की बात है और डेफनिटली यह नीति का प्रश्न बन जाता है। जब यह नीति का प्रश्न है तो यह एटीकेट के खिलाफ है कि यह विशेषाधिकार की अवहेलना का प्रश्न न हो। उनके हिसाब से भी यह एटीकेट का प्रश्न है और इसकी घोषणा निश्चित रूप से सदन में ही होनी चाहिये।

श्री अध्यक्ष--

यह नीति का प्रश्न नहीं है, यह एक्जीक्यूटिव आर्डर्स से हो सकता था। अब सवाल यह है कि उन्होंने एक चीज और बता दी कि यह नयी घोषणा नहीं है और वह घोषणा कर चुके हैं बजट के समय; इससे नीति का प्रश्न बन जाता, हो यह बात नहीं है। यह तो मेरा निर्णय है अब उसके ऊपर उन्होंने कोई सूचना मुझे दी, सदन को सूचना दी कि यह पहले घोषणा कर चुके हैं और यह पहले निश्चय किया गया था। उससे निर्णय से कोई सम्बन्ध नहीं है।

सदन के परिसर में पुलिस द्वारा तथा कथित अत्याचार के बारे में अधिकारियों के विरुद्ध विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न की सूचना

श्री अध्यक्ष--

अब एक दूसरा प्रश्न विशेषाधिकार का माननीय माधव प्रसाद जी ने उपस्थित किया है।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी (जिला बस्ती)—

डी० एम०, डी० एस० पी०, लखनऊ ने बड़ी-बड़ी भद्दी गालियां दीं, श्रीमन् ....

श्री अध्यक्ष —

आज मैं इसका फैसला नहीं देता हूं चूंकि मैं इन्क्वायरी करने वाला हूं। चूंकि मेरे पास अचानक यानी जब मैं आया उस दिन शाम को तो इस हिसाब से आया था कि कुछ झगड़े इस सदन में चल रहे थे लेकिन यहां जब आया तो देखा कि सदन खत्म हो चुका है। जैसे ही मैं ऊपर आया तो मैंने देखा कि कुछ नारे लग रहे हैं और "काला कानून वापस लो" इस तरह के नारे जनसंघी लोग लगा रहे होंगे और मैं अपने कमरे में गया। वहां गया तो जैसे सी० पी० एन० सिंह साहब यहां बैठे हैं तो इस शक्ल के कोई आदमी मेरे कमरे में घुसे, उनसे जरा कुछ मोटे थे, तो मैं समझा कि वे शायद अपने कांग्रेस के मेम्बरों में से हैं। वे कहने लगे देखिये अब बहुत ज्यादती हो रही है, ये लोग घुसे जा रहे हैं मुख्य मन्त्री जी के कमरे में, तो अब हम बरदाश्त नहीं कर सकते।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी—

उन्होंने अपने को डी० एम०, लखनऊ हूं ऐसा तो आपको नहीं बताया।

श्री अध्यक्ष—

मैं तो यही समझा कि कोई कांग्रेसी होंगे या उनके साथी होंगे। तो उन्होंने कहा कि देखिये ऐसा हो रहा है। मैंने उनसे कहा कि आप अगर यह करेंगे तो झगड़ा हो जायगा। तो वह कहने लगे कि ऐसी बात तो नहीं है कि झगड़ा होवे। मैंने कहा हां कोई झगड़ा न हो कोई मारपीट न पैदा होवे। तब वह कहने लगे कि नहीं हम वाल (दीवाल) बनाकर उनको निकाल ले जावेंगे, एक ऐसा वाल अपने आदमियों का बनावेंगे और घेर कर ले जावेंगे हम यह समझें कि वाल बनाने में चूंकि उनका बहुमत है और यह जनसंघ वाले बहुत थोड़े हैं, अगर यह लोग एक वाल अपना बनाकर इनको घेर लें और लें जावें तो कोई हर्ज नहीं है कि घकेल कर ले जावें तो मैंने उनसे कह दिया कि इस तरह कोई हर्ज नहीं है लेकिन मार-पीट नहीं होनी चाहिये। जब वह चले गये तो किसी ने मुझे बताया कि वह डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट, लखनऊ थे।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी—

श्रीमन्, यह उनकी तमीज थी कि उन्होंने आपको नहीं बताया कि मैं डी० एम०, लखनऊ हूं और आपको धोखा दिया।

श्री अध्यक्ष—

अब वह जो कुछ हो उनके बारे में तो आप बहुत कुछ कह चुके हैं। उनको कहना चाहिये था कि मैं डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट, लखनऊ हूं और आपकी परमिशन चाहता हूं चूंकि यह बात इस सदन के परिसर में हो रही है इसलिये आपकी इजाजत चाहिये, यह उनको कहना चाहिये था। उन्होंने अपने को इन्ट्रोड्यूस नहीं किया वह तो अनुचित बात थी ही क्योंकि मैंने तो यही समझा कि भाई कोई तगड़े आदमी होंगे तो वह कांग्रेस वाले हैं और नाराज हो रहे हैं क्योंकि जनसंघ वाले नारे लगा रहे हैं तो वह धकेलकर ले जावेंगे, मैं सिर्फ यही समझा था और इसीलिये मैंने परमिशन कांग्रेस वालों को दी थी, मैंने डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट समझ कर नहीं दी थी।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी--

यानी आपने काँग्रेस वालों को इजाजत दे दी कि वे फोर्स इस्तेमाल करें।

श्री अध्यक्ष--

नहीं मैंने यह समझा कि वह ढाई तीन सौ आदमी हैं और आप चालीस आदमी होंगे और वह आपको धकेल कर ले जा सकेंगे। मारपीट की बिलकुल इजाजत नहीं थी।

कुंवर चन्द्र प्रताप नारायण सिंह (जिला देवरिया) --

श्रीमन्, आपने कहा कि मेरे जैसे तगड़े आदमी थे तो क्या मैं इस काम को करता हूं।

श्री अध्यक्ष--

वह तो मैंने आपकी तारीफ की है कि आप तगड़े आदमी हैं, और वह आपसे भी तगड़े थे। मैंने यह समझा कि काँग्रेस का ही आदमी जरूर है। तो मैं इसकी इन्क्वायरी करूंगा क्योंकि वायदा तो उन्होंने यही किया था कि हम वाल बना कर धकेल देंगे। मैंने यह समझा था कि वाल बना कर अगर धकेलेंगे तो घूंसा वही खायेगा क्योंकि जो वाल बनाकर धकेलेगा उसको घूंसा खाना पड़ता है। मैंने सोचा कि काँग्रेस वाले वाल बना कर धकेलेंगे तो यह एक नयी बात होगी। उन्होंने यह नहीं कहा कि मैं डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट हूं। यह गलती की। तो मैं इसकी छानबीन करूंगा क्योंकि आपने आक्षेप किया है और डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट से भी पूंछ लूंगा उसके बाद फैसला दूंगा।

श्री राजमंगल पांडेय (जिला देवरिया)--

एक व्यवस्था का प्रश्न है कि माधव बाबू ने जो प्रिविलेज मोशन उठाया तो वह अपने को डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट बतायें या न बतायें, यह तो अलग चीज है लेकिन सब से बड़ा प्रश्न यह है कि आपकी परमीशन थी। जब तक यह चीज न तय हो जाय कि किस ने फोर्स इस्तेमाल किया तब तक तो इसका कोई प्रश्न ही नहीं उठता। और उनके ऊपर है कि साबित करें कि फोर्स इस्तेमाल किया गया।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी--

यह तो मैंने लिखा ही है कि उन्होंने जूता इस्तेमाल किया, डंडा इस्तेमाल किया। दूसरे उन्होंने धोखा दिया स्पीकर को। यह नहीं बताया कि हम जिलाधीश हैं। यह कोई मामूली बात है ?

श्री अध्यक्ष--

मैंने पढ़ कर नहीं सुनाया। उन्होंने कहा कि फोर्स यूज किया। मैंने इतना ही फोर्स एलाउ किया था कि वाल बनाकर धकेल दीजिये। यह नहीं कि लाठी, डंडा मारें। इसकी इन्क्वायरी करूंगा।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी--

इसका भी ध्यान रखें कि डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट ने, जो इतनी बड़ी अथारिटी है, आपको अपना परिचय नहीं दिया। ऐसा कहने में उनको क्या शर्म थी ? या वहाँ भी अकड़न थी कि हम डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट हो कर आपके सामने कैसे खड़े हो सकते हैं।

श्री अध्यक्ष---

शायद वह समझते होंगे कि मैं उनको पहचानता हूं लेकिन मैंने पहचाना नहीं।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी---

यह कोई जरूरी नहीं है कि आप सब को पहचाने।

श्री मोहम्मद असरार अहमद (जिला बदायूं) ---

अगर सरकारी पक्ष कर्टिसी न करे तो हमें डिसकर्टिसी करने की छूट है ?

चेरुइयां गांव (बलिया) में गंगा नदी से कटान होने के सम्बन्ध में वक्तव्य

सिंचाई राज्य मन्त्री (श्री राज बिहारी सिंह)---

बलिया लिफ्ट कैनाल के हेड के पास ग्राम बरुअखेत के निकट गंगा की धारा एकाएक दक्षिण से उत्तर आकर उत्तर से पूर्व की ओर घूम जाती है। इसी स्थान पर गंगा की एक उपधारा निकलती है जिसमें गंगा का जल स्तर ऊंचा होने पर जल प्रवाह होता है। गंगा की यह नयी धारा ग्राम कोट, आजीरपुर, इन्दरपुर, भगवानपुर से होती हुई फिर गंगा की मुख्य धारा में मिल जाती है। गंगा की इस धारा में मगही नदी भी ग्राम इन्दरपुर से पहले ही मिल जाती है। ग्राम इन्दरपुर के नजदीक गंगा की यह बड़ी धारा कटान करके टोंस नदी तक बढ़ रही है। इन्दरपुर ग्राम के दक्षिण पश्चिम में इस समय दोनों नदियों के बीच लगभग १०० फिट की चौड़ाई की जमीन ही शेष रह गई है। यदि इस वर्ष भी बाढ़ का प्रकोप गंगा में रहा तो यह सम्भव हो सकता है कि गंगा की कटान से १०० फिट का बचा हुआ भाग कट जाय और गंगा की यह धारा टोंस नदी में मिल जाय। गंगा की यह उपधारा काफी बड़ी है और कटान की प्रवृत्ति किसी साधारण बाढ़ निरोधक उपायों से नहीं रोकी जा सकती है। वैसे प्रारम्भिक जाँच से ज्ञात होता है कि उस पर जो कोई भी बाढ़ सुरक्षा कार्य किया जायेगा उसकी लागत कई करोड़ तक पहुंच सकती है जिसका की सही अनुमान सर्वे तथा जाँच के बाद ही हो सकेगा और यह कार्य दो तीन वर्षों में पूरा हो सकेगा। जहाँ से यह कटान प्रारम्भ होती है इन स्थानों का निरीक्षण अतिरिक्त मुख्य अभियंता (बाढ़) ने श्री चन्द्रिका प्रसाद जी संसद सदस्य के साथ १९ तथा २० जून को किया था। लगभग ८ मील की लम्बाई में सर्वे का कार्य आरम्भ कर दिया गया है जिसके, बाढ़ के बाद, नवम्बर तक पूरा होने की आशा है। सर्वे करने के पश्चात् रूड़की अनुसन्धान शाला में माडल के ऊपर इसकी तकनीकी जाँच की जावेगी तभी यह निर्णय सम्भव हो कि इस कटान के रोकने के लिये या गंगा नदी की धारा को बदलने के लिये किस प्रकार के बाढ़ सुरक्षा कार्य किये जायें।

श्री शम्भू नाथ चौधरी, (जिला बलिया) ---

गंगा नदी और टोंस नदी के मिल जाने से बीच के जो गाँव होंगे, उनकी सुरक्षा के लिये आप क्या उपाय कर रहे हैं ?

श्री राज बिहारी सिंह---

खतरे से उन गाँव वालों को अवगत करा दिया गया है, और उपाय हो ही क्या सकता है ?

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी (जिला बस्ती)---

उनके बसने आदि का और उनको मकान बनाने के लिये कुछ पैसा आदि भी देने का प्रबन्ध आप करेंगे या खाली खतरे की सूचना ही देंगे ?

श्री राज बिहारी सिंह—

यदि गाँव वाले अपना गाँव छोड़ने के लिये तैयार होंगे और अलग कहीं बसना चाहेंगे तो उस प्रश्न पर भी विचार किया जायेगा। मगर अभी तक किसी ने इसके लिये माँग नहीं की है।

श्री कल्पनाथ सिंह (जिला गोरखपुर)—

श्री चन्द्रिका प्रसाद, एम० पी०, जिन्होंने मुख्य अभियन्ता के साथ बाढ़ क्षेत्र का निरीक्षण किया था तो क्या उन्होंने केन्द्र से इस सम्बन्ध में कुछ लिखा-पढ़ी की है और क्या केन्द्र ने कुछ सहायता देने का वचन दिया है ?

श्री राजबिहारी सिंह—

इसकी जानकारी मुझे नहीं है कि चन्द्रिका प्रसाद जी ने कोई निरीक्षण किया। इसके लिये तो प्रदेश की सरकार ने ही एडीशनल चीफ इन्जीनियर को लिखा था।

श्री शम्भूनाथ चौधरी—

जिस स्थान पर कटान है और आवागमन के कोई साधन भी नहीं हैं तो क्या माननीय मन्त्री जी उस स्थान पर कोई सड़क जिससे आवागमन हो सके बनायेंगे?

श्री राजबिहारी सिंह—

यह सुझाव अव्यवहारिक है क्योंकि जहाँ कटान है वहा सड़क कैसे बन सकती है।

श्री त्रिलोक चन्द (जिला बुलन्दशहर)—

टोंस और गंगा पर जो बाँध बनाने का विचार है तो जो गांव इसकी लपेट में आयेंगे उनको क्या कहीं और बसाने का विचार सरकार का है?

श्री राजबिहारी सिंह—

यह योजना भी अभी विचाराधीन है ।

श्री शम्भूनाथ चौधरी—

मैंने यह पूछा था जहाँ कटान हुआ है वह ३ मील का एरिया ऐसा है जहाँ आवागमन का कोई साधन नहीं है और कोई सामान आदि आ जा नहीं सकता है तो क्या वहाँ आवागमन की दृष्टि से कोई सड़क बनायेंगे ?

श्री राजबिहारी सिंह—

सड़क बनाने का काम सार्वजनिक विभाग का है। अगर जरूरत समझी गयी तो उस विभाग को लिखेंगे।

श्री शीतला प्रसाद सिंह (जिला गोण्डा)—

क्या मन्त्री जी बतायेंगे कि जो गाँव प्रति वर्ष बाढ़ के कारण टूट जाते हैं, यदि वे दूसरी जगह बसना चाहते हैं तो क्या सरकार उनकी सहायता करेगी ?

श्री राजबिहारी सिंह—

यह दूसरा सवाल है। जो गाँव टूट गये हैं और दूसरी जगह बसना चाहते हैं तो उसको तो देखना पड़ेगा। इससे यह सम्बन्धित नहीं है। कटान वाले गाँव की यह बात है. डूबने वाले गाँवों की बात नहीं है।

श्री शीतला प्रसाद सिंह---

मन्त्री जी ने कहा है ऐसे गांव के लोग प्रार्थना-करेंगे तो विचार किया जायगा। यह उसी से सम्बन्धित है। मेरे यहां भी ऐसे कई गांव हैं।

श्री अध्यक्ष---

क्या आपका भी बलिया जिले की गंगा के बारे में है ?

श्री शीतला प्रसाद सिंह---

जी नहीं, घाघरा के बारे में है।

श्री जगरनाथ (जिला बलिया) ---

जैसा कि मन्त्री जी ने कहा कि गंगा कटते-कटते टोंस नदी में मिल जायगी और जो गाँव कट जायेंगे उनके सुरक्षा की व्यवस्था नहीं है। तो जब माननीय मन्त्री जी को इसकी जानकारी है कि अमुक-अमुक गाँव खतरे में पड़ेंगे, तो क्या यह सरकार की जिम्मेदारी नहीं है कि उनकी रक्षा के लिये तत्काल व्यवस्था करे ? और क्या यह सही है कि गंगा के कटान से कुछ गाँव बिलकुल टापू बन जायेंगे, उनकी सुरक्षा के बारे में भी सरकार क्या विचार कर रही है ?

श्री राजबिहारी सिंह---

मान्यवर, जैसे मैंने निवेदन किया तत्काल कटान सुरक्षा करने की कोई व्यवस्था नहीं है, इसमें करोड़ों रुपये खर्च होंगे और सिर्फ थोड़े लोगों को बचाया जा सकता है। यह विचाराधीन है कि दूसरी जगह अगर बसना चाहें तो बसाया जाय।

गोविन्दपुर (मुरादाबाद) में हरिजनों पर हमला होने के सम्बन्ध में वक्तव्य

गृह राज्य मन्त्री (श्री गोस्वामी राधाकृष्ण)---

प्राप्त सूचना के अनुसार जिला मुरादाबाद के थाना सम्भल में दिनाँक १६ जुलाई, १९७२ को दिन में लगभग १० बजे यह सूचना मिली कि उसी दिन ८ बजे प्रातः बहुत से व्यक्तियों ने बल्लम, लाठियाँ, बन्दूकों, तबलों से सुसज्जित होकर गोपी, चेतराम, मोहर सिंह, गरीबा, जी सुख, झण्डू, सुक्खा, खचेड़ा, अकबाम जाटव निवासी ग्राम गोविन्दपुर, थाना हयातनगर, जिला मुरादाबाद जो खेत पर मौजूद थे और ट्रैक्टर से खेत की जुताई करवा रहे थे, पर हमला किया और इनमें से पाँच व्यक्तियों को चोटें पहुंचाई। जी सुख, झण्डू, खचेड़ा खेत से भाग गये थे। फिर अपराधीगण ने घरों में घुसकर श्री रामस्वरूप, झण्डू और श्यामलाल को भी लाठी तबल आदि से मारा पीटा। इस घटना में किसी की मत्यु की सूचना नहीं मिली। कुल आठ व्यक्ति घायल हुये हैं।

(इस समय १२ बजकर ३३ मिनट पर उपाध्यक्ष, श्री वासुदेव पीठासीन हुये)

गोधी की लिखित सूचना पर उसी दिन एक मुकदमा थाना सम्भल पर धारा १४७/१४८/१४९/४५२/३२३/३२४/३०७ भा० दं० वि० के अन्तर्गत अंकित हुआ। घटना थाना हयातनगर, जिला मुरादाबाद से सम्बन्धित होने के कारण उपरोक्त मुकदमा उस थाने पर अभियोग नम्बर १७४, धारा १४७/१४८/१४९/४५२/३२४/३२३/३०७ भा० द० वि० के अन्तर्गत उसी दिन कायम हुआ। २१ अपराधीगण दिनाँक १६ जुलाई, १९७२ को गिरफ्तार किये गये। शेष अपराधीगणों की खोज जारी है। अन्वेषणा जारी है।

[श्री गोस्वामी राधाकृष्ण]

यह घटना केवल ज़मीन के कब्जे के सिलसिले में घटी है । कोई सम्प्रदायिकता का झगड़ा नहीं है। घटनास्थल का निरीक्षण अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, क्षेत्राधिकारी तथा परगनाधीश कर चुके हैं।

यह झगड़ा ग्राम समाज गोविन्दपुर की 26 बीघा जमीन के बारे में बताया जाताहै जो गोधी, नन्हें श्रीराम, खचेड़ा, भगवंत, जीसुख, मोहर सिंह, चेतराम, धन्नू, शिवचरन तथा रामस्वरूप को ग्राम समाज ने दी थी और जिसको उपरोक्त व्यक्ति दो वर्ष से जोतते-बोते चले आ रहे थे। प्राप्त सूचना के अनुसार कमालुद्दीन, प्रधान ग्राम समाज ने इस २६ बीघा जमीन पर एक व्यक्ति, शराफत निवासी ग्राम राया, थाना असमोली को दावेदार बनाकर ग्राम समाज पर दावा करा दिया। उक्त शराफत उन 21 अपराधीगण में शामिल हैं जो गिरफ्तार करके जेल भेजे जा चुके हैं।

श्री सुरेन्द्र विक्रम (जिला शाहजहांपुर)—

क्या माननीय मन्त्री जी को यह जानकारी है कि 16 तारीख की यह घटना है और उसके बाद उन लोगों की एक गुप्त मीटिंग हुई, जिसमें यह तय किया गया कि इस तरह से हरिजनों को मारा जाय ? क्या इसकी जानकारी उन्हें पुलिस अधीक्षक ने भेजी है ?

श्री गोस्वामी राधाकृष्ण—

19 तारीख को माननीय सदस्य ने वक्तव्य की मांग की है। उसके आधार पर सूचना उपलब्ध करके सूचना उपलब्ध की जा रही है।

श्री नित्यानन्द स्वामी (जिला देहरादून)—

क्या माननीय मन्त्री ने इस बात की जांच करायी है कि यह 26 बीघे भूमिखंड के लिये झगड़ा है, क्या सरकार ने यह कार्यवाही की, कि दफा 145 में इस जमीन को कुर्क करके सही दावेदार को कायम कराया जाय ?

श्री गोस्वामी राधाकृष्ण—

प्राप्त सूचना के आधार पर यह दावेदार जो शराफत है लोअर कोर्ट ने इसके फेवर में फैसला किया है। प्रतिवादियों ने स्टे लिया और उसे जोतने गये। उसी में आपस में संघर्ष हुआ। 145 की स्थिति उस समय तक नहीं थी क्योंकि दोनों के पास कोर्ट के आदेश थे।

श्री रियासत हुसैन (जिला मुरादाबाद)—

क्या माननीय मन्त्री जी के पास कोई सूचना जबानी या तहरीरी इस बात की मिली है कि 16 तारीख की रात को जो एक्यूज्ड गिरफ्तार हुये और जो भाग गये, उनके घरों में घुस कर औरतों के जेवर वगैरह लगभग २० हजार के छीने हैं ? यदि हां, तो कोई कार्यवाही या जांच करायेंगे ?

श्री गोस्वामी राधाकृष्ण—

जिनको गिरफ्तार किया गया है उनकी ओर से किसी शिकायत की सूचना अभी शासन को नहीं मिली है। मिलेगी तो उस पर कार्यवाही की जायगी।

श्री राम गोपाल संड (जिला इलाहाबाद)—

मन्त्री जी ने बताया कि हरिजन परिवार को जमींदार या जबरदस्त व्यक्तियों ने मारा पीटा, प्रदेश की नीति कई बार सरकार ने घोषित की है कि पिछड़े वर्ग वालों और हरिजनों को जमीन पर बसाया जायगा, उस नीति को ध्यान में रखते हुए भविष्य में प्रबन्ध करेंगे कि ऐसे झगड़े न हों ?

श्री गोस्वामी राधाकृष्ण—

मान्यवर, प्रयास तो हमेशा यही किया जाता , कि झगड़े न हों लेकिन जमीन, जायदाद अपनी-अपनी हैसियत रखती है। इसके बारे में इतिहास साक्षी है। लेकिन जहां तक हरिजनों की सरक्षा की व्यवस्था और उनके संरक्षण का सवाल है। स्पष्ट आदेश दिये जा चुके हैं पहले भी और इस सम्बन्ध में भी दे दिये गये हैं।

श्री बलवीर सिंह (जिला मेरठ)—

मैं जानना चाहता हूं कि उनके इस वक्तव्य के अनुसार बहुत बड़ा झगड़ा हुआ और नक्सेअमन का अंदेशा है, 145 की कार्यवाही नहीं की गयी, 107/117 वगैरह की कोई कार्यवाही नहीं की गयी है ताकि वहां झगड़े न हों, दंगा करने वालों के मुचलके लिये जाने चाहिये।

श्री गोस्वामी राधाकृष्ण—

जो लिखित रिपोर्ट है उसमें ही लगभग 67 आदमियों के नाम हैं जिनसे उनको खतरा है या जिन्होंने मारने-पीटने में भाग लिया है। उसमें 21 आदमी गिरफ्तार हो गये हैं और जो सम्बन्धित हैं उनकी खोज जारी है। आवश्यकता पड़ेगी तो 107/117 लगा कर मुचलके भी लिये जायेंगे।

श्री विश्वनाथ कपूर (जिला फैजाबाद)—

क्या माननीय मन्त्री बतायेंगे कि हरिजनों ने इसके पहले पुलिस के यहां शिकायत की थी, कि यह लोग हमारे खेत में हमला करने आयेंगे, हमारी सुरक्षा की व्यवस्था की जाय, लेकिन पुलिस ने लापरवाही की, 107/117 या 145 की कार्यवाही नहीं की, तो क्या पुलिस अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही करेंगे और क्या सी० आई० डी० से जांच करायेंगे क्योंकि पुलिस अधिकारी इसमें फंसे हुये हैं ?

श्री गोस्वामी राधाकृष्ण—

उपलब्ध सूचना के अनुसार जैसे पुलिस स्टेशन पर सूचना पहुंची है तत्काल कार्यवाही शुरू हो गयी है। जिन्होंने ज्यादती की है उनके खिलाफ भी कार्यवाही शुरू हो गयी है। इसके पहले कभी सूचना दी गयी और पुलिस ने लापरवाही की, इस समय ऐसी कोई शिकायत नहीं है। माननीय सदस्य सूचित कर रहे हैं उसके बारे थोड़े से और तथ्यों से अवगत करायेंगे तो अवश्य कार्यवाही होगी।

श्री जगदम्बा प्रसाद (जिला फैजाबाद)—

क्या माननीय मन्त्री जी बतायेंगे कि विवाद ग्रस्त भूमि का इस साल मालिक कौन था और यह विवाद-ग्रस्त भूमि किसके नाम इन्दराज थी जिस पर झगड़ा हुआ ?

श्री गोस्वामी राधाकृष्ण—

मान्यवर जो वादी हैं गोपी, मोहर सिंह, गरीबा आदि वे दो साल से खेत को जोत रहे थे, प्राप्त सूचना के अनुसार कमालुद्दीन प्रधान ग्राम समाज ने इस जमीन पर एक व्यक्ति शराफत को दावेदार बना कर ग्राम समाज पर दावा करा दिया। कोर्ट से उसके फेवर में डिसीजन हुआ लेकिन उपर्युक्त व्यक्तियों ने स्टे लिया और उस स्टे के आधार पर वह जीत गये और उसी बीच में दोनों में संघर्ष हुआ।

श्री सुरेन्द्र विक्रम—

क्या माननीय मन्त्री जी को मालूम है कि पहले थाना सम्भल की पुलिस पहुंच गयी थी और हयातनगर थाने की बाद में ?

श्री गोस्वामी राधाकृष्ण—

सूचना भी पहले सम्भल के थाना को दी गयी और हयातनगर के थाने को १२ बजे मामला हस्तान्तरित किया गया।

श्री महमूद हसन खां (जिला मुरादाबाद)—

क्या माननीय मन्त्री जी बतलायेंगे कि वह स्टे आर्डर कौन सी अदालत से जारी हुआ था ?

श्री गोस्वामी राधाकृष्ण—

मान्वयर, जो उपलब्ध वायरलेस आया है वही इस समय मेरे पास सूचना के रूप में उपलब्ध है किस कोर्ट से स्टे आर्डर हुआ यह इस समय नहीं बतला सकूंगा। वायरलेस इस प्रकार है :—

In village Govindpuri P.C. Hayatnagar near Sambhal litigation of civil nature was going on between gram sabha, Sharafat and Sri Ram Jatav. Sharafat had won lower court. On basis of some stay order Sri Ram went to plough field to day morning. Sharafat resisted leading to clash resulting in simple grievous injuries to 9 Jatavs. 24 persons of Sharafat group arrested.

श्री विश्वनाथ कपूर—

अंग्रेजी में माननीय मन्त्री जी पढ़ रहे हैं। सम्बन्धित अधिकारी के खिलाफ क्या कार्यवाही की, इस पर आप व्यवस्था दें।

श्री गोस्वामी राधाकृष्ण—

यह वायरलेस है।

श्री उपाध्यक्ष—

वायरलेस की व्यवस्था हिन्दी में नहीं हुई है।

श्री नित्यानन्द स्वामी—

अनुवाद हिन्दी में कर दें।

श्री गोस्वामी राधाकृष्ण—

"गोविन्दपुरी गांव में, हयातनगर के पुलिस चौकी के अन्तर्गत सम्भल के पास सिविल नेचर की आपस में मुकदमा बाजी चल रही थी ग्राम सभा, शराफत और श्रीराम जाटव के बीच। शारफत नीचे से मुकदना जीत गया लेकिन किसी बेसिस पर श्री राम

को स्टे मिल गया और वह खेत जोतने गया। शराफत ने रेसिस्ट किया जिसके कारण आपस में क्लेश हुआ और चोटें पहुंची। शराफत ग्रुप के २४ आदमी पकड़े गये।"

श्री जयराम वर्मा (जिला फैजाबाद)---

२६ बीघा जमीन ग्राम समाज द्वारा हरिजनों को पट्टे पर दी गयी और पट्टा लिखा गया। तो क्या यह बात सही है कि इन हरिजनों के खिलाफ फैसला हो जाने के बावजूद भी उनका कब्जा बराबर बना हुआ है और कब्जा उनके हाथ से नहीं निकला ?

श्री गोस्वामी राधाकृष्ण---

पूरा विवरण इस समय उपलब्ध नहीं है। दो साल से हरिजन जोतते आ रहे थे। शराफत जब मुकदमा जीत गया और अपना अधिकार लेने गया तो जो लोग दो साल से उस खेत को जोत रहे थे उन्होंने आपत्ति की जिसके फलस्वरूप दोनों पार्टीज में क्लेश हुआ।

श्री रियासत हुसैन---

माननीय मन्त्री जी यह नहीं बता सके कि कौनसी कोर्ट से स्टे लिया गया लेकिन जब हरिजन गये तो शराफत ने रेसिस्ट किया जिससे क्लेश हुआ क्योंकि शराफत के कब्जे में वह जगह थी। उसमें लिखा हुआ है कि शराफत हुसैन रिसिस्टेड सवाल यह है कि जो स्टे आर्डर था जिसके आधार पर किये वहाँ पर दुबारा कब्जा लेने के लिये गये वह किस कोर्ट का फैसला था, किस तारीख का था ?

श्री उपाध्यक्ष---

यह तो तफसील का सवाल है। हो सकता है यह सूचना मन्त्री जी के पास न हो..

श्री रियासत हुसैन---

मान्यवर, वह रिफरेन्स दे दें कि फलाने कोर्ट से स्टे मिला था जिसके आधार पर वह गये।

श्री उपाध्यक्ष---

आप प्रश्न करें।

श्री जयराम वर्मा---

क्या यह बात सही है कि शराफत हुसैन की डिक्री हो जाने के बाद अदालत से कोई दखल नहीं मिला ?

श्री गोस्वामी राधाकृष्ण---

मान्यवर, यह तो विवरण का सवाल है। इसके बारे में वक्तव्य के लिये यह हमें १६ तारीख को भेजा गया और उसी सूचना के आधार पर विवरण दिया गया है। इस पर अदालत का कोई डिटेल उपलब्ध नहीं है।

श्री अनन्तराम जायसवाल (जिला बाराबंकी)---

क्या माननीय मन्त्री जी यह बतलाने की कृपा करेंगे कि जो बन्दूक इस मामले में शामिल है वह किस की थी और उसके लाइसेन्स को मन्सूक करने के आदेश भी हुये हैं

[श्री अनन्तराम जायसवाल]

या नहीं ? दूसरी बात यह है कि अगर गाँव समाज को नियमित पट्टे दिये गये हैं तो उनको बहाल करने की क्या कार्यवाही सरकार कर रही है ?

श्री गोस्वामी राधाकृष्ण--

जो चोटें आई हैं उसमें बन्दूकों का उपयोग हुआ है, यह स्पष्ट नहीं है और न ही चोटों से यह स्पष्ट होता है। इसके साथ ही साथ रिपोर्ट में है कि अगर बन्दूकें वहाँ पर गई थीं तो तब प्रश्न यह आता है कि उनको मन्सूख करने की कार्यवाही की गई। इस सम्बन्ध में जैसी आवश्यकता होगी अधिकारी अपने विवेक से कर रहे होंगे और करेंगे।

श्री महीलाल (जिला मुरादाबाद)--

क्या माननीय मन्त्री जी को यह जानकारी है कि न्यायालय से एक फैसला होने के बाद श्री शराफत हुसेन ने बेदखली की कोई इजाजत कोर्ट से नहीं ली थी बल्कि वे स्वयं बिना किसी अदालत के हुक्म के जबरदस्ती उस गाँव समाज की जमीन पर पहुंच गये थे ?.....

श्री उपाध्यक्ष--

यह तो विवरण का सवाल आप कर रहे हैं।

श्री बलवीर सिंह--

इस बात को देखते हुये कि इतना बड़ा झगड़ा हुआ बन्दूक वगैरह लेकर मारने गये किन्तु दफा १०७, १४५ की कार्यवाही नहीं हुई और जैसे कि विदित हो चुका है कि सम्भल थाने में ही रिपोर्ट लिखाई गई। क्या मन्त्री जी को इस प्रकार की कोई सूचना है कि उस थाने के पुलिस अधिकारी शराफत हुसैन से मिले हुये थे ? यदि हाँ, तो क्या सरकार इस पर जाँच करके उन पुलिस अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही करेगी ?

श्री गोस्वामी राधाकृष्ण--

ऐसी कोई सूचना मेरे पास नहीं है कि पुलिस अधिकारी से वे मिले हुये थे। माननीय सदस्य कह रहे हैं तो इस बात की भी जांच करा दी जायेगी।

श्री महीलाल--

क्या माननीय मन्त्री जी को जानकारी है कि हियातनगर एक नया थाना बना था और इसकी जानकारी लोगों को न होने से वे सम्भल थाने में ही चले गये हैं ?

श्री उपाध्यक्ष--

इस सवाल का जवाब मन्त्री जी कैसे दे सकते हैं ? अब हम आगे चलते हैं।

कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं

श्री उपाध्यक्ष--

आज हमारे पास एक श्री नित्यानन्द स्वामी जी का आया है जिसमें यह लिखा गया है कि आगरा में विषैली शराब के पीने से २१ व्यक्तियों की मृत्यु हुई। तो यह आप रेडियो और समाचार-पत्रों की बात कह रहे हैं। इसे माननीय अध्यक्ष ने अस्वीकार किया है।

श्री नित्यानन्द स्वामी (जिला देहरादून)--

२१ व्यक्ति जो यह मरे हैं, अगर यह निश्चित प्रश्न नहीं है, अविलम्बनीय महत्व का प्रश्न नहीं है, तो फिर क्या होगा ?

श्री उपाध्यक्ष––

आप बात कर लीजियेगा लेकिन माननीय अध्यक्ष का निर्णय यही है कि उन्होंने इसको अस्वीकार किया है।

श्री उपाध्यक्ष––

दूसरा सर्वश्री विश्वनाथ कपूर, बंशीधर पाँडेय, सुरेन्द्र विक्रम और राम विलास पाँडेय का है––"फैजाबाद के साकेत डिग्री कालेज में बी०ए० की कक्षा में मिलिट्री साइन्स एवं साइकोलाजी में छात्रों को अनुमति न दिया जाना।"

यह भी प्रश्न का विषय है, इस पर आप अल्प-सूचित प्रश्न कर लें।

श्री विश्वनाथ कपूर (जिला फैजाबाद)––

कल इनको लौटा दिया गया, फिर बाद में इनका एडमिशन कहाँ होगा, वे बेचारे कहाँ जायेंगे? अल्प सूचित प्रश्न करने से उनका क्या फायदा होगा? वहाँ तो पुलिस और पी० ए० सी० लगा दी गयी है। वहाँ की हालत तो बड़ी अजीब सी हो गयी है। 400 लड़कों के फार्म लौटा दिये गये तो फिर बाद में उनका होगा क्या? वहाँ ये सब्जेक्ट्स-मिलिटरी साइन्स और साइकोलाजी के हैं भी। लड़कों ने जो लिख कर मुझे दिया है, कहिये तो मैं आपको पढ़ कर सुना दूं।

श्री उपाध्यक्ष––

पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। एक विद्यालय और एक स्थान से यह सम्बन्धित है। पूरे प्रदेश से सम्बन्धित प्रश्न ही लोक महत्व का माना जाता है।

श्री विश्वनाथ कपूर––

यह तो 400 लड़कों और उनके अभिभावकों का सवाल है। उन लड़कों का तो पूरा वर्ष ही खराब हो जायेगा।

श्री उपाध्यक्ष––

आप अल्प सूचित प्रश्न कर लेंगे।

तीसरा श्री कल्पनाथ सिंह जी का है। यह तो मेरी समझ में ही नहीं आया "उत्तर प्रदेश सरकार के नये बन्दोबस्त द्वारा मालगुजारी व लगान से किसान को गुमराह करना"।

श्री कल्पनाथ सिंह (जिला गोरखपुर)––

मान्यवर, मैं समझा देता हूं कि वह यह है कि एक तरफ तो सरकार ने भूमि विकास-कर लगाया है.....

श्री उपाध्यक्ष––

अभी कहाँ लगाया है।

श्री कल्पनाथ सिंह––

आप सुन लें कि कैसे लगाया है? इस सरकार ने भूमि विकास-कर अध्यादेश के जरिये लगाया है, सवा ६ एकड़ से नीचे के किसानों पर 50 प्रतिशत और इसके ऊपर के किसान पर 100 प्रतिशत। किस आधार पर? इस आधार पर कि जो लगान और माल-गुजारी किसानों द्वारा दी जाती है। उसको आधार बनाकर आप यह करना चाहते हैं बन्दोबस्त के नाम पर उसी लगान और मालगुजारी को बढ़ाने जा रहे हैं। मान लीजिये, जो आदमी

[श्री कल्प नाथ सिंह]

आज 10 रुपये लगान देता हैं या 10 रुपये माल गुजारी देता है, तो नये बन्दोबस्त के आधार पर अगर उसको 100 रुपया कर देंगे तो वह 100 रुपया देगा। फिर उसके बाद वह 100 रुपया भूमि विकास-कर देगा। इस तरह से मोटे तौर पर एक आदमी जो पहले १० रुपये देता था अब उसको 200 रुपये देना होगा।

श्री उपाध्यक्ष--

करेंगे तब न।

श्री कल्पनाथ सिंह--

इसकी घोषणा तो कर दी है। इसकी घोबणा जैसा कि माननीय वित्त मन्त्री जी ने कहा था- इसका बजट में प्राविजन कर दिया गया है। कल माननीय मुख्य मन्त्री जी ने अपनी पार्टी मीटिंग में इसकी घोषणा कर दी और तमाम किसान लोग मुझसे मिले, सबेरे से ही तांता लग गया और वे कहने लगे कि सरकार इतना बड़ा जुल्म कर रही है। इसलिये मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आप सोचें कि केवल घोषणा मात्र से किसानों में इतनी चिन्ता व्याप्त हो गयी। इसीलिये मैं श्रीमन् से कहता हूं कि अगर ये कहते हैं कि "नहीं", वित्त मन्त्री जी बैठे हुये हैं, आप उनसे पूछ लीजिये, अगर ये कहते हैं कि लगान नहीं बढ़ेगा, मालगुजारी नहीं बढ़ेगी तो श्रीमन् मैं अपने प्रस्ताव को वापस ले लूंगा। लेकिन अगर ये कहते हैं कि बन्दोबस्त से इनका मतलब लगान और मालगुजारी को बढ़ाना है तो निस्सन्देह आप मेरे इस कामरोको प्रस्ताव को पेश करने की इजाजत दीजिये ताकि इस पर इस सदन में चर्चा हो सके। क्योंकि यह किसानों की कमर तोड़ने वाला प्रस्ताव है। इसलिये इस सरकार के खिलाफ जितनी आप हमारी मदद कर सकते हैं, मदद कीजिये, यही मैं आपसे प्रार्थना करता हूं।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी (जिला बस्ती)--

मान्यवर, इस सम्बन्ध में दो शब्द मैं भी कह दूं। सचमुच यह बड़ा ही गम्भीर विषय है। मैं भी ऐसा समझता हूं कि इनकी यह प्रवृत्ति है कि मोहन और बिड़ला के पाकेट को पैसा लेने के लिये तो टटोलते नहीं हैं उनको पैसा मिलता है घुरहू और रहीम की पाकिट से अगर कोई सोर्स इनको दिखाई देता है इनकम का तो वह किसान है, यह लैंड लेवी लगा कर नियम बना देंगे कि लगान का आधा या दूना तो ड्योढ़ा या दुगना तो वैसे ही हो जायेगा। इस पर विचार करने का अवसर दें।

श्री बंशीधर पाँडेय (जिला वाराणसी)--

उपाध्यक्ष महोदय, माननीय कल्पनाथ सिंह जी ने जो बात कही है वह बिलकुल सही है। गवर्नमेंट ने बड़ी चालाकी से जब सवा ६ एकड़ पर लगान माफ हुआ था तो उसको रिस्टोर न करके, आज के माननीय मुख्य मन्त्री जी की अध्यक्षता में मुजफ्फरनगर में सर्वसम्मति से काँग्रेस ने प्रस्ताव पास किया था कि सवा ६ एकड़ तक लगान माफ हो जायेगा। अब जब हमारी सरकार ने उसको माफ कर दिया तो आपने नाक यों पकड़ कर कह दिया कि लैंड डेवलपमेंट टैक्स लगायेंगे।

लार्ड कार्नवालिस ने जब बन्दोबस्त किया था तो पूरे देश में नहीं हुआ था, उनकी एक चाल है, उनकी एक साजिश है और उनको मौका मिल जायेगा क्योंकि आप देखें कि जब लार्ड कार्नवालिस ने बन्दोबस्त किया था तो सरकार को लगान बढ़ाने का मौका मिल गया था। इसके

पीछे लगान बढ़ाने की इनकी साजिश है। पहले ट्यूबवेल से जो सिचाई होती थी तो ५ रुपये, ४ रुपये तथा तीन रुपये प्रति एकड़ की दर थी जो अब ३३ रुपये हो गई है। इसी तरह से यह लगान बढ़ा देंगे। मुझे एक किस्सा अंग्रेज बच्चों का याद आता है जो लन्दन में रहा करते थे। जब उनको भारत जाने का हुक्म होता था उस जमाने में भारत सोने की चिड़िया कहाता था लेकिन अब वह भारत नहीं रहा है। इनकी मनोवृत्ति अंग्रेजों की सी हो गई है। किसान देश में ९५ प्रतिशत हैं इसलिये सारा माल किसान से खाद, पानी बिजली और बिजली के अधिभार आदि से निकाल लेना चाहते हैं क्योंकि यह किसान को सोने की मुर्गी समझते हैं। पता नहीं आज किसान जिसके खिलाफ सारी कार्यवाही हो रही है वह क्यों सोया हुआ है और इनको उठाकर क्यों नहीं फेंक देता है ? आप इसको स्वीकार करें राजस्व मन्त्री को हुक्म दें कि वह आश्वासन दें कि लगान नहीं बढ़ेगा अन्यथा आपको इसको स्वीकार करना चाहिये।

श्री उपाध्यक्ष--

यह सब बातें आप कह सकते हैं। लेकिन यह विषय काम रोको प्रस्ताव का नहीं है।

श्री जयराम वर्मा (जिला फैजाबाद)--

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, किसानों के ऊपर तरह-तरह से भार बढ़ाने का इन्तजाम सरकार की तरफ से हो रहा है। भार तो बढ़ रहा है लेकिन प्रकृति न तो सरकार का साथ दे रही है और न किसान का साथ दे रही है। पारसाल किसानों के ऊपर कितनी मुसीबत आई थी और इस साल अकाल पड़ रहा है। बरसात की कोई उम्मीद नहीं मालूम होती है और किसान परेशानियों में पड़ने जा रहे हैं। लेकिन यह भूमि विकास-कर १ जुलाई, सन् १९७१ से लागू किया गया है अर्थात् एक साल पहले से, कोई भी कर .....

श्री उपाध्यक्ष--

यह तो नये बन्दोबस्त की बात है।

श्री जयराम वर्मा--

तो अगर यह उसी वक्त से लागू होता है जब से लागू करने का निर्णय होता है या जब से पास होता है तो ठीक था। लेकिन ऐसा कर के यह समझ लिया गया है कि सारा धन किसानों के पास इक्ट्ठा हो गया है। जिस हैसियत के लोगों पर यह टैक्स नहीं लगा सकते और सवा ६ एकड़ तक जो टैक्स लगाने के लायक नहीं है और जो मालगुजारी देते आ रहे थे और जिसके बारे में मान लिया गया था कि वह उसे भी नहीं दे सकते हैं उन पर भी इसका बोझ पड़ेगा।

सवा ६ एकड़ तक की जोत पर मालगुजारी का आधा बन्दोबस्त में निश्चित रूप से मालगुजारी बढ़ेगी और उसकी दर जहाँ पर ज्यादा होगी उसके बराबर ही नीचे की दरें कर दी जायेंगी। इसका नतीजा यह होगा कि किसानों पर मालगुजारी कई गुना बढ़ जायगी। जिसका आपने सवा ६ एकड़ तक का किसान होने की वजह से लगान माफ किया था उसको भी यह कर देना पड़ेगा। और बन्दोबस्त से बोझ बढ़ेगा। इससे आप समझ सकते हैं कि छोटे किसान के सामने कितनी मुसीबत होगी। उसके ऊपर जो इस तरह से भार बढ़ेगा उसको वह बरदाश्त नहीं कर सकेगा। इस समय इसका कोई औचित्य नहीं है। इस पर सदन को विचार करने का मौका मिलना चाहिये।

[श्री जयराम वर्मा]

किसान पर बिजली की दरें भी बढ़ी हैं और उससे उसका खर्च ड्योढ़ा हो गया है और इसके अलावा और तमाम चीजों के, जो किसान की खेती के लिये आवश्यक है, दाम बराबर बढ़ रहे हैं किसी सामान के रेट्स ड्योढ़े और किसी के दुगुने हो गये हैं और कोई कोशिश उनको रोकने की नहीं हो रही है : साथ ही किसान की उपज के दाम बराबर घट रहे हैं और अगर घटे नहीं हैं तो मुश्किल से उसी जगह पर रुके हैं। किसान को खेती पर जो खर्च करना पड़ता है उसका खर्च दिन ब दिन बढ़ रहा है। अब यह ऐसी व्यवस्था कर रहे हैं कि बन्दोबस्त होने जा रहा है और उसका नतीजा यही होगा कि किसान पर कई गुना मालगुजारी बढ़ेगी। हम चाहते हैं कि जब तक मन्त्री जी मालगुजारी न बढ़ाने का आश्वासन न दे दें और न कह दें कि किसान से आज जितना लिया जा रहा है उससे अधिक नहीं लिया जायगा तब तक सदन को इस प्रस्ताव पर विचार करने से वंचित करना उचित न होगा। आप इस कार्य-स्थगन प्रस्ताव को इस वास्ते स्वीकार करें।

श्री उपाध्यक्ष--

यह बन्दोबस्त की बात आयेगी या नहीं। अगर कराना चाहते हैं तो वह सामने आयेगी जैसे भूमि विकास-कर वाला विधेयक आप के सामने आयेगा....

श्री जयराम वर्मा--

यह कहाँ आने वाला है? यह तो अपने अध्यादेश से कर देंगे।

*राजस्व मन्त्री (श्री उदित नारायण शर्मा)--

मान्यवर, जिस विषय पर कार्य-स्थगन प्रस्ताव माँगा जा रहा है मेरी समझ में कोई भी उसका औचित्य नहीं है। यह घोषणा आज पहली बार अखबारों में भले ही आई हो कि बंदोबस्त किया जायगा लेकिन पहली बार जब माननीय वित्त मंत्री जी ने यहाँ अपना बजट भाषण दिया था तभी उन्होंने सदन को यह बतला दिया था कि सरकार बन्दोबस्त कराने जा रही है। उसके बाद भी एक दो मौके और आये जब मैंने भी यहाँ अन्य सन्दर्भों में कहा है कि हम प्रदेश में बन्दोबस्त कराने जा रहे हैं और उससे तमाम तरह की दिक्कतें जल्द दूर हो जायेंगी।

तीसरी बात यह है कि अगर हम बन्दोबस्त करायेंगे, या यह जो भूमि विकास-कर लगाने की बात है जो आप के सामने आने वाली है उसके ऊपर पूरी तरह से बहस यहाँ कर सकते हैं और उस पर आप जो कहना चाहेंगे उसका आप को पूरा मौका मिलेगा।

जहाँ तक बन्दोबस्त का सवाल है उसके लिये कुछ प्रक्रियायें ऐसी करनी होंगी जो सदन के सामने आयेंगी। जमींदारी अबालिशन ऐक्ट की कुछ धारायें हैं जिनको कि बिना तब्दील किये हुये हम बन्दोबस्त नही करा सकेंगे। और जब हमने यह निर्णय कर लिया है तो हम इनको तब्दील करने के लिये भी यहाँ आयेंगे। तो माननीय सदस्यों को न जाने कितने मौके मिलेंगे कि वे बन्दोबस्त के बारे में जितने उनके एतराज होंगे, उनको रख सकेंगे। और हम लोग उन्हें सुनेंगे। तो इस समय इस पर मैं ज्यादा बहस नहीं करना चाहता हूं।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री कल्पनाथ सिंह--

श्रीमन्, आपके माध्यम से मैं माननीय मन्त्री जी से एक स्पष्टीकरण जानना चाहता हूं कि जब इस प्रदेश में चकबन्दी जारी है और उसकी प्रक्रिया भी बन्दोबस्त के माध्यम से होती है तो सरकार का जो नये बन्दोबस्त कराने का इरादा है वह केवल किसानों से लगान या मालगुजारी बढ़ाने के लिये ही किया जा रहा है। यदि हाँ, तो किसानों से कितने प्रतिशत मालगुजारी बढ़ाने का सरकार का इरादा है।

श्री उदित नारायण शर्मा--

तो मैं निवेदन कर रहा था कि वह मौका ऐसा होगा जबकि आप जितनी चर्चा करना चाहेंगे, कर सकेंगे लेकिन उसके औचित्य के बारे में अभी से कहना आरम्भ किया जा रहा है जिसकी चर्चा का कोई सन्दर्भ नहीं है। बन्दोबस्त तो इतना ज्यादा जरूरी है कि उसके बिना, जो बहुत लोगों के साथ अन्याय हो रहा है, आप ठीक नहीं कर सकते हैं। यहाँ पर सब छोटे आदमियों और समाजवाद की बात करते हैं। जो लोग छोटे काश्तकार हैं और जिनको हाल ही में जमीनें दी गयी हैं, उन पर 4 गुना, 8 गुना लगान है जबकि जो यहाँ बड़े-बड़े काश्तकार हैं, जमींदार हैं जितनी लम्बी जोतों के वे मालिक हैं, उतना ही कम लगान 4 आने और 8 आने उनका है। आज ये सब लोग उनके ही हिमायती हैं।

श्री बंशीधर पाँडेय--

मान्यवर, अब तो स्पष्ट हो गया है कि लगान बढ़ेगा।

श्री उदित नारायण शर्मा--

इनके चेहरे से इनका नकाब उतर गया है।

श्री बंशीधर पाँडेय--

लगान बढ़ाने की बात नहीं है। जब वह बढ़ेगा तब देखा जायगा लेकिन उनकी अन्तर्आत्मा की आवाज बोल उठी है कि हम लगान किसी न किसी शक्ल में लगावेंगे। आप इस पर बहस करवा दें।

श्री कल्पनाथ सिंह--

अगर श्रीमन्, इसे आप कार्य-स्थगन से रूप में स्वीकर नहीं करते हैं तो नियम ५२ के अन्तर्गत इस पर आप चर्चा करवा दें। यह बहुत ही आवश्यक है।

श्री उपाध्यक्ष--

आप अलग से लिख कर माँग करें तो हम विचार करेंगे।

श्री कल्पनाथ सिंह--

मैं इस सरकार की कलई खोल कर छोड़ूंगा कि यह सरकार किसानों के साथ किस प्रकार से ज्यादतियां करने जा रही है।

श्री उपाध्य --

माननीय इन्द्रमणि जी ने एक बहुत बड़ा प्रस्ताव दिया लेकिन यह अनिश्चित है, इसमें दिया है कि पहाड़ी क्षेत्र में ....

*श्री इन्द्रमणि (जिला टिहरी-गढ़वाल)---

श्रीमन्, आपने स्वयं परसों कहा था कि मैं इस प्रदेश का बंटवारा नहीं चाहता हूं लेकिन इस प्रदेश के इस विधान सभा में कुछ अंग ऐसे हैं जिनका प्रतिनिधित्व बहुत कम है और खासकर पर्वतीय इलाके का। कितनी ही जगहें ऐसी हैं कि जहां पर लोगों की मृत्यु बिना भोजन के हो गयी है। इस सम्बन्ध में विधान सभा में भी प्रश्न आये। इसके साथ-साथ कुछ नहरें ऐसी हैं जहां पर बरसात में भी पानी नहीं होता। अगर कहीं पर विद्यालय हैं, तो साल भर उनमें मास्टरों का पता नहीं लगता। अस्पताल अगर कहीं खुले हैं तो चौकीदार, कम्पाउन्डर भी नहीं, हमारे लिये डाक्टर बने हुये हैं।

जहां तक विद्युतीकरण का प्रश्न है मन्त्री जी के जो गांव हैं, उनको ही बिजली मिलेगी दूसरों को नहीं मिलेगी। तो इस प्रकार आपसे मेरा निवेदन है कि इस सारे उत्तरांचल में आज भी कोई व्यवस्था नहीं रह गयी है। एक-एक पट्टी में सत्रह हत्यायें हो गईहैं, लेकिन पुलिस उन हत्याओं की खोज नहीं कर पाई है। इसलिये उत्तरांचल के आठ जिलों में शासन की कोई भी व्यवस्था नहीं रह गई है।

श्रीमन्, मैं बताऊं कि कीर्तिनगर में जीप के सामने एक ठेला खड़ा कर दिया गया आपकी जो कार जा रही थी उसके सामने। तो फिर आपको उतरकर चलना पड़ा। इसलिये कि वहां यातायात की कोई व्यवस्था नहीं है। जिसने सरकार को पैसा दिया उसके लिये जिस तरह से चाहा गया वैसी व्यवस्था हो गई। इसलिये मेरा निवेदन यह है कि ये जिले बड़े महत्वपूर्ण हैं। इसमें चर्चा का समय दिया जाय। कार्य-स्थगन का समय दीजिये ताकि हम लोग अपनी बात कह सकें और सरकार भी अपना स्पष्टीकरण दे सके। आज श्रीमन्, पांच पये किलो भी, वहां शकर नहीं मिल रही है और इतना ही नहीं, ठेकेदार लोग वन विभाग के जंगल के जंगल काट रहे हैं। गांव वालों को लकड़ी नहीं मिलती है। सरकार वहां पर कोई व्यवस्था नहीं कर रही है। इसलिये श्रीमन् इस पर कार्य-स्थगन स्वीकार कीजिये।

श्री उपाध्यक्ष---

कार्य-स्थगन तो नहीं। मगर हां, अगर अविकिसित क्षेत्रों के बारे में माननीय सदस्य चाहेंगे कि चर्चा हो, उनके विकास का कोई रास्ता आप सुझावें, तो ऐसी चर्चा का अवसर देंगे लेकिन यह कामरोको का विषय नहीं है।

श्री चन्द्रमोहन सिंह नेगी (जिला गढ़वाल)---

नियम ५२ के अन्तर्गत लिये जाने का श्रीमन् आश्वासन दे दीजिये।

श्री उपाध्यक्ष---

मैंने स्वयं कह दिया कि चर्चा अगर हो जायेगी, आपका दृष्टिकोण सन्मुख आ जायेगा। उसके लिये आप अलग से दे देंगे।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

विधान पुस्तकालय में स्थान आदि का अभाव

श्री राम गोपाल सण्ड (जिला इलाहाबाद)—

बिल आने के पूर्व मान्यवर, मैं आपकी एक व्यवस्था चाहता हूं। मान्यवर, पुस्तकालय में न बैठने की जगह है और न ही वहां पंखे लगे हैं। सचिव को आदेश आप दे दें ताकि वहां बैठकर हम लोग समाचार-पत्र अथवा रेफरेन्स बुक्स का अध्ययन कर सकें।

श्री उपाध्यक्ष—

इसके लिये आप हमारे कमरे में आते हैं वहीं कह दिये होते तो कर देते।

उत्तर प्रदेश उच्च न्यायालय (लेटर्स पेटेन्ट अपील समाप्ति) (संशोधन) विधेयक, 1972†

न्याय मन्त्री (श्री बलराम सिंह यादव)—

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से यह प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश उच्च न्यायालय (लेटर्स पेटेन्ट अपील समाप्ति) (संशोधन) विधेयक, 1962 पर विचार किया जाय।

मान्यवर, जैसा कि बहुत बरसों से अनुभव रहा है और माननीय विधायकों की तरफ से, जनता की तरफ से इस बात के सुझाव मिलते रहे हैं कि हमारे देश की जो न्याय प्रणाली है उसमें कुछ जटिलता है। हमारे देश में कोई वाद अगर दायर होता है वहां से लेकर अन्तिम निर्णय तक की जो अपील की स्टेजेज हैं वे बहुत अधिक हैं। मान्यवर, निश्चित रूप से इसमें सुधार की आवश्यकता है। मान्यवर, शीघ्रता; से, सरलता से लिटिगेन्ट्स अन्तिम निर्णय प्राप्त कर सकें इसी उद्देश्य की पूर्ति हेतु यह संशोधन विधेयक आज प्रस्तुत किया जा रहा है। मान्यवर, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 226 में यह व्यवस्था है कि हाई कोर्ट किसी भी ट्रिब्यूनल के निर्णय के विरुद्ध रिट के जरिये से निर्देश दे सकता है। मान्यवर, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 227 में इस बात की व्यवस्था है कि जितने भी न्यायिक ट्रिब्यूनल हैं उन सभी के ऊपर उच्च न्यायालय का नियन्त्रण होता है।

उसी नियन्त्रक शक्तियों के मातहत यह रिट आज निर्देश जारी करने का अधिकार हाई कोर्ट को होता है। मान्यवर, संविधान लागू होने से पहले हमारे देश के अन्दर रेवेन्यू के मुकदमें में उनमें बोर्ड आफ रेवेन्यू का ही अन्तिम निर्णय हुआ करता था। जब से हमारे देश में 26 जनवरी, 1950 से संविधान लागू हुआ तब से इस बात की व्यवस्था की गई है कि हमारे देश के अन्दर जो रेवेन्यू के मामले हैं इसमें भी रिट की जा सकती है और हाई कोर्ट उसकी सुनवाई करता है। मान्यवर, यह जो भी अधिकार संविधान द्वारा हाई कोर्ट को दिये गये हैं उनके उन अधिकारों पर इस विधेयक के लाने से कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा ऐसा मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं।

मान्यवर, जिस समय कोई लिटिगेन्ट या कोई भी एग्रीव्ड पार्टी किसी न्यायायिक अधिकारी जैसे डाइरेक्टर आफ कन्सोलीडेशन या डिस्ट्रिक्ट जज के आर्डर के

†१९ जुलाई, १९७२ की कार्यवाही में छपा है।

[श्री बलराम सिंह यादव]

खिलाफ या माल के मुकदमें के खिलाफ जाना चाहती है, तो प्रथम सुनवाई होती है जिसमें रिट को एडमिट करना होता है उस समय एक बेंच बैठती है जिसमें २ या ३ न्यायाधीश होते हैं। इसके बाद जब रिट के सारे पहलुओं पर विचार करके यह तय पाया जाता है कि इसमें कोई विधिक प्रश्न इन्वाल्व हैं या इसमें कुछ ऐसी कठिनाई है जिसमें कुछ रिलीफ दी जा सकती है, तो उसको एडमिट किया जाता है और सिंगल जज उसकी सुनवाई करता है। मान्यवर, इसके बाद एक स्पेशल अपील का भी प्राविजन हैं उस सिंगल जज के निर्णय के खिलाफ। मान्यवर, इसके बाद भी एक स्पेशल अपील सुप्रीम कोर्ट को भी हो सकती है। तो मान्यवर, इस तरीके से जो सिंगल जज के निर्णय के खिलाफ और सुप्रीम कोर्ट में जो अपील होती है, इस बेंच की कड़ी को, स्पेशल अपील का जो प्राविधान था, उसको इस संशोधन के जरिये समाप्त करने का प्रस्ताव है।

चौधरी रामपाल सिंह यादव (जिला कानपुर)—

जो एक न्याय का दरवाजा था उसको आप बन्द करने जा रहे हैं। किसी दिन आप हाई कोर्ट को भी समाप्त कर देंगे।

श्री उपाध्यक्ष—

माननीय यादव जी ने जो शंका उठाई वह बिलकुल असंगत है क्योंकि हाई कोर्ट कोई प्रदेश के शासन के अन्तर्गत नहीं है जो उसको हटा दें।

श्री बलराम सिंह यादव—

मान्यवर, समय-समय पर भारत के मुख्य न्यायाधीशों की बैठकों में यह प्रस्ताव पारित किया गया था कि लेटर्स पेटेन्ट अपील को समाप्त किया जाय। मान्यवर, ला कमीशन ने भी जब जब अपनी रिपोर्ट्स दी हैं उसमें भी उन्होंने इस बात को माना है कि लेटर्स पेटेन्ट अपील को समाप्त किया जाना चाहिये। जो आंकड़े हमारे चीफ जस्टिस ने भेजे हैं, जब हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस कान्फ्रेंस सन् 1960 में हुई थी, उसमें भी यह तय किया गया था कि लेटर्स पेटेन्ट अपील समाप्त होना चाहिये। वह भी सरकार को प्राप्त हुये हैं। सन् 1962 में इस मामले को इस सदन में लाया गया था और यहां पर विधेयक पारित किया गया था। मान्यवर, जो हाई कोर्ट से सूचना मिली है उसके मातहत जो चकबन्दी के बारे में हाई कोर्ट में रिट हुई सिंगल जज के जो फैसले होते हैं, उसके खिलाफ, उसमें केवल २ प्रतिशत मुकदमें में रिलीफ मिली यानी एलाऊ हुये हैं, इसके अलावा अन्य जो माल के मुकदमें थे उसमें केवल एक प्रतिशत लोगों को रिलीफ मिली है।

सो मान्यवर, इस तरह से केवल एक-दो परसेंट लोगों की रिलीफ को देखते हुये, वह कुछ नहीं है, जबकि 98 और 99 प्रतिशत लोगों का इससे अकारण समय ही नष्ट होगा, उनका धन नष्ट होगा और माननीय न्यायाधीशों का समय नष्ट होगा। इसीलिये मान्यवर, यह सोचा गया कि इससे बहुत ज्यादा रिलीफ नहीं है और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट जाने का प्राविजन है तो इस प्राविजन को खत्म कर दिया जाना चाहिये। मान्यवर, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि दीवानी के मामलों में मुंसिफ, मुंसिफ के बाद सिविल जज, सिविल जज के बाद डिस्ट्रक्ट जज और डिस्ट्रक्ट जज के बाद, मान्यवर हाई कोर्ट में अपील करने का प्राविधान है और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में भी जा सकते हैं? इसी तरह से चकबन्दी के वादों में भी कान्सालीडेशन आफिसर फिर सेटलमेंट आफिसर.....

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी (जिला बस्ती)---

मान्यवर, कानूनगो और कन्सालीडेशन आफिसर का अच्छा मुकाबिला किया मुंसिफ से माननीय मन्त्री जी ने।

श्री बलराम सिंह यादव---

मैं मान्यवर, आपसे अर्ज करना चाहता हूं कि ला कमीशन ने भी यह लिखा है कि हिन्दुस्तान में न्याय प्रणाली में जो अपीलें होती हैं, यह बहुत ज्यादा हैं। इनको कम किया जाना चाहिये जिससे कि शीघ्रातिशीघ्र जनता को न्याय प्राप्त हो सके। तो मान्यवर, इसी के आधार पर मैं सभी माननीय सदस्यों से अनुरोध करूंगा कि इस संशोधन का समर्थन करेंगे।

*श्री नित्यानन्द स्वामी (जिला देहरादून)---

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं संशोधन प्रस्तुत करता हूं कि उत्तर प्रदेश उच्च न्यायालय (लेटर्स पेटेन्ट अपील समाप्ति) (संशोधन) विधेयक, १९७२, को जनता की राय जानने हेतु तीन माह के लिये परिचालित किया जाय।

श्रीमन्, माननीय मन्त्री जी ने तो इसको जितना साधारण बनाने की कोशिश की है, वह उतना साधारण नहीं है। श्रीमन्, यह कहा गया कि जो सिविल अपीलें हैं, उनमें ६२ में इसी तरह से संशोधन करके रोक लगा दिया कि लेटर्स पेटेन्ट न हों और उनका कहना यह है कि उसमें उनको कामयाबी मिली। कह तो नहीं पाये, लेकिन कहने की कोशिश की। इसलिये वह कहते हैं कि यह जो अभी तक अपील करने का प्राविधान था, उसको समाप्त कर दिया जाय। मैं श्रीमन्, बड़ी नम्रतापूर्वक निवेदन करना चाहता हूं सिविल अपीलें इस प्रदेश के अन्दर करीब 10/12 प्रतिशत व्यक्तियों की होती हैं। कारण क्या है? कारण यह है कि यह प्रदेश कृषि प्रदेश है जिसमें 80,85,86 प्रतिशत केसेज जमीन के होते हैं।

यहाँ की ज्यादा सम्पत्ति भूमि है और उसी के आधार पर मुकदमें होते हैं, चाहे वह टेनेन्सी ऐक्ट हो, जमींदारी ऐक्ट हो या कन्सालीडेशन ऐक्ट हो। सारे के सारे मुकदमें इन्हीं धाराओं के अन्दर होते हैं। आप जो उनका मुकाबला कर रहे हैं सिविल मुकदमों से तो केवल 14 परसेंट की बात करते हैं। आप देखेंगे कि यह बल्बा, हत्यायें जितने भी अपराध हैं, उनकी जड़ 90 प्रतिशत जमीन है। तो ये जो जमीन के मुकदमें हैं, उनका सही ढंग से न्याय होना चाहिये।

मान्यवर, इसके पीछे साधारण सी बात है। लेकिन बदकिस्मती से सीधी बात सरकार की समझ में नहीं आती है। मान्यवर, प्रजातन्त्र का तकाजा है कि जनता को शीघ्र और सस्ता न्याय मिले। अगर ऐसा होता है तो उसको तसल्ली हो जाती है। लेकिन उसके सामने यह नहीं होना चाहिये कि उसका गला घोंट दिया गया और अपील करने का मौका नहीं है और जो मौका उपलब्ध था उसको आप खत्म करना चाहते हैं। अपने देश के अन्दर आप प्रजातन्त्र चाहते हैं या रूस से डिक्टेट्स लेने के इतने आदी हो गये हैं कि राष्ट्रपति से लेकर चपरासी तक की नियुक्ति कोसीजिन ही करेंगे? वहाँ तो

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री नित्यानन्द स्वामी]

न्याय होता ही नहीं है। वहाँ तो सब लोग एक ही आदमी को वोट देते हैं। वहाँ कोई स्ट्राइक नहीं हो सकती, वहाँ जनता की कोई आवाज नहीं है। तो यहाँ भी आप क्या न्याय का रास्ता बन्द कर देना चाहते हैं ?

श्रीमन्, इस सरकार की एक परम्परा हो गयी है कि उल्टा काम करे तो भी जनहित बताती है। जिस चीज पर जनहित की पट्टी चिपका दी वह जनहित का काम हो गया। मैं पूंछना चाहता हूं कि गांव के लोगों के लिये जो लेटर्स पेटेन्ट अपील का दरवाजा था उसको बन्द करके आप उनको क्या न्याय देना चाहते हैं ? आपने कहा कि स्पेशल अपील का मौका है। मैं मानता हूं 136 के अन्दर स्पेशल लीव टु अपील उनको मिलती है। लेकिन वह कितने मुकदमों में मिलती है। सुप्रीम कोर्ट में स्पेशल लीव के लिये कोई विशेष बात दिखानी पड़ेगी तब मिलेगी। वरना आर्टीकिल 133(3) की ओर मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं, जिसमें यह है कि नाट विद स्टैंडिंग एनीथिंग इन दिस आर्टीकिल .....

श्री उपाध्यक्ष--

मेरे पास हिन्दी में है। मैं पढ़े देता हूं "इस अनुच्छेद में किसी बात के होते हुये भी उच्च न्यायालय के एक न्यायाधीश के निर्णय, आज्ञप्ति या अन्तिम आदेश की अपील उच्चतम न्यायालय में न होगी जब तक कि संसद विधि द्वारा अन्यथा उपबन्धित न करे।"

श्री नित्यानन्द स्वामी--

तो श्रीमन्, संविधान में यह रोक लगा दी है कि सिंगिल जज के निर्णय के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट के अन्दर अपील नहीं होगी। अब मन्त्री जी यह बहस करना चाहते हैं कि उनको सुप्रीम कोर्ट में अपील करने का अवसर है। मैं कहता हूं कि घोड़े को गाड़ी के पीछे जोतना चाह रहे हैं। यह उचित बात नहीं है। आप जो स्पेशल अपील का हवाला देते हैं यह तो ऐसे ही है जैसे एडजर्नमेंट मोशन कि कभी दस साल के अन्दर आप स्वीकार करलें। ऐसे ही सुप्रीम कोर्ट में जब कभी कोई बहुत बड़ा ला पाइंट आ जाय तो लीव मिलती है वरना तो सुप्रीम कोर्ट लीव देती है नहीं। तो मन्त्री जी जो विधेयक लाये हैं यह किसानों के खिलाफ है क्योंकि किसानों के सारे मुकदमें कन्सालीडेशन ऐक्ट, जमींदारी एबालीशन ऐक्ट और टेनेन्सी ऐक्ट के अन्दर आते हैं। इन मुकदमों पर तो आप रोक लगाना चाह रहे हैं और कहते है कि न्याय कर रहे हैं। इसके अलावा जितने फौजदारी मुकदमें हैं वह भी इन्हीं से जुड़े हुये हैं।

श्रीमन्, दो-तीन तर्क दिये मन्त्री जी ने। एक तो ला कमीशन ने कहा, जजेज ने कहा कि बड़ी भारी भीड़ हो गयी है, इसलिये कम करना चाहिये। अगर मैं उनका तर्क मान लूं कि सुप्रीम कोर्ट के अन्दर लीव टु स्पेशल अपील सबको मिल जायगी तो जो भीड़ हाई कोर्ट में है वह सुप्रीम कोर्ट में नहीं हो जाएगी ? ...

श्री उपाध्यक्ष--

मैं समझता हूं वहाँ तो 10-12 जगह खाली हैं।

चौधरी रामपाल सिंह यादव--

एक साल से रेकमेंडेशन हो गई है और वह पूरे एक साल से सरकार के पास पड़ा हुआ है।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी--

हमारे यहाँ इलाहाबाद के कुछ आदमियों के नाम भेजे गये हैं। हाई कोर्ट के कुछ लोगों को मेरिट के आधार पर सेलेक्ट करना चाहते हैं।

श्री नित्यानन्द स्वामी --

यह तरीका मान लिया जाय।

श्री उपाध्यक्ष--

इस प्रदेश की सरकार का तो कोई दोष नहीं है। नाम तो यहाँ से गये हैं और अब ऊपर का मामला है।

श्री नित्यानन्द स्वामी--

ऊपर भी तो उन्हीं के लोग बैठे हैं।

मान्यवर, मैं निवेदन कर रहा था कि तरीका मान लिया जाय लीव एपील सुप्रीम कोर्ट में मिल जायेगी फिर तो सुप्रीम कोर्ट में मजमा हो जायगा। क्या आप चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में यह हो जाय ? जो जगहें खाली हैं वह तो भरी जायें। अगर उसमें आदमी लगाये जायेंगे तो जो लगान के मुकदमें रुके हैं वे कम हो जायेंगे। ऐसा कहीं नहीं है कि सिंगिल जज को एपीलेट कोर्ट में बनाया जाता हो यहाँ पर सिंगिल जज एपीलेट कोर्ट बनाया जा रहा है। यह नेचरल ला ऐन्ड जस्टिस के खिलाफ है। इसलिये इसको इसमें जोड़ दें कि सिंगिल जज जो भी होगा उस से यह उम्मीद नहीं है कि वह सभी कानूनों से भली भांति परिचित हो। अगर सिंगिल जज बैठ गया तो वह सभी कानून को न जानने से जस्टिस नहीं कर सकता है।

एक बात कही गई कि नीचे की अदालतों का पृष्टपेषण हो जायगा। यह बात नहीं है। रेवेन्यू की अदालतों का तो भगवान ही मालिक है। वे कैसे मुकदमों का फैसला करते हैं, क्या लेविल है इसलिये इस आर्गूमेंट को उसके साथ न जोड़ें। मान लीजिये कि उसको 3,4 अपीलें करने का मौका मिल गया तो इसी लिये इसको कर दिया। मन्त्री जी जो विधेयक ला रहे हैं यह विधेयक प्रजातन्त्र के विरुद्ध है। सामान्य न्याय, इक्वीटी, नेचरल जस्टिस के खिलाफ है। इस विधेयक के आने से हमारे 86 प्रतिशत ग्रामीण जिनके मुकदमें हाई कोर्ट में पड़े हैं सब परेशान हो जायेंगे। बिरले ही लोगों के पास इतना धन या समय होगा कि सुप्रीम कोर्ट में जा सकें। इसलिये इस विधेयक को वापस ले लें। आपने तो मालूम होता है कि गरीबों की और किसानों की हत्या करने की कसम खाली है, प्रजातन्त्र की हत्या करने की कसम खाली है। पुलिस अत्याचार कर रही है। इन्हीं चोजों को प्रोत्साहित करने के लिये आप काला कानून ला रहे है। इसलिये में आपसे प्रार्थना करूंगा कि आप इसको वापस ले लें क्योंकि इसी में प्रदेश का हित है।

श्री उपाध्यक्ष--

अगला संशोधन श्री राम गोपाल सन्ड का है।

श्री राम गोपाल सण्ड (जिला इलाहाबाद)--

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से अपना संशोधन प्रस्तुत करता हूं कि उत्तर प्रदेश उच्च न्यायालय (लेटर्स पेटेन्ट अपील समाप्ति) (संशोधन) विधेयक, 1972 को सदन की एक

[श्री राम गोपाल संड]

प्रवर समिति को सौंपा जाय जो अपना प्रतिवेदन एक माह में दे दे। उसे विधेयक की परिधि बढ़ाने का भी अधिकार हो।

मान्यवर, मैं इलाहाबाद का रहने वाला हूं, और वहीं से चुनकर आया हूं। मान्यवर, इलाहाबाद हाई कोर्ट में 10 जजों के स्थान खाली हैं यह मैं आपको सूचना देना चाहता हूं जब कि लगभग 70 हजार मुकदमें वहां पड़े हुये हैं। इनके दल के एक बड़े ही सम्माननीय भाई बहुगुणा जी आज केन्द्रीय संचार मन्त्री बने हुये हैं और वह इलाहाबाद से चुनकर गये हैं। मुझे यह ज्ञात है कि विधि मन्त्री जी उनके बड़े कृपा पात्र हैं। उनके द्वारा वहां के विधि मन्त्री जी के पास 12 या 13 नाम भेजे गये हैं कि इनको न्यायाधीश बनाया जाय।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी--

श्रीमन्, इन्होंने तो नाम भी ले लिया, जब कि मैं उसे कहना नहीं चाहता था।

श्री राम गोपाल सण्ड--

श्रीमन्, मैं उनका वोटर हूं, इलाहाबाद का नागरिक हूं। मैं जानता हूं कि अनेक दबाव उन पर पड़ रहे हैं, एक उनके समधी हैं, और कई लोग हैं, जिनके लिये उनके ऊपर दबाव पड़े हैं और उन्होंने नाम भी भेज दिये हैं कि इन-इन को पैनेल का जज बनाया जाय।

श्री राज मंगल पांडेय (जिला देवरिया)--

उनके एक समधी हैं बहुगुणा जी के वह तो आज १० साल से हाई कोर्ट के जज हैं और उनके कोई लड़की नहीं है, एक ही लड़की है।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी--

श्रीमन्, हम तो अपने भाई के लड़के और लड़की को भी अपना मानते हैं और उनके सुसुर को अपना समधी कहते हैं और मानते हैं।

वित्त मन्त्री (श्री नारायणदत्त तिवारी)--

मान्यवर, किसी का नाम लेकर जो इस सदन में नहीं है, इस तरह की बातें कहना जो माननीय सदस्य कह रहे हैं यह इस सदन की शोभा नहीं है और यह परम्परा तथा नियमों के बिलकुल विपरीत है कि हाई कोर्ट के जजों के व्यक्तित्व या उनके रिश्तेदारों के सम्बन्ध में विधान सभा में चर्चा की जाय। यह परम्परा नहीं है और हमारे उधर के माननीय सदस्य तो परम्परा के मानने वाले हैं।

श्री राम गोपाल सण्ड--

मैंने श्रीमन्, बहुगुणा जी के बारे में कोई बात नहीं कही है।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी--

श्रीमन्, अभी तो उनका अप्वाइंटमेंट भी नहीं हुआ है और उनका अप्वाइंटमेंट विचाराधीन है। और तिवारी जी ने तो उनको अप्वाइंटेड मान लिया। वह तो अभी साधारण आदमी हैं और केवल उनका नाम रिकमेंड हुआ है।

श्री उपाध्यक्ष--

फिर भी अगर बचा दिया जाय तो अच्छा ही है।

श्री राम गोपाल सण्ड—

अगर उसमें कोई भी बात जो मैंने कही है नियम विरुद्ध है तो मैं उसे वापस ले रहा हूं। मैं तो यह कह रहा हूं कि उच्च न्यायालय के साथ न्याय किया जाय और सब न्यायाधीश वहां शीघ्र से शीघ्र नियुक्त किये जावें। यही मान्यवर, वहां के लोगों द्वारा मांग की गयी है। वहां के चीफ जस्टिस द्वारा यह भी मांग की गयी है कि १२ या १५ जजेज के और नये पद सृजित किये जावें। मैं कहता हूं कि अगर इस प्रकार १० स्थान वह जो खाली हैं और १५ यह स्थान ,अगर २५ जजेज हाईहोर्ट के और बना दिये जावें जो आज काम कर रहे हैं उनके अतिरिक्त तो यहां जो संशोधन विधेयक आज लाया गया है उसके रखने की कोई आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी।

इस प्रदेश का किसान बहुत गरीब है और उसको न्याय पाने के लिये दिल्ली जाना पड़ेगा तो उस पर क्या आर्थिक भार पड़ेगा यह बात भी विचारणीय है। आज पश्चिमी प्रदेश से एक आवाज चली आ रही है तेजी से कि मेरठ में उच्च न्यायालय की एक बेंच स्थापित की जाये। हमारे विधि मन्त्री जी इटावा से चुनकर आये हैं। वे इस प्रदेश की जनता के साथ, गरीब किसानों के साथ न्याय नहीं करना चाहते क्योंकि अब उसको दिल्ली के अन्दर न्याय पाने के लिये जाना पड़ेगा। तो मैं केवल दो तर्क रखता हूं कि प्रदेश के गरीब किसानों के साथ न्याय किया जाय और इलाहाबाद के उच्च न्यायालय में १० जजों की नियुक्ति तो अविलम्ब की जाये।

मुझे श्रीमन् यह भी मालूम है कि जजों की नियुक्ति राष्ट्रपति महोदय करते हैं, मगर विधि मन्त्री जी या मुख्य मन्त्री जी दिल्ली जावें और राष्ट्रपति जी से मिलें और उन पर दबाव डालें और उनसे आप अनुरोध करें कि इलाहाबाद हाई कोर्ट में १० जजेज की नियुक्ति अविलम्ब करें और १५ नये पदों की जो मांग उच्च न्यायालय द्वारा की गयी है उस को स्वीकार हो कर उस पर भी नियुक्ति अविलम्ब करें। मैं चाहूंगा इसीलिये कि इस विधेयक को जल्दी में न पास किया जाय बल्कि उसके लिये एक प्रवर समिति बना दी जाय, जिसमें माननीय जयराम वर्मा जी हों, आदरणीय माधव बाबू हों, लक्ष्मी रमण जी आचार्य हों यानी जो विधि के सम्बन्ध में माने जाने लोग हैं वह रखे जावें और वे सब बातों पर विचार करके इस सदन में अपने विचार देवें तब इस सदन में यह प्रस्ताव आवें और तब विचार हो, इसीलिये मैंने यह संशोधन रखा है।

*श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी—

मैं आपकी आज्ञा से यह संशोधन उपस्थित करता हूं :

उत्तर प्रदेश उच्च न्यायालय (लेटर्स पेटेन्ट अपील समाप्ति) (संशोधन) विधेयक, १९७२ को दोनों सदनों की संयुक्त प्रवर समिति को सुपुर्द किया जाय जो अपना प्रतिवेदन एक माह में दे दे। (सदस्यों के नाम बाद में दिये जायेंगे।)

श्रीमन्, इस पर विचार करते समय मैं अपना भाषण तीन भागों में बाटूंगा। पहले तो मैं अपने विचार व्यक्त करूंगा। दूसरे, मैं कुछ सुझाव दूंगा। और तीसरे, न्याय

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री माधवप्रसाद त्रिपाठी]

मन्त्री जी ने जो तर्क आपके सामने रखा है और उसके समर्थन में जो कहा है उसका उत्तर दूंगा।

हमारे माननीय सदस्यों ने लगभग वही राय व्यक्त की जो मैं अभी कहने जा रहा हूं। मेरा कहना है कि यह कानून बना कर आप काश्तकारों का अपील करने का अधिकार छीन रहे हैं। यह कानून बना कर आप भेदभाव की भावना पैदा कर रहे हैं क्योंकि इससे मामूली अधिकार वाले छोटे-छोटे लोगों से सम्बन्धित कानून में लेटर्स पेटेन्ट का राइट आपने दिया है मगर जो भूमि से सम्बन्ध रखने वाले काश्तकार हैं उनसे वह राइट छीन रहे हैं। वह कैसे यह मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। यह बहुत बड़ा अन्याय है कि सिंगिल जज के फैसले के खिलाफ डिवीजन बेंच में जो अपील हुआ करती थी उसको उन्होंने छीन लिया। आपका कहना यह है कि इस विधेयक द्वारा कि बोर्ड आफ रेवेन्यू चाहे टेनेन्सी ऐक्ट, १९३९ या जमींदारी एबालिशन ऐक्ट, १९५० या कन्सालीडेशन ऐक्ट, १९५८ के अधीन जो फैसले होते थे उन फैसलों के खिलाफ आखिर में आर्टिकल २२६ और २२७ के अन्तर्गत डिवीजन बेन्च को लेटर्स पेटेन्ट की अपील की जाती थी।

श्री उपाध्यक्ष—

यह कुछ हिसाब है कि कितने प्रतिशत मामले जाते हैं।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी—

मुझे इसके आंकड़े नहीं मालूम हैं लेकिन मैं इसका औचित्य आपको समझा रहा हूं। तो उन्होंने कन्सालिडेशन ऐक्ट और लेन्ड से सम्बन्धित ऐक्ट्स के अन्दर काश्तकारों का यह राइट छीन लिया है। पहले कन्सालिडेशन ऐक्ट को लें, उसका मुकाबला आपने मुन्सिफ से किया। जैसे सिविल कोर्ट में सिविल जज की अपील डिस्ट्रिक्ट जज और डिस्ट्रिक्ट जज की अपील सिंगिल जज और फिर डिवीजन बेन्च में की जाती है वैसे ही अधिकार इनको है कि ३-४ दरवाजों से पार कर जाते हैं।

मैं मन्त्री जी से पूछना चाहता हूं कि मुन्सिफ हमारा विधि विशेषज्ञ है? सिविल जज, हाई कोर्ट का जज, ऊंचे से ऊंचे जा कर वह राहत पाता है। तो क्या आप ए० सी० ओ० के फैसले का मुन्सिफ से मुकाबला करते हैं, सी० ओ० के फैसले का सिसिल जज से मुकाबला करते हैं और डिप्टी डायरेक्टर के फैसले का सिंगिल जज से मुकाबला करते हैं? क्या यही न्याय है? कानूनगो की हैसियत है ए० सी० ओ० की और सी० ओ० भी वही हैसियत रखता है। उसको आप सिविल जज के समकक्ष लाते हैं। यह कभी नहीं हो सकता। वह एक्सपर्ट्स हैं। कन्सालिडेशन विभाग में जो डी० जी० आर० है वह एक्सट्रेनुअस सर्कमस्टांसेज से प्रभावित होता है। ऐसा सिविल जज, डिस्ट्रिक्ट जज और हाई कोर्ट में नहीं होता।

कन्सालिडेशन महकमे के हाकिम एक्सट्रेनुअस सर्कमस्टाँसेज से आज प्रभावित होते हैं जिसमें १० बीघे, ५० बीघे, हजार बीघे में किसी काश्तकार के राइट का निर्णय होता है। उसके अधिकार का निर्णय होता है। अपने उस अधिकार के लिये काश्तकार अन्त तक लड़ता है। आज आप उसके दरवाजे बिलकुल बन्द कर रहे हैं। आप कहते हैं कि सिंगिल जज के फैसले के बाद सुप्रीम कोर्ट में वह स्पेशल लीव कर सकता है।

एक तरफ आप कहते हैं खर्च कम हो, न्याय सस्ता किसान को सुलभ हो, दूसरी तरफ एक काश्तकार के लिये आप कहते हैं कि वह सुप्रीम कोर्ट जाय। अगर वह सुप्रीम कोर्ट जायेगा तो उसको एक वकील की उतनी फीस देनी होगी जितनी कि हाई कोर्ट के दस वकीलों की होती है। मैं पूछना चाहता हूं कि कितने परसेन्ट लीव अलाउ होती है सुप्रीम कोर्ट में ? उनका कितना परसेन्टेज है ? ला विभाग के अधिकारी यहां बैठे हैं, वे जानते होंगे, जहां तक मुझे स्मरण है, सन् १९६४ में एक ऐसा प्रसंग आया था। उस समय कानून में भी यह प्राविधान था कि कान्सालिडेशन कोर्ट भूमिधरी के राइट का फैसला नहीं कर सकती। वह सिविल जज को रिकमेंड करेगी और सिविल जज एक आर्बिट्रेटर को नियुक्त करेगा। लेकिन अब जो आप कर रहे हैं इसके द्वारा यह चीज खत्म हो जाती है। सिविल जज को आर्बिट्रेटर के पास भेजने का अधिकार नहीं है। आपके इस निर्णय के कारण हजारों केसेज जो इस प्रकार विचाराधीन थे खटाई में पड़ गये।

भूमिधरी राइट का फैसला तो वही आर्बिट्रेटर कर सकता है, सिविल जज नहीं कर सकता। जमीन के प्रति काश्तकार का जो राइट है उसके लिये वह आखिर तक लड़ता है, लेकिन जब उसके लिये वह अन्तिम दरवाजा आप बन्द कर देंगे तो उसको कैसे न्याय मिलेगा। सिगल जजों को अक्सर देखा गया है कि वे इस कानून के अच्छे ज्ञाता नहीं होते। मैं किसी जज की बुराई नहीं कर रहा हूं, लेकिन उनको सिविल ला की जानकारी होती है, क्रिमिनल ला की जानकारी है, मगर इस टेनेन्सी ला से ही वे अच्छी तरह परिचित नहीं होते। अगर कहीं सिंगल जज के यहाँ गलती हो जाती थी तो वह डिवीजन बेन्च के सामने जा सकता था। सुप्रीम कोर्ट में जाने की जरूरत नहीं पड़ती थी। मगर अब आप ने उनका वह दरवाजा बन्द कर दिया है।

श्री उपाध्यक्ष--

ऐसा है कि मुझे पूरी तरह तो मालूम नहीं है, लेकिन मैंने पूछा था तो पता यह चला था कि इसका प्रतिशत एक है।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी--

जी यही परिस्थिति है। मैं एक मिसाल दे रहा हूं। होता क्या है ? रेवेन्यू बोर्ड में जो फैसले होते हैं, जो प्रक्रिया अपनायी जाती है, वही उसके बाद भी सिंगल जज के यहाँ अपनाई जाती है। अब यहाँ अगर कोई गलती रहती है तो डिवीजन बेन्च के सामने जाने का अधिकार उसको रहता है। इसको अब आप तोड़ रहे हैं। अब मान्यवर, सिंगल जज का फैसला अन्तिम होगा। काश्तकार आगे जा ही नहीं पायेगा। कोई एक परसेन्ट चला जायेगा सुप्रीम कोर्ट में, मगर ९९ परसेन्ट के लिये दरवाजा बन्द हो जायेगा। वह स्पेशल लीव नहीं कर सकता।

यह बोर्ड आफ रेवेन्यू क्या है यह न आपसे छिपा है, न हमसे छिपा है और न ही मन्त्री जी से छिपा है। अभी इन्हीं के नीचे जो ट्रांसपोर्ट कमिश्नर थे, जब उन्हें उस से हटाया तो बिल यह खोजने लगे कि कहाँ इन्हें भेजें। तो समझ में आ गया कत्ल करो, सैकड़ों का कत्ल करो, टेनेन्सी ला में, बोर्ड आफ रेवेन्यू में भेज दो। एक और थीं कुसुमलता या जाने क्या नाम था, कहीं थी, शायद बरेली की कलेक्टर थी, जिनका कानून से कोई मतलब नहीं

[श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी]

था, सिविल लाज से कोई मतलब नहीं था। उनसे भी नाराज हुये या और कोई कारण पैदा हुआ, कि इन्हें नजर आया कि बोर्ड आफ रेवेन्यू में इन्हें भेज दो। बोर्ड आफ रेवेन्यू के मेम्बर्स आप यहाँ लाकर देखें, जिनकी कल हमने परिभाषा की थी।

बोर्ड आफ रेवेन्यू के फैसले अधिकांश गलत होते हैं। इसलिये प्राविधान कर दिया जाता है कि सिंगल जज के पास जाय, किन्तु यदि वह लड़खड़ाया तो निश्चित है कि न्याय की हत्या होगी। यदि उसको वहाँ से राहत नहीं मिली तो वह डिवीजन बेंच में अपील करता, पुराने वकीलों से बहस कराता और कम फीस में वहाँ काम हो जाता है, लेकिन आपने उससे यह अधिकार छीन लिया है। उससे पहले सुप्रीम कोर्ट में जाने की कोई जरूरत नहीं थी, लेकिन अब वह सिंगल जज से सीधे सुप्रीम कोर्ट को जाये। अभी तक कोई खास केस में सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ता है। अगर पहले वाली से राहत नहीं मिली तो वह दूसरे के पास जाता था, वहाँ भी फेल होने पर वह तीसरे के पास जाता था और वहाँ से भी फेल होने पर और आगे जाता था। इस तरह से उसे पूर्ण संतोष हो जाता है। वह मान जाता था कि एक आदमी बेईमानी करता है, लेकिन सब नहीं करते हैं, उसका केस ही कमजोर होगा। इस तरह से उसको आत्मा को सन्तोष हो जाता है। लेकिन आप उसका आत्म सन्तोष भी ले रहे हैं और सिंगल जज के बाद उससे कह रहे थे कि वह सुप्रीम कोर्ट में जाय।

मैंने इसको डिस्क्रिमेनेट्री क्यों कहा? छोटे काश्तकार बहुत हैं उनके लिये आपने दरवाजा बन्द कर दिया, लेकिन शहरों में एक १५ रुपया किराया देने वाला या पाने वाला लैन्डलार्ड है, वह अपने टेनेन्ट को बेदखल करना चाहता है और इसकी परमीशन चाहता है, तो वह प्रार्थना रेन्ट कन्ट्रोल अफसर के पास भेजता है, वहां नहीं पाता है तो वह कमिश्नर के पास जाता है, वहाँ से भी न मिलने पर वह सरकार के सेक्रेटरी के पास जाता है। वहाँ भी यदि परमीशन न मिली तो स्पेशल जज के पास जाता है, उसने भी नहीं दिया तो वह डिवीजन बेंच में जाता है। तो आपने १५ रुपया किराया पाने वाले के तो अधिकार कायम रखे हैं किन्तु उसका छीन लिया। प्रधानों, सरपंचों का प्रश्न आया, टाउन एरिया का प्रश्न आया, उनके लिये बदस्तूर दरवाजे खुले हुये हैं, वे सुप्रीम कोर्ट तक जा सकते हैं, लेकिन यह गरीब किसान नहीं जा सकता है। मैं कहना चाहता हूं कि यह डिस्क्रिमेनेटरी ट्रीटमेंट उस काश्तकार के साथ आप का क्यों है? आपने काश्तकारों के लिये सही दरवाजे क्यों नही खोले, जो प्रधानों और सरपंचों के लिये तथा शहर के टेनेन्ट्स और लैन्डलार्ड्स के लिये खुले रखे हैं। उनके आपने खुले रखे हैं क्योंकि आपको प्रधानों और सरपंचों की कृपा से वोट मिलते हैं। ऐसी भेदभाव पूर्ण बात क्यों, यह मैं आपसे पूछना चाहता हूं।

दूसरी बात मैं आपसे कह दूं। मान्यवर, हाईकोर्ट की बात आई। एक बात मैं आपकी आज्ञा से कह दूं। हाई कोर्ट बार एसोशियेशन का एक रिज्यूलूशन है। मुझे क्षमा करेंगे यदि यह सूचना मेरी गलत हो कि चीफ जस्टिस ने यह वायदा किया है जो यह अधिकार गरीब काश्तकारों का छीना जा रहा है। वह इसलिये किया जा रहा है कि नये कानून में ए० सी० ओ०, सी० ओ० को इसका अधिकार भी प्रदान कर दिया गया है कि वह बड़े से बड़े हक काश्तकारी के बारे में फैसल करे। उसने निर्णय किया है कि यदि सिंगल जज का

फैसला अन्तिम होगा तो उनके साथ अन्याय होगा। यदि आप आज्ञा दें तो मैं हाईकोर्ट बार एसोसियेशन का रिज्यूलूशन आपके सामने पढ़ दूं :

'The High Court Bar Association, Allahabad on Monday passed a resolution urging the State Government not to pass the U. P. High Court (Abolition of Letters Patent Appeal) Amendment Ordinance, 1972.

The resolution said that by the abolition of Letters Patent appeal in the consolidation cases and in the cases decided by the Board of Revenue by the aforesaid ordinance a final seal appeared to have been set on the discriminatory treatment of the poor section of the people of this State.

क्षमा करेंगे, मैं उसका हिन्दी में अनुवाद कर दूंगा।

The following is the text of the resolution :

"The British Government had a policy dictated by the needs of a foreign Government of having an administration of justice which gave courts inferior in experience and status to more than seventy percent of the population of this country by providing for decision of questions of their title by revenue courts-though even they recognized and in serious disputes of title the issue of title was to be refered to the Civil Courts. But our own Government had made the position of the poor agricultural section of the population even worse by giving to them persons who in most cases are without judicial training.."

"The Association urges upon I. P. Legislature and Government to consider the matter seriously and not to pass such a Law"

उन्होंने काश्तकारों के अधिकार के महत्व को आपके सामने प्रकाश में रखा है। और कहा है कि अंग्रेजों ने इस पर विशेष ध्यान नहीं दिया। हमारी सरकार गरीबों के हित को इंकार करे और इस प्रकार का कानून बनाये, यह उचित नहीं है। आप कहते हैं कि ७० हजार केसेज पेंडिंग हैं। मैं पूछना चाहता हूं कि इसमें कितने मिस्लेनियस केसेज हैं। दूसरी बात यह बताया कि एक परसेंट केसेज कामयाब हुये हैं। उसका एक तो मैंने यह जवाब दिया कि मानसिक भावना है कि हमने अन्त तक दरवाजा खटखटाया। लेकिन यह फांसी से बदतर है अगर उसकी जीविका चली जाय। अगर वह हार जाता है तो उसको आत्म संतोष हो जाता है। लेकिन एक भी परसेंट बताइये, वह कौन सी अपीलें हैं, किस सन् से किस सन् तक हैं। न्याय का दरवाजा बन्द करने का तरीका, परसेंटेज निकालकर हिसाब देना नहीं है। यह सरकार आंकड़ों पर खेलती है।

एक बात जजेज के अप्वाइंटमेंट के बारे में कहना चाहता था। चीफ जस्टिस ओक थे। उन्होंने सिफारिश की कि अमुक-अमुक जज कनफर्म न हों। कोई खाता है कोई पीता है भगवान जाने क्या स्थिति है। उन्होंने उनकी आदतों को देखा और कहा कि ये कनफर्म न हों लेकिन लोकप्रिय सरकार ने चारों जजों को कनफर्म कर दिया। मैं नाम नहीं लेना चाहता।

दो-ढाई महीने की बात है। एक सज्जन जा रहे थे दिल्ली, एअर कन्डीशन में बैठे हुए थे। उसमें एक सज्जन और थे। दोनों का कोट एक किस्म का था। उन्होंने कहा कि मैं बाहर जा रहा हूं। सम्भावित कैंडीडेट थे हाईकोर्ट के। वह निकल कर आये।

[श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी]

उन्होंने निकल कर देखा। एक महान् व्यक्ति उसमें बैठा हुआ था, जिसका बनाने बिगाड़ने में हाथ है। आज इन परिस्थितियों पर विचार करना पड़ेगा। चार आदमियों का नाम रेकमेंड हो कर हाई कोर्ट में आया है कि इन लोगों को हाई कोर्ट का जज बना दिया जाय। बना दीजिये हाईकोर्ट का जज। वह हाईकोर्ट का जज बनेगा तो जैसे और हैं वैसा वह भी होगा। वैसे वह भी फैसला करेगा। आज यह खेल हो रहा है। लेकिन सत्य निकल जाता है टाइट लिप्स से भी।

जजेज के अप्वाइंटमेंट्स के बारे में चिन्ता करें। पचास वर्ष से कम उम्र वालों को हाई कोर्ट का जज मुकर्रर न करें। याद रखें मेरा किसी विशेष व्यक्ति से कोई मतलब नहीं है। मैं वहां वकील रहा हूं 10, 20 वर्ष से और मुझे वहीं हाई कोर्ट का जज बना दिया। मेरे एसोशियेशंस हैं। भले ही न्याय होता हो लेकिन शंका की गुंजायश रहती है। वह आदमी योग्य है तो सरकार को भारत सरकार को मूव करना चाहिये कि वह हाई कोर्ट का जज न हो, दूसरी कोर्ट्स में भेजा जाय। उसको आगे कोई नौकरी नहीं मिलनी चाहिये। उसे कोई लालच नहीं होना चाहिये ताकि निष्पक्षता से काम कर सके। एफिशियेंसी भी बहुत बड़ा कारण है जिससे मुकदमों का निबटारा नहीं होता। वेस्टेड इंट्रेस्टस मत क्रियेट करिये। ५० वर्ष से कम उम्र वालों को जज मत मुकर्रर करिये। हां वेतन बढ़ा दें, हम पास करने को तैयार हैं। योग्य व्यक्ति को रखिये लेकिन उसे कोई लालच न रहे। बीच में पैसा न खड़ा हो।

अब मैं न्याय मंत्री के तर्कों का भी जवाब दे देना चाहता हूं। उनसे मेरी पहली अपील है कि एडमिनिस्ट्रेशन आफ जस्टिस की तरफ उन्होंने कभी देखा? वह अपने जिले के पहले मंत्री हैं और इससे पहले साधारण व्यक्ति रहे होंगे। उनके कान में भी यह बात पड़ी होगी कि सिविल जजों का स्टैंडर्ड आज गिर रहा है। जनसाधारण में यह भावना है कि उनकी इंटेग्रिटी हिलने लगी है। आत्मा दुखती है जब जज की इंटेग्रिटी हिली तो डेमोक्रेसी की इंटेग्रिटी हिली। यह बात अपनी जगह सच है कि एन इंडिपेंडेंट जुडीशियरी इज बैकबोन आफ डेमोक्रेसी।

मैंने कई दफा याद दिलाई थी कि बहुत सी जगहों पर जज, मुंसिफ नहीं हैं। जिस दिन चीफ जस्टिस यहां आये और गवर्नर का चार्ज लिया मैंने उनसे कहा कि आपके यहां क्या एडमिनिस्ट्रेशन आफ जस्टिस है। आप यहां विराजमान हैं। काफी अरसा हो गया लेकिन बस्ती में सिविल जज नहीं पहुंचा। मुकदमें बढ़ते जा रहे हैं। अपनी और देखिये कितनी कोर्ट्स हैं जहां पर जज अथवा मुंसिफ नहीं हैं। एफिशियेंसी आपने गिराई, इंटेग्रिटी आपने गिराई। किसी बात की चिन्ता नहीं की। न्याय प्रशासन में ढिलाई है। एडमिनिस्ट्रेशन जज है। उनके पास पहुंच हो जाती है कि इस प्रकार ट्रान्सफर कर दो। स्ट्रेंथ आफ करेक्टर क्यों नहीं दिखाते। हम आपके पास पहुंचते हैं। इतना ही कह दीजिये कि संभव नहीं है। हम चले जायेंगे। जज डेमोक्रेसी का मेम्बर नहीं है जो इसका ट्रान्सफर रद्द और उसका ट्रान्सफर रद्द। डेमोक्रेसी से आप मजबूर हैं लेकिन आप उससे बंधे नहीं हैं।

न्याय प्रशासन की पहली कड़ी हैं। उसकी रक्षा करना आपका फर्ज है। सिविल कोर्ट्स की बिल्डिंग्स नहीं बनी। उनकी तनख्वाहों में गड़बड़ी। एक्जक्यूटिव आफिसर्स की तनख्वाहें बढ़ती जाती हैं। सिविल जजों का मुकाबला कीजिये। मुंसिफ और डिप्टी

कलेक्टर का मुकाबला कर लीजिये। सिविल कोर्ट्स के साथ न्याय नहीं किया गया। उनका वेतन आपने ठीक नहीं रखा। आपने उनकी बिल्डिंग्स का इन्तजाम नहीं किया। वकीलों के दरवाजे जाते हैं। मुअक्किल का दिमाग खराब हो जाता है। आराम से काम होता है, दिन रात दौड़ना होता है। यह भी खराबी पैदा करने का एक कारण है।

मान्यवर, मैं अब संक्षेप में कहता हूं। आपने अभी एक चीज ला कमीशन के बारे में कह दी। बड़ी कृपा आपने की और आपकी बड़ी दया इन मामूली काश्तकारों के ऊपर है। मैं आपसे पूछता हूं कि आपने ला कमीशन की रिपोर्ट के कितनी पन्ने तक पढ़ा है ? उस रिपोर्ट में कहा गया है कि यह बड़े दुख की बात है कि हिन्दुस्तान को सबसे बड़ी खर्चीली न्याय मिली है। यह बड़ा अन्याय हुआ है। जो कोर्ट फीस आप लेते हैं उसके बारे में फर्स्ट अपील में यदि ५० पेशियां होती हैं तो तब भी आप उतनी ही फीस लेते हैं और सेकिन्ड अपील में २/३ पेशियां होती हैं तब भी उतनी ही फीस ली जाती है। मैं कहता हूं कि आपने ला कमीशन की रिपोर्ट को क्यों लागू नहीं किया। उन्होंने एक बहुत बड़ी चीज के बारे में सिफारिश की थी किन्तु उसका आप पर कोई असर नहीं पड़ा। आपने अपनी एक प्रणाली बनाई हुई है। जो आपको सूट करेगा वही आप करेंगे और जो आपको सूट नहीं करेगा उसे आप नहीं करें यह कहां का न्याय है।

मान्यवर, दूसरी बात यह है कि मुझे जो सूचना मिली है उसके अनुसार स्पेशल अपीलों का परसेन्टेज ४० है जिसे कि आप केवल १ प्रतिशत बताते हैं। इसका कारण मैंने आपको बता दिया। मैंने आपके सामने फोकस करने का प्रयास किया है कि आपका यह कानून भेदभाव पैदा करता है। आपका यह कानून एक तरफ तो गरीबों को ही छूता है दूसरी तरफ बड़े आदमियों को नहीं छूता है।

एक बात यह भी है कि अगर सिंगल जज की रूलिंग एक प्रतिशत होगी तो वह दूसर केसेज के लिये एक मार्गदर्शन हो जायेगा। इसलिये मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आप कृपा करके इन बातों पर ध्यान दें। आप खुद कहते हैं कि ३ एकड़ वालों का प्रतिशत ज्यादा है, मैं कहता हूं कि १० एकड़ वालों का परसेन्टेज ज्यादा है तो तब क्या परिस्थिति होगी। मैं तो समझता हूं कि आप गरीबों के हितों के लिये एक निश्चित प्रणाली बना दें किन्तु आपने तो डाइरेक्ट टैक्स से, इन डाइरेक्ट टैक्स से, लैंड लेवी से, एग्रीकल्चरल टैक्स से तथा सेन्ट्रल ऐक्ट के द्वारा गरीब की नस-नस में जोंक लगा दी। इस लिये आप एक स्वतंत्र प्रणाली बनायें और उस पर विचार करें। आपको सदबुद्धि आ जाय तो आप इसे वापस ले लें या इसको परिचालित कर दें जो कि इसमें अवश्य विचार करे। मान्यवर, मैं जानता हूं कि इस लेटर्स पेटेन्ट अपील के बारे में जो आपने वकील खड़े कर रखे हैं, चाहे वह कोई भी हो, शुरू से अगर वे वहां पर होते तो आज जो मारपीट की नौबत यहां पर आती है वह न आती। तो मान्यवर, मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि जो खोखला तर्क हमारे सामने हृदयहीन लोगों द्वारा रखा जा रहा है, वह न रखा जाय। मान्यवर, मुझे क्षमा करेंगे मैंने हृदयहीन शब्द का प्रयोग तर्क के सम्बन्ध में कहा है।

श्री रामगोपाल संड—

आचार्य जी, जैसा कि माधव प्रसाद त्रिपाठी जी ने कहा है कि जो हृदय आपका यहां था उसी के अनुसार आप बोलिये।

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य (जिला मथुरा)—

मान्यवर, मैं यह समझ रहा था कि जो प्रस्तुत विषय सदन के सामने हैं उसमें मैं और माननीय माधव प्रसाद त्रिपाठी जी एक होंगे । जहां तक मेरे मित्र माननीय माधव प्रसाद जी का सम्बन्ध है, यदि मन से और तन से वाली बात है, तो मैं उनको विश्वास दिलाता हूं कि मैं उनके साथ हूं लेकिन बुद्धि में साथ रहेंगे, इसकी न वे अपेक्षा कर सकते हैं और न मैं उनसे अपेक्षा कर सकता हूं ।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी—

मैं अपेक्षा नहीं करता वरना वे मेरे साथ होते ।

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य—

मैं कम से कम अपेक्षा नहीं करता कि आप बुद्धि से मेरे साथ होंगे । मान्यवर, प्रस्तुत विषय के पीछे दो भावनायें हैं । एक भावना तो यह है कि ये बहुत से कार्य जो हाईकोर्ट में किये जाते हैं उन कार्यों में कमी की जाय । ला कमीशन निरन्तर इस सम्बन्ध में जोर देता रहा है और इस बीच कई नयी चीज जो हमारे मित्र हाईकोर्ट में कार्य करते रहे हैं, जानते हैं । मुझे स्मरण है श्रीमन्, कुछ एक वर्ष पहले की बात है कि अभी तक बहुत छोटी बात पर भी बड़ी लम्बी बहस होती थी । आज हाई कोर्ट में वह प्रथा नहीं रही । और इसीलिये जो यह कहते हैं कि निरन्तर हाई कोर्ट में केस बढ़ते जायेंगे, उसमें कमी नहीं होने वाली है, उसके बारे में बराबर यह विचारा गया कि उसको कैसे कम किया जाय ।

अभी कुछ दिन पहले, यदि हमारे मित्र माननीय मंत्री जी को स्मरण होगा, जहां तक अपील का प्रश्न था, धन एक निश्चित राशि से ऊपर की अपील हाई कोर्ट में होती थी लेकिन अब वह अपील डिस्ट्रिक्ट जजीशिप में होती है । इसी प्रकार मेरा ऐसा खयाल है कि केवल एक पहलू पर सभी मित्र बैठकर विचार कर लें तो शायद वे सहमत हो जायं । यदि खर्च का प्रश्न है तो सचमुच चकबन्दी के मामले से या और छोटे मामले से गरीबों का सम्बन्ध बहुत कम है । कृषि सम्बन्धी मामलों में गरीब लोग बहुत आते हैं । टिनेंसी ऐक्ट या जमींदारी एबालिशन ऐक्ट सम्बन्धी मामले में गरीब लोगों को काफी आना पड़ता है । लेकिन मेरे मित्र कृपा करके यह न भूलें कि जितने मुकदमें लड़े जाते हैं हाई कोर्ट में या नीचे की अदालतों में उसका सम्बन्ध गरीबो से बहुत ज्यादा है और तथाकथित पैसे वाले लोगों से बहुत कम हैं । यदि मैं इसका एक विश्लेषण अपने मित्रों के सामने प्रस्तुत करूं तो उनको शायद आश्चर्य होगा कि जितने मुकदमें हाईकोर्ट में हैं कत्ल सम्बन्धी और अन्य अपराध सम्बन्धी—उन सब में गरीब आदमी बहुत ज्यादा तादाद में हैं, बड़े आदमी बहुत कम हैं ।

पहले भी मैं चर्चा कर चुका हूं और आज भी कहता हूं कि चकबन्दी सम्बन्धी कई मामले हाई कोर्ट में आते हैं फर्स्ट अपील में और रिट में भी। अगर चकबन्दी के मामले में कोई स्पेशल अपील फाइल करता है इस लेटर्स पेटेन्ट के अधीन तो एक अच्छा वकील ७००—८०० रुपये फीस का रखना पड़ता है । यहाँ पर इसलिये मैं इसका जिर्क करना चाहता हूं कि एक अच्छे वकील की फीस लखनऊ में या इलाहाबाद में भी इससे कम नहीं है । इसलिये चकबन्दी वाले मामले में हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के एक अच्छे वकील की फीस में कोई बहुत

ज्यादा अन्तर नहीं है। इसलिये यदि आप यह खयाल करते हैं कि एक दरवाजा बन्द करके आप दूसरा द्वार खोल रहे हैं, तो मैं समझता हूं कि इससे काम नहीं चलेगा।

(इस समय २ बज कर १४ मिनट पर अधिष्ठाता, श्री हरिनाथ तिवारी पीठासीन हुए।)

आपका यह खयाल गलत है। मैं केवल एक तथ्य आपके सामने रखना चाहता हूं जिस पर मेरे मित्र विचार करेंगे। चकबन्दी सम्बन्धी मामले में पहले एक व्यक्ति जिसको ए० सी० ओ० कहते हैं, निर्णय लेता है। उसके बाद एस० ओ० सी० निर्णय लेता है और उसके बाद अन्तिम निर्णय डिप्टी डाइरेक्टर का होता है। ऐसे केस आज भी मेरे पास कुछ हैं। मैं जानता हूं कि एक विषय पर तीन निर्णय होते हैं, ए० सी० ओ०, एस० ओ० सी० का और उसके बाद अन्तिम निर्णय होता है डिप्टी डाइरेक्टर का। और इन तीनों के निर्णय के बाद, मेरे मित्र मुझे क्षमा करें, मैं कह सकता हूं कि किसी भी निर्णय को लेकर हाई कोर्ट में रिट दाखिल की जा सकती है। अगर किसी सिंगल जज का निर्णय है तो स्पेशल अपील दाखिल की जा सकती है, चाहे खारिज हो जाये। यह भी निश्चित है कि जो रिट पेटीशन आती हैं चकबन्दी की, उनमें बहुत बड़ी तादाद उनकी होती है जो खारिज होती हैं लेकिन दाखिल हो जाती हैं। इसमें कोई शुबहा नहीं है। आज इलाहाबाद हाई कोर्ट की या लखनऊ बेंच की पत्रावलियाँ देखी जायें तो बहुत बड़ी संख्या उनकी मिलेगी जो दाखिल तो हुई लेकिन रिजेक्ट हो गईं। मैं कहना चाहता हूं कि अंतिम निर्णय होगा या नहीं।

एक बार सी० ओ० के यहाँ निर्णय होगा, फिर एस० ओ० सी० के यहाँ और फिर डिप्टी डायरेक्टर के यहाँ होगा। यदि वह किसान किसी वकील साहब के पास पहुंच जाये तो उसकी रिट फाइल होगी। अगर वह एडमिट नहीं होगी तो उसका रिन्यू फाइल होगा और यदि वह एडमिट हो गया तो रिट सुनी जाय और यदि सिंगल जज निर्णय दे तो स्पेशल अपील के लिये एडमिट हो सकती है। संविधान के आर्टीकिल १३३ के अन्तर्गत १३६ में सुप्रीम कोर्ट में मामला उठाया जा सकता है। मैंने देखा है कि संसार के किसी देश में एक ही बात के निर्णय के लिये इतनी अदालतें नहीं हैं। मेरे कहने का मतलब यह है कि कहीं इसका कोई अन्त है या नहीं।

मैं कहना चाहता हूं कि न जाने कितने निर्णय प्रिवी कौंसिल के और न जाने कितने निर्णय सुप्रीम कोर्ट के समय ने समाप्त कर दिये हैं। ३४२ जाब्ता फौजदारी में १९३४ में सुप्रीम कोर्ट से निर्णय हुआ डाक्टर द्वारकाप्रसाद मिश्र के संबंध में कि अगर ३४२ की पूरी पाबंदी नहीं की गई है तो अभियुक्त बरी होने के योग्य है और इसी पर अभियुक्त को बरी कर दिया गया। इस प्रकार से न जाने कितने निर्णय गलत सिद्ध हो जाते हैं। मैं एक तथ्य देना चाहता हूं। मेरे माननीय मित्र जो विधिवेत्ता हैं, जिनका विधि से संबंध है, यदि वह देखें तो सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के संबंध में उनके मन में धारणा हो सकती है कि वह शायद सही नहीं है, इसी प्रकार से हाई कोर्ट के निर्णय के संबंध में भी धारणा हो सकती है। लेकिन अन्त में निर्णय कहाँ होगा। आखिर मुकदमेंबाजी का ताँता जिससे हम किसान को बचाना चाहते हैं तो फिर मुकदमेंबाजी में बीच का बोझ क्यों उसके ऊपर रखा जाता है।

[श्री लक्ष्मीरमण आचार्य]

एक और साधारण सी बात है कि सिंगल जज का निर्णय हुआ, उसमें कोई गलती रह गई। कोई जज ऐसा होता है जो रेवेन्यू का विशेषज्ञ होता है, कोई जज इनकम टैक्स का विशेषज्ञ होता है और कोई जज क्रिमिनल ला का विशेषज्ञ होता है, लेकिन हाई कोर्ट में सभी का संबंध विधि ज्ञान प्रत्येक की शाखा से होता है और ऐसा कहीं भी नहीं है कि यदि एक व्यक्ति एक चीज का विशेषज्ञ है तो हाई कोर्ट में उसे केवल वही काम मिले और दूसरा कार्य उसे न मिले और अगर उसे वह काम नहीं मिला है तो वह उस सम्बन्ध में अपना निर्णय सही तौर पर न दे सकेगा। मैंने यह जिक्र इसलिये किया कि मेरी निगाह में शायद यह सदन इस चीज को स्वीकार करें कि गरीबों का पैसा खर्च होने की एक कड़ी को इस तरह समाप्त किया जा रहा है, उस कड़ी को समाप्त किया जा रहा है जो कई तरह से निरर्थक हो गई है और जिसका दूसरा रूप संविधान की धारा १३३ में मौजूद है। जिस कड़ी की आवश्यकता नहीं है उसको समाप्त करें और हम चाहते हैं कि न्याय मंत्री जी यदि उसके आँकड़े और संख्या दें तो ५-६ हजार चक-बन्दी के रिट दाखिल होते हैं और जितने रिट दाखिल होते हैं उनमें से आधे से ज्यादा शायद चकबन्दी के होते हैं।

चकबन्दी के समय जो सिंगिल जज के यहाँ से फैसले हुये यदि यह कड़ी और रहे तो यह बीच में एक व्यक्ति के खर्चे का एक साधन और है जिस को हमें समाप्त करना होगा। कौन निर्णय सही है और कौन निर्णय गलत है, मैं अत्यन्त नम्रतापूर्वक कहूंगा कि निर्णय का गलत या सही होना तो उस व्यक्ति की बुद्धि पर निर्भर है जो शासन की नीति की कुर्सी पर बैठ कर निर्णय लेता है और कभी-कभी हम ईमानदारी से उससे सहमत होते हैं और कभी नहीं होते हैं, जिस व्यक्ति से सम्बधित है वह विरोध में हो तो आप सहमत नहीं होंगे, विधिक हो तब भी सम्भव है कि वह सहमत हों या न हों। इसलिये मेरी तो विनीत प्रार्थना थी कि इस पर विचार कर के बीच की इस निरर्थक कड़ी को जिस में कोई लाभ नहीं है और जिसके द्वारा एक प्रतिशत भी मामले स्पेशल अपील में तय भी नहीं होते और जिनके निर्णय भी कोई लाभदायक नहीं होते, मेरा विश्वास है कि इस कड़ी को समाप्त किया जाय तो अनुचित न होगा।

आप की अनुमति से श्रीमन्, मैं केवल २ चीजों का और जिक्र करना चाहता हूं। एक तो यह है कि यह बहुत ही दुखद है, जो भी उसके लिये जिम्मेदार हो मैं नहीं कहता कि कौन जिम्मेदार है लेकिन चूंकि मैं स्वयं इस विभाग से सम्बद्ध रहा हूं और मुझे भी इसकी सेवा का अवसर मिला है सरकार में रहकर और बाहर भी मैं इससे सम्बद्ध हूं इसलिये मैं केवल इतना कहूंगा कि कोई न्याय या औचित्य नहीं है कि १३ जजों की कुर्सियाँ खाली रहें और काम में बाधा हो। लखनऊ में ४ जज बैठते हैं जब कि ७–८ बैठने चाहिये। इसी तरह से इलाहाबाद में भी कुर्सियाँ खाली पड़ी हैं। ऐसा कभी नहीं हुआ, यह क्यों हुआ इसको समझने की लोगों में क्षमता नहीं है। मेरा न्याय मंत्री जी से नम्र निवेदन है कि कृपा कर इन कुर्सियों को फिलअप करने का प्रबन्ध करें और इन न्याय की कुर्सियों पर जजों की नियुक्ति करायें क्योंकि इससे दुखद और कोई चीज हो नहीं सकती। यदि यह चीज चलती रही तो जो मुकदमों की बकाया और एरियर्स पड़े हुये हैं वे इतने बढ़ जायेंगे कि जो शायद कभी समाप्त नहीं होंगे।

दूसरी बात यह है कि मेरठ में भी एक बेंच स्थापित करने की बात उठती है। मेरठ की बात तो जब होगी वह होगी लेकिन अभी आप लखनऊ बेंच को ही देख लें, यहाँ की दुर्दशा यह

है कि अभी यह मामला ही तय नहीं हो पाया है कि लखनऊ बेंच का एक्सक्लूसिव जूरिसडिक्शन है या नहीं है। हाईकोर्ट में यह मामला आया और बात इधर-उधर हो कर रह गई। इस के कारण लखनऊ बेंच में काम प्रायः समाप्त होता जाता है। लखनऊ बेंच को एक्सक्लूसिव जूरिसडिक्शन देने के लिये कानून बनाया गया था और वह काफी हद तक बन गया था और तय हुआ था कि लखनऊ बेंच की एक्सक्लूसिव जूरिसडिक्शन मिलेगा। लेकिन वह कानून अभी तक सदन में नहीं आ सका, अब वह कौन दबाव है, किन कारणों से वह नहीं आ सका वह मैं नहीं जानता लेकिन जब मेरठ में अलग बेंच की आवाज उठती है और मांग होती है तो जो लखनऊ बेंच है उसी को अभी एक्सक्लूसिव जूरिसडिक्शन प्राप्त नहीं है तो मेरठ की भी अलग बेंच हो जायगी तो उसकी भी वही दुर्दशा होगी।

आज जो लखनऊ में अपीलें दायर हुई हैं उन में से ५० प्रतिशत से अधिक केवल सरकार के द्वारा दाखिल की हुयी हैं जो अभियुक्तों के बरी होने के सम्बन्ध में हैं। जमानतों के सम्बन्ध में यह कहा जाता है कि इलाहाबाद में आसानी से हो जाती हैं, इसलिये यहाँ पर न की जायं। इसी प्रकार से दीवानी में फौजदारी में और चकबन्दी की रिटों में है। केवल रिट्स का कार्य यहाँ पर रहता है। तो मैं बहुत नम्रतापूर्वक यह निवेदन करना चाहता हूं कि कृपा करके इसपर विचार करें और इस मामले को जितना जल्दी हो सके तय किया जाना चाहिये और अगर बेन्चेज ही क्रिएट करना है चाहे मेरठ में करना हो, आगरा में करना हो तो उनको एक्सक्लूसिव जूरिस्डिक्शन। डिसैन्ट्रलाइजेशन की जो बात आपके मन में है अगर वह करना है या जो एरिया हैं, उनको समाप्त करना है तो जब तक एक्सक्लुसिव जुरिस्डिक्शन नहीं होगा, एरियर्स समाप्त करने वाली बात कभी पूरी नहीं होगी।

इन शब्दों के साथ माननीय न्याय मंत्री द्वारा जो संशोधन विधेयक यहाँ पर रखा गया है, उसका मैं समर्थन करता हूं।

*श्री शम्भूनाथ चौधरी (जिला बलिया)--

माननीय अधिष्ठाता महोदय, जो माननीय मंत्री जी ने और हमारे आचार्य जी ने जो विचार रखे इन दोनों की सहमति मिली। इन्होंने कहा कि बिल लाने का सबसे बड़ा कारण यह है कि अपीलों की संख्या बढ़ती चली जा रही है और ढेर लग गया है। मेरा कहना यह है कि सरकार खुद एक कूड़ा है और जब तक वह साफ नहीं होगा, ढेर समाप्त नहीं हो सकता है। बड़ी बातें हुयी गरीबों की और उनकी बात कहकर उनका शोषण करना उनकी नीति का कृत्य हो गया है। कोई भी आदमी जिसे भूमि कानून का अच्छा ज्ञान है वह फौजदारी कानून में भी निपुण हो, दोनों की अच्छी जानकारी हो यह असम्भव है। या जो वकील सिविल और फौजदारी के मुकदमें करता हो वह दोनों में निपुण हो, यह बहुत मुश्किल बात है। किंचित ही वकील होंगे जो माल और फौजदारी दोनों में काफी निपुण हों। मैं तो एक वकील रहा हूं और मुझे १० वर्ष का अनुभव है। मैं पूर्ण रूप से जानता हूं। सरकार का कहना की अपीलों की भरमार है, जरूर होगी। जब आप जजों की व्यवस्था नहीं करेंगे तो अपीलों का निस्तारण ही नहीं होगा।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री शम्भू नाथ चौधरी]

अभी ६ महीने से ८ जजों के स्थान रिक्त हैं। वे ये हैं। इनके मैं नाम गिनाता हूं। इनमें एक श्री शिवनाथ काटजू, (२) श्री दुर्गेसर दयाल, (३) श्री सेठ भीमराव नारायण रावलोकुर, (४) ज्ञानेन्द्र कुमार, (५) डब्लू० ब्रूभ, (६) श्री गुरुशरण लाल श्रीवास्तव। ये लोग ६ महीने पूर्व अवकाश प्राप्त कर चुके हैं। और श्री हबीबुल्ला बेग और श्री रघुनन्दन स्वरूप पाठक मुख्य न्यायमूर्ति के पदों पर पदोन्नत किए जा चुके हैं। ६ महीने से अधिक का समय हो गया है लेकिन ये स्थान अभी तक रिक्त हैं।

अगर यह रवैया आपका रहा, आप नियुक्ति नहीं करते हैं तो अपीलों का निस्तारण तो पड़ा रहेगा। वह होगा नहीं और आपका ध्यान नहीं जाता है। इसलिये नहीं जाता है कि जजों की नियुक्तियों में श्रीमन् इनका वश थोड़ा कम चलता है। इनके बंश की बात हो तो ये दस की जगह बीस बैठा देंगे पर्ची काटकर। लेकिन जजों की नियुक्ति में इनकी अपनी मानमानी नहीं चलती। इसलिये इनका अपना स्वार्थ हल नहीं होता है।

श्रीमन् रूस में हमारे एक साथी गये थे। रूस से लौटकर आये तो उन्होंने यह बताया, मैं तो लोअर कोर्ट की बात कहता हूं और आप हाई कोर्ट की बात कहते हैं—कि रूस में लोअर कोर्ट में एक मैजिस्ट्रेट नहीं बैठता, दो और तीन बैठते हैं। मैं तो निश्चत रूप में कहता हूं कि आप इस बिचौलिये को समाप्त कर दीजिये। किसी एक समय देश में एक जज द्वारा निर्णय ही आपत्तिजनक है। अगर आपकी थोड़ी सी भी हमदर्दी हिन्दुस्तान के गरीब किसान के साथ है या थी तो आप यही करते कि एकल न्यायाधीश की जो व्यवस्था है उसको आप समाप्त करते और ट्रिब्यूनल बेसिस जो होता है वैसी व्यवस्था आप करते।

जैसा कि त्रिपाठी जी ने कहा कि अपीलों का ढेर किसानों के भौमिक मसले को लेकर ही होता है। कितनी ही रिटें पंचायतों की पड़ी हुई हैं। टाउन एरियाज, महापालिका या नगर पालिका के चुनाव आपके हुए उनकी रिटें अभी तक पड़ी हुई हैं। उनको समाप्त करने की आपकी हिम्मत नहीं होती। आप समाप्त करने कहाँ जा रहे हैं। जो ब्राह्मणों की थाती है और आप यू० पी० जमीन्दारी ऐक्ट, टेनेन्सी ऐक्ट आदि के द्वारा गाइड होते हैं।

श्रीमन्, यह उत्तर प्रदेश कृषि प्रधान प्रदेश है। ८६ प्रतिशत के लगभग किसान यहाँ रहता है और उनके जो आपसी झगड़े हैं वे जमीन को ही लेकर अधिकांश हैं और जमीन के झगड़ों का दरवाजा अगर आप बन्द कर देंगे तो उनको निर्णय मिलना मुश्किल हो जायेगा। जो कहा जाता है कि गरीब बहुत नहीं पायेगा, आज गरीब को हाई कोर्ट और स्पेशल अपील में जाना पड़ रहा है। हमारी संविद सरकार न्यायपालिका और कार्यपालिका को अलग करने में, प्रयत्नशील रही लेकिन वह सरकार अधिक दिन तक नहीं रह पाई।

आज भी कार्यपालिका यू०पी० टेनेन्सी, जमीन्दारी उन्मूलन और चकन्बदी के मुकदमें एस० सी० ओ० द्वारा करवाती है, वह आज भी हाइकोर्ट के मातहत नहीं है। वे न्यायपालिका के अन्तर्गत नहीं हैं, कार्यपालिका के वे मैजिस्ट्रेट हैं। उनके द्वारा जितने कानूनों का आप उल्लेख कर रहे हैं वे उनके द्वारा होता है।

यह निश्चित है कि जो निर्णय कार्यपालिका के अधिकारी या मैजिस्ट्रेट द्वारा होगा उस निर्णय में शासन के लोगों का हाथ होगा और यह निर्विवाद सत्य है कि कांग्रेसी एम० एल० ए० का ही सी० ओ० वगैरा के तबादले करवाने और रुकवाने में हाथ होता है। जनता की यह धारणा बन चुकीहै कि आज न्याय नहीं मिल रहा है जब से ये समाजवादी कहलाने वाले लोग यहाँ बैठ गये। जो कुछ भी न्याय अगर कहीं रह गया है वह हाई कोर्ट में है और मैं नहीं समझता कि यह न्यायालय भी कब तक इस झोंके से बचा रहेगा।

माननीय मंत्रीजी ने संविधान की धारा २२६ और २२७ का हवाला देकर इस स्पेशल अपील का अधिकार छीन रहे हैं, मान्यवर इससे बड़ा मुश्किल हो जायेगा। माननीय मंत्री का ध्यान संविधान की धारा १३३ की ओर दिलाना चाहता हूं।

"Notwithstanding anything in this Article, on appeal shall, unless Parliament by law otherwise provides, lie, to the Supreme Court from the judgement, decree or final order of one judge of a High Court."

आप कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकता है, तो उसके लिये भी पार्लियामेंट के कानून की जरूरत है। अगर २० हजार की ज्यादा की प्रापर्टी होगी, तो उसके खिलाफ जो न्यायाधीश का आर्डर होगा, सुप्रीम कोर्ट में नहीं जा सकता। इधर आप स्पेशल अपील का दरवाजा जनता के लिये बन्द कर रहे हैं।

मुझे आश्चर्य है कि हमारे न्याय मंत्री जो किसान का बेटा है किस तरह से किसान विरोधी विधेयक लाने की हिम्मत की है। लेकिन उनकी स्थिति कुछ दयनीय जरूर है, इसलिये मुझे ज्यादा दुख नहीं हुआ। आप जो गरीब-गरीब चिल्लाते हैं, तो यह कोई धनी और गरीब का सवाल नहीं है—न्याय गरीब और अमीर सभी के लिये बराबर है। न्याय-न्याय है। यह तो सरकार का ही दोष है जो इस तरह का भेद अमीर और गरीब में बना रखा है। यह कोई दूसरी सरकार नहीं—वही सरकार है पहले नेहरू जी की बाद में इन्दिरा जी की। आप बहुमत के आधार पर मानमानी करेंगे तो बड़ा अन्याय हो जायेगा।

मंत्रीजी ने कहा कि एक प्रतिशत जनता को राहत मिली। मैं तो यहां तक कहता हूं कि एक प्रतिशत नहीं मिली, केवल आधी प्रतिशत मिली है और वह राहत भी आप अपने इस किसान विरोधी विधेयक के द्वारा जो लोगों को मिल रही है तो क्या आप उनकी राहत को छीन नहीं लेना चाहते हैं। कौन सी ऐसी बुनियादी बात है इसके लिये। जो अपीलें मन्जूर होंगी, वे गरीबों की अपीलें हैं या धनियों की अपीलें हैं। मेरा दावा है। मैं तो वकील रह चुका हूं। जो अपीलें इस प्रकार स्वीकृत होती थीं, वे गरीबों की ज्यादा अपीलें स्वीकृत हुई है, धनियों की अपीलें कम स्वीकृत हुई है। ऐसा क्यों है? क्योंकि धनी तो नीचे की अदालत से पैसा देकर काम चला लेता है। लेकिन वहां हाई कोर्ट में तो पैसे से काम चलने वाला नहीं है।

हाई कोर्ट को पैसे से प्रभावित नहीं कर पाता है। तो आपको इस राहत को नहीं छीनना चाहिये। खेत में काम करने वाले स्वाभाविक है, अंग्रेजी नहीं जानते हैं। जज की कुर्सी पर अगर किसान का बेटा ही जज बने तो वह वास्तव में जमीन की भौमिक अधिकारों के बारे में व्यवहारिक जानकारी रख सकता है। लेकिन होता यह है कि ना जानकारी रखने

[श्री शम्भू नाथ चौधरी]

वाले लोग ट्रेबुनल के रूप में बैठते हैं । तो उसमें दूसरे और तीसरे जजेज बात करके अपनी शंकाओं का समाधान करके एक सही निर्णय पर आ सकते हैं। लेकिन हमारे माननीय मंत्री जी ने कह दिया कि न्यायाधीश ब्रह्मा की लीक होगा ।

मान्यवर, मैं तो कहता हूं कि यह ब्रह्मा की लीक या यह ब्रह्म-वाक्य किसान का हित नहीं कर सकता । अगर आप एक ही न्यायाधीश को पूरा अधिकार दे देंगे, और उसके फैसले पर अपील नहीं होगी, तो नतीजा क्या होगा ? वे भ्रष्टाचार की गंगोत्री में पांव पखारने लगेंगे। अभी तो डर है । अभी तो सोचते हैं कि हमारी भी फैसले की अपील होगी। सुप्रीम कोर्ट तक जायेगा । और जो अपीलें होती हैं, उनके फैसलों को देखकर पता लगा सकते हैं कि ये न्यायाधीश कैसे हैं । इनकी कितनी अपीलें रद्द होती हैं और कितनी स्वीकृत होती हैं। उसी से उनकी योग्यता का प्रमाण मिलता है । लेकिन अगर एक न्यायाधीश पर से यह अंकुश हट जायेगा तो इसका नतीजा क्या होगा ?

हिटलर ने कहा था कि मनुष्य बुरा नहीं होता। परिस्थितियां और शक्ति उसको बुरा बना देती हैं । अगर एक आदमी को आप इतना शक्तिवान बना देंगे, तो नतीजा होगा कि वह उसका दुरुपयोग करने लगेगा । जो स्थिति आज नीचे की अदालतों में है कि बिना पैसे के न्याय मिलना दुर्लभ है, ोक वही स्थिति हाई कोर्ट तक लाना चाहते हैं कि उनको, जजेज को इतने अधिकार दे दिये जांय कि पैसा वहां भी कारगर होने लगेगा और गरीब को न्याय मिलना दुर्लभ हो जाएगा । अगर प्रजातंत्र है, जनतंत्र है, इस पर आप विश्वास करते हैं तो न्याय के जितने दरवाजे हैं उनका खुला छोड़ना चाहिये । आप चाहते हैं कि न्याय के दरवाजे बन्द कर दिये जांय। यह बात किसी भी न्यायप्रिय व्यक्ति को पसन्द नहीं आएगी।

श्रीमन, एक १९०१ का लैन्ड रेवेन्यू ऐक्ट है। हमारे राजस्व मंत्री जी जानते होंगे। ३३ बटा ३९ में जो करैक्शन आफ पेपर्स के मुकदमे होते हैं वह बोर्ड तक जाते हैं और निर्णय होने पर यह कहा जाता कि रैग्युलर सूट पर उसकी बाइंडिंग नहीं होती। नतीजा यह होता है कि बोर्ड तक लड़ने के बाद फिर सिविल कोर्ट या २२९ बी में आता है। मैंने एक बार इसी सदन में सलाह दी थी कि जब उसकी बाइंडिंग नहीं होती है तो इस पर कुछ प्रतिबन्ध लगना चाहिये जिसे कि यह बेकार का खर्चा किसान का न होने पावे ।

श्रीमन, जो सुझाव हम देते हैं वह इनको कभी सही नहीं लगता । इनको तो केवल एक ही चीज दिखायी देती है कि गांवों को उजाड़ो और शहरों को बसाओ । बिड़ला, टाटा और डालमिया के पैसे पर यह सरकार पल रही है । इसलिये उनको मारना और इनको पनपाना होगा । हिन्डैलको पर बिजली के कई करोड़ रुपए बाकी हैं । इसी सदन में उत्तर दिया गया कि रिट है । कम दर पर बिजली दी गयी, करोड़ों रुपया बाकी है, फिर भी रिट कर दी। सालों रुपया का पड़ा रहेगा । ऐसी रिटों को समाप्त करने के लिये आप विधेयक नहीं लाते हैं । ये जो रिट हो रही हैं, बिड़ला की तरफ से, रामरतन गुप्ता की तरफ से, वी० आर० मोहन की तरफ से जो पैसा रुका पड़ा है, जिससे कि हमारी आर्थिक स्थिति सुधर सकती है, उन पूंजीपतियों की रिटों को ोकने के लिये यह सरकार कुछ नहीं कर सकती।

काश्तकारों पर लगान बढ़ाने का विधेयक तुरन्त ला सकती है । इसी तरह से बिक्री कर का २६ करोड़ रुपया बाकी है । हमारे वित्त मंत्री जी ने कहा कि दो-तीन करोड़

रुपया रिट से रुका हुआ है। तो उनकी रिट को रोकने के लिये उनकी स्पेशल अपील को रोकने के लिये सरकार के पास कोई हथियार नहीं है। अगर श्रीमन्, कोई हथियार है तो वह यही कि उनको किसान ही दिखाई देता है।

आप 18 एकड़ पर करने जा रहे हैं। 18 एकड़ की सीलिंग जो रख रहे हैं उससे अब दो ही प्रकार के किसान रह जायेंगे एक तो गरीब किसान और दूसरा मध्यमवर्गीय किसान। न्याय तो चाहे कोई धनी हो या गरीब सभी को बराबर मिलना चाहिये। लेकिन जब गरीब के पेट काटने पर आप तुल गये तो यह कहना पड़ता है कि यह न्याय नहीं अन्याय है और इससे हैरत होती है। मैं यही निवेदन करूंगा कि मंत्री जी इस विधेयक को वापस ले लेंगे और किसान के हितैषी बनेंगे। मैं तो यह समझता हूं कि मंत्री जी स्वयं इस विधेयक को आधे मन से लाये होंगे उनसे परिवहन विभाग छीन लिया गया और न्याय विभाग उनको दिया गया और इसको जबरदस्ती लाने के लिये कहा गया। इन शब्दों के साथ मैं संशोधन का समर्थन करता हूं और आशा करता हूं कि मंत्री जी इस विधेयक को वासप ले लेंगे।

*श्री जयराम यादव (जिला प्रतापगढ़)—

यह जो मौजूदा विधेयक प्रस्तुत किया गया है इस में यह भावना है कि हाई कोर्ट के एक जज का फैसला सर्वोपरि रहे और वह विक्रमादित्य बन जाय। वह अकेला ही दूध का दूध और पानी का पानी अलग कर देगा। हाई कोर्ट का एक जज कितनी गलतियां करता है। 8,10 वर्षों में हाई कोर्ट के जजों का जो स्टेन्टर्ड बना है वह आप देख ही रहे हैं। जिनका ज्यादा जोर रहा, इधर उधर से पड़ा वह हाई कोर्ट का जज बना दिया गया। केवल यह कल्पना करना कि हाई कोर्ट का जज जो फैसला करता है वह अन्तिम मान लिया जाय अब यह बात नहीं रही।

`नेन्सी के बारे में हमारे 86 प्रतिशत लोग प्रभावित होते हैं। लैंड से सम्बधित माल के मुकदमें, चकबन्दी के मुकदमें अन्य अदालतों से हाई कोर्ट की तरफ जाते हैं। इसके आने से वे निराशा में परिणित हो जायें। मान्यवर, यह एक अजीब सी बात है कि माल की जितनी अपीलें हैं वे वहां से निकल कर कमिश्नर के यहां फिर बोर्ड आफ रेवेन्यू में जाती हैं। दूसरी तरफ चकबन्दी की अदालतें हैं। सी० ओ० के यहां से डाइरेक्टर के यहां फिर सिंगिल जज के पास जाते हैं। इतनी अदालतों के निर्णय को एक सिंगिल जज रद्द कर देता है उस समय वह एक नजीर बन जाता है और उनको नीचे की अदालतों को मानना पड़ेगा।

226 आर्टिकिल में टेनेन्सी के मुताल्लिक जितनी रिटें हैं उनके मंजूर होने का प्रतिशत 1 प्रतिशत ही है। उनको यह भी आंकड़े देने चाहिये कि सिंगिल जज के डिवीजन बेन्च में जो अपीलें दाखिल की गई हैं उनका क्या परसेंट है।

राजस्व मंत्री (श्री उदित नारायण शर्मा)—

माननीय न्याय मंत्री ने जो शुरू में कहा था कि सिंगिल बेन्च के यहां से डबल बेन्च में जो फसले गये हैं उनके आंकड़ों को बताया था। वह सिंगिल बेन्च के आंकड़े नहीं थे।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री जयराम यादव---

डिवीजन बेन्च के जो फैसले हुये हैं उनका प्रतिशत ज्यादा है।

ज्यादातर अनुभव यह बताता है कि डिवीजन बेंच के जितने निर्णय हुये हैं उनमें पुराने कानूनों को जितने सही तरीके से छानबीन करके निर्णय दिये जाते हैं वे सिंगल बेंच के निर्णयों के मुकाबिले में ज्यादा अच्छे होते हैं। और वे प्रिसीडेंस के रूप में ज्यादा कारगर सिद्ध हुये हैं।

दूसरी बात यह निवेदन करना है कि इस विधेयक द्वारा टेनेन्सीसे सम्बन्धित जितने मुकदमें होंगे उन्हीं को चुना जावेगा। चुनाव कानून के अन्दर जो मुकदमें होंगे, जैसे अभी गांव सभाओं के चुनाव हुये हैं उनमें तो प्रधानों को अपने मुकदमों के बारे में हाईकोर्ट के डिवीजन बेंच या सुप्रीम कोर्ट तक जाने की व्यवस्था है और उन पर कोई रोक नहीं है। इसी तरह से नगर-पालिका के लिये जो चुनाव लड़ना चाहते हों वे भी कर सकते हैं उनके लिये भी कोई रोक नहीं है। लेकिन क्या कारण है कि जितने टेनेन्सी से सम्बन्धित वाद खड़े होंगे उन्हीं के बा में यह रोक क्यों लगाई जा रही है, यह बात समझ में नहीं आती। देखा जाता है कि चकबन्दी के अन्दर जितनी नीचे की अदालतें हैं उनके फैसले सरसरी तौर से होते हैं और ज्यादातर उनमें लोगों को अपने पक्ष के समर्थन में पैरवी करने का समय नहीं मिलता। जल्दी-जल्दी फैसले किये जाते हैं और उनको ऐसा लगता है कि हाईकोर्ट में जाने पर उनके अधिकारों का सही निर्णय हो जावेगा। इसी तरह से जो माल की अदालते हैं। लेकिन इसमें विचित्र बात यह है कि सिंगिल जज के निर्णय को अन्तिम निर्णय मान लिया जाय यह व्यवस्था ठीक नहीं है। बेहतर यह होता कि अगर दो जजेज के सामने केस जावे क्योंकि उससे लिटिगेंट को इत्मीनान हो जाता है कि उसके अधिकारों के बारे में जो निर्णय किया गया है वह सही मिल गया है। टिनेंसी ला का तो उत्तर प्रदेश के 86 प्रतिशत किसानों से सम्बन्ध है। 226 के अन्दर जितनी रिटें दाखिल हुई हैं उनमें 70-80 फीसदी ऐसी रिटें होती हैं। टिनेंसी के मुकदमों से सम्बन्धित हैं। उनके बारे में यह बताया गया कि ज्यादा मुकदमों का फैसला हाईकोर्ट में होता है।

जिस उद्देश्य से यह बिल लाया गया है, बेहतर यह होता कि हाईकोर्ट में जजों की संख्या बढ़ाई जाती लेकिन जैसा कि कुछ माननीय सदस्यों ने जाहिर किया कि कई जजों की जगहें खाली पड़ी हैं, उनको पूरा करना चाहिये आज मुकदमों की संख्या को पूरा करने के लिये जो बढ़ गयी है जजों की संख्या न बढ़ाकर केवल सिंगिल जज के निर्णय को अन्तिम निर्णय माना जा रहा है यह ज्यादा न्याय संगत बात नहीं है। इसके अतिरिक्त इस कानून में एक जज के निर्णय के विपरीत हाईकोर्ट में अपील करने की व्यवस्था नहीं है। भारतीय संविधान के आर्टिकिल 133 अनुच्छेद (3) में सिंगिल जज के निर्णय के विपरीत अपील करने की कोई व्यवस्था नहीं है और उसके लिये अपीलें दायर करने के लिये एक अर्जी देनी पड़ती है। हाई कोर्ट की लीव अपील अगर वहां हो तो रहेगी तो वहां भीड़ बढ़ जायेगी तो जहां तक संख्या कम करने की बात है वह इस कानून के द्वारा भी कम नहीं होती।

तीसरी बात यह कि 20 हजार की मालियत के मुकदमों के बारे में यह है कि सिंगिल जज का फैसला उसको रोक देता है और सुप्रीम कोर्ट में अपील करने की व्यवस्था अब तक थी

लेकिन इस विधेयक के पास हो जाने से उन पर भी यह पाबन्दी हो जाती है। इस दृष्टि से अगर बहुत गौर से देखा जाय तो यह विधेयक जो लाया गया है ज्यादा न्यायसंगत नहीं है। कहना यह है कि नीचे की अदालतों में पैसे वाले लोग ज्यादा पैसा देकर या अपना प्रभाव डालकर ज्यादातर निर्णय अपने पक्ष में करा लेते हैं लेकिन हाई कोर्ट पर उनका प्रभाव नहीं चलता। वहाँ जैसा कानून है उसी के अनुसार फैसले होते हैं। वहाँ पर यहाँ कहीं पर ऐसा देखने में नहीं आया कि सिंगिल जज का निर्णय अन्तिम निर्णय मान लिया जाता हो और यह व्यवस्था ठीक भी नहीं है। इसीलिये यह विधेयक जो लाया गया है अगर यह प्रवर समिति में जाय तो उसके सारे पहलुओं पर विचार किया जाय और तब जाकर सही शक्ल में इसको लाया जाय, तभी यह न्यायसंगत बन सकेगा।

श्री बंशीधर पाँडेय (जिला वाराणसी)—

अधिष्ठाता महोदय, इस सम्बन्ध में मेरे बहुत से वकील साथियों ने अपनी राय जाहिर की। यह सही बात है कि सिंगिल जज के बाद डिवीजन बेन्च में न जाने दे कर सुप्रीम कोर्ट की बात कहने से देश की 80 फी सदी जनता पर प्रभाव पड़ता है। गाँधी जी ने कहा था कि जब किसी देश में न्याय का रास्ता बन्द कर दिया जाता है तो क्रान्ति हो जाती है। अंग्रेजों का राज्य गया क्यों? उन्होंने हमारे देश में न्याय का ऐसा खर्चीला ढांचा बनाया जो हमारे जैसे गरीब मुल्क के लिये बिल्कुल सूट नहीं करता था। जुडिशियल आफिसर से लेकर हाई कोर्ट और प्रीवी कौंसिल तक इतने बड़े-बड़े कोर्ट्स बनाये कि जिनको देख कर गाँव का किसान भौचक्का हो जाता था। लेकिन अंग्रेजों की दृष्टि से वह सही था क्योंकि वह चाहता था कि यहाँ क्लास वार हो ताकि एक क्लास को दूसरे क्लास से लड़ाता रहे।

आज जो न्याय का इतना लम्बा रास्ता बन गया है इससे मैं समझता हूं कि गरीब आदमी को जस्टिस नहीं मिलती। आज जो गाँव के तिकड़मी आदमी हैं, कुछ लोग पेशेवर मुकदमेबाज होते हैं, वही मुकदमा लड़ते हैं, सही आदमी के पास मुकदमा लड़ने के लिये पैसा नहीं होता। जयराम जी ने बिल्कुल ठीक बात कही कि जजेज में पद्धति नहीं होनी चाहिये। चीन के पीपुल्स कोर्ट हैं। आप कह सकते हैं कि वहाँ का शासन व्यवस्था जनतांत्रिक नहीं है। लेकिन जनतान्त्रिक व्यवस्था जनता की तकलीफों को दूर करने के लिये अगर सही नहीं साबित हुई तो जनता उन सारी पद्धतियों को अपना सकती है चाहे वह चाऊ माऊ के शासन से भी ज्यादा कठोर कोई शासन हो। वाटर मस्ट रीच इट्स चैनेल।

आज देश की जनता न्याय के पचड़ों में जकड़ी जा रही है। हमारे उपनेता कल्पनाथ सिंह जी ने जो बात रखी थी मैं उसके भी आगे आऊं कि उन्होंने एक बात यह कही कि किसान के लगान को रेशनलाइज कर देंगे। प्राइम मिनिस्टर कहती थीं कि ९५ परसेंट पीपुल आफ इंडिया आर विद मी। इससे आप ९५ फी सदी लोगों का न्याय का रास्ता बन्द करते हैं। अगर मामला हाईकोर्ट में ही दो जजों के बीच में तय हो जाय और सुप्रीम कोर्ट न जाना पड़े तो क्या हर्ज है। अगर कोई ज्यादा मुकदमा लड़ने वाला होता है तो हमारे गाँव में कहावत है कि तुम को गंगा और जमुना का पानी पिला देंगे। तो गंगा का मतलब उनका होता है इलाहाबाद तक और जमुना का मतलब उनका होता है दिल्ली तक का वह पानी पिला देंगे।

[श्री बंशीधर पांडेय]

मान्यवर, जैसे डाक्टर किसी नासूर को ठीक करने के लिये उसके आस-पास के हिस्से को भी काटता है, इसलिये इस अपने कथन की पुष्टि में अगर मैं थोड़ा इधर-उधर बढ़ जाऊं तो इजाजत दे दें। मान्यवर, हिन्दुस्तान के संविधान का 31वाँ या 32वाँ संशोधन हो चुका है। आप एक संशोधन और करा दीजिये जजों की नियुक्ति के बारे में। इसमें आपको क्या दिक्कत है? आज जजों की नियुक्ति भी इस प्रकार होना चाहिये ताकि जनता का विश्वास हो। गाँधी जी कहा करते थे कि राम राज्य की कल्पना में शासन का एग्जिस्टेंस मालूम न हो, अधिक उसका इन्टरफीयरेन्स न हो, उसी प्रकार से जैसे एक माला में तागा दिखाई नहीं देता, माला के दाने या फूल ही दिखाई देते हैं। आज हाईकोर्ट की जजेज की जो पद्धति है वकीलों में से नियुक्ति करने की वह ठीक नहीं है। मैं उनको दोष नहीं दे रहा हूं और न ही उनकी टीका कर रहा हूं, लेकिन इससे होगा क्या? 5 साल अगर इनका शासन रहा तो यह अपने वकीलों को हाईकोर्ट का जज नियुक्त कर देंगे और अगर उसके बाद हमारा शासन आ गया तो हम अपने मन के वकीलों को नियुक्त कर देंगे। तो इसका नतीजा क्या होगा? वे भी पालिटिक्स से प्रभावित होंगे, वे भी पालिटिक्स से पैदा होकर जायेंगे।

मान्यवर, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि अभी सुप्रीम कोर्ट पर लोगों को विश्वास है, लेकिन हाईकोर्ट से लोगों का विश्वास हटता जा रहा है। केन्द्रीय सरकार ने जो जजेज की संख्या बढ़ाकर उनकी नियुक्ति की जो बात कही है उससे भारतीय जनता का विश्वास कम हुआ है, उसके विश्वास को धक्का लगा है। मैं जजों को कन्डेम नहीं कर रहा हूं, मैं उनका स्वागत करता हूं, लेकिन आज लोगों में विश्वास कम है।

लेकिन आम जनता में एक बात हो जाती है कि एक रेकुटेशन के कार्य क्रम में। आप जजों की डिस्ट्रिक्ट जजों से लीजिये। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन से कहिये कि डिस्ट्रिक्ट जजों में से 50 में से 29 चुन लिया करें। इससे विश्वास होगा। मुझे कहना नहीं चाहिये बड़े-बड़े डकैतों के जो वकील होते थे, जब हाई कोर्ट के वे जज हो जाते हैं, तो उनकी एन्ट्री उनके घरों में तब भी फ्री रहती है। चम्बल घाटी के किसी डाकू का वकील हाईकोर्ट का जज बन जाय, तो क्या होगा।

श्री अधिष्ठाता—

अब तो उन्होंने आत्मसमर्पण कर दिया है।

श्री बंशीधर पाँडेय—

लेकिन वहाँ के मुख्य मन्त्री तो कहते हैं कि इस आत्म समर्पण को जय प्रकाश जी को कोई श्रेय नहीं है। इस पर वे कहते हैं कि इस तरह से तो वह 400 नष्ट करना चाहेंगे और 9,600 नये पैदा होंगे। यह तो बलराम सिंह के बगल का इलाका है, वह जानते होंगे। इस प्रवृत्ति से उनकी समस्या दूर नहीं होगी। वह यहाँ की नेकनियती से ही दूर होगी। आप उसको डिवीजन बेंच में जाने दीजिये। कम से कम दो जजों का हो जाय, तब भी अच्छा है। आप अपने जजों की पद्धति को भी चेंज करें। आप नये-नये न्याय मन्त्री हुये हैं, इस पर गम्भीरता से विचार करें। हमारे हाईकोर्ट के, सुप्रीम कोर्ट के जजों का कार्य, उनकी पर्सनालिटी में न्याय करने की प्रणाली में यदि इस देश की जनता का विश्वास हिला तो मान्यवर, जहाँ न्याय करने वालों का शीश उतारा जाता है, वह कट गया तो क्रान्ति का

सृजन हो जाता है। वही दशा आ जायगी, जो चीन की पीपुल गवनमेंट में होती है। तो उनका भी एक तरीका है, जस्टिस नजदीक हैं, वह इसी तरह के न्याय करते हैं। मैं एक चीफ जस्टिश की बात कहकर अपने को समाप्त करता हूं। पुराना किस्सा है। अवध के दो ताल्लुकेदार परस्पर लड़ गये। बबूल के डाँड को लेकर सारा झगड़ा था। मेन झगड़ा था डाँड काटने का। इस बबूल के पेड़ को लेकर वे प्रिवी कौंसिल तक चले गये। वहाँ से यह हुआ कि, लाखों रुपया खर्च करने पर, बबूल का पेड़ काटकर आधा-आधा दे दिया जाये।

श्री कल्पनाथ सिंह (जिला गोरखपुर)--

उस समय शिमला समझौता नहीं होता था, ऐसे ही होता था।

श्री बंशीधर पाण्डेय--

जी हाँ, वह भी शिमला समझौता ऐसा होता है कि दोनों सदनों की जिसमें एप्रूवल लेना भी जरूरी नहीं समझा जाता है, केवल एक आदमी अपने विग पर सब कर लेता है। भुट्टों ने तो फिर भी अनएरीवस असेम्बली से एप्रूवल लिया। बार एसोसियेशन का प्रस्ताव है, जिसमें कहा गया है कि गाँव के किसानों में कभी-कभी मनमुटाव होता है, तो उस में फेमली रियून हो जाती है। मैं आपको बनारस स्टेट का एक किस्सा सुनाऊं, वहाँ पर छोटे हजारी और बड़े हजारी दो भाई थे। जिनकी अच्छी हैसियत थी और बनारस के राजा के बाद उन लोगों का नम्बर आता था। एक के उनमें से जो था, उसके लड़के भी नहीं थे। उनके एक-एक लौकी तोड़ने पर 20-20, 25-25 हजार रुपये खर्च हो गये। उस समय रामपुर में जज नहीं रहता था, ज्ञानपुर में था। मेरे सामने उनमें से एक-एक के २०-२५ हजार रुपये तक बर्बाद हुये, सिर्फ एक लौकी को लेकर।

होता यह था कि साझे का मामला था, एक के रिस्तेदार आ गये, उसने लौकी तोड़ कर इस्तेमाल कर ली, अब दूसरा यह कहता था कि लौकी अभी तैयार नहीं थी तुमने क्यों तोड़ कर इस्तेमाल कर लिया, बड़ी होती तो तोड़ते। इस तरह से बात बढ़ कर यहां तक नौबत आ जाती थी। दोनों भाइयों में झगड़ा हो गया। पचीस-पचीस हजार रुपया खर्च हो गया। जब डिक्रीजन हो गया तो कोर्ट में जज के सामने दोनों गला पकड़ कर रोने लगे। पंचायत हो गयी। किसानों में कभी गुस्से में कभी ऐसी बातें हो जाती हैं? न्याय की दृष्टि से मन्त्री जी इसलिये मन्त्री जी मानेंगे। इसके साथ जो मैंने सुझाव दिये हैं, मैं आपको क्रान्तिकारी मानूंगा, अगर हाई कोर्ट के जजों की नियुक्ति में कोई गड़बड़ी है तो उस कार्य-क्रम में, नये मन्त्री हैं, क्रान्ति लाइये। अगर मन्त्रिमन्डल से टक्कर हो जाय तो इस्तीफा दे दें, चमक जायेंगे।

*श्री राजमंगल पाँडेय (जिला देवरिया)--

अधिष्ठाता महोदय, बहुत कुछ सुनने के बाद मुझे यह कहने में कोई संकोच नहीं है कि जिस उद्देश्य की पूर्ति के लिये यह संशोधन लाया गया है वह अपनी जगह पर उसका एक बहुत बड़ा महत्व है। इसी हाउस में मान्यवर, विरोधी पक्ष से बताया गया कि हमारी

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री राज मंगल पाँडेय]

न्याय प्रणाली बड़ी दोषपूर्ण है, उसमें सुधार होना चाहिये। यहाँ तक कहा जा रहा है कि यहाँ से पार्लियामेंट में किसी सी०-आर० पी० सी० और आई० पी० सी० में भी तब्दीली होनी चाहिये। उसमें महत्वपूर्ण परिवर्तन की बातें सोची जा रही हैं। खैर, कोई भी सीमा होगी, जिस सीमा पर यह प्रतिबन्ध लगा दें यहाँ अपील होगी या नहीं होगी। अगर वह प्रतिबन्ध किसी स्टेज पर लगा देते हैं तो यह कहना अनुपयुक्त होगा कि इसके ऊपर भी मौका दिया जाना चाहिये।

आज इस देश के 76 फीसदी या 82 फीसदी काश्तकार वह हैं, जैसा यहाँ कहा गया जो चकबन्दी के कानून से, जमींदारी अबालिशन के कानून से और टिनेन्सी के कानून से प्रभावित हैं। यह बात भी अपनी जगह पड़ी है कि बोर्ड आफ रेवेन्यू इस मामले में फाइनल आथारिटी है, जब तक रिट में न चला जाय। बोर्ड आफ रेवेन्यू में ऐसे भी अधिकारी हैं जिनके बारे में, जिनके चरित्र और ईमानदारी के बारे में शुबहा भी है। लेकिन सवाल इस बात का नहीं है। सवाल यह है कि आखिर कहाँ से आदमी ले आएं। माननीय बंशीधर कहते हैं कि इस हाउस में इन्टेलेक्टुअल जायंट्स हुआ करते थे, पन्त जी, सम्पूर्णानन्द जी जैसे मिनिस्ट्री में थे, और ऐसे-ऐसे एम० एल० एज० थे जिनमें सहयोग करने और विरोध करने की कितनी क्षमता थी। वह भी मानते हैं पहले के माननीय सदस्यों के मुकाबले में आचरण में, ईमानदारी में, बहुत से मानों में हम और कम हैं। अगर बंशीधर जी की बात मान ली जाय...

श्री नित्यानन्द स्वामी—

क्या यह सब कहने से सदन का अवमान नहीं हो रहा है ?

श्री अधिष्ठाता—

कोई अवमान की भावना नहीं है।

श्री राजमंगल पाँडेय—

मैं इल्लस्ट्रेशन दे रहा था। एक क्रमिक ह्रास इस देश के वातावरण में हुआ है। तो हमारे जीवन की सेवाओं के सारे अंगों में यह क्रमिक ह्रास आयेगा। उससे जितना अधिक से अधिक फायदा उठा सकें उठायें। क्या इस ह्रास के आने के बाद बंशीधर जी की तरफ से आयेगा कि इस हाउस को डिजाल्व कर दिया जाय ?

श्री बंशीधर पाँडेय—

नेशनलगवर्नमेंट जो बनी थी, इन्टेलेक्टुअल जायन्ट्स को बना दीजिये, थर्ड रेटर्स को निकाल दीजिये। गवर्नमेंट जवायन्ट तो चलेगी।

श्री राजमंगल पाँडेय—

इन्टेलेक्टुअलजायन्ट्स की क्या परिभाषा होगी। मैं आज भी कहने को तैयार हूं कि सम्पूर्णानन्द जी के बाद आज भी उत्तर प्रदेश में उनकी योग्यता का आदमी सैकड़ों वर्ष तक आने वाला नहीं है। बंशीधर जी सोचते हैं वह बनारस के रहने वाले हैं लिहाजा सम्पूर्णानन्द जी की संस्कृति से प्रभावित हो कर उनकी योग्यता का कुछ अंश उनको मिल गया है उस पर मैं कुछ नहीं कहूंगा लेकिन इतना मैं जरूर कहूंगा कि सम्पूर्णानन्द जी के बौद्धिक विकास तथा हमारे बौद्धिक विकास में बहुत बड़ा अन्तर हो रहा है। पाँडेय जी समझते हैं कि इन्टेलिजेंट

हैं और हम समझते हैं कि हम इन्टेलीजेन्ट हैं लेकिन हमारे मानने से बात नहीं चलेगी। क्या उत्तर प्रदेश की जनता यह मानती है कि हम इतने योग्य हैं जितने १० वर्ष पहले के लोग थे ?

हमको इस निष्कर्ष पर पहुंचना पड़ता है कि हमें उन्हीं वकीलों में से किसी न किसी का चयन करना पड़ेगा। यह मान कर चलना कि चम्बल के डाकुओं की पैरवी जिन्होंने की वे हाईकोर्ट के जज बना दिये गये, वे ईमानदार कैसे हो सकते हैं, बिलकुल गलत है। आज उनमें से एक के बारे में भी यह शिकायत नहीं है कि किसी ने बेइमानी की। सिविल सर्विसेज से जो लोग गये हैं उनके बारे में तो शायद सन्देह हो सकता है लेकिन चम्बल के डाकुओं की पैरवी करने वाले जो वकील हाई कोर्ट के जज मनोनीत हो गये हैं उनमें से एक भी उदाहरण ऐसा नहीं मिलेगा जिसमें यह सिद्ध हो सके कि उन्होंने घूस लेकर कोई फैसला किया हो। यह साइकोलोजिकल बात हो सकती है लेकिन एक कुर्सी ऐसी होती है जिसको पाने के बाद आदमी यह समझने लगता है कि दुनिया की नजर उसकी तरफ लगी हुई है।

एक वकील के पेशे में तो उसके पेशे के लोगों की नजर ही उसकी तरफ लगी रहती थी लेकिन जब वह हाईकोर्ट का जज हो जाता है तो देश के लाखों लोगों की नजर उस पर होती है। हर काम वह दुनिया की नजरों को बचाता हुआ करता है और यह चाहता है कि उसका फैसला किसी तरह से प्रभावित न हो। चम्बल के डाकुओं की जो वकील पैरवी करता था उस पर यह लाँछन लगाना कि हाईकोर्ट का जज होने पर वह ईमानदारी से काम नहीं कर सकता यह केवल भ्रम है, उसके आचरण पर लाँछन है। बंशीधर जी की इस बात को मैं नहीं मान सकता।

श्री बंशीधर पाँडेय--

मेरी बातों का पाँडेय जी गलत इन्टरप्रिटेशन कर रहे हैं। मैं कह रहा था कि डिजनरेशन हो रहा है। वह होने दिया जाय लेकिन चयन पद्धति को हमको ठीक करना चाहिये एक कमीशन बनाइये जो जजों की नियुक्ति करे। वकील जब जज अपनी लाइफ में हो जाता है तो उसके सामने बड़ी कठिनाइयाँ पड़ती हैं इस ओर मैंने इशारा किया था।

श्री राजमंजल पाँडेय--

मैं पाँडेय जी का आदर करता हूं। वह अमेरिका का उदाहरण ले लें। वहाँ जजेज इलेक्ट हो कर आते हैं लेकिन ईमानदारी का स्तर दुनिया के सामने है। अंग्रेजों के जमाने का इतिहास भी मुझे याद है कि जो आई० सी० एस० अफसर इनकाम्पिटेंट होता था उसे वह जूडीशियरी में भेज देते थे। आज उस परिपाटी को बंशीधर जी कहते हैं बड़ी अच्छी है।

श्री बंशीधर पाँडेय--

आप यह कह कर मेरे साथ कितना अन्याय कर रहे हैं। मैंने तो यह कहा था कि आप अंग्रेजों के उत्तराधिकारी बन रहे हैं। मेरा कहना तो यह था कि अंग्रेजों पद्धति का न्याय भारतीय जनता व किसान के हित में नहीं है।

श्री राज मंगल पाँडेय--

मान्यवर, बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि दो साल के अन्दर ही हमारे माननीय बंशीधर जी के उत्तराधिकार में अन्तर आ गया। मेरा ख्याल है कि आज मैं दुख

[श्री राज मंगल पांडेय]

वहीं हैं जहाँ पहले थे। मान्यवर, प्रश्न बड़ा सीधा-सादा है कि हम एक आदमी को किस हद तक अपील करने का मौका दें। हमारे माननीय माधव बाबू ने एक चीज यह कही कि क्या हम ए० सी० ओ० और सी० ओ० के स्तर को एक मुन्सिफ के स्तर का मान लें। यह बात उन्होंने बहुत अच्छी कही। आप देखेंगे कि आज बोर्ड आफ रेवेन्यू में सबसे बड़े कैडर के बेस्ट इन्टेलेक्चुअल्स आई० ए० एस० और आई० सी० एस० को भेजा जाता था किन्तु हमको यह मालूम था कि ये लोग इक्जीक्यूटिव से प्रभावित हो सकते हैं। इसलिये हमने उनको राइट दे दिया। अगर ऐसी परिस्थिति आ जाय तो वह सुप्रीम कोर्ट में भी हो सकता है। लेकिन इसके लिये विशेष परिस्थितियां हो सकती हैं।

मान्यवर, आप से पहले माननीय उपाध्यक्ष जी मौजूद थे उन्होंने माधव बाबू से पूछा कि कैसे अपील होती है तो उन्होंने कहा कि हमको परसेन्टेज नहीं मालूम हो रहा है। मान्यवर, मैं भी इस क्षेत्र में रह चुका हूं। मुझे मालूम है कि कितना काम हो रहा है जिसके बारे में यह कहना कि अगर यह परसेन्टेज निकाल दिया जाय तो सब लोग सुप्रीम कोर्ट में चले जायेंगे, यह कोई महत्व की बात नहीं है। सबसे बड़ी चीज तो यह है कि हमारी न्याय प्रणाली दोषपूर्ण है, खराब है क्योंकि इसमें 70/75 हजार मुकदमें बकाये में हैं।

मान्यवर, यही नहीं, यह चीज पहले दफे ही नहीं हो रही है। मुझे ज्यादा तो सिविल कोर्ट के बारे में जानकारी नहीं है किन्तु 5/7 साल पहले इसी सदन में यह पाबन्दी लगा दी गई थी और एक हद मुकर्रर कर दी गई थी कि डिस्ट्रिक्ट जजेज का जुरिस्डिक्शन ५ हजार से १० हजार, सिविल अदालतों का 90 से 50 हजार और उसके ऊपर का जुरिस्डिक्शन हाईकोर्ट में जाना चाहिये। इससे यह फायदा था कि खर्चा कम हो जायेगा और गरीबों को सस्ता न्याय मिल जायेगा। गरीब लोग कहां हैं कि सुप्रीम कोर्ट में जाने वाले वही लोग हैं, जो या तो अमीर हैं जिनको किसी न किसी तरीके से ब्लैक का पैसा मिलता है या जिनके पास काफी धन है वे ही अदालतों के दरवाजे खटखटाने के लिये तैयार रहते हैं। गरीब आदमी के पास पैसा नहीं है, वह कैसे अदालतों के दरवाजे खटखटा सकता है।

जजेज के बारे में कहा गया कि हाईकोर्ट को निकाला जाय ताकि दिल्ली में बैठे बड़े-बड़े लोगों का प्रभाव न हो सके। मान्यवर, यह प्रक्रिया की बात है। पहले भी यही प्रक्रिया थी। चीफ जस्टिस की रिपोर्ट मुख्य मन्त्री या गृह मन्त्री के पास आती है और यदि वे उसमें किसी बात पर सहमत नहीं होते तो पुनः वह चीफ जस्टिस के पास जाती है और तब वह यहां पर आती है। फिर उनसे राय लेंगे, फिर नाम भेजेंगे। जब तक दोनों की राय नहीं मिलती तब तक होम मिनिस्टरी में नाम भेजने का प्रश्न ही नहीं उठता। यह तो प्रक्रिया की बात है, प्रक्रिया में देर लगती लेकिन माधव बाबू ने कह दिया कि १२ जजों की नियुक्ति इसलिये नहीं हो सकी क्योंकि उसमें राजनीतिक दावपेंच की बात है। माधव बाबू जैसे आदमी से मुझे उम्मीद नहीं थी कि वे जजों की नियुक्ति में राजनीतिक बात को भी ले आवेंगे।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी—

आधिकारिक सूत्रों से मुझे पता है और चेयरमैन, पब्लिक सर्विस कमीशन की रिपोर्ट में है कि एप्वाइंटमेंट में, सेलेक्शन में टेलिफोनिक तरीके अपनाये गये, मुझे अनेक केसों का पता है और हमें नाम तक बतलाये गये लेकिन मैंने उनके नाम नहीं लिये।

श्री राजमंगल पाँडेय--

यह बात तो मेरी समझ में नहीं आती कि इस तरह का भी कोई नियम है कि टेलिफोन के जरिये किसी का एप्वाइंटमेंट होता हो और इस तरह से किसी को हाई कोर्ट में लाने की बात तो बहुत ही गलत होगी।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी--

जहाँ तक टेलिफोन की बात है, पब्लिक सर्विस कमीशन द्वारा ही जब उम्मीदवारों का चयन किया जा रहा था तो सरकार की तरफ से टेलिफोन आया कि चुनाव बन्द कर दिया जाय और पदोन्नति करके ही आदमी लिये जायं। इस पहलू से अगर देखा जाय तो मैं कहूंगा कि सरकार ने इसमें दखल दिया। उसी तरह से सरकार हाई कोर्ट के जजों के चयन में दखल न दे।

श्री राजमंगल पाँडेय--

मान्यवर, मेरा ख्याल है कि शायद सेंट्रल पब्लिक सर्विस कमीशन भी हाई कोर्ट के जजों का चयन नहीं करता है। माधव बाबू को मालूम होना चाहिये कि कभी-कभी सरकार के सामने ऐसी परिस्थितियां आ जाती हैं, जैसे एक ऐसा नाम, आ गया जिसके बारे में विजिलेंस की रिपोर्ट आ गयी तो उस वक्त सरकार के सामने इसके सिवा कोई चारा नहीं रहता कि सारी प्रक्रिया पूरी होने से पहले ही चुनाव को स्थगित कर दे। मेरा निवेदन है कि आप इस बात को जान लें कि दो तीन, अपीलेन्ट कोर्ट में जाते-जाते गरीब तबाह हो जाते हैं। हम तो यह चाहते हैं कि वे बड़े लोग जो चार-चार दरवाजे टकराते हैं उनका दरवाजा बन्द करें जिससे देश के धन का अपव्यय न हो।

*श्री बलवीर सिंह--

अधिष्ठाता महोदय, आज सदन के सामने एक बड़ा गम्भीर विषय है। गम्भीर मैंने इस दृष्टि से कहा कि इस संशोधन के जरिये सरकार एक तरफ तो जो लोग न्याय चाहते हैं उनके अधिकारों को समाप्त करना चाहती है, उस पर प्रतिबन्ध लगाना चाहती है और दूसरी तरफ हाई कोर्ट जिसको पूरा अधिकार है, मुकदमों के तय करने का अपीलों के तय करने का, जनता को न्याय देने का, उसकी ताकत पर प्रतिबन्ध लगाना चाहती है और सहारा लेना चाहती है कि इससे पहले भी इसी तरह का बिल पेश किया जा चुका है, एक संशोधन १९६२ में हो चुका है क्योंकि उसके जरिये कुछ अधिकार छीन लिये गये थे, उसके जरिये कुछ प्रतिबन्ध लगाये गये थे। इसलिये अब यह महसूस करते हैं कि अब और उन प्रतिबन्धों को बढ़ाया जाय। और खोजते-खोजते, तलाश करते-करते इस सरकार की निगाह किस पर पड़ी? इस सरकार की निगाह पड़ी किसानों पर, गरीब आदमियों पर, उन सारे लोगों पर जिनको जिले में न्याय नहीं मिल पाता है?

इसमें जो प्राविधान है वह चार ऐसे कानून हैं जिनके मातहत तय होने वाले मुकदमों पर वह लागू किया जायेगा। पहला है लैंड रेवेन्यू ऐक्ट, दूसरा है यू० पी० टिनेन्सी ऐक्ट, तीसरा है जमींदारी विनाश कानून, और चौथा है चकबन्दी कानून। तो मुझे कहना यह

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री बलवीर सिंह]

है कि सरकार ने चार बड़ी कानून छांटे हैं जिनका सम्बन्ध किसानों से है। मान्यवर, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आज मैंने सुना----सरकार की तरफ से जो लोग भी बोले उन्होंने सबसे बड़ी दलील यह पेश की और कहा कि क्योंकि अपीलें बहुत इक्ट्ठा हो गयी हैं और यह बिल जो हमारे सामने है, इसके उद्देश्य और कारणों में भी यह बात कही गयी है। क्योंकि अपील बहुत ज्यादा इक्ट्ठी हो गई हैं, इसलिये उनको निबटाने केलिये यह संशोधन जरूरी है। बड़ी अजीब बात है।

इस तरह से निबटाने की बात है तो बहुत सी अदालतों को खत्म कर दीजिये। पुलिस स्टेशन को खत्म कर दीजिये कि कोई रिपोर्ट नहीं लिखी जायेगी। सरकार को कोई परेशानी नहीं होगी। सरकार ने बड़ा आसान तरीका निकाला है, सरकार ने अपनी जिम्मेदारी समझ कर। यह सरकार की जिम्मेदारी है कि अगर जनता न्याय चाहती है तो उसको न्याय जल्दी दिलाया जाये। ऐसे तरीके निकालें जिससे अपीलें जल्दी फैसल हो सकें। दूसरी बात कही गई है कि इसमें खर्चा बहुत ज्यादा होता है क्योंकि लोगों को हाई कोर्ट जाना होता है। कई-कई अदालतों से मुकदमा तय होने के बाद हाई कोर्ट जाना पड़ता है। अगर ज्यादा अपीलें इक्ट्ठा हो गई हैं तो जजों की संख्या बढ़ा दीजिये। इस सुझाव को आप क्या मानेंगे जो कई माननीय सदस्यों ने दिया है कि क्योंकि हाई कोर्ट में १०-१२ जजों की जगह खाली हैं और तब से खाली हैं जब से यह सरकार बनी है। पता नहीं क्या बात है? एक तरफ तो आप जजों की संख्या पूरी नहीं कर रहे हैं और दूसरी तरफ कहते हैं कि अपीलों का ढेर लग रहा है। लिहाजा इस राइट को ही छीन लिया जाये और अपीलें दायर ही न की जायें। यह फेलेशस है और गलतियों से भरी हुई है वैसा ही तरीका है जो एक मामूली इन्सान कह सकता है कि सरकार बेवकूफी का नमूना पेश करने जा रही है।

दूसरी बात कही गई है कि पैसा बहुत खर्च होता है। सरकार आज इस तरफ ध्यान दे रही है। लेकिन जब कई माननीय सदस्यों ने कहा और मैंने भी सदन में कहा कि हाई कोर्ट में दूर दराज लोगों को जाने में बड़ा खर्च करना पड़ता है तो सरकार के कान में जूं नहीं रेंगीं। इसलिये खर्चा ज्यादा नहीं होता कि लोग लेटर्स आफ पेटेन्ट अपील करते हैं बल्कि इसलिये खर्चा होता है कि लोगों को दूर दराज चलकर इलाहाबाद आना पड़ता है। जिन लोगों को बोर्ड आफ रेवेन्यू की अपीलों में जाना होता है उनका खर्चा होता है। मुझे खुशी है कि आज सरकार ने माना कि न्याय बहुत महंगा मिल रहा है। इसको कम करना चाहिये। इसका बहुत सीधा सा तरीका है कि आप मेरठ में एक बेंच कायम कर दें। इससे लोगों को सस्ता न्याय मिलेगा। अपील की इसलिये जरूरत है कि जो ४ कानून इस बिल के उद्देश्य में दिखाये गये हैं उनके अन्तर्गत हुये फैसलों पर यह लागू होगा। जैसे चकबन्दी के मुकदमें बहुत जल्दी तय होते हैं। ए० सी० ओ० किसी बात को नहीं सुनता।

त्रिपाठी जी कह रहे हैं कि पेड़ के नीचे बैठकर फैसला लिख दिया। यह बात सही है शायद वह इस तरह जल्दी फैसले कर देते हैं और गरीब किसान की हालत भले ही कुछ भी हो चाहे उसका नुकसान हो या न हो ऐसा होता है। तो मैं कह रहा था कि उसके बाद में सी० ओ० आये, उनके यहाँ भी ए० सी० ओ० के यहाँ से कोई खास फाइल नहीं आती,

वहां पर यह मुकदमें बाजी केवल चक की ही नहीं होती बल्कि वहाँ पर टाइटिल के और हकूक के मामले भी फैसले होने को होते हैं जिसके लिये हमेशा हर सरकार ने हकूक की हिफाजत के लिये कोई न कोई अदालत बनायी है और उसके लिये जूरिसप्रूडेंस के लोगों का जज मुकर्रर किया जाता है और हिन्दुस्तान में इन हकूक की रक्षा के लिये अच्छे से अच्छे वकील हुये हैं। वह पहले से ही सारे कानून की पूरी जानकारी रखते हैं तब वह जज के पद तक पहुंचते हैं लेकिन यह सी० ओ० सड़क पर और पेड़ के नीचे बैठकर जल्दी में फैसले करते हैं, न गवाह है न वकील को सुना और फाइल गई और उलटा-पलटा और फैसला दे दिया। उसके बाद एस० ओ० सी० के पास मामला पहुंचा।

आप ने भी देखा है और मैं समझता हूं कि माननीय माल मन्त्री जी ने और न्याय मन्त्री जी ने जरूर देखा होगा कि उन की अदालत में आप को अन्दाजा भी नही हो सकता कि सौ-सौ या दो-दो सौ फाइलें लगी हैं और बहस सुनने का उनको कोई होश नही है, हकूक की बातें और मामलात को सुनकर तय करने का उन को कोई होश नहीं है। नतीजा इस का यह है कि उन्होंने फाइल को जरा उलट-पलट किया और फैसला दे दिया और इसी तरह से डिप्टी डाइरेक्टर के यहाँ होता है। यह हकीकत है कि इन सारे आफिसर्स को मुकदमें फैसल करने की कोई ट्रेनिंग ही नहीं है। हाई कोर्ट के जजेज का मुन्सिफी और जजी लेकर बराबर ट्रेनिंग चलता है और वे अपने काम में माहिर होते हैं तब वह टाइटिल का और हकूक का फैसला कर पाते हैं। इधर यह होता है कि जल्दी-जल्दी काम को निबटवाने वाले हमारे माल मन्त्री जी का हुक्म हो जाता है कि सब गावों की ६ मास में या साल भर में चकबन्दी हो जाना चाहिये। बड़ी अच्छी बात है कि जल्दी हो लेकिन बगैर इम्प्लीकेशन्स को देखे और बगैर सुने और सोचे समझे मामले तय कर दिये जाते हैं।

इसका एक दूसरा ऐसपेक्ट यह भी है कि केवल इतनी ही बात नहीं है कि उन्हें मुकदमों को सुनने और समझने का मौका नहीं है या उनको कानून की ट्रेनिंग या जानकारी नहीं है बल्कि मुझे थोड़ी हिचक होती है इस बात के कहने में कि जो हमारे सामने कांग्रेस के विधायक बैठे हैं उनको और कोई काम नहीं रह गया है और कोई दूसरे काम करने की उन्हें फुर्सत नहीं है सिवा इसके कि रोज हर चकबन्दी और हर रेवेन्यू का काम करने वाले अफसर के पास जाना और मुकदमों के सम्बन्ध में उन पर दबाव डालना और इस तरह से किसी बेगुनाह का नुक्सान करना और कोई काम उनका नहीं रह गया है। इस कारण से आज जिलो में लोगों को ठीक से इन्साफ नहीं मिल पाता है और खास तौर से उन मुकदमों में जो इन चार ऐक्टों के अन्तर्गत आते हैं। उनसे सम्बन्धित मुकदमों में न्याय नहीं मिल पाता है।

मुझे तो ऐसा लगता है कि यदि यह संविधान का अनुच्छेद 226 न होता तो शायद यह सरकार कोशिश करती कि रिट की पावर भी छीन ली जाय। जिस इनफ्लुऐंशियल आदमी ने अपने असर से एक गरीब आदमी को कुचलवा दिया और जिस नेता ने इन्साफ करने वाली अदालत से मिलकर ऐसा करा दिया उसको तो इन्साफ नहीं मिल सका। शायद यह तो रिट की पावर भी हाई कोर्ट से ले लेंते लेकिन मैं संविधान बनाने वालों का शुक्रगुजार हूं कि संविधान की अनुच्छेद 226 को रख कर उन्होंने

[श्री बलबीर सिंह]

यह पावर दे दी है कि हाई कोर्ट में जाकर सिटीजन्स रिट दायर कर सकते हैं। किसी सिंगिल जज की शिकायत या एबिलिटी पर, उनकी इनट्रेग्रिटी पर या इमपार्शियलिटी पर मुझे कोई शुबहा हो ऐसी बात नहीं है।

लेकिन मान्यवर, एक आदमी एक ही है। यह देखा गया है और यह तजुर्बे की बात है कि जहां-जहां जज बैठते हैं तो कई दफा उनकी राय एक दूसरे के खिलाफ होती है। तो एक के बजाय 2 या 3 आदमी फैसला करें तो वह बहुत अच्छा हो सकता है। तो अगर वह एक जज के सामने आये, उन्होंने अपना फैसला दे दिया लेकिन उसके फैसले में भी गुंजाइश रह जाती है, कमी रह जाती है तो उसे दूर कराना चाहता है, उसके पास साधन हैं, वह डिवीजन बेन्च के सामने लेटर्स पेटेन्ट अपील दायर करता है तो मेरी समझ में नहीं आता कि क्यों उसको रोका जाय और जो वजूहातें दूसरी तरफ से बतायीं गयीं वे बेकार हैं और शायद वे इसी गर्ज से बनायी जा रही हैं कि आज की जो हमारी सरकार है, अगर मैं कहूं, तो एक एन्टी किसान और एन्टी गरीब आदमी है। या इसे अगर किसानों की दुश्मन सरकार और गरीबों की दुश्मन सरकार कहा जाय तो कोई गलत नहीं होगा क्योंकि इनका हर कदम उस एक जमात को एक फिर्के को जो गरीबों और किसानों का फिर्का है, उसको खत्म करने के लिये एक कदम के बाद दूसरा कदम उठाये जा रही है चाहे वह भूमि विकास कर हो, चाहे वह, आज जैसे सुबह कहा गया, कि हम बन्दोबस्त करने जा रहे हैं।

कितने मासूम तरीके से कहा गया है शब्द "बन्दोबस्त" ऐसा आभास हुआ कि ये अपनी जमीन की पड़ताल करने जा रहे हैं, उसमें कुछ गलतियां होंगीं, उनको ठीक करने जा रहे हैं लेकिन ठीक ही माल मन्त्री ने कहा, जादू तो वह है जो सर पर चढ़ कर बोले, कि वह काम भी जरूरी है। उसके बाद भी छुपाने की कोशिश की गयी लेकिन यह बात सदन में साबित हो चुकी है कि वे किसानों पर लगान बढ़ाने जा रहे हैं, कर लगाने का काला कानून इस सदन में पेश करना चाहते हैं लेकिन अगर इस सदन के सदस्य पूरी हिम्मत से काम करेंगे तो वह इस सदन में नहीं आ सकेगा। वे लगान बढ़ाना चाहते हैं, और हर प्रकार के काम करना चाहते हैं जिनसे किसानों का नुकसान हो, उनको तकलीफ पहुंचे। अगर इस लाइट में देखें तो यह जो कानून हमारे सामने पेश किया गया है और सदन में बहस के लिये है इसकी मंशा भी इसके सिवाय और कुछ नहीं हो सकती है।

(इस समय 3 बजकर 48 मिनट पर श्री उपाध्यक्ष पुनः पीठासीन हुये।)

तो मान्यवर, मैं और ज्यादा न कह कर सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि जैसा मैंने आरम्भ में कहा कि यह तो एक मामूली बात नहीं है या कोई ऐसी बात नहीं है कि कोई मामूली संशोधन किसी कानून में पेश किया और बिना विचार किये "हां" और "ना" होने के बाद पास हो गया हो।

यह बहुत गम्भीर प्रश्न है। हाई कोर्ट की पावर्स से इसका सम्बन्ध है। जनता के हकूकों से इसका सम्बन्ध है और अगर इसको बिना सोचे समझे पास किया गया तो इसके बड़े गम्भीर परिणाम भी हो सकते हैं और उत्तर प्रदेश की आगे आने वाली जो संतति (जनता) होगी उसके हकूक पर नुकसान भी पहुंच सकता है। इसलिये मैं माननीय न्याय मन्त्री जी से प्रार्थना करना चाहता हूं कि वे इस पर विचार करें और अगर इसमें समय बढ़ा दिया जाय चाहे

समिति में भेजकर, चाहे जनता में प्रसारित कर उनकी राय लेने के लिये, या इसके लिये कोई समिति बना दी जाय तो सरकार का कुछ बिगड़ने वाला नहीं है। या अगर ऐसा कोई प्राविधान न हो तो 2 या 4 महीने बाद पेश कर दें तो कोई बड़ा भारी नुकसान होने वाला या प्रदेश की कोई हानि होने वाली नहीं है जिसकी पूर्ति नहीं हो सकेगी लेकिन अगर जल्दी-जल्दी में इसको पास किया गया तो इस प्रकार के हाई कोर्ट और जनता के हकूक छीन लिये जायेंगे तो बड़ी भारी क्षति भी हो सकती है। अन्त में मेरी पुन: प्रार्थना है माननीय न्याय मन्त्री जी से कि इसके लिये कुछ समय दें, किसी समिति में भेजकर या जनता की राय लेकर तो बड़ा उचित होगा।

श्री छांगुर राम (जिला आजमगढ़)—

श्रीमन, मैं एक मिनट लेना चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष—

अभी माननीय राजस्व मन्त्री जब वक्तव्य दे दें उसके बाद रक्खें तो कोई नुक्सान आपका नहीं होगा। एक मिनट बाद में दीजिये न।

श्री उदित नारायण शर्मा—

उपाध्यक्ष महोदय, वैसे तो श्रीमन् मेरा इरादा बोलने का था नहीं लेकिन इसलिये कि इसका सम्बन्ध भी मेरे विभाग से कुछ है और यहां पर जो चर्चा हुई उसको मैं जितनी देर तक सुनता रहा तो मुझे ऐसा लगा कि इसके बारे में कुछ तो बातें ऐसी हैं .....

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी—

मान्यवर, एक स्पष्टीकरण कर दें। कै हजार कम्पलेन्टस ए० सी० ओ० और सी० ओ० की आप के दफ्तर में विचाराधीन हैं?

श्री उदित नारायण शर्मा—

श्रीमन्, अगर उनका सम्बन्ध इससे कुछ हो तो अभी न कह सकूं तो इकट्ठा करके बता सकता हूं।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी—

मैं हार्दिक धन्यवाद देता हूं।

*श्री उदित नारायण शर्मा—

श्रीमन् इन्हें अच्छी तरह से जानना चाहिये कि जिन लोगों के साथ जुल्म होता है वे ही दरख्वास्तें नहीं देते हैं। जो जुल्म करने वाले होते हैं वे दरख्वास्तें ज्यादा देते हैं। तो यह इस बात का प्रमाण नहीं हो सकता है कि इसके आधार पर ही यह कह दिया जाय कि क्या सही है और क्या गलत है।

श्रीमन्, मैं इसलिये निवेदन करना चाहता था कि नि:सन्देह मैं यह समझता था कि ऐसा विधेयक आपके सामने आ रहा है जिससे सभी लोग सहमत होंगे किसे आना चाहिये। श्रीमन्, दो एक बातों को मैंने आरम्भ में ही स्पष्ट कर दिया है। कुछ जो चर्चा भी यहां

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री उदित नारायण शर्मा]

पर सुनी उसमें मुझे ऐसा भी लगा कि माननीय विधायकों का कुछ यह ख्याल है कि अपील का अधिकार ऐसा था जिसे निकाल दे रहे हैं। हमारे बलबीर सिंह जी ने तो यहां तक कह दिया कि हम हाई कोर्ट के अधिकारों को कम कर दे रहे हैं। जैसे कि उनके तर्ज हैं तौर तरीके है। एक ही बात को शुद्ध बुद्धि से देखना उनके लिये मुश्किल होता है। उसमें भी नीयत यह लगाई कि शासन इस बात को ढूंढ़ रहा था कि कहीं पर मिले और हमारी नजर पड़ जाय उनकी नजर हाई कोर्ट के अधिकारों पर पड़ गई इसलिये उन्होंने उसे ढूंढ़ा है। मुझे इससे बड़ी तकलीफ हुई है।

श्रीमन्, अगर हम इस हिसाब से देखेंगे तो हमारे इस सम्मानित सदन का जो लाभ जनता को होना चाहिये वह वास्तव में हो नहीं सकेगा। यदि हर कानून यदि हर बात इस बात के लिये इस्तेमाल की जायेगी कि किसी जगह पर हम शासन दल का और शासन सोचे कि विरोधी दल की किसी बात को ढूंढ़े कि हम कह सकते हैं, वह किसी जगह ले नहीं जाती। आरम्भ में मैं निवेदन कर दूं कि इसमें हाई कोर्ट के अधिकारों को छीनने का प्रयत्न ही नहीं है।

माननीय न्याय मन्त्री ने आरम्भ में वक्तव्य दिया था कि उसमें नहीं था, शायद आपने ध्यान नहीं दिया कि शासन की तरफ से आरम्भ नहीं किया गया। शासन का ध्यान इस ओर नहीं गया कि अपील के अधिकार को रोक दें या कम कर दें। [* * * *]

श्रीमन्, यह बात नहीं कि किसी का पैसा निरर्थक नहीं लगना चाहिये, किसी को तकलीफ भी निरर्थक नहीं होनी चाहिये। आप कृपा करके गम्भीरता से इस बात पर गौर करें कि वास्तव में इस अपील की आवश्यकता थी या नहीं जिस निर्णय पर पहुंचने के लिये हम जा रहे हैं?

माननीय जयराम वर्मा जी ने जो बात कही थी वह ठिकाने पर पहुंच गये थे। जरा समझने में भ्रम हो गया था कि वह बात उनके हक में जा रही है। उन्होंने कहा कि यह समझने के लिये कि यह विधेयक आवश्यक है या नहीं इसको इस बात से देखना चाहिये कि जो रिटें हुई हैं, उन रिटों के निर्णय के खिलाफ कितनी अपील हुई हैं और उसमें से कितनी कामयाब हुई हैं।

मान्यवर, यह जो विधेयक, जो प्रस्तुत किया गया है वह केवल इसी आधार पर है। जितनी अपीलें गईं उनमें से पहले में एक प्रतिशत और दूसरी में दो प्रतिशत कामयाब हुई हैं। यह अनुभव ने बताया है। आप चकबन्दी के बारे में कुछ भी बात करें, डाइरेक्टर के बारे में कुछ भी कहें, बोर्ड आफ रेवेन्यू के बारे में कुछ भी कहें, क्योंकि मान्यवर, जब हम बहस करने के लिये आते हैं तो उसके लिये कोई बात छोड़ते नहीं हैं। एक माननीय सदस्य ने कहा और करेक्शन आफ पेपर्स का उदाहरण दिया कि इसके लिये कुछ प्रबन्ध होना चाहिये।

मान्यवर, लैण्ड रेवेन्यू ऐक्ट के अन्तर्गत करीब-करीब जितने भी फैसले होते हैं वह अन्ततः निर्णयात्मक नहीं माने जाते हैं। इसमें यह कहा गया है कि लैण्ड रेवेन्यू ऐक्ट के जितने

[* * * *]श्री उपाध्यक्ष के आदेशानुसार निकाल दिया गया।

कैसेज जाते हैं उनकी सेकेन्ड अपील नहीं होती। मान्यवर, बिलकुल सीधी सी बात है इसमें। कुछ माननीय सदस्यों का ऐसा ख्याल था कि 20 हजार का जो अधिकार था वह भी इससे छिन जायेगा। मान्यवर, लेटर्स पेटेन्ट अपील में अपील का सवाल है ही नहीं। इसमें केवल रिट की अपील का सवाल है। यह मानी हुई बात है कि डाइरेक्टर का फैसला अन्तिम फैसला नहीं होता है और उसमें कोई रिट की अपील का सवाल है नहीं। उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय यह निगरानी करने के लिये रखे गये हैं और वे देखते रहते हैं कि किसी जगह ऐसा तो नहीं हुआ कि जिस प्रकार से न्याय मिलना चाहिये था, उस प्रकार से न्याय न मिला हो और जहां कहीं भी ऐसा हुआ होगा, तत्काल उनका हस्ताक्षेप होगा। आपने कहा कि सुप्रीम कोर्ट में कर सकते थे वह न कर सकेंगे। वह आप वैसे भी नहीं कर सकेंगे क्योंकि वहां के प्रावीजन्स दूसरे हैं और हाई कोर्ट के दूसरे।

आज हाई कोर्ट में 226 के मातहत जाते हैं रिट में। मान्यवर, जहां तक धांधली वाली बात है, मैं इस विषय में यह निवेदन करना चाहूं कि उस पर बहस करना विषयान्तर होगा और हम एक करेक्ट नतीजे पर नहीं पहुंच पायेंगे। लेकिन बहस के लिये यह मान लिया जाय कि धांधली होती है, फैसला अच्छा नहीं होता, तो यह मानी हुई बात है कि उसमें कोई अपील तो है नहीं और जो तरीका है वह मुहइय्या है। डाइरेक्टर का फैसला अन्तिम नहीं होता, आपरिट में जा सकते हैं, और अगर हाईकोर्ट का जज ठीक फैसला नहीं देता तो सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं।

श्री नित्यानन्द स्वामी—

133(3) में आपने डिबार कर रखा है।

श्री उदित नारायण शर्मा—

इसमें अपील प्रोवाइडेड है। लेटर्स पेटेन्ट अपील में सिंगल जज जो फैसला करते हैं उसके हर फैसले रिवीजन बेंच में अपीलेबिल होता है। इसमें 20 हजार 50 हजार और 20 लाख रु० की अपील वाली बात नहीं है। आप जिस तरह संविधान के 226 के मातहत हाई कोर्ट में जाते हैं, उसी प्रकार सुप्रीम कोर्ट भी जायेंगे। स्पष्ट प्राविधान है। कानून की मन्सा बहुत साफ है।

श्री बलवीर सिंह—

सिंगिल बेंच के बाद सुप्रीम कोर्ट कैसे जायेंगे ?

श्री उदित नारायण शर्मा—

बिल्कुल जायेंगे। हाई कोर्ट में भी आप संविधान के 226 के मातहत जाते हैं और सुप्रीम कोर्ट में भी उसी के मातहत जाते हैं।

श्री रूपनाथ सिंह यादव (जिला इलाहाबाद)—

अगर सिंगिल जज में 226 खारिज हो जाय, तो उस आर्डर की अपील सुप्रीम कोर्ट में कैसे दायर करेंगे? 133(क) में बार है कि 20 हजार से कम हो ही नहीं सकता ?

श्री उदित नारायण शर्मा—

उसका प्रश्न ही नहीं है। जो हाई कोर्ट में फैसला होता है, उससे संतुष्ट नहीं हैं तो उसी पर सुप्रीम कोर्ट में दाखिल कर सकता है और छानबीन हो जाती है कि हाई कोर्ट का फैसला

[श्री उदित नारायण शर्मा]

सही है कि नहीं। मैंने यह नहीं कहा कि इसकी अपील होती है सुप्रीम कोर्ट में। यह बात जो माननीय सदस्य ने कहा वह भ्रामक है। माननीय सदस्यों ने कहा कि किसानों को कैसे फायदा होगा इससे मैं कहता हूं कि असलियत यह है कि 1 प्रतिशत भी मन्जूर नहीं होती।

श्री हरिनाथ तिवारी (जिला फैजाबाद)--

इसमें सुप्रीम कोर्ट में क्या खर्च लगता है?

श्री उदित नारायण शर्मा--

डिवीजन बेंच में हारने के बाद सुप्रीम कोर्ट में जाता है तो खर्च, इकहरा नहीं, दोहरा और तेहरा हो जाता है। लेकिन जिन लोगों को मुकदमा लड़ना है उनको खर्चे की परवाह नही।

तो मैं, मान्यवर, कह रहा था कि असलियत यह है कि 1 प्रतिशत भी मन्जूर नहीं होते। यही इसकी सबसे बड़ी दलील है जो अभी तक प्राविधान थे, उनकी सार्थकता कहां तक है। कोई दूसरा उसका मापदण्ड नहीं हो सकता। अगर उसमें 20 प्रतिशत भी कामयाबी होती तो मैं आखिरी आदमी होता इस प्रकार का संशोधन लाने में। चीफ जस्टिस ने और हाई कोर्ट ने अनुभव से यही बताया कि उससे केवल हमारा समय ही नहीं खराब कर रहे हैं, बल्कि जो गरीब लोग न्याय के लिये आते हैं, उनका न्याय मंहगा करते हैं। "जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड" क्योंकि एक डिवीजन बेंच में जहां हजारों की संख्या में केस पड़े रहते हैं चार-चार/पांच साल उनके चक बंदी आदि के केस पड़ रहते हैं। नतीजा होता है कि कोई कहता है कि चक-परिवर्तन नही हो रहा है और कहता है कि अभीतक मैप नहीं बना। क्योंकि उसमें कुछ नहीं हो सकता जब तक कि अंतिम रूप से उसमें निर्णय नहीं होता। तो आप इन बातों को सोचने की कोशिश करें।

श्री रामगोपाल संड--

मान्यवर, 10 जगहें जजेज की उच्च न्यायालय में खाली हैं और 15 और मांगे हैं। अगर 25 हो जायं तो भार कम हो जायेगा।

श्री उदित नारायण शर्मा--

55 नहीं अगर हम 50 जज भी कर दें तो क्या उनमें कामयाबी 1 प्रतिशत से ज्यादा हो सकती है। मैं कहता हूं कि अगर 15 प्रतिशत भी कामयाबी हो जाय तो हम अगर जगहें खाली हैं तो बढ़ा देंगे चाहे 50 जजेज से भी ज्यादा क्यों न हो जायं। तो हमको तथ्यों को देखना चाहिये जो आंकड़े हैं, उनको देखना चाहिये। आप कहते हैं कि जनता का अधिकार छीन रहे हैं। मैं कहता हूं कि स्वयं हाई कोर्ट कह रहा है। हाई कोर्ट को अपने अधिकारों की परवाह आपसे कहीं ज्यादा है। फिर मेरी समझ में नहीं आता है कि यहां क्यों आवाज गरीबों और अमीरों की आती है और क्यों यह कहा जाता है यह सरकार गरीबों की दुश्मन है।

श्रीमन्, काश्तकार का दुश्मन कौन है, यह बहस से साबित नहीं होगा। यह गला फाड़ कर चिल्लाने से नहीं साबित होगा। जो तथ्य होंगे, जो चुनाव होंगे वह इस बात को साबित करेंगे कि कौन काश्तकार का दोस्त है और कौन दुश्मन है। यहां गला फाड़ने से कोई काश्तकार का दोस्त बनने वाला नहीं है।

श्री बलवीर सिंह—

आर्टीकिल 133 आपने पढ़ा है ? आपने फरमाया कि उसकी अपील हो सकती है सुप्रीम कोर्ट में। आर्टीकिल 133(3) में यह है—

"Notwithstanding anything in this article, no appeal shall, unless Parliament by law otherwise provides, lie to the Supreme Court from the judgment, decree or final order of one judge of a High Court. "

श्री उदित नारायण शर्मा—

मान्यवर, मैंने कभी नहीं कहा कि अपील होती है।

श्री छांगुर राम—

मैं यह जानना चाहता हूं कि यह विधेयक कब तक चलेगा ?

श्री उपाध्यक्ष—

आपकी क्या राय है ? क्या आप चाहते हैं कि खत्म हो जाय ?

श्री रूपनाथ सिंह यादव—

मान्यवर, मुझे माननीय राजस्व मंत्री जी की दलील सुनकर बड़ा अफसोस और आश्चर्य हुआ। उन्होंने सरकार का जो दोष था उसे उठा कर चीफ जस्टिस पर लाद दिया। चीफ जस्टिस ने अगर कभी लिखा भी होगा तो उसकी पूरी रिपोर्ट सदन के सामने आनी चाहिए कि उन्होंने क्या-क्या कहा ? उन्होंने लिखा होगा कि हाईकोर्ट के जजों की संख्या बढ़ायी जाय और इस्टैब्लिश्मेन्ट बढ़ाया जाय क्योंकि एरीयर्स बढ़ रहे हैं। दस जजों की चीफ जस्टिस ने मांग की, साल भर हो गया आज तक सरकार ने पूरी नहीं की। तो यह कह देना कि चीफ जस्टिस ने ऐसा प्रावीजन करने के लिये कहा है .....

श्री उदित नारायण शर्मा—

मैंने कहा कि उन्होंने बहुत वाजिब बात कही है।

श्री रूपनाथसिंह यादव—

आपने चीफ जस्टिस की रिपोर्ट को सदन के सामने नहीं रखा। केवल एक चीज लाकर रख दी कि उनका यह सुझाव है। ऐसा कभी कोई न्यायाधीश नहीं कहेगा कि जस्टिस का दरवाजा बन्द कर दिया जाय। यह डैमोक्रेसी की हिस्ट्री में और कांग्रेस के नये समाजवाद की हिस्ट्री में ही बात आयी कि गरीब, हरिजन और छोटे छोटे किसानों के लिए न्याय का दरवाजा बन्द हो जाय अगर सिंगिल जज किसी मूड में आकर समेरीली खारिज कर दे तो वह सुप्रिम कोर्ट जाय। ऐसे बहुत से काम्पलीकेटेड केसेज हैं जो सिंगिल जज ने नहीं मंजूर किये और उनके खिलाफ स्पेशल अपील फुल बेन्च तक गयी है और फुल बेन्च में तीन जजों ने फैसला दिया है कि नीचे के फैसले रद्द किये जायं। तो यह नहीं कहा जा सकता कि सिंगिल जज के फैसले को हम बिल्कुल सही मानकर बैठ जायं।

हिन्दुस्तान की जनता के पास इतनी हिम्मत नहीं है कि ज्यादा खर्चा बर्दाश्त करे। जहाँ कम खर्चा है, दस रुपए जहाँ कोर्ट फीस लगती है, वहाँ तो आप बन्द कर रहे हैं, और रिट में जहाँ 100 रुपया कोर्ट फीस लगती है पहले पाँच रुपया थी, अब 20 गुना कर दी, वहाँ का दरवाजा, कहते हैं, खुला है। तो जहाँ आसानी से हमको न्याय मिलता उसको आप बन्द

[श्री रूपनाथ सिंह यादव]

किये दे रहे हैं। यह है आपका समाजवादी दृष्टिकोण। इस लिये मेरी तरफ से बोलने वालों ने कहा है कि सरकार किसानों की तथा जनतंत्र की विरोधी है और जनतंत्र की हत्या कर रही है। इस प्रकार से जो अन्याय हो जायगा, चकबन्दी से जो अन्याय होगा उसको कभी भी न्याय नहीं मिल पायेगा।

133–क संविधान की धारा में पहले ही आप की एमेन्डमेंट करवा देना चाहिये था और तब इसको लाते तो कोई बात थी। इसमें है कि 20 हजार रु० से या उस धनराशि से अपील कम मालियत की न हो। यहाँ तो मान्यवर, छोटे-छोटे किसान हैं जिनकी मालियत 4 या 5 हजार रु० से ज्यादा नहीं होगी। ऐसे काश्तकारों का आगे का दरवाजा तो पहले ही बन्द हो गया। इस प्रकार से सदन को गुमराह करना क्या ठीक है? जो लोग पैसे के या शासक दल की शक्ति पर चुनाव लड़ते हैं वही ऐसा कह सकते हैं।

मैं तो कहता हूं कि और यह मेरा सुझाव है कि जिस वक्त चुनाव हों उस वक्त सारी सरकारें इस्तीफा दे दें और फिर चुनाव करवा लें। आप सभी तिकड़म करके चुनाव करवाते हैं और यह सही तरीका चुनाव करवाने का नहीं हो सकता है आप सरकार में न रहकर इस्तीफा देकर तब चुनाव करवायें। मैं तैयार हूँ। आप इसी प्वाइन्ट को ले लें और इसी को माध्यम बनाकर आप चुनाव करवायें कि आप स्पेशल अपील खतम करना चाहते हैं। मैं भी इसी बिना पर इस्तीफा देता हूं और तीन महीने के अन्दर आप चुनाव करवा लें। मैं यह जानता हूं कि इस बिना पर आप में से एक भी आदमी चुनाव में जीत कर नहीं आ सकता है। जितने भी कार्य इस सरकार के हो रहे हैं वे सभी जन विरोधी हैं। आप भूमि भवन कर पुनः लाये, भूमि विकास कर ला रहे हैं ये सभी जनता के विरोधी हैं और ये सभी काले कानून हैं। जन विरोधी हैं।

चूंकि सिंगल जज का फैसला एक परसेंट भी डिवीजन बेन्च में लागू नहीं होता है। जब कि हमारे विधेयक विधान सभा से ही पारित होते हैं तो विधान परिषद् की अपर हाउस की क्या जरूरत है? हमारे यहाँ से जो भी प्रस्ताव वहाँ जाता है वहाँ पर उसका कोई भी विरोध नहीं होता है फिर उसकी क्या आवश्यकता है? आप उसको भी उसी तरह से समाप्त कर दें जिस तरह से आप डिवीजन बेन्च को खतम कर रहे हैं।

श्री उपाध्यक्ष––

अपर हाउस के बारे में आपको यहाँ कोई उल्लेख नहीं करना चाहिये।

श्री रूपनाथ सिंह यादव––

मान्यवर, इस देश में जो गरीब तब्का है उसकी उपेक्षा यह सरकार कर रही है, शासन उसकी उपेक्षा कर रहा है। शासन ने चकबन्दी ऐक्ट से, जमींदारी ऐक्ट से और शहरी जनता को सिविल ला से बाँध दिया है। शहरी और ग्रामीण जनता में विभेद कर दिया है। कानून तो अल्ट्रावायरस हो जायगा। यह कानून कभी भी न्याय-संगत नहीं हो सकता है। इसलिये मैं चाहूंगा कि माननीय विधि मंत्री जी इस अशोभनीय कार्य में न फसें। वे क्यों कलंक का टीका अपने सर पर लगाना चाहते हैं कि न्याय का दरवाजा बन्द कर दिया जाय। अच्छा हो वे इस विधेयक को वापस कर लें और नहीं तो फिर प्रवर समिति वाले प्रस्ताव को मान लें और वहाँ से एक महीने के बाद जब लौट कर आवे तब इस सदन में इस पर विचार हो तो अच्छा है।

श्री त्रिलोक चन्द (जिला बुलन्दशहर)--

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका बहुत आभारी हूं कि आपने मुझे इस महत्वपूर्ण संशोधन विधेयक पर बोलने का मौका दिया। यह जो लेटर्स पेटेंट बिल का संशोधन विधेयक आया है उस के ऊपर आज सुबह से काफी बहस हो गयी और हमारे राजस्व मंत्री जी ने तो अभी गरीब जनता के हित के लिये बहुत आंसू बहाये कि इसके कारण गरीब जनता की बहुत बड़ी भलाई होगी। उनका जो बेकार पैसा खर्च होता है और जो एक परसेंट या दो परसेंट अपील आगे चल कर स्वीकृत होती है अगर यह अधिकार छिन जायगा तो उससे किसी गरीब जनता का कोई नुकसान नहीं होगा। राजस्व मंत्रीजी ने कहा कि बलवीर सिंह जी की दृष्टि में फर्क है और मैं समझता हूं कि राजस्व मंत्री जी की दृष्टि में भी फर्क है। अगर सुलभ और सस्ता न्याय दिये जाने की बात स्वीकृत हो गयी है तो फिर हम लोगों को माँग है, गरीब जनता की माँग हमेशा रही है कि पश्चिमी जिलों से हाई कोर्ट बहुत दूर है वहाँ पर लेटर्स पेटेंट की अपील हो या कोई अपील हो उसकी बात नहीं है बल्कि बात यह है कि इतना किराया है दूरी की वजह से कि उसके लिये अपील या रिट को कोई महत्व नहीं है, रुपये और समय की बात है, इस बात का राजस्व मंत्री जी ने कोई जवाब नहीं दिया। अगर वास्तव में उन्हें गरीब लोगों से हमदर्दी है तो इस प्रश्न पर विचार करें और उसे मानें।

अब मैं कहना चाहता हूं.....

श्री उपाध्यक्ष--

सारा ही न्याय क्यों न निशुल्क कर दिया जाय, वकील की कोई फीस न हो और न्यायालय में कुछ लिया न जाय तो कैसा रहे ?

श्री त्रिलोकचन्द--

श्रीमन्, रशा में ऐसा ही होता है, वहाँ तो वकील भी निशुल्क होता है उसी तरह से यहाँ भी यह सब निशुल्क हो जाय तो बहुत ही अच्छा है। लेकिन जो सरकार रोजाना नये-नये कर लगाती हो वह न्याय को निशुल्क नहीं कर पायेगी। मैं इसके सम्बन्ध में कहना चाहता हूं कि जो यह कहा गया है कि अगर यह अधिकार समाप्त हो गया तो इससे किसान और गरीब आदमी और जो छोटी जमीन वाले हैं उनको कोई हानि नहीं होगी, मैं साफ कह देना चाहता हूं कि उसकी जो एजेंसी है चाहे रेविन्यू ला को डील करने वाली हो, चाहे रिवेन्यू बोर्ड हो, चाहे चकबन्दी वाली हो, वह कोई ला की कायल नहीं होती और न उनमें कोई कानून की पूर्ण परिपक्वता होती है, भले ही वह आई० सी० एस० हो या आई० ए० एस० आफिसर्स हो और आप समझते हैं कि हमारा जो रिवेन्यू बोर्ड है वह उनके लिये एक तरह से आराम कुर्सी हो गयी है, जो पुराने आई० सी० एस० या आई० एम० एस० हैं जिनके खपाने के लिये सरकार के पास कोई जगह नहीं होती तो उनको रिवेन्यू बोर्ड में भेज देते हैं और जो उनकी स्पीड काम करने की होती है और जो उनका काम करने का तौर तरीका होता है उस से गरीब जनता को राहत मिलने वाली नहीं है और उससे कोई ज्यादा लाभ होने वाला नहीं है भले ही चाहे वह एक परसेंट या दो परसेंट अपील स्वीकृत हों तो इसके यह अर्थ नहीं है कि यहाँ जो सेक्रेटेरियट् में नोटिंग ऐंड ड्राफ्टिंग नीचे के लेविल से होती है उसी पर हमारे सेक्रेटरी और राजस्व मंत्री और सभी मंत्री काम करते हैं तो फिर क्या जरूरत है मंत्रीगण की और इन सेक्रेटरीज की जब नीचे वाली

[श्री त्रिलोक चन्द]

की नोटिंग तथा ड्राफ्टिंग पर 90 और 95 परसेंट तक वही काम होते हैं तब ऊपर वालों की क्या जरूरत है ?

यह दलील देना कि १ परसेंट या २ परसेंट अपीलें ही स्वीकृत हुई इसलिये यह अधिकार समाप्त कर दिया जाय मैं इसको उचित नहीं समझता। बेंच में जाने के बाद भले ही फैसला उनके माफिक न हो लेकिन यह आत्म संतोष उनको हो जाता है कि हम आखिर तक लड़े वरना जैसे चकबन्दी के न्यायालयों में लोगों को यकीन नहीं रह गया है चाहे वह डी० ी० सी० का न्यायालय हो, चाहे सी० ओ० का हो, चाहे ए० सी० ओ० का हो वैसे ही इसका भी हाल होगा। बहुत से लोग डी० डी० सी० के बाद हाईकोर्ट इसलिये नहीं जाते हैं कि उनके पास पैसे नहीं हैं और अगर उनके पास पैसे हैं भी तो आपने सिंगिल जज के बाद उनका रास्ता रोक दिया। इससे देहात की जनता के अधिकारों में कटौती होती है। शहर की प्रापर्टी के बहुत से मामले होते हैं, उन पर भी आपको यह लागू करना चाहिये था। केवल जमीन सम्बन्धी केसेज में ही यह अधिकार समाप्त किया गया है।

आप जो कहते हैं कि इससे उनको सुलभ और सस्ता न्याय मिलेगा, तो इससे तो उनका न्याय पाने का रास्ता ही रुक जायगा। 20 हजार रुपये से कम मालियत के मामले सुप्रीम कोर्ट में नहीं जाते हैं। अगर सरकार को इनके साथ हमदर्दी है तो हाई कोर्ट के जजेज की संख्या बढ़ा दी जाय और उनसे कहा जाय कि जितनी जल्दी हो सके केसेज समाप्त करें। परन्तु आप उनकी संख्या बढ़ाना नहीं चाहते और जो अधिकार उनको प्राप्त हैं वह उनसे छीन रहे हैं। जब गवर्नमेंट का इतना पैसा खर्च होता है, रोज नये-नये विभाग खोले जाते हैं जजेज के बढ़ाने में क्या दिक्कत है। जो 1, 2 परसेंट की बात कही गयी तो जब इतनी बड़ी तादाद रिटों की अनडिसाइडेड पड़ी हैं तो यह कैसे कह सकते हैं कि इनमें से शायद 1-2 परसेंट हों ? हो सकता है कि इसमें से 90 परसेंट ऐसी हों जो स्वीकृत हों। अगर इनकी सुनवाई हो तो मैं यकीन के साथ कह सकता हूं कि जो यह 1-2 परसेंट फीगर निकली है वह यकीनन इससे कहीं ज्यादा निकलती।

मैं न्याय मन्त्री जी से निवेदन करूंगा कि संशोधन प्रस्ताव को मान कर इसे प्रवर समिति में भेजें, इस पर निश्चयपूर्वक विचार होना चाहिये और जनमत लेना चाहिये कि यह उनके हित में हो रहा है या अहित में। जल्दबाजी में कुछ नहीं करना चाहिये। 70 हजार रिट्स जहाँ इतने दिन पड़ी रही वहाँ एक, आध महीना और पड़ी रह तो कोई अहित नहीं होगा। इसलिये मन्त्री जी संशोधन को मान कर जनता के सामने इसको ले जायं।

(कई माननीय सदस्यों के खड़े होने पर।)

श्री उपाध्यक्ष--

समय अब बहुत कम है। जन संघ को अब समय मिल नहीं सकेगा।

*श्री बसन्तलाल शर्मा (जिला बहराइच)--

मान्यवर, जो प्रस्ताव माननीय नित्यानन्द स्वामी जी ने दिया है मैं उसका समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। मान्यवर, यह विषय बहुत ही गम्भीरतापूर्वक

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

बिचार करने का है। प्रजातन्त्र में जनता का विश्वास तभी तक बना रहता है जब तक कि न्याय के प्रति उसकी आस्था बनी रहे। सरकार के तीन अंग हैं--विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। प्रजातन्त्र में जिस तरीके से हम लोग चुन कर आते हैं और जिस तरह से वोटों के लिये लोगों की मदद लेना पड़ती है उसमें कार्यपालिका के प्रति तो शक और सन्देह की गुन्जाइश जगह-जगह पर बनी रही है लेकिन न्यायपालिका ही एक ऐसा अंग है जिस पर जनता की पूर्ण आस्था रहती है और कोई सन्देह नहीं रहता है। जनता को विश्वास रहता है कि अगर एक जगह से कहीं कोई कमजोरी रह जायेगी तो आगे अपील में उसको न्याय मिल जायेगा।

न्याय के हमारे पंडित माननीय शर्मा जी ने दलील दी कि अपीलें बहुत पड़ी हुई हैं जिनका फैसला नहीं हो पाता है इसलिये यह करना पड़ रहा है। मैं आदर पूर्वक चाहूंगा कि बोर्ड आफ रेवेन्यू में कोई ऐसा आई०ए०एस० या अन्य अधिकारी नहीं है जो किसी न किसी रूप में शासन के दबाव में न आता हो। जो भी यहाँ पावर में होता है उसी के हाथ में उन लोगों का तबादला, प्रोमोशन ससपेंशन आदि होता है। वह स्वतन्त्रता पूर्वक न्याय कर ही नहीं पाता है। किन्तु उच्च न्यायालय ही एक ऐसी जगह है जहाँ पर एक गरीब को न्याय मिल पाता है। मनुष्य का उच्च न्यायालय में विश्वास है। उसकी उसमें श्रद्धा है। अब यह आप कह रहे हैं कि सिंगल जज के फैसले की अपील डिवीजन बेन्च में न हो।

एक कहावत है कि "जीव चला जाय मगर जीविका न जाय"। आज चकबन्दी में जिस तरह से उलट फेर होता है उसके लिये न्याय पाने के लिये आदमी को हाईकोर्ट में जाना पड़ता है। आज देहात में चकबन्दी को चिकमन्डी के नाम से पुकारा जाता है। माननीय राजस्व मन्त्री जी ने कहा कि अपीलों में एक प्रतिशत या दो प्रतिशत ही मामले उलटे हैं। मैं यह निवेदन करूंगा कि गाँधी जी ने कहा कि चाहे हजार छूट जावें मगर निर्दोष एक भी नहीं फंसना चाहिये। एक प्रतिशत भी अगर अपील में गुन्जायश निकली तो यह मानना पड़ेगा कि कहीं न कहीं न्याय में लूपहोल अवश्य है। मै माननीय न्यायाधीशों की आलोचना नहीं करता, मैं उनका बड़ा आदर करता हूं। लेकिन यह स्वाभाविक है कि ईमानदारी से चलने की जो बात है, निष्ठापूर्वक कार्य करने पर भी मनुष्य से कभी गलती हो जाती है। इसीलिये अपीलों की गुन्जायश की गई है। इस सम्बन्ध में यह कहना कि एक-दो प्रतिशत में ही ऐसी गुन्जायश है, उचित नहीं है। दूसरी दलील मन्त्री जी ने यह दी कि मुख्य न्यायाधीश ने लिखा है, इसलिये करना है। उसने क्या-क्या लिखा सब बातें तो सदन के सामने नहीं हैं।

श्री बलवीर सिंह--

आप इन्हें मुख्य न्यायाधीश का नाम लेने से रोकें, इनसे आप कहिये कि यह उनका नाम न लें।

श्री बसन्त लाल शर्मा--

उनका नाम लेकर माननीय राजस्व मन्त्री ने अपनी बात को बल देना चाहा है। उन्होंने उनकी चर्चा की, लेकिन उन्होंने अपने अधिकार से करने की तो नहीं सोची है, उन्होंने तो केवल एक सुझाव दिया है और उसे हमारे विवेक पर छोड़ा है, कि हम सदन के लोग उस पर

[श्री बसन्त लाल शर्मा]

विचार विमर्श कर एक सही निर्णय लें। जनता ने अपने ऊपर कानून लादने का फैसला तो जनप्रतिनिधियों के माध्यम से लिया है। न कि न्यायाधीशों के कहने पर। इस तरह से न्याय का दरवाजा बन्द करने पर हमारी आस्था कहाँ रह जायगी, प्रजातन्त्र हमारा कहाँ चला जायगा? इस तरह से न्याय से हमारी आस्था हट जायगी। इसलिये मेरा पुन: निवेदन है कि राजस्व मन्त्री जी इस पर पुन: विचार करें। यद्यपि यह उनका विषय नहीं है, फिर भी उन्हें इसमें घसीट लिया गया है। सीधा-सीधा इसका न्याय मन्त्री जी से सम्बन्ध है। वह तो नये-नये नवयुवक न्याय मन्त्री हैं। फजले इलाही नौजवान है। वह तो केन्द्रीय मन्त्री श्री हनुमन्तैया की तरह इस्तीफा भी दे सकते हैं। उन्होंने तो नौजवान मन्त्री को जोश दिला दिया है, चढ़ा दिया है, उनको इसका विरोध करने के लिये ठंडा कर देना चाहते हैं कि वह कुछ इसमें न कहें। हो सकता है कि न्याय मन्त्री जी किसानों के हित में इसे वापस लेने के लिये तैयार हों। इसीलिये उन्होंने उनको जोश दिला दिया है।

मुझे तो इस सम्बन्ध में एक शेर याद आती है --

"बिगड़ती है जिस वक्त जालिम की नीयत, नहीं काम आती दलील और हुज्जत।"

जब करने पर वह उतारू हैं तो कोई कुछ दलील दिया करे, वह मानने वाले तो हैं नहीं। लेकिन इस समय सरकार की नीति बिलकुल बदली हुई है। आगे देखा जायगा कि चुनाव के समय में कि कितनी उन्होंने किसानों की हमदर्दी की है।

जिस सरकार ने सवा छ: एकड़ तक की जोतों से लगान माफ किया है, उसी सरकार ने बाद में उससे नीचे की जोतों पर विकास-कर के रूप में आधा टैक्स लगाने जा रही है। मैं उनको दावत देता हूं, उनकी बुद्धि भगवान ऐसी ही बनाये रखें, और आगे आने वाले एलेक्शन में उनका मजा मिल जायेगा। लेकिन मैं मन्त्री जी के लिये क्या कहूं उनको तो कुर्सी बदलना खूब आता है, पार्टी बदलना वह खूब जानते हैं।

मन्त्री जी वयोवृद्ध हैं, अच्छे वकील हैं, उनसे निवेदन है कि वह सुझाव पर विचार करें कि वह ठीक नहीं है। न्यायपालिका से जनता का कदापि विश्वास नहीं उठना चाहिये। वह ईश्वर का अवतार होता है। विधायिका और कार्यपालिका से यदि विश्वास हट जाये तो क्षम्य हो सकता है और देश चल सकता है, लेकिन न्यायपालिका से विश्वास नहीं उठना चाहिये। न्याय से विश्वास उठ जायेगा तो पता नहीं प्रजातन्त्र का हमारे क्या होगा। आज तो उनके विधायकों में भी बड़ी उथल-पुथल है, ये समाचार-पत्र बताते है। आज इस सरकार की नीयत बहुत खराब है, मैंने पहले ही कहा, यह लाकर ही मानेगी। लेकिन वह न्याय का गला न घोटें, और संविधान के अनुच्छेदों का जो जिक्र किया गया है उसके अनुसार २० हजार के मूल्य की जब भूमि होगी तब ही वह सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। इसका मतलब यह है कि गरीब का बिलकुल गला काट दिया जाएगा और चकबन्दी में जो अन्याय होता है, उसमें उसे पिसना पड़ेगा।

राजस्व मन्त्री जी का आदर करते हुये मैं चाहूंगा कि वह न्याय मन्त्री को राय दें कि वह इसे वापस ले लें। यदि वह जनता का हित करना चाहते हैं, जैसा उन्होंने कहा है अगर वह जनता के दुश्मन नहीं हैं तो जो नित्यानन्द स्वामी जी ने दिया है तो मैं

उनसे निवेदन करना चाहुंगा कि तीन महीने के लिये जनमत में भेजने में क्या हानि है ? उनको इस चैलेंज को स्वीकार करना चाहिये। जनमत का पक्ष आ जायगा और उन नीतियों को अपनाने में कोई आपत्ति नहीं होगी। इन शब्दों के साथ मैं माननीय नित्यानन्द स्वामी के संशोधन का समर्थन करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष--

दस मिनट रह गये हैं। चाहे माननीय नित्यानन्द स्वामी बोल लें, चाहे माननीय रामगोपाल संड बोल लें या माननीय माधव प्रसाद त्रिपाठी बोल लें।

श्री नित्यानन्द स्वामी--

मान्यवर, माननीय राजस्व मन्त्री जी ने जो दो-चार बातें कही हैं उनका जवाब देना बड़ा आवश्यक हो गया है। राजस्व मन्त्री ने बड़ा भारी अन्याय किया चीफ जस्टिस का नाम विवाद में ले आये। उन्होंने कहा कि यह संशोधन सरकार नहीं ला रही है, यह तो चीफ जस्टिस ने कहा है। वह कह रहे हैं। नियम यह है कि कोई व्यक्ति जो जवाब देने के लिये सदन में उपस्थित न हो .....

श्री उपाध्यक्ष--

ऐसा है, चीफ जस्टिस के सम्बन्ध में जो बातें कही गयी हैं, निकाल दी जायेंगी। अब उसको छोड़ दीजिये।

श्री नित्यानन्द स्वामी --

मैं चैलेंज करता हूं कि जो वर्तमान चीफ जस्टिस हैं, आप उनकी राय ले लीजिये, मेरी व्यक्तिगत जानकारी है, १०० फीसदी उनकी राय है कि जो आप विधेयक लाये हैं नहीं आना चाहिये और लेटर्स पेटेंट अपील रहना चाहिये। अगर आप पुराने चीफ जस्टिस की बात कर रहे हैं, तो आप छोड़ दीजिये। मेरे चैलेंज को आप स्वीकार कीजिये।

श्री बलवीर सिंह--

अब तो माल मन्त्री से पता लगा लिया जाय कि कौन चीफ जस्टिस है।

श्री उपाध्यक्ष---

अब कोई भी हों .....

श्री बलवीर सिंह--

यह तो सदन के सामने झूठ बोला है।

श्री उपाध्यक्ष--

संविधान को देखते हुये चीफ जस्टिस का नाम ले कर विवादग्रस्त न किया जाय इसलिये चीफ जस्टिस का ऐसा जहाँ कहीं नाम होगा, वह हटा दिया जायगा।

श्री नित्यानन्द स्वामी--

माननीय राजस्व मन्त्री उसे बीच में ले आये। जो भी यहाँ पर दलील दी गयी, माननीय राजस्व मन्त्री जी ने माननीय बलवीर सिंह जी के लिये कहा कि उनकी शुद्ध बुद्धि नहीं है। मैं कहता हूं कि उधर वालों की है। भ्रष्ट बुद्धि आप कह रहे हैं कि इसके अन्दर अपील कहीं भी नहीं है। लेटर्स पेटेंट अपील क्या है ? वह अपील नहीं है तो क्या है ? जब २२६ में रिट होगी तो उसके बाद लेटर्स पेटेंट में अपील नहीं है तो क्या है ?

श्री उदित नारायण शर्मा—

किसने कहा कि अपील नहीं है ? मैंने कहा कि अपील है। यहां तक महदूद करके हटाना चाहिये।

श्री नित्यानन्द स्वामी—

ग्रामीण क्षेत्र में ८६ प्रति व्यक्ति हैं उनको हक होना चाहिये जहां तक न्याय मिल सके न्याय लें क्योंकि नीचे अधिकारियों पर आपका डंडा और रोब है। आपका टेलीफोन वहां पहुंच जाता है। अगर नागरिक का किसी पर विश्वास रह गया है तो वह हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट रह गया है। अगर हाई कोर्ट के सिंगिल जज तक रह जाता है तो आम वकील कहता है कि फलां जज बैठेगा तब पेटीशन पेश करूंगा। इसलिये एक जज पर कुछ वकीलों ने अगर प्रभाव बना रखा है तो डिवीजन बेंच तक बढ़ा देने में क्या आपत्ति है ? आपका तर्क है कि दो प्रतिशत अपीलें अलाऊ हुई हैं। इस बात की क्या गारन्टी है कि आगे भी दो प्रतिशत अपीलें अलाऊ होंगी। आपने ऐवरेज निकाल दिया और कह दिया कि दो प्रतिशत अपीलें अलाऊ हुईं। इससे यह नतीजा नहीं निकाला जा सकता है कि जो हमारी या अब्बासी जी की अपील जायगी वह भी नामंजूर हो जायगी। किसी भी नागरिक की अपील में जान होगी तो स्वीकार होगी। फिर आपने कहा कि अपील सुप्रीम कोर्ट में भी नहीं है। १३३(३) के अन्दर सुप्रीम कोर्ट में अपील का तो प्राविजन है उसमें सिंगिल जज की अपील को बार कर दिया गया है। और जब उसको बार कर दिया गया है तो एक स्पेशल अपील का प्राविजन रह जाता है। इसलिये प्रजातन्त्र का तकाजा है कि जो ग्रामीण हैं उनको दिये गये न्याय के लिये गुन्जायश रहना चाहिये। जब आप इस विधेयक को ला रहे हैं तो उसे जनता की राय के लिये भेज देने में क्या दिक्कत है ? अभी माननीय मन्त्री जी ने कहा कि यह तो आगे आने वाला समय बतलायेगा। जनता ने बतला दिया कि जनता किस के साथ है। यह जो गर्व है, घमन्ड है बड़ों-बड़ों का आज तक दुनिया में नही रहा। इसलिये इस घमन्ड को खत्म कर दिया जाय। जनता में त्राहि-त्राहि हो रही है, आपके नाम की दुहाई मांग रही है क्योंकि आपने जनता की पीठ पर टैक्सेज का बोझ लाद दिया है।

श्री उदित नारायण शर्मा—

यह घमन्ड नहीं है तथ्य है।

श्री नित्यानन्द स्वामी—

इस घमन्ड को खत्म कर दीजिये। आगे आने वाला समय बतलायेगा कि यह जो विधेयक आप लाये हैं यह आपके लिये भारी पड़ेगा। इन शब्दों के साथ मैं प्रार्थना करता हूं कि आप मेरे संशोधन का समर्थन करें।

श्री बलबीर सिंह—

आपका घमन्ड खत्म हो जाना चाहिये क्योंकि ५०-६० कांग्रेसियों ने दस्तखत किये हैं कि आप बड़े भ्रष्ट हैं।

श्री राम गोपाल सण्ड—

मान्यवर, यह मौलिक प्रश्न उठाया गया है कि इलाहाबाद हाई कोर्ट में जो न्यायाधीशों की जगहें रिक्त हैं माननीय न्याय मन्त्रीजी उन पर नियुक्ति करें ताकि समस्या

सुलझ सके और ७० हजार मुकदमें समाप्त हो सकें। उधर से चुनौती दी जाती है कि गरीबों के लिये यह काम करते है और दूसरी तरफ भूमि भवन करलगा रहे हैं क्योंकि विकास कार्य करने हैं। जनसंघ के लोग इस चुनौती का स्वागत करते हैं। ६७ में यह अहंकार टूटा था और ७४ में फिर जो यह सत्ता का नशा चढ़ा हुआ है वह पराजय के पानी से नीचे उतरता दिखाई देगा ।

श्री शिव कुमार पांडेय (जिला सुल्तानपुर)--

दिल को बहलाने को गालिब यह खयाल अच्छा है ।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी--

मान्यवर, लेटर्स पेटेन्ट बिल आया है। क्षुद्र बुद्धि वाला वह हमको समझते हैं। पहले सोचा कि ऐसे लोगों का मैं जवाब न दूं । फिर सोचा कि जवाब किसने दिया । विशेष कर जवाब शर्मा जी ने दिया और आचार्य जी ने दिया। ये दोनों व्यक्ति किसी समय इधर बैठ कर उसी विचारधारा का प्रतिपादन करते थे जिसका हम कर रहे हैं। ये गये उधर और आज उधार ले कर दूसरी विचारधारा का प्रतिपादन कर रहे हैं। कोई तथ्य उनके पास नहीं रहे और फिर उनका क्या ठिकाना किधर के आरगूमेंटस करने लगें ? ऐसे व्यक्तियों को डेमोक्रेसी की बात नहीं करनी चाहिये। किस मेनिफेस्टो व टिकट पर जीत कर गये थे उसे याद रखिये ? यह बात बराबर आपके लिये जवाबदेह है। डेमोक्रेसी का पुतला किसने जलाया, डिफेक्टर्स ने जलाया। डेमोक्रेसी का हनन उन्हीं ने किया जब हाई कोर्ट की कोई इंटेग्रिटी नहीं रह सकेगी, उस पर कोई विश्वास नहीं रह जायगा तब आप डेमोक्रेसी की क्या बात करते हैं ? यह सिद्धान्त की बात है कि ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं किया जाता । मैं उनका बड़ा आदर करता हूं और कोई उत्तर न देता अगर शुद्ध शब्द का इस्तेमाल न किया होता .....

श्री राजमंगल पांडेय--

व्यवस्था का प्रश्न है। यहां पर सब कुछ खिलाफ भी कहा जाता है और यह भी कहा जाता है कि बड़ा आदर करता हूं ।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी--

मैं आदर करता हूं और मैंने कोई अनादर सूचक शब्द का प्रयोग भी नहीं किया।

मान्यवर, मैंने अनादर शब्द का प्रयोग नहीं किया बल्कि जो विचार व्यक्त किये गये उनके बारे में कहा।

श्री उदित नारायण शर्मा--

मान्यवर, जब कोई तर्क नहीं रह जाता है तब इसी का आश्रय लिया जाता है।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी--

इसीलिये मैंने, क्षुद्र बुद्धि का प्रयोग किया है ....

श्री बलवीर सिंह--

जब कोई तर्क नहीं रह जाता है तब ऐसे ही शब्दों का प्रयोग किया जाता है जैसे कि अभी माननीय शर्मा जी ने किया है ।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी--

मान्यवर, मैंने कौन सी गलत बात कही। मैं मानता हूं कि जब कोई दलील नहीं रह जाती है तभी ऐसे शब्द प्रयोग किये जाते हैं। मान्यवर, इन बातों में न जाकर मैं यह कहना चाहता हूं कि जजेज के बारे में यह सदन गम्भीरता पूर्वक विचार करे। कहा जाता है कि जब चीर खींची जा रही थी तो उस वक्त तुम कहां थे उसका जवाब यह मिलता है कि हम जानते थे कि ऐसा हो रहा है किन्तु हम नमक दूसरे का खा रहे थे इसलिये कुछ नहीं कर सके।

मान्यवर, मैं जानता हूं कि आज पचासों वकील हैं। माननीय आचार्य जी भी और माननीय शर्मा जी भी मुझसे बहुत अधिक अनुभवी वकील हैं। यह कोई प्रशंसा की बात नहीं है किन्तु मैं गहराई से यह बात कहता हूं। लेकिन आज उनके सामने मजबूरियां हैं जिनका जिक्र मैंने अभी किया है और उदाहरण दिया है। यह तो रहा आपकी डिमोक्रेसी का जवाब, लेकिन हाई कोर्ट के बारे में चीफ जस्टिस से पूछना या लोगों की राय लेना या इसको जनमत की राय लेने हेतु परिचालित करना अथवा इसे प्रवर समिति के सुपुर्द करके उसकी राय लेना उचित ही होगा।

अभी कोई जल्दी की बात नहीं है। हो सकता है उसमें आपकी ही राय मान ली जाय। आप कानून तो वही बनायेंगे जो राय आयेगी। आप एक अवसर तो दें। यदि यह समिति 10 आदमियों की बनी तो उसमें आपके 8 आदमी होंगे। यदि 15 आदमियों की बनी तो उसमें आपके 10 आदमी होंगे। तो आप अवसर तो इसे दें और इस पर कमेन्ट्स तो आने दें जनता के। इसलिये इस पर गम्भीरता-पूर्वक विचार करने की आवश्यकता है। आज न मालूम कितने वर्षों बाद इस कानून में संशोधन हो रहा है। तो मेरा निवेदन यह है कि इन बातों को ध्यान में रखते हुये आप इस विधेयक को प्रवर समिति के सुपुर्द कर दें। इन शब्दों के साथ मैं प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

श्री बलराम सिंह यादव--

मान्यवर, आज इस बिल के सिलसिले में जिन माननीय सदस्यों ने भाग लिया है और अपने सुझाव प्रस्तुत किये हैं मैं उनके प्रति बहुत कृतज्ञ हूं और उन्हें धन्यवाद देना चाहता हूं। मान्यवर, इसमें कोई शक नहीं है कि बहुत से माननीय सदस्यों ने ऐसे सुझाव दिये हैं कि जिन्हें हमें पूरा करना चाहिये और उनके पूरा करने से ही न्याय प्रशासन को गति मिल सकती है जैसे कि मैंने पहले भी अपने भाषण में कहा था और जैसे कि अभी कुछ माननीय सदस्यों ने यह प्रश्न उठाया कि इस संशोधन विधेयक से हाई कोर्ट के अधिकारों का हनन होगा और अपीलों से सम्बन्धित अधिकारों का हनन होगा। तो ऐसी बात नहीं है। आप सभी जानते हैं कि हाईकोर्ट में सिंगिल जज के निर्णय के खिलाफ जो स्पेशल अपील होती है वहां पर ४ स्टेजेज अपील को मिलती हैं।

मान्यवर, छन-छन कर चौथा निर्णय सिंगिल जज का हाई कोर्ट में होता है। जैसा कि मैंने पहले निवेदन किया कि हमारे प्रदेश में जो अपील करने की स्टेजेज हैं वे इतन धीअ कि हैं जिस पर ला-कमीशन ने भी समय-समय पर अपनी राय दी है कि जितना सम्भव हो सके इसको समाप्त किया जाना चाहिये। इसके साथ ही साथ हाई कोर्ट के

चीफ जस्टिसेज की जो कन्फेरेन्स 1960 में हुई थी उसमें हमारे हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने और अन्य जजों ने यह राय दी थी कि लेटर्स पेटेंट अपील को समाप्त किया जाना चाहिये। तो मान्यवर, इसी मंशा से यह बिल यहां लाया गया है।

जैसा कि मैंने पहले भी बतलाया और अनुभव भी इस बात का रहा है कि यदि इस अपील के अधिकार से जनता को थोड़ा भी रिलीफ मिलने की बात होती तो सरकार को कोई भी गरज नहीं पड़ी थी कि वह इस संशोधन विधेयक को इस सदन के सामने लाती। लेकिन जब यह देखा और महसूस किया कि केवल एक प्रकार के मामले में 1 परसेंट जनता को रिलीफ है और दूसरे प्रकार के मामले में केवल 2 परसेंट जनता को रिलीफ है और 98-99 परसेंट जनता को अकारण ही बिना वजह उनका समय भी व्यर्थ होता है और पैसा भी उनका बेकार होता है और हाई कोर्ट के अन्दर न्यायाधीश लोगों का समय भी व्यर्थ होता है और उसी कारण से मुकदमों का समय से फैसला नहीं हो पाता है, इसी मंशा से यह बिल लाया गया है।

एक प्रश्न यह उठाया गया कि जो सिंगल जज का निर्णय होता है हाईकोर्ट के अन्दर उसके निर्णय के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में नहीं जाया जा सकता है। पहले मैं एक बात स्पष्ट कर दूं कि हाई कोर्ट के सिंगल जज के निर्णय के खिलाफ अगर कोई विधिक प्रश्न इनवाल्व होता है तो दो जजों के पास उनकी रूलिंग के लिये भेज दिया जाता है। चीफ जस्टिस को अधिकार है कि वह बेंच के सुपुर्द उसको करदे और विधिक प्रश्न पर उनकी रूलिंग मांगे। कुछ माननीय सदस्यों ने यह प्रश्न उठाया है कि संविधान के अनुच्छेद 133 के मातहत सिंगल जज के निर्णय के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील नहीं की जा सकती है।

श्री बलवीर सिंह---

माल मंत्री जी नहीं मानते इस बात को।

श्री बलराम सिंह यादव---

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 136 के मातहत अगर कोई अपील करना चाहता है सिंगल जज के निर्णय के खिलाफ तो वहां अपील की जा सकती है उन्हीं ग्राउंड के आधार पर जिन ग्राउंड के आधार पर हाईकोर्ट में सिंगल जज के निर्णय के खिलाफ हाईकोर्ट की बेंच में अपील की जा सकती है। उन्हीं ग्राउंड के अन्दर उसी तरह की अपील सुप्रीम कोर्ट में संविधान के अनुच्छेद 136 के मातहत की जा सकती है।

श्री नित्यानन्द स्वामी---

कम से कम गुमराह तो न करें सदन को। 136 तो स्पेशल अपील के लिये है। 133 तो बार करता है सिंगल जज के अपील को, बयान तो सही करें काम चाहे उल्टा करें।

श्री शम्भूनाथ चौधरी---

मान्यवर, इसमें है स्पेशल लीव आफ अपील टु दि सुप्रीम कोर्ट।

श्री बलराम सिंह यादव---

मेरा ऐसा विश्वास है कि जितना ज्यादा अपील के स्टेजेज होंगे उतना ही गरीब

[श्री बलराम सिंह यादव]

लोगों का नुकसान होगा और जो पैसे वाले होंगे वे अपने पैसे के बल पर नीचे से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक लड़ते रहेंगे। इस तरह से मेरा निश्चित विश्वास है कि वह सब बेकार होगा।

(श्री शम्भूनाथ चौधरी के खड़े होने पर)

श्री उपाध्यक्ष—

मैं आपके काम को हल्का कर दूं। मैं अनुच्छेद 136 को पढ़ देता हूं जो इस प्रकार है :—

"136-(1) इस अध्याय में किसी बात के होते हुये भी उच्चतम न्यायालय स्वविवेक से भारत राज्य क्षेत्र में के किसी न्यायालय या न्यायाधिकरण द्वारा किसी वाद या विषय में दिये हुए किसी निर्णय, आज्ञप्ति, निर्धारण, दंडादेश या आदेश अपील के लिये विशेष इजाजत दे सकेगा।"

श्री बलराम सिंह यादव—

जी हां, मान्यवर।

श्री नित्यानन्द स्वामी—

मान्यवर, मंत्री जी को समझा तो दीजिये।

श्री उपाध्यक्ष—

मैं कुछ कैसे कहूं, आप चाहते हैं कि जो आप चाहते हैं वही मैं भी कहूं। अगर मैं समझाने लगूं तो आप कहेंगे कि आप क्लास ले रहे हैं।

श्री नित्यानन्द स्वामी—

मान्यवर, घोड़े को पौंड तक लाया जा सकता है लेकिन उसे पानी पीने के लिये मजबूर नहीं किया जा सकता।

श्री शम्भूनाथ चौधरी—

मान्यवर, अनुच्छेद 133 (3) भी पढ़ दें तो माननीय मंत्री जी को स्पष्ट हो जाय।

श्री राम गोपाल संड—

मान्यवर, इनको समझा दीजिये।

श्री उपाध्यक्ष—

जो आप कह रहे हैं वह काम मैंने छोड़ दिया है, समझाने-बुझाने और पढ़ाने का काम।

श्री रामगोपाल संड—

मान्यवर, ऐसी प्रतिज्ञा न करें।

श्री उपाध्यक्ष—

इसमें प्रतिज्ञा का कोई सवाल नहीं है।

श्री बलरामसिंह यादव—

माननीय सदस्यों ने हाई कोर्ट के जजों की कमी के बारे में चर्चा की है। यह सही बात है कि हाई कोर्ट में जजों की कमी है। इसकी वजह से बहुत सा काम पेंडिंग पड़ा हुआ है।

इस विभाग का चार्ज लेने के बाद जब मुझे मालूम हुआ कि हाई कोर्ट के जजों की कमी है तो मैं स्वयं दिल्ली गया और वहां मेरी ला मिनिस्टर से बातचीत हुई। मैंने उनको सारी स्थिति से अवगत कराया और उन्होंने मुझे आश्वासन दिया है कि इसके संबंध में बहुत शीघ्र फैसला ले लिया जायेगा ।

एक बात और उठाई गई और माननीय बहुगुणा जी का जिक्र किया गया। मैं इस संबंध में इतना कहना चाहता हूं कि मुझे इसकी कोई जानकारी नहीं है कि उनका कोई रिश्तेदार हाई कोर्ट का जज होने वाला है या उन्होंने अपने रिश्तेदार के मामले में मुझसे पैरवी करने के लिये या रिकमेंड करने के लिये कहा है। उनकी धारणा सम्भवत: सही नहीं है।

श्री रामगोपाल संड—

मान्यवर, मैं एक सूचना चाहता हूं कि गृह मंत्री से परामर्श किया जाता है या न्याय मंत्री से किया जाता है। मैं अध्यापक हूं, मुझे मालूम नहीं है। इसलिये बता दिया जाय ।

श्री बलराम सिंह यादव—

मान्यवर, ला मिनिस्टर के थ्रू ही फाइल जाती है और फाइल प्राइम मिनिस्टर के यहाँ चली गई है। इसमें कोई शक नहीं है कि मुंसिफों की और सिविल जजों की भी बहुत कमी है। अभी हमारे साथी माननीय त्रिपाठी जी ने एक अखबार पढ़ा था। उसमें हाई कोर्ट की बार एसोसियेशन ने एक रिजोल्यूशन पास किया था और उसके जरिये से लेटर्स पेटेंट अपील समाप्ति (संशोधन) विधेयक के बारे में विरोध किया गया था। मैं इसको स्वीकार करता हूं कि इसमें वकीलों के इंटरेस्ट का जरूर हनन होगा। लेकिन जहां जन साधारण की बात होगी, वहां थोड़े लोगों के स्वार्थों का हनन होगा तो उसको किया जा सकता है। जन साधारण के इंटरेस्ट को देखना होगा और विचार करना होगा।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी—

क्या इसीलिये आप हाई कोर्ट की बेंच को मेरठ में कायम नहीं कर रहे हैं? क्या यही आपकी धारणा है ?

श्री बलराम सिंह यादव—

ऐसी कोई बात नहीं है। सबार्डीनेट जुडीशियल सर्विस के पे स्केल के बारे में भी कहा गया है। उनके मामले पर पे कमीशन में विचार हो रहा है और शीघ्र ही निर्णय ले लिया जायेगा ।

श्री उपाध्यक्ष—

अब कल आप अपना भाषण जारी रखें।

कार्य सूची में अब 23 नवम्बर पर है —चम्बल घाटी के दस्युओं द्वारा आत्म-समर्पण करने से प्रदेश की शाँति व व्यवस्था पर गम्भीर प्रभाव पड़ने की आशंका के सम्बन्ध में श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी, श्री हरिनाथ तिवारी तथा श्री हिम्मत सिंह द्वारा उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम 52 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर एक घंटे की चर्चा।

श्री राम गोपाल संड--

यह विधेयक क्या समाप्त हो गया ?

श्री उपाध्यक्ष--

सरकार अभी समाप्त करने का कोई प्रस्ताव करती या कोई इधर से समय बढ़ाने का प्रस्ताव करता तो वह होता, वह नहीं आया तो मैंने इस को अब समाप्त कर दिया और अगले आइटम पर चले गये, कल फिर यह छापना पड़ेगा।

श्री राम गोपाल संड--

क्या सरकार ने हमारे संशोधन को मान लिया है और विधेयक वापस ले लिया है ?

श्री उपाध्यक्ष--

कल फिर चलेगा लेकिन क्या सदन की इच्छा है कि इसे आज समाप्त किया जाय? कार्य-मंत्रणा समिति ने तय किया था कि कम से कम एक दिन में एक विधेयक अवश्य लिया जाय. . . . . .

श्री विश्वनाथ कपूर--

नियम 51 की सूचनाओं का क्या हुआ ?

श्री उपाध्यक्ष--

वह तो आयेगी, वह अपने स्थान पर है। अगर आप चाहते हैं कि इस विधेयक को आज समाप्त किया जाय तो 15 मिनट लगेंगे, इसे ले लिया जाय। माननीय माधव प्रसाद त्रिपाठी जी की क्या राय है ?

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी--

जैसा आप कह रहे हैं हमें कोई आपत्ति नहीं है, आज ही समाप्त हो जाय।

श्री बलराम सिंह यादव--

इन शब्दों के साथ ही मैं माननीय सदस्यों से अनुरोध करूंगा कि उन्होंने जो संशोधन पेश किये हैं उन्हें वापस ले लें और इस विधेयक को पारित होने दें।

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश उच्च न्यायालय (लेटर्स पेटेन्ट अपील समाप्ति) (संशोधन) विधेयक, 1972 को जनता की राय जानने हेतु तीन माह के लिये परिचालित किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश उच्च न्यायालय (लेटर्स पेटेन्ट अपील समाप्ति) (संशोधन) विधेयक, 1972 को सदन की एक प्रवर समिति को सौंपा जाय जो अपना प्रतिवेदन एक माह में दे दे। उसे विधेयक की परिधि बढ़ाने का भी अधिकार हो।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश उच्च न्यायालय (लेटर्स पेटेन्ट अपील समाप्ति) (संशोधन)

विधेयक, 1972 को दोनों सदनों की संयुक्त प्रवर समिति को सुपुर्द किया जाय जो अपना प्रतिवेदन एक माह में दे।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश उच्च न्यायालय (लेटर्स पेटेन्ट अपील समाप्ति) (संशोधन) विधेयक, 1972 पर विचार किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड 2

2—उत्तर प्रदेश उच्च न्यायालय (लेटर्स पेटेन्ट अपील समाप्ति) अधिनियम, 1962 में धारा ३ के पश्चात् निम्नलिखित धारा बढ़ा दी जाय ; अर्थात् :—

"4—(1) किसी वाद या कार्यवाही से, जो चाहे इस धारा के प्रारम्भ होने से पहले या उसके पश्चात् संस्थित अथवा प्रारम्भ की गयी हो, उत्पन्न होने वाली किसी अपील में राजस्व परिषद द्वारा यू० पी० टेनेन्सी ऐक्ट, 1939 अथवा 1950 ई० का उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि-व्यवस्था अधिनियम के अधीन दिये गये अथवा दिये जाने के लिये तात्पर्यित निर्णय, डिक्री या आज्ञा के सम्बन्ध में, अथवा चकबन्दी संचालक (जिसके अन्तर्गत कोई ऐसा अधिकारी भी है जो चकबन्दी संचालक की शक्तियों तथा कर्त्तव्यों का तात्पर्यित प्रयोग तथा पालन कर रहा हो) द्वारा उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम, 1953 के अधीन दिये गये या दिए जाने के लिये तात्पर्यित निर्णय, डिक्री या आज्ञा के सम्बन्ध में, उच्च न्यायालय के एकल न्यायाधीश द्वारा संविधान के अनुच्छेद 226 अथवा 227 के अधीन क्षेत्राधिकार का प्रयोग करके कृत निर्णय अथवा आज्ञा के विरुद्ध कोई अपील उच्च न्यायालय में नहीं की जा सकेगी, भले ही यू० पी० हाई कोर्ट्स (अमलगमेशन) आर्डर, 1948 के खंड 7 तथा 17 के साथ पठित हर मैजेस्टी के लेटर्स पेटेन्ट, दिनांक 27 मार्च, 1866 के खंड दस में अथवा अन्य किसी विधि में कोई प्रतिकूल बात दी हो।

उ० प्र० अधिनियम 14, 1962 में नयी धारा 8 का बढ़ाया जाना

कतिपय मामलों में रिट याचिका के क्षेत्राधिकार का प्रयोग करके उच्च न्यायालय के एकल न्यायाधीश द्वारा दिये गये निर्णय या दी गयी आज्ञा के विरुद्ध अपीलों की समाप्ति

(2) उपधारा (1) में किसी बात के होते हुये भी, इस धारा के प्रारम्भ के तत्काल पूर्व विचाराधीन सभी अपीलें उसी प्रकार सुनी और निस्तारित की जायेंगी मानो कि यह धारा अधिनियमित न की गई हो।"

श्री राम सिंह खन्ना (जिला बरेली)--

उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि खंड 2 द्वारा मूल अधिनियम में बढ़ाई जाने वाली धारा 4 की उपधारा (1) की छठवीं लाइन में शब्द 'उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि-व्यवस्था अधिनियम' के पश्चात् शब्द तथा अंक 'अथवा उत्तर प्रदेश नागर क्षेत्र जमींदारी विनाश और भूमि-व्यवस्था अधिनियम, 1956, अथवा जौनसार बावर जमींदारी विनाश और भूमि-व्यवस्था अधिनियम, 1956 अथवा कुमायूं तथा उत्तराखंड जमींदारी विनाश तथा भूमि-व्यवस्था अधिनियम, 1960, बढ़ा दिये जायं।

श्री बंशीधर पाँडेय--

श्रीमन्, कई बार यहाँ पर सदन में यह बात आयी। इसी को आप देखें कि इस विधेयक ने जन्म भी नहीं लिया लेकिन त्रुटियाँ आ गयीं सरकार के विधि सचिव और अन्य सभी सचिवों की एफीशियेन्सी को आप देखें कि जन्म तो हुआ नहीं पेबंद और चिप्पी लगने लगी।

श्री बलराम सिंह यादव--

श्रीमन्, यह संशोधन मुझे स्वीकार है।

श्री राम गोपाल संड--

श्रीमन्, यह कितना पक्षपात करते हैं। अपने दल वालों के संशोधन को ये तुरन्त स्वीकार कर लेते हैं।

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि खंड 2 द्वारा मूल अधिनियम में बढ़ाई जाने वाली धारा 4 की उपधारा (1) की छठवीं लाइन में शब्द "उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि-व्यवस्था अधिनियम" के पश्चात् शब्द तथा अंक "अथवा उत्तर प्रदेश नागर क्षेत्र जमींदारी विनाश और भूमि-व्यवस्था अधिनियम, 1956, अथवा जौनसार बावर जमींदारी विनाश और भूमि-व्यवस्था अधिनियम, 1956, अथवा कुमायूं तथा उत्तराखंड जमींदारी विनाश तथा भूमि-व्यवस्था अधिनियम, 1960" बढ़ा दिये जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री रूपनाथ सिंह यादव--

माननीय उपाध्यक्ष, मेरा निवेदन है कि खंड 2 द्वारा मूल अधिनियम में बढ़ाई जाने वाली धारा 4 (1) के अन्त में निम्नलिखित परन्तुक जोड़ दिये जायं:

"प्रतिबन्ध यह है कि इस धारा की कोई बात चकबन्दी निदेशक, या अन्य न्यायालयों के निर्णय या आदेश अथवा डिक्री के वि द्ध याचिका को उच्च न्यायालय के एकल न्यायाधीश द्वारा सरसरी एवं प्रारंभिक सुनवाई पर ही अस्वीकार कर देने की दशा में नहीं लागू होगा:

अग्रेतर प्रतिबन्ध यह है कि इस धारा की कोई बात अनुसूचित जाति एवं जनजाति के फरीकेन के लिये लागू नहीं होगी।

मान्यवर, संविधान में हमेशा हरिजनों और वीकर सेक्शन के लोगों को छूट है तो कम से कम ऐसे आदमियों के लिये न्याय का दरवाजा तो खुला रहने दीजिए। आप उनके लिए क्यों नहीं न्याय मंदिर खोल रहे हैं?

श्री बलराम सिंह यादव--

मुझे स्वीकार नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि खंड 2 द्वारा मूल अधिनियम में बढ़ाई जाने वाली धारा 4(1) के अन्त में निम्नलिखित परन्तुक जोड़ दिए जायं :

"प्रतिबन्ध यह है कि इस धारा की कोई बात चकबन्दी निदेशक या अन्य न्यायालयों के निर्णय या आदेश अथवा डिक्री के वि द्ध याचिका, को उच्च न्यायालय के एकल-न्यायाधीश द्वारा सरसरी एवं प्रारम्भिक सुनवाई पर ही अस्वीकार कर देने की दशा में नहीं लागू होगा :

श्री रूपनाथ सिंह यादव--

श्रीमन्, मेरा निवेदन है कि सरकार का यह नया तरीका मैं सरकार के इस रवैये के कारण सदन का 5 मिनट के लिये त्याग करता हूं।

(श्री रूपनाथ सिंह यादव सदन त्याग करके चले गये।)

श्री नित्यानन्द स्वामी--

श्रीमन्, अब तो ये अगर पूरे समय के लिये भी सदन का त्याग कर दें तो कोई हर्ज नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष--

फिर आगे पढ़े देता हूं।

अग्रेतर प्रतिबन्ध यह है कि इस धारा की कोई बात अनुसूचित जाति एवं जन-जाति के फरीकेन के लिये लागू नहीं होगी।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि संशोधित खंड 2 विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड 3, खंड 1, प्रस्तावना व शीर्षक

3--उत्तर प्रदेश उच्च न्यायालय (लेटर्स पेटेन्ट अपील समाप्ति) (संशोधन), अध्यादेश. 1972 एतद्द्वारा निरस्त किया जाता है। उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 12 1972 का निरसन

उत्तर प्रदेश उच्च न्यायालय (लेटर्स पेटेन्ट अपील समाप्ति) (संशोधन) विधेयक, 1972

उत्तर प्रदेश उच्च न्यायालय (लेटर्स पेटेन्ट अपील समाप्ति) अधिनियम, 1972 को संशोधित करने के लिये

विधेयक

संक्षिप्त नाम

(भारत गणराज्य के तेईसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :

1—यह अधिनियम उत्तर प्रदेश उच्च न्यायालय (लेटस पेटेन्ट अपील समाप्ति) (संशोधन) अधिनियम, 1972 कहलायेगा।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि खंड 3, खंड 1, प्रस्तावना और शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री बलराम सिंह यादव—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश उच्च न्यायालय (लेटर्स पेटेन्ट अपील समाप्ति) (संशोधन) विधेयक, 1972, जैसा कि सदन द्वारा संशोधित हुआ है, पारित किया जाय।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश उच्च न्यायालय (लेटर्स पेटेन्ट अपील समाप्ति) (संशोधन), विधेयक, 1972, जैसा कि सदन द्वारा संशोधित हुआ है, पारित किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

नियम 51 के अन्तर्गत सूचनाएं

श्री उपाध्यक्ष—

आज नियम 51 के अन्तर्गत प्राप्त सूचनाओं में से श्री विश्वनाथ कपूर तथा श्री राम विलास पान्डेय द्वारा दी गई सूचना को 28 जुलाई, 1972 को केवल वक्तव्य के लिये स्वीकार किया गया है।

शेष सभी सूचनाओं को अस्वीकार किया गया है।

श्री नित्यानन्द स्वामी (जिला देहरादून)—

मान्यवर, माननीय अध्यक्ष जी ने वायदा किया था कि जो नियम 56 का था उसमें वक्तव्य करा देंगे। उसके बाद आप आकर बैठ गये। आपने कहा कि अध्यक्ष जी ने क्या कहा मुझे मालूम नहीं। कल अध्यक्ष जी ने कहा मान्यवर, देहरादून में कत्ल हुये हैं। अध्यक्ष जी ने कहा था कि वे नियम 51 में इसे वक्तव्य के लिये स्वीकार करवा देंगे।

श्री उपाध्यक्ष—

हमारे सामने जो निर्णय के लिये है वह इतना जनरल है कि उसको नियमत: स्वीकार नहीं किया जा सकता। आप कृपा करके अध्यक्ष और हमारे बीच में कड़ी बनने की कोशिश न करें।

श्री नित्यानन्द स्वामी—

अध्यक्ष जी ने मुझे कहा है, मान्यवर।

श्री उपाध्यक्ष—

जो मुझे करना है उसे मैं करता हूं।

श्री नित्यानन्द स्वामी—

मान्यवर, उन्हें फिर यह कहना नहीं चाहिये था कि मैं स्वीकार कर लूंगा।

श्री उपाध्यक्ष—

उनसे पूछियेगा। उसकी जानकारी मुझे कहां है ?

श्री निहाला सिंह, श्री राम विलास पान्डेय श्री महातम प्रसाद, आदि ने शाहजहांपुर और उसके सरहदी जिलों में पिछले 15 दिनों से भयंकर लूट पाट तथा फायरिंग की घटनायें होने की सूचना दी है। यह स्पष्ट है कि यह जनरल है, इसलिये अस्वीकार किया गया है।

श्री सुरेन्द्र विक्रम (जिला शाहजहांपुर)—

श्रीमन्, मैंने जो सूचना दी है वह प्वाइंटवाइज दी है कि वहां कितनी लूटमार है। यह प्रश्न में नहीं हो सकता है ? रात-रात गांव के गांव जागते रह जाते हैं।

श्री उपाध्यक्ष—

यह विषय जनरल है। अगर आप स्वयं पढ़ेंगे तो आप स्वयं इसको स्वीकार नहीं करेंगे।

एक सूचना नियम 51 के अन्तर्गत सर्वश्री चन्द्रमोहन सिंह नेगी, राम विलास पान्डेय तथा श्री बंशीधर पान्डेय ने दी है घाघरा नदी में भयंकर बाढ़ के कारण तुरतीपार श्रीनगर बांध को खतरा हो गया है। इसके लिये मैंने कहा है कि मैं चर्चा दूंगा। लेकिन एक-एक को नहीं सबको मिलाकर।

श्री शिव कुमार पांडेय (जिला सुल्तानपुर) —

मान्यवर, सूखे से भी बड़ी परेशानी हो रही है।

श्री वंशीधर पान्डेय (जिला वाराणसी)—

उपाध्यक्ष महोदय, जैसा कि पान्डेय जी ने कहा एक दिन बीच में कर दिया जाय।

श्री उपाध्यक्ष—

इस पर पहले कार्यवाही की जा चुकी है ? माननीय राजस्व मन्त्री ने उस पर सहमति जाहिर कर दी है। बयान देने में इतना वक्त लगेगा वह आपके समक्ष आ जायेगा। श्री रूपनाथ सिंह यादव ने संस्कृत विद्यालयों व पाठशालाओं में उप-शिक्षा निदेशक (संस्कृत) के सम्बन्ध में संस्कृत के अध्यापकों से असंतोष के बारे में लिखा है। उनके इस प्रश्न में काफी दम है क्योंकि उन्होंने लिखा है कि संस्कृत नहीं जानता और उसकी नियुक्ति हो गई है। अतः मैं इसको शिक्षा मन्त्री जी के पास मुझे और आपको सूचित करने के लिये कार्यवाही के लिये भेज रहा हूं। श्री रूपनाथ सिंह यादव कहां हैं.....

श्री वंशीधर पांडेय—

वह चले गये हैं, आप वक्तव्य के लिये स्वीकार कर लीजिये।

श्री उपाध्यक्ष—

श्री कल्पनाथ सिंह का भी मामला बाढ़ और अकाल से सम्बन्धित है। यह सब एक साथ आयेगा।

श्री राम गोपाल सण्ड ने ५ लाख रुपये के गोल-माल के सम्बन्ध में लिखा है।

श्री राम गोपाल सण्ड (जिला इलाहाबाद)—

मान्यवर, 5 लाख रुपये की दवाइयां स्टोर से गबन हो गईं। वहां के प्रिन्सीपल ने डाइरेक्टर को पत्र लिखा और आडिट हुआ। मान्यवर, मैं ऐसी महत्वपूर्ण सूचना दे रहा हूं और कहें तो मैं सत्य प्रतिलिपि आपकी सेवा में प्रस्तुत कर दूं। वहां 5 इन्जेक्शन के स्थान पर 50 कर दिये गये, 5 लाख रुपये की दवाइयों का गबन है।

श्री उपाध्यक्ष—

यह तो आप भी समझ गये होंगे कि गबन वगैरह के मामले जो हैं वह पी० ए० सी० में जाते हैं और उसके प्रतिवेदन पर यहां विचार होता है यह नहीं देखा जायेगा।

श्री राम गोपाल सण्ड—

मान्यवर, आप अल्प सूचित प्रश्न करने की आज्ञा दे दें ....

श्री उपाध्यक्ष—

आप पूछ लीजिये, लेकिन मैं यह नहीं कहता कि मैं स्वीकार ही करूंगा नियम के अनुसार होगा तभी स्वीकार किया जायेगा।

श्री शिव वक्ष सिंह राठौर तथा श्री सूबेदार सिंह ने जिला मैनपुरी के भूतपूर्व पर्यवेक्षक श्री राम स्वरूप गंगवार द्वारा आरबीट्रेशन का मामला सहायक विकास अधिकारी द्वारा अस्वीकार किये जाने पर जिला अधिकारी मैनपुरी द्वारा अपील स्वीकार करके स्थगन आदेश पारित करने के सम्बन्ध में लिखा है। यह मामला तो ऐसा मालूम पड़ता है कि जिला अधिकारी ने अपने अधिकार क्षेत्र के बाहर काम किया है, लेकिन फिर भी इसका जो उपचार है वह न्यायालय में उपलब्ध है। मुझे कुछ ऐसा लगता है कि इसमें कुछ त्रुटि है कि जिला अधिकारी ने निर्णय दिया हो। लेकिन जैसा मैंने कहा इसका उपचार उपलब्ध है वह कमिश्नर के यहां अपील कर सकते हैं। इसी लिये इसको स्वीकार नहीं किया गया।

चम्बल घाटी के दस्युओं द्वारा आत्म-समर्पण से प्रदेश की शांति व्यवस्था पर प्रभाव की आशंका पर नियम 52 के अन्तर्गत चर्चा

*श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी (जिला बस्ती)—

मान्यवर, मैं चम्बल घाटी के दस्युओं द्वारा आत्म-समर्पण करने से उत्पन्न परिस्थितियों पर विचार करने के लिये खड़ा हुआ हूं। मान्यवर, यह समस्या बड़ी गम्भीर थी और अब भी गम्भीर है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान का एक सम्मिलित कमान्ड था, जो पिछले 25 वर्षों से इस प्रयास में था कि डाकुओं के गिरोह को समाप्त कर दिया जाय। जिस घटना का मैं उल्लेख करूंगा उसके कारण या किसी और कारण ऐसी परिस्थिति हुई जिसमें 411 डाकुओं ने आत्मसमर्पण किया और उसमें से 70 उत्तर प्रदेश के डाकू थे, लगभग 300 बन्दूकें पुलिस के हाथ आईं उनके

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

समर्पण के कारण। यह स्थिति उत्पन्न हुई कि २५ वर्षों तक यह सरकार और इसकी पुलिस पूर्णतया विफल रही।

यह कहने में हमको संकोच नहीं है कि उसकी विफलता का कारण यह भी था कि पुलिस भी उनकी सहायक थी। यह जिम्मेदार थी उन डकैतों को बढ़ाने के लिये क्योंकि उनकी पाकेट भरी जाती थी। लेकिन अचानक इस दिशा में एक अभूतपूर्व घटना घटी। हमारे सर्वोदयी नेता श्री जय प्रकाश नारायण ने इसमें भाग लिया और इन डकैतों ने आत्म-समर्पण किया। आत्म-समर्पण के बाद इस प्रकार की विचार धारा सारे प्रदेश और देश में चलने लगी, जिसका जिक्र हम अभी आगे करेंगे। लेकिन मुझे दुख है कि यह आत्म-समर्पण होने के बाद, जैसी कि आदत है कांग्रेस मिनिस्टरों की, इन मिनिस्टरों ने इसे अपने श्रेय भाजन का प्रयास करना प्रारम्भ किया। हमारे सेठी साहब ने इस श्रेय को लेने का प्रयास किया। पिछले 25 वर्षों से जिनमें डकैतों को पकड़ने में तीनों प्रान्तों की पुलिस असफल रही, सर्वोदयी नेता ने हाथ बटाया और उसके कारण उन्होंने आत्म-समर्पण किया। लेकिन उन्होंने सर्वोदयी नेता की आलोचना करना शुरू कर दी और उस श्रेय को उनको न देकर, उसको स्वयं लेने का प्रयास किया।

इसके लिये यहां की राजनीति भी जिम्मेदार थी कि उन्होंने उनको पैदा किया और इलेक्शन में उनका सहारा लिया, चाहे, वह मध्य प्रदेश हो, उत्तर प्रदेश हो या राजस्थान हो। लेकिन विशेष स्थान इस प्रदेश का था। माननीय सेठी साहब, जिनकी तारीफ होती थी, उनकी ईमानदारी के लिये, कुर्सी पर बैठते ही सर्वोदयी नेता की आलोचना करने का वातावरण बनाया। अब प्रश्न सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन की शुद्धता को पारकर, राजनीतिक क्षेत्र में भी पहुंच गया। इसका मुझे बड़ा दुख है। मैं समझता हूं कि एक गम्भीर विषय समाज के सामने उपस्थित हो गया है जिस पर कि हम गम्भीरतापूर्वक विचार करें। इसमें, हम, सरकार और दूसरे लोग एक मत होंगे और इसका श्रेय लेने का प्रयास करने की समस्या को सुलझाने का प्रयास करेंगें।

मान्यवर, ये दस्यु पैदा क्यों हुये? आर्थिक असमानता, सामाजिक अन्याय, पुलिस और प्रशासन से अन्याय के विरुद्ध संरक्षण न मिलना, इसके बहुत बड़े कारण थे। वे लोग विवश हो गये कि हमको संरक्षण पुलिस और न्याय से नहीं मिल सकता। तब उन्होंने बन्दूक का सहारा लिया और जंगलों में चले गये और जीवन बिताने लगे। इनको गवर्नमेंट से, पुलिस से, शासन से न्याय पाने में कोई राहत नहीं मिल सकी।

इसके अलावा, मान्यवर, जमीन की, जैसा कि वहां के लोग जिक्र करते हैं, बहुत कमी थी और घोर दरिद्रता थी। पर-हेड केवल पांच बिस्वे जमीन पड़ती थी। इनका सारा जीवन जंगलों में बीता। लेकिन उन्होंने सम्पत्ति भी अर्जित की और हजारों-लाखों पये पैदा किये। ये अपने परिवारों को छोड़कर जंगलों में सारा जीवन घूमते रहे, सैकड़ों हत्यायें कीं, कितनों का सोहाग लूटा, कितनी मातायें पुत्र-विहीन हो गयीं और कितने परिवारों को नष्ट-भ्रष्ट कर दिया। इनमें बहुत से दस्यु ऐसे हैं जिनके लिये सरकार ने 4-4, 5-5 हजार रुपयों का इनाम रखा था जो इनको पकड़वा दें।

[श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी]

जैसा कि मैंने पहले कहा, पुलिस इनको पकड़वाने में सर्वथा विफल रही। जब इन लोगों ने आत्म-समपर्ण करना शुरू किया तो इनका सार्वजनिक स्वागत होने लगा। सम्मान मिलने लगा और उन्हें मालायें पहनायी जाने लगीं। यह एक बड़ा गम्भीर विषय सारे समाज के सामने प्रस्तुत हो गया। यह भी हर कोने से आवाज आने लगी कि उनको सजा नहीं मिलनी चाहिये, प्राणदन्ड नहीं दिया जाना चाहिये।

दूसरी तरफ, एक दूसरा वर्ग है जिसने एक व्यक्ति की हत्या की, किसी खेत के झगड़े में, किसी दुश्चरित्रता के बारे में या अकस्मात जोश में आकर, और उसको फांसी की सजा हो गयी। उसकी फांसी माफ नहीं होगी। लेकिन ऐसा व्यक्ति जिसने सारे परिवार को नष्ट कर दिया, उस के लिये आज कहा जाता है कि इसको कानून के पंजे से मुक्त किया जाय। इसे आज प्रोत्साहन मिल रहा है ऐसे व्यक्तियों को कि हम भी 15 वर्ष तक अपनी जवानी डकैती में बितायेंगे, अपने परिवार के लिये सम्पत्ति पैदा कर लेंगे, हमें भी पुलिस और जाति बिरादरी का संरक्षण प्राप्त होगा और बाद में हम आत्मसमर्पण कर देंगे। अगर बीस वर्ष की सजा हुई तो अगर राजनीतिज्ञ बरकरार रहे तो छः वर्ष में छूटकर बाहर चले आयेंगे। इस पर भी हमें विचार करने की आवश्यकता है। यह भी देखना है कि क्या हम डकैती को रोक सके हैं या रोक पायेंगे? आज अगर आंकड़ों को देखें तो आत्मसमर्पण के बाद डकैती की संख्या कम नहीं हुई। तो यह विचारणीय विषय है। आज एक फरमेन्टेशन पैदा कर दिया है इसने कि हमारा सच्चा रास्ता क्या है।

मान्यवर, समाज के सामने यह जो प्रश्न उत्पन्न हुआ है, इसमें सरकार का उत्तरदायित्व क्या है? सरकार का उत्तरदायित्व उनके प्रति क्या है जो कि त्रस्त हुये हैं और उनके प्रति क्या है जिन्होंने ऐसा किया। मैं ऐसा समझता हूं कि ऐसे लोगों के गले पुष्प माला डालना और उनका सार्वजनिक सम्मान किया जाना बन्द होना चाहिये। इसका सामाजिक कुछ प्रभाव क्या पड़ेगा, इसको देखते हुये यह बन्द होना चाहिये। यह सराहनीय चीज नहीं है। गाँधियन आइडियोलाजी पाँच मिनट के अन्दर कैसे उन्होंने अपना लीं, कैसे एकदम हृदय परिवर्तन हो गया? आज उनके मुंह से आवाज निकलती है कि हम आत्म समर्पण कर रहे हैं लेकिन हमारी प्रेमिकाओं की रक्षा करें। यह हृदय-शुद्धि और चरित्र-शुद्धि का परिचायक नहीं है।

मनुष्य के चरित्र के जो सारे धागे हैं हमारे शरीर के जो सारे धागे हैं, समाज में रहने से जो हमारे संस्कार बने हुये हैं, उसके हर रेशे पर विचार किया जाता है। इस दृष्टि से मैंने कहा कि जब वह कहते हैं कि हमारी प्रेमिकाओं की रक्षा कौन करेगा तो हमको सम्भल कर चलना चाहिये। आत्मसमर्पण किया वह ठीक है। अगर उनको फांसी पर लटका देते, आत्म-समर्पण स्वीकार न करते, तो क्या होता? सुधार तो उनका करना ही होगा। इस पर भी विचार करना पड़ेगा और गम्भीरता से विचार करना पड़ेगा। यह बड़ी भारी समस्या है।

इसी सन्दर्भ में मैं कहता हूं कि महान् दुख की बात है कि कांग्रेस के मुख्य मन्त्री सेठी साहब ने जय प्रकाश नारायण जी जैसे शान्तिप्रिय व्यक्ति की भी आलोचना करनी शुरू कर दी क्योंकि कहीं सारा श्रेय उन्हें ही न मिल जाय। वह भूल गये कि हम जरा छोटे ही बन जायें तो समाज का तो भला होगा। तो मान्यवर, सार्वजनिक अभिवादन जो उनका होता है

वह नहीं होना चाहिये। मैं मानता हूं कि आत्म-समर्पण की कीमत उनको देनी चाहिये, लेकिन कानून अपना रास्ता लेगा। कानून को अपना रास्ता लेना चाहिये। कानून की पवित्रता कानून की महत्ता और कानून के प्रति सबका विश्वास रहना चाहिये। जो किसी जीवन का हनन करेगा वह कानून के पंजे में आयेगा। कानून किसी ए० बी० सी० को नहीं जानता ...

श्री कृष्णा नन्दराय (जिला गाजीपुर)--

मैं एक जानकारी चाहता हूं। जिन घटनाओं का उल्लेख माननीय सदस्य कर रहे हैं उनमें से कोई उत्तर प्रदेश में भी हुई है? जहाँ तक मेरी जानकारी है, उत्तर प्रदेश में किसी को फूलमाला नहीं पहनायी गयी आपने मध्य प्रदेश की घटना का यहाँ जिक्र किया। वहाँ के मुख्य मन्त्री यहाँ मौजूद नहीं हैं। इन परिस्थितियों में हम किस प्रकार से उसका स्पस्टीकरण कर सकते हैं। जो घटनायें हमारे प्रदेश में नहीं घटी है क्या हम उनकी चर्चा यहाँ पर कर सकते हैं?

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी--

ऐसा लगता है कि माननीय राय साहब को उन घटनाओं का ज्ञान नहीं है। अभी हाल ही में तहसीलदार सिंह और उनके साथियों का गंगा प्रसाद मेमोरियल हाल में स्वागत किया गया और फूल मालायें पहनाई गईं। ऐसा मालूम होता है कि उनको इसकी जानकारी नहीं है। हमारे प्रदेश के अनेक स्थानों पर यह किया गया। मैं तो यह कहता हूं कि जब शायद आप इस तरफ थे तो यह प्रश्न आया था इन डाकुओ ने सारे का सारा परिवार नष्ट कर दिया। मैं तो एक रेफरेंस के लिये इसको कह रहा था। मैं तो कहता हूं कि यह घटना यहाँ भी हुई है। ७० डाकू पकड़े गये थे।

श्री उपाध्यक्ष--

आपका यह विचार है कि प्रदेश की शान्ति व्यवस्था पर इसका गम्भीर प्रभाव होने की आशंका है।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी--

जी हाँ, इसका प्रभाव पड़ेगा।

श्री उपाध्यक्ष--

यह समस्या आज की नहीं है वरन् ७०० वर्ष पुरानी है। जहाँ तक कि मेरी जानकारी है। पृथ्वीराज और जयचन्द से हारे हुये लोग इस चम्बल घाटी में बस गये और कालान्तर में दस्यु बन गये। केन्द्र सरकार के गृह मन्त्रालय की भी यह दीर्घकालिक समस्या है और यह कोई आकस्मिक घटना नहीं है। इसलिये दीर्घकालिक उपचार ढूंढना चाहते हैं।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी--

मान्यवर, ४०० डाकूओं ने आत्म समर्पण किया है और फूल-मालायें पहनाई गई हैं। जहाँ तक कि पृथ्वीराज का प्रश्न है उनके सामने तो मैं नत मस्तक हूं। उनसे मैं इनका मुकाबिला नहीं करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष--

मैंने तो यह कहा है कि यह दीर्घकालिक समस्या रही है।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी--

हमको समाज को सुधारना है। हम उसके सामने खड़े हैं। यह किसकी जिम्मेदारी है? हमारी जिम्मेदारी है। हमारी के माने हमारी सरकार की जिम्मेदारी है, हम सरकार के पक्ष में ही अपने को मिला कर कह रहे हैं। मैं बदले की भावना की बात नहीं करता हूं। आत्मसमर्पण किया है यह एक बड़ी चीज है। आत्मसमर्पण की कीमत देंगे, सुधारने का प्रयास करेंगे, उनकी जानमाल की रक्षा करेंगे, यह भी सत्य है परन्तु इसके साथ ही साथ रूल आफ ला सर्वोपरि रहेगा यह भी आवश्यक है। कानून तो अन्त तक पहुंचेगा ही और एक्जीक्यूटिव जो मुनासिब समझे वह करे। अगर आप चाहते हैं कि इसी प्रकार से किया जाय जैसा हो रहा है तो मैं इसका हामी नहीं हूं।

समाज में खुले रूप में इस प्रकार से उनका अभिनन्दन करना, मालायें पहनाना बहुत उपयुक्त नहीं है। मृत्यु दन्ड सारे संसार में निकाला जा रहा है, परन्तु साथ ही साथ कानून भी अपने रास्ते पर आगे बढ़ेगा और बढ़ना चाहिये। आप उनका सुधार करना चाहते हैं, अवश्य करें। आप उनकी आर्थिक दशा सुधारें। मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई यह जान कर कि सरकार ने कोई योजना बनाई है चम्बल घाटी और बुन्देलखंड की। होना चाहिये। जिसके पास घर नहीं है उनको घर दें, काम नहीं है उनको काम दें, भूमि दें जिससे उनका आर्थिक जीवन बढ़े। वह भी एक कड़ी है आगे के दस्युओं को रोकने के लिये। उनके अन्दर शिक्षा का प्रसार होना चाहिये। एक चीज समझ में नहीं आती कि यह तो होगा लेकिन पुलिस को कैसे सम्हाला जाय इसका समाधान मस्तिष्क में नहीं आया।

श्री शिव कुमार पांडेय (जिला सुल्तानपुर)---

मान्यवर, त्रिपाठी जी का दल तो भारतीय संस्कृति में आस्था रखता है। क्या बाल्मीकि को हमने ऋषि नहीं माना? वे कौन थे? क्या उनको भी वे कानून की छाप में रखना चाहेंगे?

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी---

मान्यवर, यह रामभक्त बाल्मीकि को डकैत की संज्ञा देते हैं और उनकी यह विपरीत विचारधारा के कारण ही आज सारा समाज डिमारालाइज हो रहा है। उन्होंने एक रामभक्त की उपमा एक डकैत से दे दी। जब हमारा उनका प्रवचन होगा तब हम उनको बतायेंगे कि हमारे पूर्वज क्या थे, मुझे तो अपने पूर्वजों की एक-एक बात पर गर्व है। जैसे हमारे उपाध्यक्ष जी ने अभी पृथ्वीराज की बात कर दी वह तो मैंने सम्हाल लिया लेकिन जिसको राम कृष्ण, बाल्मीकि और तुलसीदास में विश्वास न हो वही एक छोटे से दस्यु से बाल्मीकि का मुकाबिला कर सकते हैं। वह कृपा करके न करें तो अच्छा हो।

श्री उपाध्यक्ष---

मैंने तो यह कहा था कि यह समस्या दीर्घकालिक समस्या ह और उसके बारे में इतिहास भी साक्षी है।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी---

मान्यवर, उसको तो मैं मान गया। मैं तो अपने महापुरुषों का, जो बीत गये हैं, अनन्य प्रेमी हूं और यह भी स्वीकार करता हूं कि उनकी ट्रेडीशन्स को जीवित रखने के

लिये और हृदय से ग्राह्य करने के लिये हर समय उद्यत रहता हूं। लेकिन मेरे भाई साहब ने बाल्मीकि जी का उदाहरण इन दस्युओं से दिया है वह उचित नहीं है।

मान्यवर, इन दस्युओं को शिक्षा दी जानी चाहिये, उनके चरित्र में परिवर्तन लाने के लिये शिक्षा देनी चाहिये।

मैं इस समय अधिक नहीं कहूंगा, और माननीय सदस्य भी कहेंगे और उत्तर में जो कुछ मुझे कहना होगा कहूंगा। मैंने इस प्रश्न को पार्टी का प्रश्न नहीं बनाया है। जहां तक इनके आत्म-समर्पण की भावना है उसके प्रति मुझे आदर है और उनकी कीमत भी उनको देनी चाहिये। डकैतों के सुधार के लिये कदम उठाने चाहिये लेकिन इसका आकलन होना चाहिये कि उन्होने कितने परिवारों को बरबाद कर दिया, कितनों के सुहाग लुट गये, कितनी माताओं की गोदें सूनी हो गयीं। उनके प्रति भी हमारे कुछ कर्तव्य हैं। उनको भी सुविधायें दी जानी चाहिये, उनके भी रिहैबिलिटेशन के लिये प्रयास किया जाय और उनके भी दुख-दर्द को दूर किया जाना चाहिये और उनकी समस्या को लेकर राजनीतिक हुन्डी भुनाने की कोशिश नहीं करना चाहिये। मुझे मालूम है कि गत एलेक्शन्स में मध्य प्रदेश में 7 एम० एल० ए० केवल उन दस्युओं के प्रभाव के आधार पर जीत कर आये। इस चीज को हमें पैदा नहीं होने देना चाहिये। मैं यही कहता हूं कि इस सांस्कृतिक और सामाजिक पहलुओं को लांघकर केवल राजनीतिक समस्या इसको न बनावें। हमारी माताओं और बहिनों की जो समस्यायें हैं इसके पीछे उन पर विचार करें। हम जब एक ओर देखते हैं और एक तरफ संरक्षण देते हैं उन डकैतों को, तो उन परिवार के लोगों को उन माताओं को जिनकी गोदें सूनी हो गयी हैं, या जिनके सुहाग लुट गये हैं उनको भी संरक्षण देना हमारा कर्तव्य है। यह मतलब नहीं है कि हम बदले की भावना से काम करें। हमें यदि उनके प्रति दया है तो हमें इनके प्रति भी दया आनी चाहिये, जिनका सर्वस्व लुट गया है।

मैंने इस समस्या को एक कारण से और भी रखा है। वह यह है कि आप पुलिस की प्रवृत्ति को रोकें। पुलिस आज भी उनको रोक नहीं पा रही है। पैसे के लोभ में, पुलिस और डकैत मिल मिल कर चलते थे। इन्नोसेंट आदमी पुलिस की गोली से मार कर सामने रख दिये जात थे या किसी डकैत ने अपने दुश्मन को समाप्त कर दिया और आम के पेड़ के नीचे छोड़ दिया और फिर पुलिस ने कह दिया कि आम के पेड़ के नीचे दो लाशें पड़ी हैं और हमने इन दो डकैतों को मारा है। आखिर यह प्रवृत्ति कब सुधरेगी, कब यह समस्या सुलझेगी ?

इसमें मैं सरकार का दोष नहीं देता। सरकार हर वक्त पुलिस के साथ आदेश देने नहीं जा रही है। वह पैसा भी लेती है और अन्याय का संरक्षण भी करती है। दूसरा आदमी बन्दूक का सहारा ले कर मुकाबला करता था चाहे वह पुलिस हो चाहे समाज का कोई आदमी हो। मैं पश्चिम और पूर्व में दौरे पर गया। मैंने समाज में आवाजें सुनीं। फर्मेंटेशन होने लगा विचार में कि क्या उचित है क्या उचित नहीं है। एक व्यक्ति ने हमसे कहा कि मैंने कत्ल कर दिया है। सेल्फ-डिफेन्स का प्ली ले रहे हैं। हमारा क्या होगा ? अगर सेल्फ डिफेन्स की प्ली न मानी गयी तो दूसरा रास्ता नहीं है, हमें फांसी की सजा होगी। लेकिन इन 400 आदमियों में सब को छोड़ा जा रहा है।

[श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी]

मैंने कहा कि वह समाज की सामूहिक समस्या है लेकिन कानून अपना रास्ता अपनायेगा। उसके बाद एग्जीक्यूटिव आती है, सरकार आती है। हम कीमत देंगे आपको समर्पण की लेकिन यह तरीका ठीक नहीं है कि पब्लिक में सम्मान किया जाय। बिरादरीवाद बहुत बड़ा। यद्यपि मैं उस पर नहीं जा रहा हूं लेकिन चाहे वह ब्राह्मण हो, गूजर हो, काछी हो या किसी भी जाति का हो, वह राजा कहा जाता था अपनी जाति का। उनके गिरोह रहते थे जिसमें उन पर कोई अंगुली नहीं उठा सकता था। बिरादरीवाद बड़े जोर से बढ़ा। यही कारण है कि आज राजनीतिक उनको संरक्षण दे कर वोट लेते हैं जिस पार्टी के हों। मैंने विवाद को खड़ा न करने के लिये उत्तर प्रदेश में किसी पार्टी का नाम नहीं लिया। इसलिये मेरी करबद्ध प्रार्थना है सरकार से और अन्य बन्धुओं से जो यहां बैठे हैं कि इसमें कोई कड़ुवापन न लाकर गम्भीरता पूर्वक अपने विचार प्रकट करें, सरकार उन पर अमल करेगी। बस मुझे इतना ही कहना है।

गृह राज्य मन्त्री (श्री गोस्वामी राधाकृष्ण)—

मान्यवर, मैं अपने सम्मानित वरिष्ठ सदस्य की भावनाओं का स्वागत करता हूं। जो तर्क और जिस प्रकार से उन्होंने इस समस्या पर प्रकाश डाला है उसके लिये वह साधुवाद के पात्र हैं। लेकिन कहीं-कहीं पर भावावेश में आ कर वह अपनी परिधि से बाहर भी चले गये। इस बारे में भी मैं उनको थोड़ी जानकारी दे ना चाहता हूं कि डाकुओं के आत्मसमर्पण का प्रश्न आया कैसे। यह एक ऐसी समस्या थी जिससे जन-मानस आतंकित था, एक भयंकर समस्या हमारे सामने थी। हमारे माननीय सदस्य तो पूर्व के रहने वाले हैं। कभी-कभी निरीक्षण के तौर पर ही बुन्देलखंड, मध्य प्रदेश और चम्बल की रेवाइन्स में जाने का अवसर मिलता है। लेकिन जो उस इलाके के रहने वाले हैं उनको विशेष जानकारी है। जितना प्रभाव उनके ऊपर पड़ता है शायद उसकी कल्पना वह नहीं कर सकते।

किस तरह आत्मसमर्पण की योजना बनी। मान्यवर, जिस प्रकार से माननीय जय प्रकाश नारायण जी ने अपनी शान्ति सेना द्वारा उन लोगों के बीच घुस कर इस समस्या का समाधान किया उसकी जानकारी हमारे सभी माननीय सदस्यों को होगी।

मान्यवर, इसके साथ ही साथ यह आक्षेप कि पुलिस निष्क्रिय थी, वह बेकार थी, उसने कोई काम नहीं किया, मैं बड़े विनम्र शब्दों में निवेदन करना चाहूंगा कि उनका यह आक्षेप अनुचित है। पुलिस यदि कहीं ढिलाई करती है तो मैं माफ नहीं करता हूं। उत्तर प्रदेश में सन 1969 में पुलिस ने एक डाकू उन्मूलन योजना बनायी थी। उसमें एक डी० आई० जी०, 2 एस० पी०, कुछ सब इन्सपेक्टर तथा एक छोटी सी टुकड़ी थी जिसने डाकुओं से 9 मुठभेड़ें लीं और 52 डाकुओं को मारा, 272 को पकड़ा और तमाम असलाह भी बरामद किया। इसके बाद भी यह कहना कि पुलिस निकम्मी है, उसने कोई काम नहीं किया, अनुचित है, उनको डीमारेलाइज करना है। यह हो सकता है कि उनमें कुछ तत्व ऐसे हों जिनके बारे में आक्षेप किये जा सकते हों, काबुल में गधे और घोड़े दोनों ही होते हैं।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी—

मैंने सब के लिये नहीं कहा।

श्री गोस्वामी राधाकृष्ण--

आपने सब के लिये अगर नहीं कहा, तो मैं स्वागत करता हूं।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी---

सभी ऐसे नहीं हैं यह मेरा विश्वास है।

श्री गोस्वामी राधाकृष्ण---

यह हो सकता है, एक दो निकम्मे हों। जब से मैंने इस विभाग को देखा है। जिन सब इन्सपेक्टरों के बारे में मुझे सन्देह हुआ है उनके खिलाफ मैंने कड़ी कार्यवाही की है, सस्पेंड भी किया है। डाकुओं की जो ऐसी परिस्थिति आयी इसका उदय हुआ सामाजिक, आर्थिक और कुछ स्थानीय परिस्थितियों के कारण। उन कारणों से उन्हें कानून के दायरे से अलग होना पड़ा। उसका कारण पुलिस नहीं हो सकती। अन्य सामाजिक कारण ऐसे हो सकते हैं जिनके कारण उनको कानून की परिधि से बाहर जाना पड़ा और इस तरह का एक आतंक फैलाना पड़ा। लेकिन जब से डाकुओं के पकड़ने का अभियान शुरू किया गया दिनांक 14 अप्रैल, 1972 से तब से काफी डाकुओं को पकड़ा। केवल उत्तर प्रदेश ने ही 42 डाकुओं को पकड़ा।

मान्यवर, यह कहा गया कि डाकुओं का रिसेप्शन किया गया। यह भी ठीक नहीं है। सेठी जी का भी नाम लिया गया, मैं उनकी तरफ से सफाई देने के लिये खड़ा नहीं हुआ हूं, लेकिन जहां तक मेरी जानकारी है यह बात जो कही गयी गलत है। उन्होंने सार्वजनिक आयोजन में कभी भाग लिया और न ही प्रोत्साहन दिया। यह मानी हुई प्रवृत्ति है कि जो एक विशेष प्रकार के आतंकवादी हैं, एक विशिष्ट चरित्र वाले हैं, उनको देखने के लिये लोग दौड़ते ही हैं। वे यह देखना चाहते हैं कि कितनी कठिनाइयों के बाद आज वे पकड़ में आये हैं। यह कोई पब्लिक रिसेप्शन नहीं होता है। वह लोगों की एक उत्सुकता है, जो एक विचित्र कैरेक्टर को देखने के लिये हो रही है। जो समाज के लिये अपने एक नये ढंग की है, जिनकी मिसाल आये दिन देखने को नहीं मिलती है। यह पब्लिक रिसेप्शन नहीं है, इसे चाहे और जो नाम दिया जाय।

पब्लिक रिसेप्शन का आरोप भले ही लगा दिया जाये, लेकिन वह ऐसा कदापि नहीं था। इस शान्ति सेना के जो सदस्य थे, वे भी कभी न कभी हमारे साथ थे। राजनैतिक दल पर यह आरोप लगा देना कि इस समस्या के बदौलत ही वह चुनाव में जीते हैं, ठीक नहीं है, बहुत ही अनुचित बात है। मध्य प्रदेश का ग्वालियर का इलाका प्रदेश में डाकुओं से सबसे ज्यादा प्रभावित था। तो क्या मैं यह समझूं कि वहां पर जितनी विजय हुई है, वे इन डाकुओं के बदौलत हुई है। मैं यह आरोप लगाने के लिये तैयार नहीं हूं, यह मेरे लिये छोटे मुंह बड़ी बात होगी।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी---

अखबारों में बात निकली है, इसलिये मैंने कहा। समाचारों में आया है कि सात व्यक्ति ऐसे थे कि जिन्होंने इनका सहारा लेकर चुनाव में विजय प्राप्त की है। वे किस दल के थे। इसके लिये आप अलग से बैठें तो मैं आपको बतलाऊं। यों सभी जानते हैं कि वे किस दल के हैं। मैंने किसी राजनैतिक दल का नाम नहीं लिया था, लेकिन उन्होंने अपनी

[श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी]

बात में ग्वालियर का नाम ले लिया है। इस पर यदि वे कहें तो मैं उन्हें अब उस राजनैतिक दल का नाम भी बता दूं।

श्री गोस्वामी राधा कृष्ण---

मैं तो ऐसा मानने के लिये तैयार ही नहीं हूं कि किसी भी राजनैतिक दल के लोगों की विजय डाकुओं के सहारे से, उनके संरक्षण से हुई है। मैं तो समझता हूं कि राजनैतिक दल के लोगों की विजय---उनके सिद्धान्तों की, उनके चरित्र की, उनके आचरण की और उनके जनसेवा की विजय हुई है। मैं उन पर किसी प्रकार का आरोप नहीं लगाना चाहता हूं। लेकिन मैं यह जानता हूं कि मध्य प्रदेश का सबसे अधिक प्रभावित इलाका ग्वालियर है और हमारे यहां का सबसे ज्यादा प्रभावित इलाका चम्बल रिवाइन्स है। यदि किसी राजनैतिक दल की विजय इनके कारण से मानी जाती है, तो मैं इसको मानने को तैयार नहीं हूं। इस पर उनको भी अपनी राय बदलनी पड़ेगी। हो सकता है, कहीं पर ऐसे प्रभाव हो गये हों, कहीं ऐसे कारण उपस्थित हो गये हों, तो यह एक्शेप्सन है। लेकिन सामूहिक रूप से कोई भी राजनीतिक पार्टी इनके सहारे पर चल कर अपना अस्तित्व तक कायम नहीं रख सकती है, विजय प्राप्त करना तो बड़ी चीज है।

मान्यवर, आज प्रश्न यह है कि इन डाकुओं का आत्मसमर्पण किन परिस्थितियों में हुआ? केवल यह कहना कि यह कार्य शान्ति सेना के प्रयास और प्रभाव से हुआ, पूर्ण नहीं है। ऐसा कहना ठीक नहीं है। साथ ही यह भी है चाहे मध्य प्रदेश की पुलिस हो, चाहे राजस्थान की या उत्तर प्रदेश की पुलिस हो---ये सब उत्तरोत्तर सक्रिय होती चली जा रही थीं और चली जा रही हैं, एग्रेसिव होती जा रही हैं। ये उनको घेर रहे थे, उनका जीना दुश्वार कर रहे थे, उनके हथियारों को छीन रहे थे, उनकी हत्याएं हो रही थीं। इन तमाम परिस्थितियों ने उन्हें बाध्य कर दिया कि वे आत्मसमर्पण करें। उनको एक सहारा मिला, डूबते को तिनके का सहारा होता है। ऐसे ही समय में उनको जय प्रकाश बाबू और उनकी सेना का आश्वासन मिला, उनका संरक्षण मिला, उनसे प्रेरणा मिली और उनका सहारा मिला, फलस्वरूप मौका देखकर, परिस्थिति देखकर उन्होंने अपना आत्मसमर्पण किया। लेकिन आत्म-समर्पण भी अपने नियम से हुआ है।

इस सम्बन्ध में 2 अप्रैल, 1972 को सेन्टर में एक मीटिंग हुई थी। जिसमें सेन्टर के मिनिस्टर थे, सेठी जी थे, जय प्रकाश जी थे, हमारे यहां के भी एक उपमन्त्री जी थे, पुलिस अधिकारियों की भी राय थी। उसमें एक निर्णय हुआ, जो एक अच्छा निर्णय था। उस निर्णय को देखने के बाद आप भी अनुभव कर सकते हैं कि कोई भी कानून अपने हाथ में लेने का हमने प्रयास नहीं किया है। हमने उनको कोई भी सुविधा नहीं दी है। उनको हमने सिर्फ एक अवसर दिया है। उनके साथ, उनके सरेन्डर के लिये हमार कई कन्डीशन्स तय हुई हैं। यह भी तय हुआ कि सरेन्डर करने से पूर्व, उन्हें उन सभी आदमियों को जिन्हें वे फिरौती---रेंशम के बदले पकड़े हुये हैं, पहले उन्हें सकुशल छोड़ना पड़ेगा। दूसरी बात, आत्मसमर्पण को जो दस्यु मानते हैं, वे तत्काल इस बात का प्रयास करें कि अपने सारे आर्म्स एण्ड एम्युनेसन्श और अपनी पूरी पार्टी के साथ सरेन्डर करेंगे, हम उस आर्म्स-एम्युनेशन्स को धीरे-धीरे स्मगेल नहीं करने देंगे। यह भी तय किया गया था कि जो उनके विरोधी गवाह हैं, उनको वे डरावें या धमकावेंगे नहीं और यदि

ऐसा करेंगे तो उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्यवाही होगी। यह भी तय हुआ कि जो अपने अस्त्र-शस्त्रों को इधर-उधर हस्तान्तरित करने का प्रयास करेंगे उनके खिलाफ वही कार्यवाही होगी, जो इनका स्मगेल करने वाले के साथ होती है। इसके साथ यह है कि उन पर पुलिस में जितने रेकार्डेड अभियोग हैं वह चलेंगे। यह निर्णय लेना कि एक साथ उनकी सजायें होगी या क्या होगा सक्षम न्यायालय निर्णय करेगा। यह भी कहा गया कि यह जरूर है जो एक जेल में रखे जायेंगे उस जेल के अन्तर्गत ही उनके मुकदमें होंगे। उसके लिये सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट से परमीशन ली जायगी। माननीय सदस्य स्वीकार करेंगे कि यदि उनको बाहर ले कर चले तो एक नाटक उत्पन्न हो जायगा।

कभी-कभी ऐसा होता है कि जब आप मीटिंग करना चाहते हैं तो दस आदमी नहीं मिलते लेकिन अगर कोई खुराफाती आ जाता है तो उसको सौ आदमी मिल जाते हैं। डाकुओं को देखने के लिये हजारों आदमी इकट्टा हो जाते हैं। इसलिये जेल की परिसीमा में ट्रायल करने की योजना बनायी गयी। यह भी कहा गया कि सरकार इनके बचाव के लिये पैरवी के लिये किसी प्रकार का कोई पैसा नहीं खर्च करेगी। शान्ति सेना के लोग, सार्वजनिक संस्थायें यदि करना चाहती हैं तो आपत्ति नहीं होगी।

यह भी हुआ है कि जेलों के अन्दर इनको कोई विशेष सुविधा नहीं दी जायगी। जैसे साधारण तौर पर क्रिमिनल्स रहते हैं रहेंगे। दुर्व्यवहार नहीं होगा। जिन डाकुओं ने अभी तक आत्मसमर्पण नहीं किया है जब तक आत्मसमर्पण नहीं कर देते हैं उनके खिलाफ कार्यवाही चलती रहेगी किसी प्रकार की शिथिलता नहीं आयेगी। डाकुओं को फांसी देने के प्रश्न पर विचार हुआ लेकिन निर्णय लिया गया कि यहां पर कोई निर्णय नहीं लिया जा सकता है। सक्षम न्यायालय ही निर्णय लेंगे। फिर माननीय सदस्य कैसे आरोप लगा सकते हैं कि इसमें राजनीतिक कला है, राजनीतिक वाहवाही लूटने के लिये ऐसा किया गया। उनकी न कोई पब्लिसिटी हुई न कोई स्टेट फोटोग्राफर्स थे न पब्लिक के फोटोग्राफर्स थे। भगवान जाने कैसे, शायद इस वक्त उनकी कल्पना भी नहीं कर सकते, शायद अपना प्रचार करने के लिये ऐसे पत्रकारों को, विदेशी पत्रकारों को, बी०बी०सी० के फोटोग्राफर्स को कैसे सूचना हो गयी, वेसे कस बुलाये गये, यह एक लम्बी कहानी है।

मैं इतना कहूंगा कि मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश की सरकार ने मिलजुल कर इस समस्या के पीछे युग से पड़ी हुई थी। हमारे प्रदेश की पुलिस और पी० ए० सी० ने अपनी जान की बाजी लगा कर झांसी, आगरा और बुन्देलखंड के बार्डर्स पर जूझती रही। हमारे सिपाही मारे जाते थे, सब इन्सपेक्टर्स मारे जाते थे। उनका जीवन दूभर था। यदि किसी सब-इन्स्पेक्टर या पुलिस अधिकारी की पोस्टिंग बहां हो जाती थी तो उसके घर में भोजन बन्द हो जाता था यह समझ लिया जाता था कि वापस लौट कर नहीं जाना है। हमारी पी० ए० सी० और पुलिस ने जो काम किया है उसके लिये दो प्रशंसा के शब्दों की मैं माननीय सदस्य से आशा करता हूं। परिस्थितियों ने डाकुओं को बाध्य कर दिया, डूबते के लिये तिनके का सहारा शान्ति सेना बन गयी। उसको लेकर आत्मसमर्पण किया। उनको कोई विशेष सुविधा नहीं दी जा रही है। उन पर मुकदमा चलेगा।

[श्री गोस्वामी राधाकृष्ण]

माननीय सदस्य का पत्र पढ़ा। उनके प्रति जिनके परिवार की हत्यायें की हैं, जिनके परिवार उजाड़े जा चुके हैं उनके प्रति शंका किया कि उनकी सुरक्षा की क्या व्यवस्था होगी। पहले भी यही उनका एम था। लेकिन शासन उनको सुरक्षा देता रहा। आज भी देगा। शान्ति व्यवस्था और सुरक्षा शासन का अपना कर्तव्य है। उसके लिये वह अधिक से अधिक जागरूक है और जागरूक रहेगा। यदि अपने इस कर्तव्य के प्रति वह उदासीन हो जायगा तो शासन शासन नहीं रहेगा। जनमानस उसको क्षमा करने को तैयार नहीं होगा। यह सर्वमान्य सिद्धान्त है।

ऐसी परिस्थितियों में मैं तो केवल यह कहूंगा कि किसी भी रूप में सही उनके समर्पण के बाद स्थिति में कुछ सुधार आया है। अब दो दल सक्रिय हैं जिनमें ५०, ६० दस्यु हैं और अपने ढंग से वे आप्रेशन्स कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में रह कर इधर-उधर भाग रहे हैं। हम प्रयास में हैं और जब कभी मौका मिलेगा हमारी पी० ए० सी० तथा पुलिस उनको बख्शेगी नहीं। मैं उनका छोटा साथी होने के नाते अपनी यह भावनायें व्यक्त करना चाहूंगा कि पुलिस ने, प्रशासन ने, सार्वजनिक कार्यकर्ताओं ने, जनमानस ने यानी सबने उनको बाध्य कर दिया कि वह समर्पण करें और जय प्रकाश नारायण जी के नेतृत्व में उन्होंने समर्पण किया। भविष्य के लिये भी मुझे आशा है कि यह जो अभिशाप समाज में है वह दूर होगा। हमारी राजस्थान, मध्य प्रदेश तथा उत्तर प्रदेश को चम्बल रेवाइन्स की विकास योजनायें बन रही हैं। काम भी शुरू हो गया है। उनके रेवाइन्स दूर करने की बात कही जा रही है, इलेक्ट्रिफाई करने की बात कही जा रही है, सड़कें बनाई जा रही हैं, सिंचाई की योजनायें बनाई जा रही हैं और विशेष रूप रेखा के अन्तर्गत जनमानस को प्रशिक्षित किया जा रहा है और यह समाज का भयंकर अभिशाप आशा है इन प्रयासों से दूर हो जायगा।

श्री राज मंगल पाँडेय (जिला देवरिया) --

तीन चार बोलने वाले हैं।

श्री उपाध्यक्ष--

प्रत्येक सदस्य दो तीन मिनट बोल लेगा।

*श्री हुकुम सिंह परिहार (जिला आगरा) --

जिस मसले पर उपाध्यक्ष जी हम विचार कर रहे हैं वह बहुत प्राचीन मसला है लेकिन जिस ढंग से इस मसले को हमारे नेताओं ने हल करने का प्रयास किया है वह सराहनीय है। जिन डाकुओं ने विनोबा जी के सामने आत्मसमर्पण किया था वे जिला आगरा से सम्बन्धित थे और जिन्होंने अब किया है जैसे माधव सिंह वगैरह ने और जिनके लिए प्रयास हो रहे हैं कि उनका समर्पण सम्भव हो सके वे सभी आगरा से सम्बन्धित हैं। तीन चार जो बड़े-बड़े अन्य गिरोह हैं वे भी आगरा से ही सम्बन्ध रखते हैं।

चम्बल घाटी की जो जनता है वह पुलिस और डकैतों दोनों पाटों के बीच पिसती रही है। घंटे दो घंटे के लिये पुलिस चली गयी तो पुलिस का शासन हो गया, लेकिन जैसे

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

ही पुलिस हटी तो डाकुओं का हो गया। डाकू वहाँ पर कर लेते रहे हैं, पंचायत करते रहे हैं और उनका राज वहाँ पर रहा है। उत्तर प्रदेश की सरकार का राज वहाँ नहीं रहा और उस क्षेत्र में शासन व्यवस्था कभी ठीक से नहीं चली। इतना होने पर उत्तर प्रदेश की सरकार ने वहां कोई ध्यान नहीं दिया जब कि मध्य प्रदेश की सरकार ने उस क्षेत्र में शिक्षा व स्वास्थ्य योजनाओं को चलाने हेतु अरबों रुपया खर्च किया। इसका कारण यह है कि उस क्षेत्र का यहाँ कोई प्रतिनिधित्व नहीं करता और न वहाँ पर कोई मिनिस्टर ही गया। कत्ल होते रहे, डकैती पड़ती रहीं, ताँडव नृत्य होता रहा। हमने बराबर माँग की लेकिन उत्तर प्रदेश के शासन के कान पर जू नहीं रेंगी। पिछले दिनों 5, 6 गिरोह 7, 8 आदमियों के आगरा में घूमा करते थे और एक विशेष पुलिस का दस्ता उनके उपद्रव को दबाने के लिये भेजा गया। लेकिन अभी तक आगरा जिले को पिछड़ा जिला घोषित नहीं किया गया है। जब कि पिछड़े जिलों के नाम से आज सभी मन्त्री लोग अपने-अपने जिलों का विकास कर रहे हैं।

मन्त्री जी के जिलों में सभी सुविधायें प्रदान की जा रही हैं, सड़कें बनवाई जा रही हैं, ट्यूबवैल लगाये जा रहे हैं, कालेजेज खोले जारहे हैं और अन्य सुविधायें दी जा रही हैं। किन्तु आगरा जिले का विकास नहीं हो रहा है। मन्त्री जी पश्चिमी जिलों को पिछड़े जिले नहीं समझते हैं इसीलिये वहाँ का विकास नहीं हो रहा है जो कि डाकुओं की घाटियों का मुख्य अड्डा ही खाली बना हुआ है। अभी पिछली 23 तारीख को वहाँ पर 2 कत्ल हुये हैं एक तो सलमपुर धनकर और दूसरा लोहारी थाना फतेहाबाद जिला आगरा में हुआ है। वहाँ पर अभी भी 15/16 आदमी फरार हैं।

मेरे कहने का मतलब यह है कि अब तक आप आगरा जिले को पिछड़ा जिला घोषित नहीं करेंगे, वह डाकुओं का अड्डा बना रहेगा और उसका विकास नहीं हो सकेगा। आगरा जिला मध्य प्रदेश की सीमा से मिलता है। वहीं पर मध्य प्रदेश सरकार ने कितना विकास किया है किन्तु उत्तर प्रदेश की सरकार ने उस जिले के बारे में कुछ नहीं किया है। इसलिये मेरा अपने माननीय साथियों से निवेदन है कि वहाँ पर पुलिस फोर्स से समस्या का हल न करायें बल्कि उस क्षेत्र का विकास करके समस्या का हल निकालें। मध्य प्रदेश सरकार ने जैसा कि माननीय मन्त्री जी ने कहा कि हृदय परिवर्तन से डाकुओं ने समर्पण किया है उसी प्रकार उस क्षेत्र के लिये हमारी उत्तर प्रदेश सरकार साधन जुटाये। आज तक उस क्षेत्र की समस्या के बारे में उत्तर प्रदेश सरकार का ध्यान ही नहीं गया है। इसलिये इस सरकार की जितनी निन्दा की जाय, वह कम ही है। उस क्षेत्र का विकास करना वहाँ की समस्या का हल करना होगा।

श्री शम्भूनाथ चौधरी (जिला बलिया) —

मान्यवर, जैसा कि अभी कहा गया कि डाकुओं की समस्या सचमुच दीर्घकाल से है और जो समर्पण हो रहा है वह भी एक अनहोनी घटना है। मैं इस सम्बन्ध में मध्य प्रदेश के मुख्य मन्त्री के दो बयानों के बारे में कहना चाहता हूं जिसमें उन्होंने एक बयान में कहा है कि इन डाकुओं ने माननीय जय प्रकाश नारायण के प्रयास से उनका हृदय परिवर्तन किया और तब उन्होंने समर्पण किया। दूसरा बयान उन्होंने यह दिया कि उन्होंने डर करके आत्म-समर्पण किया।

श्री गोस्वामी राधाकृष्ण—

मान्यवर, मैंने कहा कि परिस्थितियों ने उन्हें मजबूर कर दिया कि वे आत्म समर्पण कर दें क्योंकि वे जन-जीवन से ऊब गये थे। गलत इन्टरप्रिट हो गया।

श्री शम्भूनाथ चौधरी —

हो सकता है हृदय परिवर्तन से हुआ हो या पुलिस के दबाव के कारण हुआ हो। किन्तु हम लोगों को यह लगा कि यह हृदय परिवर्तन नहीं दुर्परिवर्तन हुआ। दूसरी बात यह है कि जो बयान दिया गया है उसमें कहा गया है कि उन डाकुओं के परिवार के लोग काँग्रेस के सदस्य हैं। अब आप सोचें। दो बयान मध्य प्रदेश के मुख्य मंत्री के हैं। दूसरा जो यह बयान है वह बड़ा ही घातक है जिसमें न जाने कितने कातिल काम करते हैं और उसके परिवार के लोग काँग्रेस के सदस्य हैं। तो शान्ति व्यवस्था के बारे में जो उन्होंने कहा ये सब लोग आपकी काँग्रेस के सदस्य बन जायेंगे, काँग्रेस के स्वयं सेवक बन जायेंगे तो आज आप भले ही कहें कि शान्ति सेना वाले उनकी मदद कर रहे हैं लेकिन फिर बाद में आप ही शान्ति सेना वालों से पहले उनकी मदद के लिये दौड़ने लगेंगे। अभी कलकते, बंगाल की घटना मैं बतलाता हूं।

श्री उपाध्यक्ष—

लम्बा न जायें क्योंकि समय नहीं है।

श्री शम्भूनाथ चौधरी—

वहाँ मार्कसवादी कम्युनिस्ट पार्टी के जो गुन्डे, बदमाश, डकैत व कातिल थे वही काँग्रेस के सदस्य बन गये और काँग्रेस की विजय हो गयी। मुझे यही डर है कि यहाँ ये भी सब काँग्रेस के सदस्य व स्वयं सेवक बन जायेंगे और उनका सारा वोट आपको मिलेगा। जो कहा जाता है कि रूस से क्या आया था, ठीक अगर उसी तरह से चुनाव जीतेंगे तो सारा जनतन्त्र ही खत्म हो जायेगा।

श्री वंशीधर पाँडेय (जिला वाराणसी)—

उपाध्यक्ष महोदय, त्रिपाठी जी ने जो यहाँ पढ़ा था कि डाकुओं के आत्म-समर्पण करने के बाद प्रदेश में शान्ति व व्यवस्था के कामों पर प्रभाव पड़ा है आपने भी त्रिपाठी जी से पूछा कि आखिर डाकुओं के आत्म-समर्पण के बाद क्या समस्या आयी। और लोगों ने भी उनके आत्म-समर्पण का बड़े जोरों से समर्थन किया। हमारे गृह राज्य मन्त्री जो बुन्देल-खंड के रहने वाले हैं और उनकी बगल में जो उनके दोस्त बैठे हुये हैं, उनको भी बुन्देलखंड की स्थिति का बड़ा अच्छा ज्ञान है और उन सब ने उनके आत्म-समर्पण का समर्थन किया। आखिर यह समस्या क्या है ?

मान्यवर, आपने पहले ठीक कहा था कि यह दीर्घकालीन समस्या है जिस पर पहले से बहुत दिनों से विचार हो रहा है। करीब 40/50 साल से चम्बल घाटी के दस्युओं के सम्बन्ध में विचार हो रहा है कि इस समस्या को कैसे हल किया जाय। त्रिपाठी जी ने पहले जो बात कही थी वह ठीक है कि सन् 1960 में जब बिनोबा जी गये थे तो वहाँ मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश के तीनों मुख्य मन्त्रियों, गृह मन्त्रियों और उनके आई० जी० ने सम्मिलित रूप से इस समस्या को हल करने का प्रयास किया था। इसमें कोई दो राय नहीं है कि उत्तर प्रदेश की सरकार ने भी इसके लिये प्रयास किया और उसने एक बड़ा भारी कार्यक्रम शुरू किया था।

मान्यवर, आज जो डाकुओं ने आत्म-समर्पण किया है, उनके बयान को सुनने के लिये, मैं वहां गया तो नहीं था लेकिन जो सारी पत्र-पत्रिकाओं में निकला है, वहां जो उन्होंने कहा, उससे स्पष्ट है कि स्वभावत : उन्होंने कहा है कि पुलिस वालों से उनका कैसे झगड़ा था, और पारिवारिक झगड़े थे जिनकी वजह से हमने दूसरे परिवार वालों को मारा और फिर पुलिस के डर से जंगल में चले गये। त्रिपाठी जी ने यह बात ठीक कही कि वहां जाने के लिये कोई पुलिस वाला तैयार नहीं होता था। फिर शासन के समक्ष यह बात आयी कि पुलिस, पुलिस सब-इन्स्पेक्टर, का कोई सदस्य डाकुओं से इनकाउन्टर में मारा जाय तो उस वक्त जो लास्ट पे वहड्रा करता हो वह उसकी विधवा या उसके परिवार वालों को मिलता रहे। यह सन् 1964-65 की बात है जब ठाकुर हरगोविन्द सिंह जी गृह मन्त्री थे उसी समय यह योजना बनायी गयी ताकि डर की वजह से जो वहां नहीं जाना चाहते हैं वे भी जायें। सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिये कि उनको एक विशेष कार्य करना पड़ता है।

सरकार को इस बात पर भी विचार करना है कि डाकुओं ने जो अस्त्र सरेंडर किया है वह पुलिस व सेना के बहुत बड़े-बड़े अस्त्र हैं। अगर यह मान लिया जाय कि कुछ हद तक कि पुलिस वालों से इनकाउन्टर में उनको मार-मार कर ये अस्त्र छीन कर उन्होंने ले लिया है तो मैं इसको मानने के लिये तैयार हूं कि कहीं पर पुलिस से इनको टक्कर हुआ और उनकी बन्दूकें उनसे ले लीं। लेकिन मुझे इस बात की जानकारी है कि कुछ डाकुओं के पास काफी अच्छे किस्म के राइफल, अच्छे किस्म के बन्दूक, अच्छे किस्म के बुलेट और अच्छे किस्म के स्वचालित अस्त्र मिले हैं जो और कहीं नहीं मिल सकते।

आपको इस बात पर भी खोज करनी पड़ेगी कि आखिर यह स्थान कौन सा था जहां से उनको हथियार वगैरह मिलते थे। निश्चय ही उनका कोई न कोई सुराग था। मैं भी जब सरकार में था एक बार आगरा गया था तो मुझे बताया गया कि जैसे आपका तहसील-दार रुपया वसूल करता है उसी तरह से डाकुओं का भी वसूल करने वाला होता है। जो लाखों रुपया वसूल करके उनके घर पहुंचाता है ? मेरे साथ ए० डी० एम० (प्लानिंग) भी थे और मैं बाढ़ इलाके में भी गया था। मैं होम मिनिस्टर का पार्लियामेंटरी सेक्रेटरी था। मैं झांसी गया था उस रोज राजा देवीसिंह जी मारे गये थे। डाकुओं की समस्या के बारे में वहां के माननीय कृष्णचन्द शर्मा जी भी अच्छी तरह से जानते हैं। हमारे प्रदेश के कुछ लोगों के नाम आये। मध्य प्रदेश के मुख्य मन्त्री माननीय द्वारका प्रसाद मिश्र जी ने अपना बयान दिया था कि उत्तर प्रदेश की पुलिस के कुछ लोग पकड़े गये हैं। और गृह मन्त्री ने भी बयान दिया था।

मेरे कहने का मतलब यह है कि डाकुओं की बड़ी भारी समस्या है। डाकू स्वयं भी आये और उनके चेले भी आये और समाज में एक भावना आई। आज इस बात पर विचार करना है कि शान्ति सेना ने जो बात कही और जैसा कि माननीय गोस्वामी जी ने भी कहा है और उन्होंने बहुत गम्भीर बात कही है क्योंकि यह मामला ऐसा है कि इस पर सम्मिलित रूप से विचार करना होगा। 400 डाकुओं ने सरेन्डर किया था और करीब 80 डाकुओं ने विनोबा जी के सामने सरेन्डर किया।

[श्री बंशीधर पाण्डेय]

मध्य प्रदेश के मुख्य मन्त्री श्री सेठी ने सार्वजनिक कार्यकर्ताओं की आचार संहिता से हट कर बयान दिया है उसको लोगों ने पसन्द नहीं किया। अगर श्री जय प्रकाश नारायण जी से, सेन्ट्रल गवर्नमेंट से, प्राइम मीनिस्टिर और आप लोगों से बात करके उन्होंने सरेन्डर किया तो मुख्य मन्त्री श्री सेठी को यह नहीं कहना चाहिये था, मुझे मालूम है लेकिन मैं नाम नहीं लेना चाहता हूं। मुझे हजरतगंज में मध्य प्रदेश के एक एम० एल० ए० मिले थे। उन्होंने मुझसे कहा कि सेठी साहब ने मना कर दिया था कि जय प्रकाश नारायण जी के सामने डाकू सरेन्डर न करें।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी---

इसीलिये मैंने कहा था कि इन राजनीतिज्ञों की डाकुओं तक पहुंच है।

श्री बंशीधर पांडेय---

इसके माने हैं कि उनको सूचना थी कि माननीय जय प्रकाश नारायण जी के सामने डाकू सरेन्डर करने वाले हैं। यह भी मानता हूं कि जब पुलिस का अभियान तेज हुआ और उनका घेरा छोटा होने लगा और उन्होंने स्वयं अपनी समस्याओं के बारे में बयान दिये हैं कि 20/20 साल तक इस तरह से जंगलों में जिन्दगी बिताना उनको अच्छा नहीं लगता था। अब चाहे किसी कारण से डाकुओं का सरेन्डर हुआ लेकिन यह मध्य प्रदेश के मुख्य मन्त्री माननीय सेठी जी को शोभा नहीं देता है कि वे लालायित हों इसके लिये कि उनके सामने डाकुओं का सरेन्डर हो। डाकू अंगुलिमार ने राजा के सामने थोड़े ही सरेंडर किया था उसने गौतम बुद्ध के सामने सरेंडर किया था। सत्ता यानी सेठी साहब ने कहा कि हमारे सामने सरेन्डर करें। वह आपके सामने ही करते...

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी---

वह समझते हैं कि बाल्मीकि ने भी सरेंडर सब-इन्सपेक्टर के सामने किया था।

श्री बंशीधर पांडेय---

मैं समझता हूं कि बाल्मीकि की बात तो जाने दीजिये, वह तो आदि कवि थे, उनके बारे में क्या कहा जाय वह तो आप अभी नहीं बन सकते।

श्री गोस्वामी राधाकृष्ण---

बाल्मीकि को तो स्वयं ज्ञान हुआ था डाकुओं ने भी स्वयं आत्म-समर्पण किया है।

श्री बंशीधर पांडेय---

आदि कवि की बात कही गई उनका तो यही पहला श्लोक है कि "मा निषाद प्रतिष्ठां त्वमगम : शाश्वती : सभा :"

ज्ञान उन को किस परिस्थिति में हुआ वह ठीक है किसी भी परिस्थिति में हुआ हो लेकिन एक बात जरूर रही कि शान्ति मिशन वालों ने.. ..मैं गोस्वामी जी से कहूंगा कि त्रिपाठी जी ने ऐसा कहा लेकिन मैं उनकी बात को दूसरे ढंग से ताईद करूंगा और मैं कहना चाहता हूं कि डाकुंओं के आत्म-समर्पण से शान्ति व्यवस्था इसलिये बैलेन्सड नहीं होगी क्योंकि स्वयं शान्ति मिशन वालों ने कहा है कि इसका कारण यह है कि रजिस्टर्ड डकतों ने तो सरेन्डर कर दिया है लेकिन अभी अहिंसात्मक ढंग के जो डकैत हैं उनका सरेंडर अभी बाकी है।

आपने भी श्रीमन, पढ़ा होगा कि ऐसा शान्ति मिशन के लोगों ने कहा था उनका साफ कहना था कि इन रजिस्टर्ड डकैतों ने तो सरेन्डर कर दिया लेकिन समाज के अन्दर जो हमारे लोगों की ड्रेस में जो अहिंसात्मक लोग रहते हैं वो सरेन्डर करेंगे तब यह समस्या हल होगी, वह लोग जो 'बिन पद चलें, सुनें बिन काना' ऐसे लोग कब सरेन्डर करेंगे यह प्रश्न समाज के सामने है? उनका इशारा था कि समाज में जो गलत तरह के लोग हैं उनका भी साथ में सुधार हो।

मैं माननीय त्रिपाठी जी की बात को मानता हूं और उन्होंने सही कहा हम इसको देखें कि क्या बहुत से राजनीतिज्ञों का इसमें हाथ है, यह है हाथ रहा है चाहे वह किसी दल के हों, मैं किसी पार्टी का नाम नहीं लेता लेकिन कुछ लोग मन चले लोग ऐसे दलों में घुसे रहते हैं। मैं इस समय चम्बल घाटी की बात छोड़े देता हूं किसी पूर्वी, पश्चिमी या किसी क्रिमिनल डिस्ट्रिक्ट का सवाल नहीं है। पंडित जी ने कहा कि सब कुछ उतरा चढ़ी लगाये रहते हैं इसलिये आवश्यकता इस बात की है कि इस काम को गोस्वामी जी नये उत्साह से करें। बुन्देलखंड की बात आप जानते हैं, या चम्बल घाटी की और मध्य प्रदेश की समस्या आप जानते हैं वहां के जो रजिस्टर्ड डकैत थे उन्होंने काफी संख्या में सरेन्डर कर दिया लेकिन आप के ही जो दोस्त मेरी शक्ल में घूम रहे हैं आप उनका भी सरेन्डर करा दीजिये।

*श्री राजमंगल पांडेय--

उपाध्यक्ष जी, हमारे मित्र माधव जी ने जो कुछ कहा है मैं उसका काफी हदतक विरोध करता हूं और मैं यह साफ कह देना चाहता हूं। हर समस्या के समाधान के तीन ही तरीके अभी तक बनाये गये हैं। या तो मानवता से समाधान किया जाय और यह एक उस का रूप है। दूसरा समाधान यह है कि राजनैतिक रूप से यह समाधान किया जाय और एक तीसरा समाधान हिन्सा का है, हिन्सा के माध्यम से काबू किया जाय।

यह डाकुओं की समस्या हजारों साल से चली आ रही है और जब से मनुष्य का वजूद पृथ्वी पर है यह समस्या चली आती है। लेकिन इतनी तादाद में डाकुओं का एक साथ आत्मसमर्पण करना हमारे आचार्य विनोबा जी और जय प्रकाश जी के माध्यम से वह इस देश की एक बड़ी भारी देन है और इससे यह सिद्ध हो गया है कि मनुष्य के दूषित हृदय को भी परिवर्तित किया जा सकता है। मैं अपने मित्र गोस्वामी जी की इस राय से सहमत नहीं हूं कि वह डूबते हुओं को तिनके को सहारा था, आप जो चाहे करें लेकिन डकैतों ने आत्म-समर्पण किया इसका अर्थ यह होगा कि हमारे शांति मिशन के लोगो ने या जय प्रकाश जी ने या विनोबा जी ने जो इन लोगों से हृदय परिवर्तन का एक्सपेरीमेन्ट कराया और आप को याद भी होगा। जब भी हृदय परिवर्तन की बात आयी और पंडित जवाहर लाल नेहरू के सामने जब यह बात आयी तो उन्होंने विनोबा जी का एक संत के रूप में, पौलिटिकल फिलोस्फर के रूप में उनका सम्मान किया। यह केवल एक संत की भाषा नहीं थी एक संत की बानी नहीं थी

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री राजमंगल पांडेय]

बल्कि पोलिटिकल थी जिसके कारण एक इम्बैलेन्स हुआ है, असन्तुलन हुआ है। अगर उन परिस्थितियों को देख और उनको निराकरण की सोचें तो समाज का जो इम्बैलेन्स हुआ वह बहुत हद तक सुधर जायं और हम उन परिस्थितियों की मिटायें, उनके बीच में जायं और उनके बीच कार्य करें।

12-14 साल के लगातार परिश्रम के शांति मिशन के लोगों ने अपनी जान को जोखिम में डालकर जंगलों में, पहाड़ी इलाकों में काम किया। उनके दिल और दिमाग में इस भावना को भरा कि जिन परिस्थितियों में चाहे वह पुलिस की गल्तियों से हुआ हो और चाहे वह समाज की गल्ती से हुआ हो, हम विश्वास दिलाते हैं कि जिस प्रकार समाज के सुधार की जिम्मेदारी लेते हैं, और अगर सरकार ने कोई बात की है तो हम उन परिस्थितियों को बदलने का प्रयास करेंगे। यह हृदय परिवर्तन की बात नहीं है। वे सोच सकें कि हम कैसे इन परिस्थितियों को बदलें ताकि वे नये जीवन का शुभारंभ कर सकें। तो यह समस्या, मानवीय पौलिटिकल फिलोसोफी, एक राज ीतिक वातावरण जिसको लेकर 12–13 साल के पहले हमारे बहुत से ऊंचे किस्म के राजनीतिज्ञ जो फिलोसोफी के नेता थे, उन्होंने जो कहा उसमें बहुत बड़ी सफलता मिली और यह विश्व के किसी कोने में नहीं मिला।

पहली चीज तो यह है कि ये डाकू जो थे, कहा गया कि उनमें कांग्रेस वाले या उनके रिश्तेदार थे। अभी तक शायद ही कोई पत्र ऐसा है, बहुत से अखबार तो मैं भी पढ़ता हूं कि जिसमें राजनीतिक वातावरण बनाने की बात कही हो। तो इससे थोड़ा सा क्षुब्ध होना पड़ा। जितने भी डाकू 400 या 500 हैं अगर उनके पीछे कांग्रेस या कांग्रेस केलोगों की शक्ति है या उनके रिश्तेदारों की शय है तो रत्ती भर भी संकोच नहीं होगा मुझे यह कहने में कि वह सरकार इस लायक नहीं है कि इस जनतंत्र प्रणाली में वह रह सके। लेकिन राजनीतिक भावनाओं से प्रेरित कर के जब ये चीजें हाउस में कही जाती हैं तो बड़ा दु:ख होता है।

समाज के जिस अंग ने हजारों कत्ल किए हैं, कितनी ही विधवाओं का सतीत्व लूटा है, कितनों को घर से बेघर किया है ऐसे चरित्र वाले व्यक्ति आजकल के सभ्य समाज की परिधि में जीवित रहने के भी अधिकार से वंचित हो जाते हैं जैसे कि प्रयत्नों के फलस्वरूप परिस्थितियों में परिवर्तन हुआ है तो हमें खुशी है।

एक या दो को तो हम सामाजिक कानून में लेते हैं लेकिन अगर समाज के बिगड़ने और बनने की बात है तो उसका समाधान करेंगे। उसको एक आदमी के रूप में देखने की बात नहीं करेंगे। अगर कोई भी सरकार हो चाहे उनकीही सरकार हो अगर डाकू लोगों द्वारा हजारों लाखों के कत्ल होते हैं, औरतों का सतीत्व लूटा जाताहै और अगर वे आत्म समर्पण करते हैं तो हमें उन परिस्थितियों पर विचार करना होगा कि वे किन परिस्थितियों में डाकू बने और उन परिस्थितियों को लौटाने का प्रयत्न करेंगे ताकि वे भविष्य में अपने खानदानों में सुधार ला सकें ताकि एक अच्छे भविष्य की कामना हो सके। मान्यवर, इन शब्दों के साथ मैं कहता हूं कि इस समस्या के साथ एक मानवीय समस्या थी, एक राजनैतिक समस्या थी। इन दोनों समस्याओं के साथ हमने हिंसा का परित्याग करके मानवीय रूप में धारण किया।

श्री उपाध्यक्ष––

अगर मानवीय समस्या थी तो गान्धी जी, विनोबा जी और जयप्रकाश नारायण द्वारा जो प्रयत्न हुए हैं उसका पूर्ण श्रेय देने में मध्य प्रदेश की सरकार हिचकी क्यों?

श्री राजमंगल पांडेय--

मान्यवर, इसमें दो पर्सानालिटीज के ईगों का सवाल है। सेठी ने यह कहा कि जो पुलिस का प्रशासन है उसमें भी डिमारेलाइजेशन न हो। उसमें यह बात नहीं है कि हमने कोई कार्य न किया हो। उसका मतलब यह होता है कि शान्ति-मिशन के कार्यकर्ताओं ने किया।

श्री उपाध्यक्ष--

शान्ति-मिशन की शक्ति को अगर पुष्ट करने से सम्बन्धित कोई श्रेय जाना है तो सरकार को नहीं जाना चाहिये क्योंकि वह तो हिंसा और शक्ति पर आधारित है। उसके पास तो शक्ति है।

श्री राज मंगल पांडेय--

मान्यवर का कहना सही है।

वित्त मंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी)--

मध्य प्रदेश सरकार की ओर से इस सम्बन्ध में मंत्री ने स्पष्टीकरण दिया है और उन्होंने यह स्पष्ट किया है कि उनकी कभी यह मंशा नहीं थी कि जय प्रकाश नारायण जी का या सर्वोदय कार्यकर्ताओं का योगदान है। वह किसी माने में कहा गया है। उसको किसी माने में डिमिनिश करने की चेष्टा नहीं की। कुछ दूसरे तथ्य थे उनको समाधान करने की चेष्टा की गई थी।

श्री उपाध्यक्ष--

माननीय मंत्री ने जो अपने शब्दों में कहा कि "डूबते को तिनके का सहारा" वह सहारा नहीं है वह भूलाधार है। इसमें कोई बहस की गुंजाइश नहीं है। हमारी और आप सब की राय है कि हृदय परिवर्तन हों, अच्छे आदमी हों, अच्छा देश हो।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी--

मान्यवर, मैंने प्रारम्भ में ही कहा है कि जो सारे विचार समाज के हृदय को आन्दोलित कर रहे थे उनको इस सदन में रखने की नीयत से रखा था कि चर्चा की जाय, चर्चा हुई और हमारे माननीय सदस्यों नें अपने हृदय के विचार व्यक्त किये। मैंने भी अपने विचारों को व्यक्त किया। मैं पुलिस के बा में जो कह रहा था यानी जो आदत हो जाती है उसकी भी चर्चा नहीं की। यह भी मैंने नहीं कहा--"वायस पालिहि अति अनुरागा, होंहि निरामिष कबहुंक कागा"। आपने कुछ बात की चर्चा कर दी। संयोग से एक अखबार मौजूद है। मैं उसकी दो लाइनें पढ़ देता हूं --

उन्होंने जिन शब्दों में श्री जय प्रकाश नारायण की आलोचना की है वह उन्हें शोभा नहीं देता परन्तु श्री सेठी ने श्री जय प्रकाश नारायण पर यह दोष लगाकर चांद पर थूकने की कहावत को चरितार्थ किया।

मैंने केवल उस विचार के जवाब में कहा कि पत्र में हो तो बता दीजिये। संयोग की बात थी कि समाचार पत्र मौजूद था। हमारे माननीय सदस्यों ने भिन्न-भिन्न विचार व्यक्त किये। मैंने यह भी नहीं कहा, मुझे इसका भी ध्यान है कि पुलिस को डिमारेलाइज नहीं करना चाहिये। पुलिस के बजट में सारी सुविधायें प्रदान की जायं--क्योंकि पुलिस ने इसके लिये अपनी जानें दे दीं तो उनको ये सारी सुविधायें दी जायं। मैंने इन विचारों को व्यक्त

[श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी]

किया था। आज भी मैं उन विचारों को व्यक्त करता हूं। लेकिन आलोचना जिनकी हाउस में करता हूं उन्हें छोड़ नहीं सकता। सारी पुलिस को न कहें, कुछ पुलिस को कहें। पिछले पन्द्रह दिनों के पुलिस के कारनामों को देख लें तो पुलिस को हम क्या कह सकते हैं। यह हमारे अपके सामने की बीच की बात है। यह कोई आलोचना की बात नहीं है। हृदय परिवर्तन की बात कही गई। हृदय परिवर्तन कौन करेगा ? पुलिस तो लाठी, डन्डों द्वारा करती है, शान्ति मिशन के लोग जो हैं वे करते हैं हृदय परिवर्तन।

सोचने की बात है, कि हृदय परिवर्तन की बात आप करते हैं और श्रेय भी आप लूटना चाहते हैं। आपको तो केवल यह कहना चाहिये था कि हमें तो समस्या के समाधान से सम्बन्ध है और यह बहुत ही अच्छा हुआ कि श्री जय प्रकाश नारायण जी ने किया या उनकी शान्ति सेना ने। लेकिन आपमें यह भावना नहीं है। आपने राजनीतिक फिलासफी की बात कही। मान्यवर मैं पुनः अपनी भावनाओं को अपने में समेट लेना चाहता हूं। मेरे पास बहुत सी सूचनायें हैं, जो मुझे मिली हैं जिनको मैं दिखा सकता हूं, लेकिन मैं ज्यादा उसमें नहीं जाना चाहता। आप थोड़ा राजनैतिक टेम्पटेशन से हटकर अपने हृदय को टटोल कर देखें कि वास्तविकता क्या है। मान्यवर, शासन आपके हाथ में है, आप शक्तिशाली हैं और मेरे पास ऐसे कई उदाहरण हैं, लेकिन मैं आग को छूना नहीं चाहता। यह तो किसी भी दल के लिये स्वाभाविक है, लेकिन ऐसी परिस्थिति उत्पन्न होनी नहीं चाहिये।

मान्यवर, मुझे जज का नाम ठीक से मालूम नहीं है, पुलिस कमीशन के चेयरमैन रहे हैं शायद ज्ञानेन्द्र जी। उन्होंने कहा है कि राजनैतिक व्यक्ति हमारे काम में हस्ताक्षेप करते हैं। जिनको हम पकड़ना चाहते हैं, जिनको हम दण्ड देना चाहते हैं उनकी रक्षा के लिये, वह हमारे पास आते हैं और हमारे पास कोई चारा नहीं रह जाता। अगर नहीं करते हैं तो मंत्रीजी के पास जाकर खिचाई होती है और वहां तक पहुंच कर बदल दिया जाता है। चाहे वह जनसंघ की सरकार हो या कांग्रेस की। मैं इस समय पार्टी से सम्बन्धित कोई बात नहीं कहता, लेकिन इस पहलू पर हमें विचार करना चाहिये। आप नक्शा उठाकर देख लें कि कितने गजटेड आफीसर्स को आपने बदल दिया। मैं पोलीटिकल डकैती की बात नहीं करता, बूथ कन्ट्रोलकी बात नहीं करता। आपको पालिटिकल मामले की यह बात नहीं करनी चाहिये थी। मुझे बड़ी प्रसन्नता है कि हमारे मंत्रीजी ने वहां के विकास के बारे में जो बात कही कि उनको राहत मिलेगी और भी बहुत सी बातें कहीं उससे मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई। चूंकि उन्होंने कुछ ऐसी बात कही इसलिये मुझे उत्तर देने की आवश्यकता पड़ी। आशा है इन बातों पर सरकार विचार करेगी और इस समस्या के समाधान करने के लिये सरकार कोई उचित मार्ग अपनायेगी। मैंने समाज के विचारों के एक पहलू को सदन के सामने रखा है।

श्री गोस्वामी राधाकृष्ण--

मान्यवर, माननीय सदस्य ने जो कुछ कहा और मैंने जो कुछ कहा वह मैंने अपने व्यक्तिगत अनुभव के आधार पर, शासन के यंत्र के अनुभव के आधार पर, उन सबके आधार पर मैंने अपनी बात रखी। मेरी किसी भावना से माननीय सदस्य जो वयोवृद्ध है, उनके हृदय को जरा भी ठेस लगी हो, तो मैं उसके लिये क्षमा चाहता हूं। लेकिन मैंने अपनी भावना को स्पष्ट

ढंग से प्रस्तुत किया है। जो मेरी अपनी धारणा थी, जो शासन की धारणा थी और जो पुलिस के कार्य हैं प्रशंसनीय उन पर भी प्रकाश डाला था क्योंकि मैं उससे संबंधित था इसलिये मैंने उनका उल्लेख करना उचित समझा। आशा है वह मेरी भावना को समझने की कृपा करेंगे ।

श्री उपाध्यक्ष--

अब हम कल ११ बजे तक के लिये उठते हैं।

(इसके बाद सदन ६ बजकर ४० मिनट पर अगले दिन के ११ बजे तक के लिये स्थगित हो गया।)

देवकी नन्दन मित्थल,
सचिव, विधान सभा
उत्तर प्रदेश।

लखनऊ :
26 जुलाई, 1972।

नत्थी 'क'

(देखिये तारांकित प्रश्न संख्या ६ उत्तर पीछे पृष्ठ ३२ पर)

रामगंगा परियोजना के ६७.९८ करोड़ रुपये की लागत के प्राक्कलन की शासन द्वारा वर्ष १९६१ में स्वीकृति दी गई थी। परियोजना के निर्माण कार्य में प्रयोग होने वाली मशीनों के विदेशों से प्राप्त होने पर ही निर्माण कार्य मुख्यतया वर्ष १९६४ में प्रारम्भ किये गये। परियोजना के निर्माण में हुई अब तक की गति का विवरण निम्न प्रकार है :—

यूनिट १

मुख्य बांध व इससे संबंधित कार्यों पर ६० प्रतिशत निर्माण कार्य हो चुका है।

यूनिट २–ए

इसके अन्तर्गत फीडर चैनेल की खुदाई का कार्य ९१ प्रतिशत पूरा हो गया है। हेड वर्क्स के समस्त कार्य, पैराज के हिस्से से गेट्स को छोड़कर, पूरे किये जा चुके हैं। उक्त गेट्स के कार्यों के जून, १९७३ तक पूर्ण होने की सम्भावना है। फीडर चैनल पर बनाये जाने वाले ४२ पुलों, ३ फाल तथा २१ क्रास ड्रेनेज में से ३४ पुल, ३ फल तथा ६ क्रास ड्रेनेज का निर्माण किया जा चुका है तथा शेष कार्य प्रगति पर है और उनके जून, १९७३ तक पूर्ण होने की आशा है।

यूनिट २–बी

इसके अन्तर्गत पुरानी नहरों के पुनरोद्धार तथा १३२८ मील लम्बी नई नहरों के निर्माण का कार्य किया जा रहा है। पुरानी नहरों के पुन रो ारा कार्य के अन्तर्गत मिट्टी के कार्य का ८८.८ प्रतिशत व पक्के कार्य का ६८.७ प्रतिशत तथा नई नहरों के निर्माण कार्य के अन्तर्गत मिट्टी के कार्य का ६९.१ प्रतिशत व पक्के कार्य का ४०.६ प्रतिशत कार्य किया जा चुका है।

यूनिट ३—सिविल कार्य

इसके अन्तर्गत बिजली घर के निर्माण कार्य का ७५ प्रतिशत कार्य पूर्ण कर दिया गया है।

परियोजना के यूनिट १, २ एवं ३ के अधिकार सिविल कार्य जून, १९७४ तक पूर्ण हो जाने की आशा है व यूनिट २–बी के मुख्य कार्य १९७४–७५ तक पूर्ण होने की आशा है। विद्युत् गृह पर तीनों मशीने १९७५ अक्टूबर तक चालू हो जावेंगा।

रामगंगा परियोजना के पूर्ण होने तक १२८ करोड़ रुपया व्यय होने की सम्भावना है।

परियोजना पर कार्य पूर्ण होने पर तो अभी दो वर्ष लगेगें अतः कार्यरत कर्मचारियों व इन्जीनियरों को अन्य परियोजनाओं पर भेजने के प्रश्न पर विचार का अभी प्रश्न नहीं उठता। परियोजना निर्माण कार्य की समाप्ति पर खाली होने वाले वर्कशाप शेड को कालागढ़ कालोनी के साथ किसी उद्योग के स्थापित करने के लिये उपयोग करने का मामला अभी शासन के विचाराधीन हैं।

नत्थी 'ख'

(देखिये तारांकित प्रश्न संख्या 40 का उत्तर पीछे पृष्ठ, 39 पर)

विधायक निवास–2 के गैरजों की सूची

मोटर गैरजों का आवंटन

क्रम–सं० आवंटनी का नाम

1—श्री लोकपति त्रिपाठी,

2—श्री जय नारायण सिंह,

3—श्री सजीवन लाल,

4—श्री भीमा प्रसाद

5—श्री चौधरी नवाब सिंह,

6—श्रीमती आशासिंह,

7—डा० प्रकाश नारायण गुप्त,

8—श्री मदन मोहन मिश्र,

9—श्री भगवती सिंह विशारद,

10—श्री महमूद अली खां,

11—श्री विजय कुमार त्रिपाठी,

12—श्री जगदीश गांधी,

13—श्रीमती मालती पान्डेय,

14—श्री बिहारी लाल,

15—श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी,

16—श्रीमती कलारानी मिश्र,

17—श्री सुखपाल पांडेय,

18—श्री जगन नाथ प्रसाद,

19—श्री निभय नारायण सिंह,

20—श्री अशरफ अली,

21—श्री राम हर्ष मिश्र,

22—श्री कृष्णनन्द राय,

23—श्री गेंदासिंह,

24—श्री चिरंजी लाल,

25—श्रीमती सिया दुलारी,

विधायक निवास—3 के गैराजों के आवंटन की सूची

क्रम-सं० आवंटनी का नाम

26—श्री रणंजय सिंह,

27—श्री असरार अहमद,

28—श्री महिरजध्वज सिंह,

29—श्री शिव प्रसाद गुप्ता,

30—श्रीमती प्रेमवती तिवारी,

31—श्री धर्मदत्त वैद्य,

32—श्री बेनी सिंह अवस्थी,

33—श्री गणेश दत्त पालिवाल।

विधान सभा सचिवालय

नत्थी 'ग'

(देखिये अतारांकित प्रश्न संख्या 6 का उत्तर पीछे पृष्ठ 42 पर)

नौतनवां ठूठीवारी मार्ग

गाँवों के नाम जिनमें मुआवजा बंटना बाकी है :—

(1) पिपरा
(2) बेलयार
(3) राजावारी
(4) पड़ियाताल
(5) निपनियाँ
(6) विषखोप
(7) सेखुआनी
(8) बमनी
(9) रतनपुर
(10) जगरनाथरपुर
(11) महादेइया
(12) परसा ठीकर
(13) तैरनी
(14) खैरहवा
(15) कून्सेरी
(16) परसा शुमाली
(17) बरगदवा
(18) असुरैना
(19) कोहरगड्डी
(20) पुरैनिया
(21) ठूठीवारी।

कौल्हुई लोटन मार्ग

गाँवों के नाम जिनमें मुआवजा बंटना बाकी है :

(1) खरहरवा
(2) बभनी बुजुर्ग
(3) बड़गो
(4) कैसौली
(5) जिगिनियाँ।

नत्थी 'घ'

(देखिये अतारांकित प्रश्न संख्या 10 का उत्तर पीछे पष्ठ 53 पर)

(क) अलीगढ़ अतरौली रामघाट मार्ग—

31 मार्च, 1972 तक इस मार्ग पर निम्न कार्य किया जा चुका था :

(1)	मिट्टी का काम	.. 2 कि० मी०
(2)	बलियाँ	.. 4 नं०
(3)	मध्य सतह का प्रथम कोट —	
	एकत्रीकरण	.. 9 कि० मी०
	कुटाई	2 कि० मी०
(4)	ऊपरी सतह —	
	एकत्रीकरण	.. 2 कि० मी०
	कटाई	.. 12 कि० मी०
(5)	व्यय	.. 3,99,872 रु०

निर्माण कार्य प्रगति पर है और मार्च, 1974 तक पूर्ण होने की आशा है।

(ख) अतरौली पाली मुकीमपुर हरदोई–आलमपुर मार्ग–

इस मार्ग के निर्माण हेतु 16,83,000 रुपये की संशोधित लागत की स्वीकृति 13 मार्च, 1972 को प्रदान की गई है।

भूमि अधिग्रहण की कार्यवाही की जा रही है उसके पूर्ण होने पर ही कार्य प्रारम्भ किया जायगा। दिसम्बर, 1974 तक मार्ग पूर्ण होने की आशा की जाती है।

(ग) अतरौली–छर्रा–कासगंज मार्ग

इस मार्ग को 5,43,000 रुपये की संशोधित लागत की स्वीकृति दिनाँक 31 दिसम्बर, 1971 को प्रदान की गई थी। भूमि अधिग्रहण की कार्यवाही की जा रही है। भूमि प्राप्त होने के पश्चात् ही निर्माण प्रारम्भ किया जा सकेगा। आशा की जाती है कि यह मार्ग दिसम्बर, 1974 तक बनकर तैयार हो जायगा।

(घ) अतरौली–छर्रा–कासगंज मार्ग

इस सड़क का निर्माण अभी तक सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा स्वीकृत नहीं किया गया है।

(ङ) नानऊ –छर्रा दादों–सखांपुरा मार्ग

यह मार्ग निम्न दो भागों में स्वीकृत किया गया है। उनकी स्थिति भी उनके सामने दी गयी है :

(1) नानऊ-दादों मार्ग का आधुनीकरण—

10,95,000 रु० की अनुमानित लागत पर इस मार्ग (10 कि० मी०) का आधुनीकरण दिनाँक 28 जून, 1972 को स्वीकृत किया गया है। अभी कार्य प्रारम्भ नहीं हुआ है।

(2) दादों-बांकुरा मार्ग (10.15 कि० मी०)—

इस मार्ग का निर्माण शासन द्वारा 7,29,000 रु० की अनुमानित लागत पर दिनाँक 16 मई, 1972 को स्वीकृत किया गया है।

अभी मार्ग जिला परिषद् के अधीन है।

निर्माण कार्य प्रारम्भ नहीं हुआ है।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'ङ'

(देखिये अतारांकित प्रश्न संख्या 13 का उत्तर पीछे पृष्ठ 44 पर)

सूचना

क्रम संख्या	सड़क का नाम	लम्बाई कि० मी०	कार्य आरम्भ की तिथि	कार्य पूर्ण होने की सम्भावित तिथि
1	2	3	4	5
	(क) वर्ष 1969-70 में स्वीकृत कार्य शून्य।			
	(ख) वर्ष 1970-71 में स्वीकृत कार्य —			
1	एरिचमऊ-बमौरी-मार्ग सुधार एवं पुनर्निर्माण।	17.4	जनवरी, 1971	दिसम्बर, 1972
2	चिरगाँव-रामनगर-बघेरी मार्ग का सुधार एवं पुनर्निर्माण . .	22.75	मई, 1971	जून, 1974
3	गुरसरा-गरोठा मार्ग का निर्माण	13.00	जून, 1971	जून, 1974
4	गुरसराय-कोटरा घाट मार्ग का निर्माण।	24.00	नवम्बर, 1971	जून 1975।
5	ललितपुर-किलगवाँ मार्ग का निर्माण।	40.00	अक्तूबर, 1971	मार्च, 1976
6	बिजना बाँगरा (उल्दन कटेटा)	23.00	फरवरी, 1971	दिसम्बर, 1974
7	बार-बानपुर मार्ग . .	26.00	जून, 1971	मार्च, 1975
8	बिजना-पन्डवाहा मार्ग . .	16.68	मार्च, 1971	दिसम्बर, 1974
9	जाखलौन-पाली बंगरिया मार्ग	24.00	मई, 1971	मार्च, 1975
10	मदौरा-गिरार मार्ग . .	16.80	नवम्बर, 1971	दिसम्बर, 1973
	(ग) वर्ष, 1971-72 में स्वीकृत कार्य —			
1	मेहरौनीसोजना मार्ग . .	10.00	दिसम्बर, 1971	दिसम्बर, 1973
2	बंगरा-बिजना-टहरौली मार्ग	14.00	जनवरी, 1972	दिसम्बर, 1974
3	बघेरा-टहरौली मार्ग . .	7.00	दिसम्बर, 1971	दिसम्बर, 1973

नत्थी 'च'

(देखिये अतारांकित प्रश्न संख्या 19 का उत्तरपीछे पृष्ठ 45 पर)

अनुलग्नक

क्रम-सं०	जिला		आबण्टित नल-कूपों की संख्या
(1)	पर्वतीय क्षेत्र—		
1	नैनीताल ..	.. ..	5
2	देहरादून ..	.. ..	5
3	गढ़वाल (भामर क्षेत्र) ..	.. ..	2
		योग ..	12
(2)	पश्चिमी क्षेत्र—		
1	सहारनपुर ..	.. ..	20
2	मुजफ्फरनगर ..	.. ..	15
3	(१) मेरठ ..	(1) ..	15
	(२) ई० वाई० सी०	(2) ..	10
4	बुलन्दशहर ..	.. ..	5
5	अलीगढ़ ..	.. ..	10
6	आगरा ..	.. ..	20
7	एटा ..	.. ..	20
8	मैनपुरी ..	.. ..	15
9	फर्रूखाबाद ..	.. ..	15
10	इटावा ..	.. ..	15
11	बिजनौर ..	.. ..	10
12	मुरादाबाद ..	.. ..	10
13	बरेली ..	.. ..	5
14	शाहजहाँपुर ..	.. ..	5
15	बदायूं ..	.. ..	5
16	रामपुर ..	.. ..	5
17	पीलीभीत ..	.. ..	..
18	मथुरा ..	.. ..	5
		योग ..	205

क्रम-संख्या	जिला	आवण्टित नलकूपों की संख्या
(3)	**मध्यक्षेत्र—**	
1	कानपुर	20
2	खीरी	5
3	सीतापुर	10
4	हरदोई	10
5	लखनऊ	5
6	बाराबंकी	5
7	फतेहपुर	20
8	रायबरेली	10
9	उन्नाव	5
	योग ..	90
(4)	**बुन्देलखंड क्षेत्र—**	
1	बाँदा	10
2	हमीरपुर	10
3	जालौन	10
	योग ..	30
(5)	**पूर्वी क्षेत्र—**	
1	बाराणसी	30
2	मिर्जापुर	5
3	जौनपुर	25
4	गाजीपुर	25
5	बलिया	20
6	गोरखपुर	15
7	देवरिया	10
8	बस्ती	10
9	आजमगढ़	20
10	गोण्डा	10

क्रम-संख्या	जिला	आवण्टित नलकूपों की संख्या
11	फैजाबाद	15
12	सुल्तानपुर	15
13	इलाहाबाद	30
14	प्रतापगढ़	10
15	वहराइच	10
	योग ..	250
	कुल योग	587

अनुलग्नक 2

जिलों के लिए राजकीय नककूपों के आवण्टन का आधार

1--विभिन्न जिलों में सिंचाई सुविधा की आवश्यकता के अनुसार।

2--पिछड़े क्षेत्रों का भी ध्यान रखा जाताहै और क्षेत्रीय असन्तुलन दूर करने का भी प्रयास रहता है ।

3--उन जिलों में जहाँ अन्वेषणात्मक बोरिंग प्रस्तावित है और जहाँ पहले से नलकूप नहीं हैं और जहाँ उपयोग होने की सम्भावना है, वहाँ भी नलकूप प्रस्तावित किए जाते हैं ।

नत्थी 'छ'

(देखिये अतारांकित प्रश्न संख्या 20 का उत्तर पीछे पृष्ठ 45 पर)

ब्योरा

ग्राम मंडावर--

इस गाँव पर चार स्टड बनाये जाने थे। यह चारों स्टड 30 जून, 1972 तक बनाये गये हैं।

ग्राम रामड़ा--

इस गाँव पर तीन ठोकरें (स्पर) बनाये जाने थे। इनमें से दो ठोकरों का कार्य लगभग पूरा हो चुका है। शेष एक ठोकर के निर्माण हेतु आवश्यक सामग्री एकत्रित कर ली गई है और कार्य आरम्भ हो चुका है। इस कार्य को एक माह में पूर्ण करने का प्रयत्न किया जा रहा है।

विधान सभा

पी० एस० यू० पी०--एल० 253 एल० ए०--1972--845।